Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक ३] तृतीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १९६३ का २९वां दिवस [संख्या २२

बुधवार, दिनांक २७ मार्च, १९६३

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(स्वायत्त शासन, सार्वजनिक निर्माण यातायात, कृषि, गृह, विद्युत्, सिंचाई एवं चिकित्सा–विभाग)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रादेवी ।

नवलगढ नगरपालिका के अध्यक्ष का निलम्बन

६१४. **श्रीमती सुमित्रादेवी** (झुंझुनू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या नवलगढ नगरपालिका का अध्यक्ष निलम्बित अवस्था में है ?

(२) यदि हां, तो उसको चार्जशीट कब दी गई और ऐसे कौन से आरोप थे जिनके आधार पर उसको निलम्बित किया गया ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां ।

(२) दिनांक ३१-१०-६२ को चार्जशीट दी गई । निलम्बित करने के कारण चार्ज शीट में दिये गये हैं जो सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्रीमती सुमित्रादेवी : अध्यक्ष महोदय उनको १०-५-६२ को सस्पैन्ड किया गया और बाद में चार्जशीट दी गई, क्या यह सही नहीं है ?

श्री दौलतराम सारण : जी हां ।

श्रीमती सुमित्रादेवी : फिर आपने किन कारणों पर निलम्बित कर दिया ? ऐसी कौनसी वजह थी ?

श्री दौलतराम सारण : जांच करायी और वे कारण चार्जशीट से स्पष्ट हैं । इस कारण निलम्बित किया गया ।

श्रीमती सुमित्रादेवी : क्या यह सही है कि वे कागजात भूतपूर्व अध्यक्ष श्री साबरमल बासोतिया द्वारा स्वयं ही सील किये गये थे

Page No 2

(श्रीमती सुमित्रादेवी)
और क्या एस. पी. की जांच से भी ये निर्दोष हैं ?

श्री दौलतराम सारण : जैसा कि आपको विदित है चेयरमैन के खिलाफ जांच की गई, उनको निलम्बित किया गया और उसके पश्चात् हियरिंग का चान्स दिया गया और अब उनका मामला न्यायिक जांच के अन्तर्गत जेर गौर है।

श्रीमती सुमित्रादेवी : उनको निलम्बित किया गया १०-५-६१ को। दो वर्ष के अन्दर वापिस उनको रिइन्स्टेट नहीं किया, ज्युडिशियल इन्क्वायरी के लिये वे नहीं गये। तो मैं इसका कारण पूछना चाहती हूं ।

श्री दौलतराम सारण : मामला ज्युडीशियल हियरिंग के लिए गया। २५-३-६३ को सुनवाई हुई।

श्रीमती सुमित्रादेवी : इतनी लम्बी अवधि क्यों लगाई गई ?

श्री दौलतराम सारण : कार्यवाही में देर लगी।

श्रीमती सुमित्रादेवी : एक आदमी को सस्पेन्ड हुए दो वर्ष हो जायं और ज्युडीशियल इन्क्वायरी कम्प्लीट न हो पाये और दो वर्ष तक निलम्बित रहे यह न्याय नहीं अन्याय है।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

श्रीमती सुमित्रादेवी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। १०-५-६१ का एक पत्र मेरे पास है जो मैं सदन की मेज पर रखने के लिए तैयार हूं। उनको १०-५-६२ को सस्पेन्ड किया गया। जब कि १०-५-६१ का पत्र है तो क्या उनको एक साल पूर्व सस्पेन्ड कर देने के लिए षडयन्त्र रचा गया था ?

श्री दौलतराम सारण : जी नहीं। उनको १०-५-६२ को निलम्बित किया गया।

श्रीमती सुमित्रादेवी : मैं सदन की मेज पर वह पत्र रखना चाहती हूं। १०-५-६१ का वह पत्र है और उनको निलम्बित किया गया है और ३१-१०-६२ को चार्जशीट दी गई है।

श्री दौलतराम सारण : माननीय सदस्या बात नहीं समझ रही हैं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : टाइपिंग मिस्टेक होगी।

श्रीमती सुमित्रादेवी : मैं तो समझ गयी हूं। माननीय मंत्री नहीं समझ पाये हैं। आपने निलम्बित किया है १०-५-६२ को, जैसा कि आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास आर्डर है वह १०-५-६१ का है जो मैं सदन की मेज पर रखने के लिए तैयार हूं और यह जानना चाहती हूं कि १०-५-६१ के ऑर्डर के अन्तर्गत क्या गवर्नमेन्ट का यह प्री-प्लानिंग नहीं था कि उनको सस्पेन्ड कर दिया जाय ? इसमें उनको रिइन्स्टेट नहीं किया गया और दो वर्ष का समय लगाया गया। मंत्री महोदय के पास लगातार फाइल पड़ी रही।

श्री दौलतराम सारण : मैं उत्तर निवेदन कर चुका हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : १०-५-६२ भी है तो उसके बाद जबाब समझ करने में एक साल का अर्सा क्यों लगा ?

Page No 3

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
आखिर चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका पूरा पीरियड निकाल दें यह डेमोक्रेसी के खिलाफ है।

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि १५-१२-६१ को नोटिस दिया गया और २१-१२-६१ को लिखित उत्तर उनको प्रेषित करने के लिये कहा गया। २७-१-६२, १६-३-६२, १४-४-६२ को हीयरिंग की तारीखें दी और १०-५-६२ को निलम्बित किया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : १०-५-६२ के बाद क्या कार्यवाही हुई ? २५-३-६३ को हीयरिंग हुई तो इस बीच क्या कार्यवाही हुई ?

श्री दौलतराम सारण : रेगुलर चार्ज शीट दी गई और २५-३-६३ को सुनवाई हुई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, १५-१२-६१ से निलम्बित हैं। ११ महीने तक कुछ नहीं किया गया। यह विलम्ब नहीं है

श्री दौलतराम सारण : विलम्ब हुआ है।

श्री मती सुमित्रादेवी : क्या यह सही है कि ३१-१२-६१ को जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया वह फाइल से ही गायब है ?

श्री दौलतराम सारण : मैं यह नहीं कह सकता कि वह फाइल से गायब है। मेरे पास जानकारी है। जो पूछा निवेदन किया।

श्रीमती सुमित्रादेवी : उनका यह स्पष्टीकरण फाइल से गायब है।

श्री दौलतराम सारण : यह मालूम कर लूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ज्युडिशियल अथोरिटी के पास केस कब भेजा गया ?

श्री दौलतराम सारण : अभी एक सैकिन्ड में बताता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बतायें या न बतायें जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा कि आपको ऐसे मामलों में देरी नहीं करनी चाहिए। ऐसे भी अब और कोई केस है कि जिनमें निलम्बित किया हो और चार्ज शीट न दी हो ?

श्री दौलतराम सारण : आपके आदेशानुसार जल्दी की जायगी।

श्री अध्यक्ष : दूसरे केसेज में भी देख लीजियें। देरी न हो।

श्रीमती सुमित्रादेवी : ज्युडिशियल इन्क्वायरी कम्पलीट हुए बिना उनको रिइन्स्टेट नहीं किया जा सकता ?

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

श्रीमती सुमित्रादेवी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवाया जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : उत्तर तो देना चाहिये।

श्री दौलतराम सारण : मैं स्पष्ट निवेदन कर चुका हूं जो कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा है और आश्वासन भी दे चुका हूं, फिर क्या उत्तर चाहा जा रहा है ?

श्रीमती सुमित्रादेवी : मैं यह पूछ रही हूं कि क्या ज्युडिशियल इन्क्वायरी के बिना उनको रिइन्स्टेट नहीं किया जा सकता ?

Page No 4

श्री दौलतराम सारण : यह नहीं कहा जा सकता। इन्क्वायरी चल रही है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : कई मामलों में किया है। ऐसी हालत में जब कि डिले हुई है उनको उस पद पर भेजने में क्या दिक्कत है? आप डिले स्वयं मानते हैं, डिले हो रही है। लोगों के चुने हुए आदमी हैं उनको दुबारा रिइन्स्टेट करने में क्या दिक्कत है?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : This is a matter, which is on the basis that two wrongs cannot be one right.

श्रीमती सुमित्रादेवी : और किसी को रिइन्स्टेट किया गया है क्या?

श्री दौलतराम सारण : ऐसी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): सीकर के चेयरमैन को किया गया है रिइन्स्टेट।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : सोजत के चेयरमैन को किया गया है।

श्रीमती सुमित्रादेवी : फिर इनको क्यों नहीं किया जा रहा है?

श्री दौलतराम सारण : यह तो चार्जशीट की गंभीरता पर निर्भर करता है। यदि सुनने वाले आथोरिटी को इत्मीनान हो जाय कि जो चार्जेज लगाये गये हैं उस पर जो स्पष्टीकरण उनसे आये उससे इत्मीनान हो जाय तो रिइन्स्टेट किया जाय तो किया जा सकता है। ऐसा जब महसूस नहीं होता है, तभी तो न्यायिक जांच के लिये भेजते हैं।

श्री तेजाराम गहलोत : सोजत के मामले में दबाव के आधार पर किया गया है।

श्रीमती सुमित्रादेवी : एस. पी. की रिपोर्ट है और दूसरी जितनी रिपोर्टस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए क्या उनको रिइन्स्टेट नहीं किया जा सकता?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): जांच की रिपोर्ट तो आपके पास आ चुकी है।

श्री अध्यक्ष : Next

नल योजना का सर्वेक्षण—ग्राम कनवास

६१५. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या ग्रामीण नल योजना विभाग द्वारा ग्राम कनवास में नल योजना का सर्वे किया जा चुका है?

(२) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कनवास में कब तक नल लगाये जाने की संभावना है?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां।

(२) योजना विचाराधीन है।

श्री जुझारसिंह : योजना आपके पास है तो फिर विचाराधीन का क्या प्रश्न है?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पंचायत से पांच प्रतिशत सहायता मांगी गई, उसके जमा होने पर स्कीम पर विचार किया जायगा।

श्री जुझारसिंह : पर्सेन्टेज मिल जाने के बाद कलेक्टर को पूछना क्यों आवश्यक है?

Page No 5

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : नियमानुसार कलेक्टर के मार्फत पंचायत का प्रस्ताव आना चाहिए ।

जयपुर में सार्वजनिक हित के लिये एक्वायर की गई जागीरदारों की भूमि

६१६. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जयपुर नगर विकास मंडल द्वारा जयपुर में स्थित किस किस जागीरदार की भूमि सार्वजनिक हित और नगर विकास के लिये एक्वायर करने के हेतु गत ५ वर्षों में सरकार को लिखा गया और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(ख) क्या यह सही है कि नगर विकास मंडल के निवेदन पर सरकार ने कई जागीरदारों की भूमि नगर विकास और सार्वजनिक हित के लिये एक्वायर करने के नोटिफिकेशन निकाले ? यदि हां, तो किन किन की कितनी कितनी भूमि एक्वायर करने के नोटिफिकेशन कब कब निकाले ?

(ग) क्या यह भी सही है कि फिर बिना नगर विकास मंडल की राय के ही उन नोटिफिकेशनों को विथड्रा कर लिया गया ? यदि हां, तो किसके द्वारा और क्यों ?

(घ) क्या यह भी सही है कि जागीरदारों की कृषि भूमि को आबादी भूमि में बदल कर जागीरदारों को प्लाट काटकर बेचने की छूट दी गई । यदि हां, तो किन किन को कितनी कितनी भूमि के प्लाट काटकर बेचने दिये गये ?

(ङ) क्या इससे नगर विकास योजनाओं में बाधा पड़ी और शहर की सुन्दरता भी नष्ट हुई ? और नगर विकास मंडल और सरकार को भारी आर्थिक हानि हुई ?

(च) क्या यह भी सही है कि ऐसे जागीरदारों की जमीनों में बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों ने जागीरदारों से प्लाट लिए हैं ? यदि हां, तो किस किस जागीरदार से किस किस अधिकारी ने कितने कितने प्लाट लिए हैं और एक्वीजीशन नोटिफिकेशन विथड्रा करने से पूर्व लिए गये या बाद में ?

उप-मंत्री स्वायत्त, शासन (श्री दौलत राम सारण): (क) ट्रस्ट ने निम्न ठिकानों की भूमि अवाप्त करने के हेतु गत ५ वर्षों में राज्य सरकार से प्रार्थना की:—

१. सामोद २. बिचून ३. दूदू ४. सीकर

इन सब ठिकानों की अवाप्ति की कार्यवाही भूमि अवाप्ति अधिकारी के विचाराधीन है ।

(ख) जी हां अवाप्त करने के नोटिस निम्न प्रकार निकाले :——

१. सामोद, १९५९ १५.९ एकड
२. बिचून १९५९ ८.५ एकड़
३. दूदू २३-३-१९६१ ३.५० एकड़
४. सीकर २३-३-१९६१ ३२ बी.३ वि.

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) स्वायत्त शासन विभाग के पास इसकी कोई सूचना नहीं है । कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तन करने का काम राजस्व विभाग का है अतः इस संबन्ध में उस विभाग से सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(ङ) नगर विकास ट्रस्ट की योजनायें न लाभ न हानि के आधार पर बनती हैं

Page No 6

(श्री दौलतराम सारण)
(ड): आर्थिक हानि का प्रश्न नहीं है।

(च) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर आपने दिया है 'प्रश्न नहीं उठता जब कि प्रश्न यह पूछा गया है कि आपने विथड्रा किया है या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया पांच वर्ष के अर्से में कोई विथड्रा नहीं किया।

श्री रघुनाथ विश्नोई: नोटिफिकेशन जारी हुआ था या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : नोटिफिकेशन जारी हुआ था। विथड्रा नहीं हुआ यह मैंने कहा।

श्री रघुनाथ विश्नोई: यह कार्यवाही कब तक समाप्त हो जायगी ?

श्री दौलतराम सारण : कार्यवाही चल रही है, कानूनी मसला है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन जमीनों के अलावा भी जयपुर नगर में और किसी प्रकार की जमीन को एक्वायर करने के नोटिस दिये गये ?

श्री दौलतराम सारण : इस प्रश्न में एक विशेष प्रकार की जमीन एक्वायर करने के बारे में कहा गया था; वैसे तो और भी जमीन एक्वायर की गई है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : जिन जमीनों को अवाप्त करने की कार्यवाही भूमि अवाप्ति अधिकारी के विचाराधीन है उस जमीन को आपने देखा है बिना एक्वायर किये ही वहां मकान आदि बन गये हैं ?

श्री दौलतराम सारण : जमीन की शकल बदली है या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप जाकर देख सकते हैं बदली हुई है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : पांच साल पूर्व ऐसे जागीरदारों की जमीनों की अवाप्ति के आदेश निकाले हैं क्या ?

श्री दौलतराम सारण: पांच साल के अन्दर का जिक्र किया।

श्री भीमसेन : पांच साल से पूर्व कोई निकाला गया क्या ?

श्री दौलतराम सारण : यह प्रश्न इससे भिन्न है।

प्रश्न संख्या ६१७

श्री अध्यक्ष: भैरवलाल 'कालाबादल'

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६१८

श्री रघुवीर सिंह (अनुपस्थित)

निम्बाहेड़ा बेंगू वाया कनेरा मार्ग पर बसों के परमिट

६१९. **श्री अब्दुल जब्बार** (निम्बाहेड़ा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या निम्बाहेड़ा बेंगू वाया कनेरा चलने वाली बसों का परमिट रिन्यू कर दिया गया है ?

(श्री अब्दुल जब्बार)

(२) क्या बसें बेगूं तक जाती हैं?

(३) यदि नहीं तो क्या बसों का बेगूं तक न जाना परमिट दिये जाने की शर्तों के खिलाफ है? अगर हां, तो फिर परमिट होल्डर को इस जुर्म की क्या सजा दी गई है और भविष्य के लिये क्या तजवीज है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र:) निम्बाहेड़ा बेगूं रूट पर दो परमिट हैं जिनमें से परमिट नं ४१० के नवीनीकरण की कार्यवाही चल रही है। तथा परमिट नंबर १२३ का ३०–६–६३ तक के लिये नवीनीकरण हो चुका है।

(२) जी नहीं। केवल निम्बाहेड़ा से कनेरा तक चलती है।

(३) जी हां, इस मार्ग के दोनों मोटर मालिकों पर आर.टी.ए. उदयपुर द्वारा ५०० रुपये जुर्माने का दंड प्रति ओपरेटर गाड़ियें बेगूं तक न ले जाने के सिलसिले में दिया जा चुका है। भविष्य के लिये इन परमिट होल्डर्स ने मार्ग के कम किये जाने की अर्जियां प्रस्तुत की हैं जिस पर आर.टी.ए विचार कर निर्णय देगी।

श्री अब्दुल जब्बार: याव मोटर विहिकल्स एक्ट में इस प्रकार का नियम है कि जितने डिस्टेंन्स पर बस चलने के लिये परमिट दिया जाता है उस पर नहीं चलाते हैं तो वह परमिट कैन्सल किया जाय।

श्री हरिश्चन्द्र: परमिट के अनुसार नहीं चलाने पर तो ५०० रुपया जुर्माना हुआ है कैन्सलेशन का जहां सवाल है आर.टी.ए. इस पर देख भाल कर रहे हैं।

श्री अब्दुल जब्बार: जब वह नहीं चलाता है तो उसका परमिट कैन्सिल क्यों नहीं किया जाता?

श्री हरिश्चन्द्र: मैंने निवेदन किया, इस पर आर. टी. ए. निर्णय करेगा।

श्री अब्दुल जब्बार: जब वह नहीं चलाता है तो जुर्माना किया गया और उसके खिलाफ कन्टीन्युअसली यह शिकायत है कि वह बस नहीं चला रहा है, तो आप उसको कैन्सल क्यों नहीं कर देते?

श्री हरिश्चन्द्र: नहीं चलाने की तो अर्जियां प्रस्तुत की हैं उस पर आर.टी.ए. विचार कर रहे हैं।

श्री अब्दुल जब्बार: यह जुर्माना किसने किया?

श्री हरिश्चन्द्र: आर.टी.ए. द्वारा किया गया।

प्रश्न संख्या ६२०

श्री अध्यक्ष: श्री देवीलाल
(अनुपस्थित)

श्री मोहनलाल सारस्वत

ट्रेक्टर के लिये ऋण–नगरपालिका रतनगढ़ (गंगानगर) द्वारा

६२१. श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) [श्री केदारनाथ (गंगानगर) द्वारा पूछा गया] क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सत्य है कि नगरपालिका रतनगढ़ को सरकार ने १०,००० रु० (दस हजार रुपये) ट्रेक्टर खरीदने के लिये ऋण किश्तों पर दिया था?

(श्री केदारनाथ)

(२) इन रुपयों की सालाना किश्त किस प्रकार थी और उनमें से कितनी किश्तें वसूल हुई ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त राशि से पालिका ने अब तक ट्रेक्टर नहीं खरीद किया?

(४) क्या यह सही है कि जिस कार्य के लिये लोन दिया जाता है वह उस कार्य में न खर्च होने से उसकी तुरन्त वसूली कर ली जाती है ?

(५) क्या दस हजार रूपयों की वसूली कर ली गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

(६) कृषि विभाग ने इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की ?

उप-मंत्री, कृषि (श्रीमती कमला बेनीवाल):(१) जी हां।

(२) ऋण मय ब्याज के ८ साल में समान किश्तों द्वारा चुकाया जाना था। अभी तक कोई किश्त वसूल नहीं हुई है।

(३) जी हां।

(४) जी हां

(५) जी नहीं। वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

(६) नगरपालिका को लिखा गया है कि वह तुरन्त रकम जमा करावे, इसके साथ ही संबन्धित जिलाधीश को लिख दिया गया है कि वे वसूली की कार्यवाही करें।

नगरपालिकाओं द्वारा स्वयं सेवक दलों का गठन तथा आर्थिक अनुदान

६२२. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, सन् १९६२ के जारी होने के बाद राजस्थान की कितनी नगरपालिकाओं ने स्वयं सेवक दल संगठित किये हैं ? इसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) इन स्वयं सेवक दलों के संगठन पर होने वाले व्यय का भार किस पर पड़ेगा?

(ग) जिन नगरपालिकाओं ने इस प्रकार का दल संगठित कर लिया है क्या उन्होंने सरकार से आर्थिक अनुदान की मांग की है ? यदि हां तो, किसने और कितनी ? सरकार ने उस दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

उप-मंत्री, स्वायत शासन (श्री दौलत राम सारण : (क) इस अध्यादेश के अन्तर्गत स्वयं सेवक दल नियमों के आधीन ही गठित किये जा सकते हैं। ऐसे नियम सरकार द्वारा प्रसारित कर दिये गये हैं इसलिये नगरपालिकायें अब गठित करेंगे।

(ख) राज्य सरकार, नगरपालिकायें व प्रशिक्षण पाने वाले सदस्य वहन करेंगी।

(ग) जी नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस प्रकार के नियम कब प्रसारित किये गये हैं ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया न कि ९-३-६३ को प्रसारित किये गये हैं और ९-३-६३ के के गजट में छपे हैं।

Page No 9

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि गजट में प्रकाशित होने के एक महीने बाद ऐसे नियम प्रभावशील होते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया है कि ९-३-६३ को प्रकाशित हो चुके हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब यह हुआ कि जब राज्य सरकार ने नियम ही नहीं बनाये और जब नियम नहीं बनाये तो इसके कारण से ही यह स्वयंसेवक दल संगठित नहीं हो सके ?

श्री दौलतराम सारण : स्थिति स्पष्टतया निवेदन कर चुका ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या यह सही है कि नगरपालिकायें जो स्वयंसेवक दल गठित नहीं कर सकी हैं उसका कारण यह था कि राज्य सरकार ने ऐसे नियम नहीं बनाये ?

श्री दौलतराम सारण : मैं ऐसा स्पष्ट निवेदन कर चुका हूं ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि वे प्रभावशील होते हैं एक महीने बाद और प्रभावशील होने से पहले ही यह सारी कार्यवाही शुरू कर दी गयी थी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पौइन्ट यह है कि एक ऑर्डिनेन्स जारी किया, गवर्नर साहब जिस बात के लिए सैटिस्फाइड हैं कि ऑर्डिनेन्स जारी किया जाना चाहिए उसके लिए डिपार्टमेन्ट यह जरूरी नहीं समझता कि उसके लिए रूल्स बनाना जरूरी है । गवर्नर एक हाइएस्ट औथेरिटी हैं और वह सैटिस्फाइड हैं कि स्वयं सेवक दल बनाना चाहिये लेकिन डिपार्टमेन्ट आवश्यक नहीं समझता कि उसके लिए रूल्स बनाये जाने चाहिएं और उसके कारण उसको इम्पलीमैन्ट नहीं कर सके आज तक । ९ मार्च को रूल्स नोटीफाई किये हैं और ९ मार्च तक जिस समय वह फोर्स में आयेंगे उसके पहले पहले यहां कानून पास हो जायेगा ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मंत्री, शिक्षा): यह क्या स्टेटमेन्ट दे रहे हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह स्टेटमेन्ट हो या चाहे कुछ भी हो यह सरकार के लिए शर्म की बात है ।

श्री दौलतराम सारण: यह वक्तव्य जारी किया जा रहा ....

श्री अध्यक्ष : कुछ वक्तव्य आप भी दे दें ।

(विराम)

श्री रामानन्द अग्रवाल

राजस्थान में होम गार्ड संगठन

६२३. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में होम गार्ड्स का संगठन कितने और कौन कौन से जिलों में प्रारम्भ किया जा चुका है ?

(२) होम गार्ड्स की वर्तमान स्ट्रेन्थ कितनी है ? अन्य जिलों में यह संगठन कब तक फैलाने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): (१) राजस्थान में होम गार्ड्स का संगठन निम्नलिखित १४ जिलों में प्रारम्भ किया जा चुका है :—

जयपुर, अलवर, भरतपुर, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर,

Page No 10

(श्री मथुरादास माथुर)
गंगानगर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और कोटा।

(२) होमगार्ड्स की वर्तमान स्ट्रेन्थ ६३० है। इसी संगठन को अन्य जिलों के शहरों में चालू करने का विषय सरकार के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : स्ट्रेन्थ २ हजार करने की थी?

श्री मथुरादास माथुर : वह है। But I am not able to restart this year. Round about 1200 will be there. I am sorry, volunteers are not coming forward.

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

चेयरमैन द्वारा-त्याग-पत्र जयपुर नगरपालिका

६२४. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंह नगर): [श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) द्वारा पूछा गया : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर नगरपालिका के चेयरमैन ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है तथा उन्होंने अपने त्याग-पत्र में पालिका के पिछले कई वर्षों के हिसाब किताब में घोटाला बताया है जो कि इस समय दुर्लभ पूर्ण स्थिति में है?

(२) क्या यह सही है कि सरकार नगरपालिका को चलाने के लिए समय समय पर कर्जा देती रही है जो अब तक बीस लाख के करीब हो गया है?

(३) इस कर्ज को रिकवर करने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाये गये हैं?

(४) क्या सरकार चेयरमैन, नगर पालिका द्वारा दिये गये इस्तीफे के कारणों की जांच करायेगी?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण): (१) यह सही है कि अध्यक्ष ने अपने त्यागपत्र में पिछले हिसाब में घोटाला बताया है।

(२) जी हां, बकाया ऋण की राशि रु० १३,१०,६७८.६० न.पै. है।

(३) जब नगरपालिका को सहायता दी जाती है तो वह ऋण की बकाया किश्तों में काटी जाती है।

(४) ऑडिट से जांच कराई जा रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह जो आपने कहा कि काटी जाती है, तो कितना ऋण अब तक बकाया है और कितना काट लिया है?

श्री दौलतराम सारण: मैंने निवेदन किया है कि १३,१०,६७८.६० न.पै.।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): यह जांच किस बात की कराई जा रही है?

श्री दौलतराम सारण: जिस बात का चार्ज लगाया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: कौन जांच कर रहा है और कब से जांच कर रहा है?

श्री दौलतराम सारण: ऑडिट से जांच कराई जा रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: सरकार ने इसके लिए ऑडिटर कब नियुक्त किया?

श्री दौलतराम सारण : अभी थोड़े ही समय पहले।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : त्यागपत्र देने के बाद?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न आने के बाद।

(विराम)

श्री भैरोंसिह।

यातायात दुर्घटनायें

६२५. **श्री भैरोंसिह** (किशनपोल, जयपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) गत वर्ष राजस्थान में यातायात सम्बन्धी कितनी दुर्घटनाएं हुई और किस किस जिले में और कितनी कितनी?

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गये, कितने आहत हुए और कितने मामलों में दोषी व्यक्तियों का चालान किया गया तथा कितने मामलों में दोषी व्यक्तियों का पता नहीं लग सका या गिरफ्तारी नहीं हो सकी?

(ग) यातायात दुर्घटनाओं के आधिक्य को देखकर सरकार क्या व्यवस्था करना चाहती है?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): (क) कुल ९०१ दुर्घटनायें हुई। जिलवार सूची इस प्रकार है :--

जयपुर २३६, अजमेर ७७, अलवर ३५, भरतपुर ४५, सीकर २३, झुंझुनू ११, टोंक २९, सवाई माधोपुर ३०, जोधपुर ३३, जैसलमेर ५, बाडमेर ५, सिरोही १४, पाली २४, जालोर ४, नागौर २१, उदयपुर ६१, चित्तोड २५, भीलवाडा १९, बांसवाडा १५, डूगरपुर १७, बीकानेर २९, गंगानगर ४०, चूरू १०, कोटा ५१, बूंदी १७, झालावाड १९ जी. आर.पी ६।

(ख) इन दुर्घटनाओं में कुल ३७० व्यक्ति मारे गये व ९९० व्यक्ति घायल हुए कुल ७३३ मुकदमों का चालान किया गया एवं १०५ मुकदमों में अपराधियों का पता नहीं लग सका एवं २४ मुकदमों में पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं हो सके।

(ग) इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाये हैं:-

(१) ट्रैफिक पौइन्ट्स की वृद्धि।

(२) थाने के एस.एच.ओ. को हिदायत की गई है कि खराब गाडियों को कार्य में लाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करें तथा मुतवातिर चैकिंग करें।

(३) ट्रैफिक पुलिस द्वारा समय समय पर व जगह जगह पर गाडियों का चैकिंग किया जाता है।

(४) मुख्य मुख्य डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैडक्वार्टर्स पर ट्रैफिक कमेटी की स्थापना कर दी गई है जो कि यातायात संबंधी मामलों पर ट्रैफिक सिस्टम में सुधार लाने हेतु समय पर विचार करती है।

(५) बड़े बड़े शहरों जैसे जयपुर, अजमेर, जोधपुर, आदि जहां कि यातायात का आवागमन अधिक होता है ट्रैफिक सप्ताह मनवाये जाते हैं जिनमें जनता को आवागमन के नियमों से अवगत कराया जाता है।

(६) ड्राइविंग लाइसेन्स देते समय पुलिस अधिकारियों द्वारा पूर्ण सतर्कता बरती जाती है एवं पूर्ण जांच की जाती है।

Page No 12

(श्री मथुरादास माथुर)

(७) जयपुर, जोधपुर, में खास चौराहों पर ऑटोमेटिक सिगनल लगाये गये हैं।

(८) बड़े बड़े शहरों के ट्रफिक स्टाफ में वृद्धि की गई है तथा उन्हें उचित ट्रेनिंग देने का भी प्रबंध किया गया है।

(९) बड़े बड़े शहरों एवं कस्बों में कुछ रास्तों पर अधिक आवागमन के समय भारी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक एवं एक-तरफाही (वन-वे) गाड़ियों को आने दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया।

जोधपुर का गन्दा तालाब

६२६. **श्रीमती गौरी पूनिया** (डेगाना) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या जोधपुर में सरदारपुरा रोड नं० डी-१ के पास कोई बखतसागर नाम का गन्दा तालाब है ?

(२) क्या सरकार की जानकारी में है कि इस गन्दे सागर में पैदा होने वाले मच्छरों के कारण इस क्षेत्र के लोग मलेरिया से हर समय पीड़ित रहते हैं ?

(३) क्या उपरोक्त कष्ट से इस क्षेत्र के लोगों को छुटकारा दिलाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) कदीमी तालाब है।

(२) इससे गन्दगी अवश्य है, परन्तु लोगों के मलेरिया से पीड़ित रहने की जानकारी नहीं है।

(३) जी हां।

श्रीमती गौरी पूनिया : जानकारी आपने की ही नहीं, तो हो कहां से ? वहां के लोग मलेरिया से हर समय पीड़ित रहते हैं योजना क्या है ?

श्री **दौलतराम सारण** : इस गन्दगी को दूर करने की। वहां पर नाला-वाला डालने की योजना है।

श्रीमती गौरी पूनिया : यह योजना कब से विचाराधीन है ?

श्री **रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : जानकारी क्यों नहीं ली गई ?

श्री **दौलतराम सारण** : किसका उत्तर दूं ? यह स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्ध रखता है।

प्रश्न का जवाब तो पहले दे चुका हूं, फिर भी और बता दूं कि सन् ६० के अन्दर नगर परिषद, जोधपुर को यहां जो सिवेज लाइन है उसको करने के लिये और दूसरी डालने के लिए २ लाख की जो धनराशि स्वीकृत की थी उसमें से उन्होंने कुछ आर. सी. सी. पाइप लाइन मंगवाई थी। लेकिन जिस फर्म से मंगवाई थी वह डिफैक्टिव आगयी तो उस झगड़े के अन्दर यह काम रुका हुआ है। अब वह झगड़ा सैटल हो तो यह काम हो सकता है।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : इस झगड़े के लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री दौलतराम : फर्म।

Page No 13

श्री रघुनाथ विश्नोई : तो उसके कॉन्ट्रेक्ट को कैंन्सिल करके दूसरे क्यों नहीं मंगाते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : यही तो कार्यवाही चल रही है।

श्रीमती गौरी पूनिया : अब इसमें कितना समय और लगेगा ?

श्री दौलतराम सारण : शीघ्रता की जा रही है।

श्रीमती गौरी पूनिया : अध्यक्ष महोदय, इसकी मुझे व्यक्तिगत जानकारी है और इस प्रकार की योजना हर साल बनती है और हर साल दब जाती है और मंत्री महोदय टालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं निश्चित अवधि चाहती हूं कि यह योजना कब तक क्रियान्वित हो जायेगी ?

श्री दौलतराम सारण : माननीय सदस्या की जो चिन्ता है उसका मैं पूरी तरह से ध्यान करके इस काम को जल्दी कराने की चेष्टा करूंगा।

श्रीमती गौरी पूनिया : 'जल्दी' की क्या डैफिनेशन है, कोई टाइम बता दें ?

श्री दौलतराम सारण : निश्चित तिथि तो मैं देने में असमर्थ हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने जो २ लाख मंजूर हुए बताये हैं, इसमें एमर्जेन्सी के कारण कोई कटौती तो नहीं की है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : यह आश्वासन तो रोजाना मंत्री महोदय देते हैं, इसमें से कितने पूरे होते हैं यह जानना चाहती हूं ?

श्री दौलतराम सारण : आश्वासन कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट देख लें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह जो २ लाख रुपये इसके लिये स्वीकृत हैं तो आप स्कीम को इम्पलीमेन्ट करेंगे या नहीं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपकी लताड का कोई असर नहीं है। ऐसी तो रोज घर में सुनने को मिलती हैं।

श्रीमती गौरी पूनिया : अध्यक्ष महोदय, इस तरह जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ की जा रही है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि आप कुछ करना भी चाहते हैं या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : आगामी वर्ष कुछ टुकडों में काम करवाने की चेष्टा की जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : महिलाओं की तरफ से कन्सीडर्ड अटैक मालूम पड़ता है स्वायत्त शासन मंत्री पर यह।

श्री अध्यक्ष : फिर भी असर नही पडता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : फर्म की गलती के लिये स्कीम में कटौती तो वैसे नहीं होनी चाहिये। उसको पेमेन्ट रोक कर दूसरे से खरीदना चाहिये।

श्री दौलतराम सारण : मैं निवेदन कर चुका हूं कि डिस्प्यूटेड मामला था। डिफैक्टिव तो नहीं लिये जा सकते थे। अतः विलम्ब हुआ। आगामी वर्ष में टुकड़ों में इस काम को करवाने का प्रयास किया जावेगा और माननीय सदस्य क्या चाहते हैं ?

Page No 14

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत ।

अजमेर उदयपुर रूट पर यात्रियों को सुविधा

६२७. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार यात्रियों की संख्या और सुविधा देखते हुए अजमेर से सीधी उदयपुर तक राजस्थान रोडवेज की बसें चलाने का इरादा रखती है ?

उप-मंत्री, यातायात (श्रीमती कमला बेनीवाल) : जी, अभी नहीं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : नहीं का क्या कारण ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : भीलवाडा उदयपुर रूट पर विज्ञप्ति जारी की हुई थी, उसके अन्तर्गत लीगल आब्जैक्शन्स की सुनवाई की जाती है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : उसकी पेशी आगे डलवा दी है क्या ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : ऐतराजात सुनने की कार्यवाही कितने दिन में खत्म हो जावेगी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : शीघ्रातिशीघ्र।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जो रूट नेशनेलाइज किया जावेगा। प्राथमिकता किस रूट को दी जावेगी ? वाया चित्तौड वाले रूट को या वाया नाथद्वारा कांकरोली वाले रूट को ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह तो नेशनेलाइज करने के अलावा सारी बातों के बारे में विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, आपत्तियां सुनने के तुरन्त बाद ही गाडियां डाल दी जावेगी ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : इसमें टाइम अन्दाजन कितना लग जावेगा ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह मैं नहीं बता सकती कि इस सारे प्रोसेस में कितना समय लगेगा ?

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : अजमेर से उदयपुर जाने वाली रोडवेज की बस फिर वाया भीलवाडा चित्तौड होकर जावेगी या वाया भीलवाडा नाथद्वारा कांकरोली होकर जावेगी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : भीलवाडा नाथद्वारा कांकरोली होकर जावेगी।

श्री भैरोंसिह : क्या भीलवाडा से आगे इस रास्ते में कच्ची सडक है, डामर की सडक नहीं है, और जो डामर की सडक वाया चित्तौड होकर है, उसको आपने छोड दिया है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : भीलवाडा से नाथद्वारा कांकरोली होकर जावेगी कि नहीं ? उधर पूरी डामर रोड नहीं है।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री भैरोंसिह : फिर डामर रोड को छोडकर कच्ची रोड वाले रूट को नेशनेलाइज करने की क्यों सोची ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : सडक बन रही है।

श्री भैरोंसिह : एक ऑलरेडी रूट बना हुआ है जिस पर डामर रोड है उसको नेशनेलाइज नहीं करके कच्चे रूट को आप क्यों नेशनेलाइज कर रहे हैं और अब उसको बनाने की बात भी साथ में कह रहे हैं। ऐसा क्यों किया गया ?

एक माननीय सदस्य : क्योंकि इस रूट में बीच में नाथद्वारा और कांकरोली पडते हैं जो तीर्थ स्थान हैं।

उप मन्त्री शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : बड प्रमुख तीर्थ स्थान हैं इधर, बहुत बडे।

श्री भैरोंसिह : इस रूट में कम्प्लेन्ट है छोटे बस प्लायर्स की। छोटे बस आपरेटरों के रूट्स को तो आप नेशनेलाइज कर रहे हैं पर पोलिटिकल रीजन्स के कारण भीलवाडा से सीधा डाइरेक्ट और डामर रोड वाला बस माइलेज वाला जो रूट है चित्तौड होकर उसे नेशनेलाइज आप नहीं कर रहे हैं। आपने पहले अपनी यह पॉलिसी डिक्लेयर कर रखी है कि हम डाइरेक्ट रूट को नेशनेलाइज करेंगे, डामर की होगी उसको करेंगे, रूट को करेंगे। आपने उसे नहीं किया, इसमें क्या कारण है ? इस रूट में किराया ज्यादा पडेगा, माइलेज भी ज्यादा है, रास्ता कच्चा है, पेसेन्जरों को बडी दिक्कतें होंगी, वे इस रूट से जाने के बदले चित्तौड वाले रूट से जाना अधिक पसन्द करेंगे ? इससे आपकी आय कम होगी आपकी बस घाटे में चलेगी, गाडियां अधिक खराब होंगी। पर इन सब कठिनाइयों और दिक्कतों के बावजूद भी और अपनी पॉलिसी डिक्लेयर करने के बाद भी आप चित्तौड वाले को नेशनेलाइज नहीं करके इसे क्यों कर रहे हैं, आप अपनी नीति के विपरीत क्यों जा रहे हैं ?

यातायात मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : वह जो रूट बन रहा है, उस पर ज्यादा ऐसे टाउन हैं जहां से पैसेन्जर ज्यादा मिल सकते हैं।

श्री विजयसिह झाला : यह ठीक नहीं है, वाया चित्तौड वाले रूट पर अधिक यात्री मिलते हैं। डामर की सडक है, माइलेज कम है, किराया कम है, पर आप इसे नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस रूट पर बहुट से कांग्रेस के बडे बडे नेताओं की मोटरें चलती हैं।

श्री अध्यक्ष : Order Please ! Order !! आप तथ्य पूछिये, ये बातें तो बाद में भी आप कई अवसरों पर कह सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : क्या यह सही है कि भीलवाडा से उदयपुर का यह वाया नाथद्वारा वाला रूट लम्बा है, बजाय वाया चित्तौड के, क्या यह सही है ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करेगी और अगर यह छोटा है वाया चित्तौड वाला तो उसको नेशनेलाइज किया जावेगा, पहले, उसको नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : छोटे-बडे का तो सवाल नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के प्रश्न पहले भी बहस में आये

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हैं। एक जनरल पालिसी जब निर्धारित करली गई कि जो रूट 'ए' क्लास हैं और एग्जिस्टिग में हैं और छोटे हैं, किराया कम पडता है उनको नेशनेलाइज किया जायगा। तो किसी क्षेत्र में तो इस जनरल पालिसी के हिसाब से आप नेशनेलाइज करते हैं और किसी क्षेत्र में नये रूट्स निकालें और यह भी विशेष करके उस क्षेत्र में जो माननीय मुख्य मन्त्रीजी का है जिसके बारे में पहले भी आलोचना हुई हैं इस सदन में। तो मैं समझता हूं यह उनकी शान के अनुरूप नहीं है। उनके बारे में लोगों को गलत धारणाओं के बनाने में मदद मिलती है और फिर आप अपनी जनरल पॉलिसी से डेविएट भी होते हैं। इसको इसलिये दुरुस्त किया जाना चाहिये।

(श्री विजयसिंह झाला के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : इसका तो उत्तर देने दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने अपनी नीति बदल ली है? पहले यह नीति थी कि जो 'ए' क्लास रूट्स होंगे उनको ही नेशनेलाइज किया जावेगा, पर अब क्या उसे बदल कर कच्चे रूट्स को भी नेशनेलाइज करेंगे?

श्री अध्यक्ष : जो कुछ बन रहा है, This is not an 'A' class route.

श्री हरिश्चन्द्र : सडक बन जानेके बाद तो यह भी 'ए' क्लास बन जावेगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : अजमेर से उदयपुर जाने के लिये वाया ब्यावर भीम भी एक रूट है जो कि नेशनल हाईवे पर है। उसको भी क्या नेशनेलाइज नहीं किया जा रहा है?

इसके अलावा जिस रूट पर गाडियां चल रही हैं. उदयपुर, चित्तौड, भीलवाडा, अजमेर होकर आज भी और जो पक्का रूट है 'ए' क्लास है उनको पहले नेशनेलाइज किया जाना चाहिये बजाय इसके कि कोई दूसरा रूट लिया जाय जो कच्चा हो और उसे अब आप पक्का बनावें। यह कच्चा माइलेज में भी ज्यादा है।

श्री अध्यक्ष : आप भाषण न दें। Order Please ! Order !!

कल दिन भर मिला था आपको ये बातें कहने को। अब तो तथ्य पूछने हों वे पूछ लीजिये।

श्री हरिश्चन्द्र : माननीय सदस्यों ने कई ऐतराज उठाये हैं। इनके बारे में मैं एग्जामिन कराकर आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद है आपको।

(विराम)

श्री केशरीसिंह।

कृषि भूमि अर्जन नगरपालिका, पाली।

६२८. **श्री केशरीसिंह** (पाली) : Will the Minister for Municipalities please state:—

(1) Whether it is a fact that the Chairman, Municipal Board, Pali, has acquired about 15 bighas of agricultural land comprising Khasra No. 1427 by mutual agreement with any party or parties ?

(2) Whether it is a fact that compensation settled mutually for the acquisition of the said land was Rs. 8,842.50 nP. ?

(3) Whether it is a fact that the Chairman, instead of making payment of the compensation in cash, allotted to the party or parties concerned, 16 plots comprising an area of 9900 sq. yds. from the

Page No 17

(श्री केशरीसिंह)

acquired land plus 5,000 sq. yds. of other land-that is an area of 14,900 sq.yds. of abadi land in-all-for a sum of Rs 13,842 .50 nP. of which Rs. 842.50 nP. was to be adjusted against the Compensation and the remaining Rs. 5,000/- to be paid by the party or parties concerned to the Municipality ?

(4) Whether it is a fact that the market value of this land is well over Rs. 4/- per Sq. yard ?

(5) Whether it is a fact that the party or parties concerned were prepared to pay the market price of the plots of this land ?

(6) Whether land, whose market value is easily Rs. 60,000/- or above, has not been given away to the party or parties concerned for a very low price of Rs. 13,842. 50 nP. resulting in a very considerable loss to the Municipality ?

(7) Whether the Chairman cared to obtain the prior approval of the competent authority before entering into and executing this transaction ?

(8) Whether the Collector, pali ordered staying of the execution of this transaction or other such allotments of land ?

(9) Whether in spite of and after receiving the Colloctor's order staying this transaction, the Chairman proceeded to issue Imarti Pattas to the party or parties concerned in res-pect of this land ?

(10) Whether Government fully realises the extreme impropriety of the Chairman's role in this connection ?

(11) What steps Government intends to take to stop the Chairman from thus deliberately flouting our laws and regulations and putting the Municipality to such very considerable financial losses

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां । १४ बीघा १८ बिस्वा।

(२) जी हां।

(३) केवल ९,९०० वर्ग गज भूमि १३,८६०) रुपये में दी गई है।

(४) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

(५) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

(६) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

(७) जी हां।

(८) जी नहीं।

(९) जी हां।

(१०) प्रश्न पैदा ही नहीं होता है ।

(११) प्रश्न पैदा ही नहीं होता है।

श्री केसरीसिंह : इस प्रकार की और भी अनियमितताओं के बारे में बोर्ड के किसी मेम्बर ने जिलाधीश को शिकायत की थी और उस पर इन्क्वायरी भी हुई थी। यदि हां, तो इसका क्या नतीजा रहा ?

श्री दौलतराम सारण : आपने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न का इससे सम्बन्ध नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : किस कानून की किस धारा के तहत जमीन एक्वायर की है ?

श्री अध्यक्ष : यह कानूनी प्रश्न है।

Page No 18

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जो एक्वायर की उस जमीन को, उसकी समान्य रेट पर न देकर एक विशेष रियायती रेट से क्यों दिया ?

श्री दौलतराम सारण : जिन लोगों से एक्वायर की गई थी उस एग्रीकल्चर लैण्ड को आबादी में परिवर्तित करके उन्हीं लोगों को रिहायशी काम के लिये दे दी गई, इस लिये इसमें अनुचित काम कोई नहीं किया गया।

श्री केसरीसिंह : क्या यह बेसिस है गवर्नमेन्ट का कि जहां भी एक्वायर की जाय जमीन उसे आम रेट के बजाय कन्सेशनल रेट पर दे दें, अगर है तो कितनी जमीन के लिये ?

श्री दौलतराम सारण : बेसिस का सवाल नहीं है। वहां जो जमीन एक्वायर की गई और वहां से जिनको बेदखल कर दिया था और जिनकी वह जमीन थी उनकी दिक्कतों को समझ कर वह ही रियाइश के लिये दे दी गई।

श्री केसरीसिंह : मैं मेरे प्रश्न के भाग ११ के सम्बन्ध की बात अर्ज कर रहा हूं कि क्या यह सही है कि उसकी और दूसरी गलतियों के सम्बन्ध में एन्टीकरप्शन विभाग को भी शिकायत की गई थी और डीवाई. एस. पी. ने रेकार्ड भी तलब कराने को कहा था, पर उनको मना कर दिया गया कि रिकार्ड वे नहीं देंगे उनको। क्या यह सही है ?

श्री दौलतराम सारण : इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है।

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : यह तो मुझे पूछो, उनको क्या पूछते हो।

श्री केसरीसिंह : अध्यक्ष महोदय, वहां के रेकार्ड पर बड़ा भारी टैम्परामैन्ट होगा, शार्ट नोटिस क्वेश्चन दिया था इस बारे में पहली बार।

श्री मथुरादास माथुर : If the Speaker wants, I can answer this thing off-hand also.

श्री केसरीसिंह : जी नहीं। जो जमीन पांच हजार गज अलाट की है उसकी मार्केट रेट ४) रु० है। आपने यह जवाब किसकी रिपोर्ट के आधार पर दिया है कि ४) रु० नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : आपने प्रश्न चार म पूछा है, Whether it is a fact that the market value of this land is well over Rs. 4. per Sq. yard.

इसलिये मैंने उत्तर दिया प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री केसरीसिंह : यह किसकी रिपोर्ट के आधार पर है।

श्री दौलतराम सारण : यह जमीन गांव के बाहर किनारे पर है और उसकी कोई मार्केट वेल्यू का सवाल नहीं है। जो वहां पर बसने वाले थे उनको ही वह जमीन दी गई है। इसलिये इसमें म्यूनिसिपैलिटी को घाटे का सवाल नहीं है, न इसमें कोई और सवाल है। उनको मुआवजे के रूप में दिया गया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या यह सच नहीं है कि जिस व्यक्ति द्वारा . . .

श्री अध्यक्ष : वे जवाब दे रहे हैं अभी तो।

श्री दौलतराम सारण : जो रेट है वह १ रु० १० नये पैसे थी लेकिन १ रु० ४० नये पैसे उनसे लिये गये हैं। उनका मुआवजा जितना बनता है, उसमें एडजस्ट कर दिया गया बाकी नकद पैसा दिया जायगा।

Page No 19

श्री मानिकचन्द सुराणा : I am in possession of the House.

श्री रामानन्द अग्रवाल : I am also in possession of the House.

श्री मानिकचन्द सुराणा : The two cannot be.....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): दोनों को ही डिसपर्जेस कर दिया जाय, मैं पूछ लेता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट किस अधिकारी द्वारा दी गई है कि इस जमीन की मार्केट रेट ४) रु० नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न हमेशा आता है कि किस अधिकारी ने किस तरह से रिपोर्ट दी है? मंत्रीजी ने कहा है उसके लिये जिम्मेदारी उनकी है जो भी जानकारी प्राप्त करने के लिये मशीनरी होती है उसी के द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कनवर्शन चार्जेज सरकार ने कितने दिये, यह तो जबाब देंगे ?

श्री अध्यक्ष : Next question माननीय सदस्य हमेशा शिकायत करते हैं कि उनके प्रश्न रह जाते हैं। एक एक प्रश्न के ऊपर इतने सप्लीमेन्टरीज करते हैं तो दूसरे प्रश्न रह जाते हैं; १०-२० प्रश्न हमेशा रह जाते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : वैसे यह बड़ा गंभीर मामला है, काफी घोटाला है।

फतहपुर-रतनगढ़ बस सर्विस, वाया ढांढण

६२९. **श्री बालूराम चौधरी** (फतहपुर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या फतहपुर से रतनगढ वाया ढांढण बस मार्ग चालू करने के लिए सरकार से प्रार्थना की गई है ? अगर हां तो, सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

यातायात मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : जी हां, उन प्रार्थना-पत्रों को रीजनल ट्रान्सपोर्ट आथोरिटी, जयपुर की बैठक में रखा गया था। किसी प्रार्थी के उपस्थित न होने के कारण प्रार्थना-पत्र दिनांक ३ मई, १९६२ की बैठक में अस्वीकृत किये जा चुके हैं।

एन्टी-करप्शन बोर्ड से निर्णित मामले

६३०. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

एन्टी-करप्शन बोर्ड की स्थापना कब हुई ? इस बोर्ड की स्थापना से लेकर अब तक कितने मामले बोर्ड के पास आये तथा उनमें से कितने मामलों में बोर्ड ने अपनी स्वीकृति दी तथा कितने मामलों में अस्वीकृति दी गई ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : एन्टी-करप्शन बोर्ड की स्थापना अप्रेल सन् १९५५ में हुई। स्थापना से लेकर अब तक बोर्ड के पास ४५८ मामले आये और इन सभी ४५८ मामलों में बोर्ड ने अपनी राय दी।

एन्टी-करप्शन बोर्ड एक मन्त्रणा-मन्डल है, जो प्रत्येक मामले की जांच करने के पश्चात् अपनी मन्त्रणा ही दे सकता है, स्वीकृति तथा अस्वीकृति इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

श्री भीमसेन: कितने मामलों में इस बोर्ड ने प्रोसीक्यूशन करने की राय दी?

श्री मथुरादास माथुर : ४५८ मामलों में बोर्ड ने अपनी राय मुख्तलिफ दी। आपने इतना ही पूछा है कि कितने मामलों में राय दी; इसका जवाब दिया ४५८ मामलों में। किस मामले में क्या राय दी, यह बताना मुश्किल है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मोटे तौर पर दो तरह की राय होती है, एक प्रोसीक्यूट किया जाय या ड्रोप किया जाय।

श्री मथुरादास माथुर : राय दो तरह की भी हो सकती है और तीन चार तरह की भी हो सकती है। किसी में प्रोसीक्यूट करने की हो सकती है, किसी में डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी की हो सकती है, किसी में एविक्ट करने की भी हो सकती है और किसी में शिकायत करने वाले के खिलाफ चालान पेश किया जाय, इस तरह की भी राय हो सकती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मन्त्रीजी उत्तर देना नहीं चाहते। उत्तर देने से अवॉइड किया है।

श्री मथुरादास माथुर : आपका यह चार्ज मैं कतई मानने को तैयार नहीं हूं। ४५८ मामलों में क्या क्या राय दी, यह मैं याद नहीं रख सकता।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : बोर्ड ने जिनको प्रोसीक्यूट करने की राय दी उनमें से कितनों को आपने मंजूर नहीं किया।

श्री मथुरादास माथुर : यह तो गवर्नमेन्ट के हाथ की बात है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : बोर्ड ने राय दी उनमें से कितनों को गवर्नमेन्ट ने प्रोसीक्यूट नहीं किया?

श्री मथुरादास माथुर : यह प्रश्न गृह मन्त्री से सम्बन्ध नहीं रखता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप गवर्नमेन्ट से अलग हैं क्या?

श्री अध्यक्ष : विभाग का उत्तर है अगर इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट का मामला है और बोर्ड ने कहा कि इसमें प्रोसीक्यूशन होना चाहिये तो यह इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट से ताल्लुक रखता है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : राय सरकार को दी जाती है या एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट को देते हैं?

श्री मथुरादास माथुर : एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट की मार्फत सरकार के पास जाती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जी. ए. डी. में भी जाता है क्या?

श्री मथुरादास माथुर : डेफिनेटली, उससे सम्बन्धित हो तो जी. ए. डी. के पास भी जाती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस प्रकार की कितनी रिकमन्डेशन्स गृह मंत्रीजी के पास आई और उनमें से कितनों में प्रोसीक्यूट नहीं किया?

श्री अध्यक्ष Next : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

Page No 21

उद्योगों हेतु बिजली की दरों में रियायत

६३१. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : Will the Power Minister be pleased to state:—

(1) Is it a fact that concessional rates for electricity are being charged from Large, Medium and Small Scale Industries? If so, why?

(2) Is it a fact that the rate charged from Small Scale Industries is higher than the rate charged from Large Scale Industries? If so, why?

(3) What rate has been prescribed for small scale industries consuming more than 20,000 units p.m. and what is the rate prescribed for large scale Industries consuming the same number of units?

Is the ditterence based on consumption figures or it is based on the type of Industry?

उप-मन्त्री, विद्युत् (श्री परसराम मदेरणा): (1) Yes, according to the order of the Government for the development of Industries in Rajasthan.

(2) Yes, large scale industries with better load factor provide constant load on the sytem.

(3) No rate has been prescribed for small sacle industries consuming more than 20,000 units per month. For large scale industries consuming the same number of units at steam stations the rate prescribed is 2 As plus coal clause and 19 nP. at stations generating power from diesel sets. Government had announced concessional rate of 9.5 nP. per unit for 9 specified large and medium industries consuming more than 20,000 units per month effective from 1-4-60.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दोनों तरह की इण्डस्ट्रीज में डिफरेन्स क्या है? क्या सरकार की नीति नहीं है कि कॉटेज इन्डस्ट्रीज को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाय? और यदि है, तो उन पर ज्यादा रेट क्यों लगाई गई?

श्री परसराम मदेरणा : दोनों में डिफरेन्स है। लार्ज एण्ड मीडियम इन्डस्ट्रीज २० हजार यूनिट से ऊपर कन्ज्यूम करेंगी तो रेट ९.५ नये पैसे है और स्मॉल स्केल से ऊपर १२.५ नये पैसे है क्योंकि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज का कन्जम्पशन फ्लक्च्युएटिंग होता है इसलिये कितनी बिजली लेंगे इसकी सटन्टी नहीं होती है। लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज में सर्टेन्टी होती है इसलिये एक्सपेन्डीचर ज्यादा पडता है। कन्जम्प्शन रेगुलर नहीं है तो २० हजार यूनिट से नीचे के हैं उनसे ज्यादा लिया जाता है। इससे ऊपर के हैं उनके लिये आपने पूछा। Definition shall have got to be changed. There is no small scale industry which consumes more than 20,000 units per month.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज भी अगर २० हजार यूनिट से

Page No 22

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
ज्यादा कन्ज्यूम करेंगी तो क्या उनके साथ भी कन्सेशन किया जायगा ?

श्री परसराम मदेरणा : It never happens, otherwise we shall have to change the definition.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It is a matter of principle.

सवाल इतना ही है कि यदि कोई स्माल स्केल इन्डस्ट्री २० हजार यूनिट से ज्यादा कन्ज्यूम करेगी तो उसकी रेट क्या होगी ?

श्री परसराम मदेरणा : ऊपर की रेट हमने तय नहीं की है क्योंकि एक्सपीरियेन्स यह रहा है कि २० हजार यूनिट्स से ऊपर कन्ज्यूम करने वाली कोई स्माल स्केल इन्डस्ट्री नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला है, उसके अनुसार यदि कोई स्माल स्केल इन्डस्ट्री २० हजार यूनिट से ज्यादा कन्ज्यूम करती है तो भी उसको यह कन्सेशन नहीं मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष : यह तो वे स्वीकार करते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कहना बेकार है कि इससे अधिक कोई कन्ज्यूम नहीं करती है । सवाल सरकार की नीति का है यदि सरकार स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को बढावा देने के लिये यह तय कर दे कि २० हजार यूनिट से ज्यादा कन्ज्यम करने वाली इन्डस्ट्रीज को रियायत दी जायगी तो कन्ज्यम हो सकती है ।

विद्युत् मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : यह आप जो कह रहे हैं, कन्सेशन का मामला इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट से सम्बन्धित है। वे जिस तरह का प्रोटक्शन देना चाहें दे सकते हैं। इससे पॉवर या इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का सम्बन्ध डाइरेक्टली नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस प्रकार का नोटिफिकेशन आपके यहां से नहीं निकला है क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : इन्डस्ट्रीज से निकला है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : यह प्रश्न सरकार की नीति का है, यह कह कर आप टाल नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष : यह बिल्कुल अनुचित है। जिस विभाग के मन्त्री हैं वे केवल अपने विभाग के बारे में ही बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमसे सम्बन्धित नहीं है, इन्डस्ट्रीज से सम्बन्ध रखता है तो उचित ही कहा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में पहले भी निवेदन किया था और यह व्यवस्था दी थी कि यह ज्यादा अच्छा होता है कि जब क्वेश्चन जाता है तो उसी वक्त लिख कर दे दें कि हमारे विभाग से सम्बन्धित नहीं है। अगर ऐसा कर देते तो उसका नतीजा यह होता कि इन्डस्ट्री मिनिस्टर के हाथ में चला जाता और सही नतीजा मिल जाता और आप बिना बात परेशानी में पड गये उससे बच जाते।

श्री परसराम मदेरणा: आपने फर्माया कि सरकार की क्या नीति है, वह नीति इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट निर्धारित करता है।

(श्री परसराम मदेरणा)
हमारे पास जो इन्फार्मेशन थी वह आपके सामने रख दी। इसके अलावा आप कोई इन्फार्मेशन चाहें तो इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट दे सकेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके डिपार्टमेन्ट की तरफ से किसी को कनक्शन दे दें, आपको एतराज नहीं है ?

श्री परसराम मदेरणा : हमारा ताल्लुक इतना है। इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट स्माल स्केल, मीडियम या लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने के लिए कन्सेशन देना चाहे तो दे सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार की नीति लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज को ज्यादा प्रोत्साहन देने की है बनिस्बत काटेज और स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के ?

श्री परसराम मदेरणा इसका सम्बन्ध नीति से है।

श्री हरिश्चन्द्र : इसका सम्बन्ध मेरे से नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा: इसका सम्बन्ध इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट से है। We have no concern....

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (आसपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में लैकुना अवश्य है। क्या सरकार इस लैकुना को दूर करने के लिए विचार करेंगी ?

श्री परसराम मदेरणा : लैकुना का प्रश्न नहीं है। जहां तक लार्ज और मीडियम स्केल इन्डस्ट्री में २०,००० यूनिट का प्रश्न है, वह है लेकिन स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज में २०,००० यूनिट कभी कन्ज्यूम करने का प्रश्न नहीं होता है, वे नहीं करती हैं। आपने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन रेज किया है, वह क्लियर नहीं है, इस मायने में नहीं है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मान लीजिये कि २०,००० यूनिट कन्ज्यूम करती हैं।

श्री परसराम मदेरणा : लार्ज स्केल, मीडियम स्केल इन्डस्ट्रीज २० हजार यूनिट से ऊपर करेंगी तो इससे ऊपर कन्ज्यूम करने पर ९.५ पैसे रखा है।

श्री अध्यक्ष : वह सब उचित है। प्रश्न यह है कि बल्क पर्चेज रेट्स हैं, वे लार्ज स्केल और स्माल स्केल के लिये एक कर दीजिये। It is very simple.

इसके लिये विचार कर सकते हैं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : रेट्स अनाउन्स की है, इससे चीपर जयपुर की कई फैक्ट्रीज को दी जाती है ?

श्री अध्यक्ष : That is a different question. इन्डीविज्युअल एग्रीमेन्ट है वह तो।

(विराम)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

पुलिस वायरलेस कर्मचारियों का वेतन ग्रेड

६३२. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान पुलिस वायरलैस कर्मचारियों में असिस्टेन्ट पद पर कार्य करने वाले कर्मचारियों का वेतन ग्रेड रेशनलाइज्ड तथा रिवाइज्ड पे स्केल्स के अनुसार अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(२) इस प्रकार के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

(३) क्या यह भी सही है कि इन कर्मचारियों ने अपना वेतन क्रम वायरलैस ऑपरेटर्स के समान निर्धारित करने का प्रतिवेदन दिया है ?

(४) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों नहीं ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) जी नहीं । ए. एस. आईजः वायरलैस के रेशनलाइज्ड पे स्केल्स एवं रिवाइज्ड पे स्केल्स निर्धारित किये जा चुके हैं ।

(२) केवल रिवाइज्ड पे स्केल्स में कुल २५५ ए. एस. आईज. का फिक्सेशन करना बाकी है ।

(३) जी हां। केवल २२ ए. एस. आईज. ने ऐसे प्रार्थना-पत्र दिये थे ।

(४) जी हां, यह निर्णय लिया जा चुका है। ५८ वायरलैस ऑपरेटर्स-कम-टेकनिशियन्स की जो पोस्ट्स हैं जो एस. आईज. रेंक्स की हैं, न कि ए. एस. आईज. की।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि अब इस नये फिक्सेशन में जो ये लोग वायरलैस में हैं, इनका जो डेजिगनेशन है उसके मुकाबले में अब फिक्सेशन किया गया है उसमें लोअर ग्रेड में हो गया है ?

श्री मथुरादास माथुर : जी नहीं । यह सही नहीं है ।

सिफारिश से ज्यादा ऑक्ट्राय-म्युनिसिपल बोर्ड, मालपुरा

६३३. **श्री जयसिंह** (मालपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने म्युनिसिपल बोर्ड, मालपुरा की सिफारिश से भी ज्यादा ऑक्ट्राय लगाना स्वीकार किया है ?

(२) यदि हां, तो किस आधार पर ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां, अनुसूची के केवल एक मद पर ।

(२) सरकार की सामान्य नीति के अनुसार यह दर ०.०१ न. पै. प्रति लीटर के हिसाब से ही लगाई गई है ।

श्री जयसिंह : आपने कहा है कि एक मद में है । सूची तो नहीं है, इसलिये यह बतायें कि यह कौनसी मद में है ?

श्री दौलतराम सारण : यह आइटम नम्बर २० में दर बढाई गई है, डीजल आयल, क्रूड ऑयल, पैट्रोल, मोबिल ऑयल इत्यादि ।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

स्टेट रोडवेज की गाडियों के लिये डीजल की खरीद, कोटा

६३४. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट रोडवेज की गाडियां कोटा शहर में

Page No 25

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
डीजल चम्बल वर्कशाप के पम्प से लेती है? यदि हां, तो औसतन प्रति माह कितना डीजल लिया जाता है?

(२) क्या यह भी सही है कि बाजार दरों से १० प्रतिशत अधिक कीमत इस वर्कशाप द्वारा ली जाती है? यदि हां, तो अधिक कीमत देकर डीजल यहां से क्यों खरीदा जाता है?

(३) क्या यह सही है कि पहले डीजल बाजार भाव पर लोकल पैट्रोल डीलर्स से खरीदा जाता था? यदि हां, तो यह परिवर्तन क्यों किया गया?

(४) प्रति माह औसतन कितना एक्स्ट्रा पेमेन्ट इस प्रकार होता है?

(५) क्या यह भी सही है कि बस स्टैन्ड से वर्कशाप तक आने-जाने में प्रति बस एक लीटर डीजल अधिक खर्च होता है?

उप-मंत्री, यातायात (श्रीमती कमला बेनीवाल): (१) जी हां। लगभग १६,५०० लीटर।

(२) जी हां, यह पम्प सरकार का है इसलिये उससे ही डीजल लिया जाता था।

(३) जी हां, पहले कोई सरकारी पम्प नहीं था। बाद में सरकारी पम्प के स्थापित होने पर ऐसा किया गया।

(४) प्रति-माह औसतन ८९१ रुपये एक्स्ट्रा पेमेन्ट किया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: कितना? कितना?

श्रीमती कमला बेनीवाल: ८९१ रुपये।

(५) जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: क्या यह सही है कि रूल्स के अनुसार जो डीजल या पैट्रोल की रेट्स निर्धारित हैं, उससे अधिक रेट्स पर डीजल या पैट्रोल बाजार में नहीं बेचा जा सकता?

यातायात मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): ऐसी कोई सूचना मेरे पास तो नहीं कि बेचा जाता है या नहीं। यह जरूर है, इस पम्प ने हाई रेट वहां रखी है, यह वही पम्प है जिसके लिये आप फर्मा रहे हैं कि उसने १० प्रतिशत एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज लगा कर बेचा है और हमने उससे खरीदा है। जब यह मालूम हुआ कि दस पर्सेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज लगाता तो जो दस परसेन्ट वाली बात चीत की वह किस हिसाब से लिया जाता है, इसके सम्बन्ध में उससे बात करने के बाद बता सकता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: क्या यह सही है कि स्टेट रोडवेज की गाडियों के लिये पम्प नहीं खोला गया, उससे वे डीजल बाजार से लेती थीं और वह १० पर्सेन्ट प्राइस ज्यादा लेने लगे और इस तरह ८९१ का ज्यादा पेमेन्ट होता रहा साल भर तक। उसके बाद जब क्वेश्चन दिया तो उस चीज को चैक किया। सरकार का जो रोडवेज का विभाग, कॉमर्शियल विभाग इस प्रकार दस प्रतिशत अधिक देकर डीजल खरीदता था, क्या उसके लिए अधिकारी ने आदेश दिये थे कि उनसे खरीदें?

श्री हरिश्चन्द्र: जब यह मालूम हुआ कि दस पर्सेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज ले

(श्री हरिश्चंद्र)
रहे हैं ओवर एन्ड अबव, तो दूसरी तरह से ले रहे हैं। मैंने बात की है कि दस परसेंन्ट चार्जेज किस हिसाब से लिये हैं। वहां से मालूम होने पर बता सकता हूं। अभी मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री महेन्द्र सिंह (दीगोद): यह आपको कब मालूम हुआ कि दस पर्सेन्ट चार्जेज अधिक ले रहे हैं और आपने कब कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

छुआ-छूत निरोधक कानून के तहत केसेज, जिला भरतपुर

६३५. **श्री रामकिशन** (वैर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) भरतपुर जिले की अदालतों में छूआ-छत निरोधक कानून के तहत अब तक कितने केस रजिस्टर हुए हैं ?

(२) रजिस्टर्ड केसों में कितने अपराधियों को दण्ड मिला है और कितने केस खारिज हो गये हैं ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): (१) भरतपुर जिले की अदालतों में छूआ-छत कानून के तहत अब तक ६ केस रजिस्टर हुए हैं।

(२) रजिस्टर्ड केसेज में से एक में अपराधी को दंड दिया गया है और ४ केस खारिज किये गये हैं, तथा १ केस अभी विचाराधीन है।

श्री रामकिशन: जिस एक में दंड दिया गया है वह कितना दंड दिया गया है और किस तरह के चार्जेज थे ?

श्री मथुरादास माथुर : वह मैंने आपको सूची दे दी है, उसमें पढ लें।

श्री रामकिशन: हमारे पास सूची नहीं है।

श्री अध्यक्ष : पहले बता चुके हैं छुआ-छूत निरोधक कानून के अन्तर्गत।

श्री रामकिशन: सजा पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: सजा तो अदालत के उसमें है।

एक माननीय सदस्य: छुआ-छूत के केसेज भरतपुर में कम क्यों होते हैं ?

श्री रामकिशन: बहुत कम हुए हैं।

श्री मथुरादास माथुर: एस. डी. ओ. कोर्ट के अन्दर अनटचेबिलिटी एक्ट की धारा ३, ४ के तहत पच्चीस रुपये का जुर्माना हुआ है।

श्री रामकिशन: बाकी के चार केसेज अदालत ने खारिज किये। क्यों ? उनमें अपील की गई है ?

श्री मथुरादास माथुर: यह सूचना मेरे पास नहीं है, जहां तक....

श्री अध्यक्ष: क्या यह नीति है कि सजा कम हो तो अपील की जाय और ज्यादा सजा दिलाई जाय ?

श्री मथुरादास माथुर: जी हां, है।

श्री रामकिशन: हरिजन वगैरह वकीलों की फीस का प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं, तो क्या फीस देकर उनके लिए वकीलों का प्रबन्ध किया जा सकता है, इस पर विचार कर सकते हैं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): देते हैं।

एक माननीय सदस्य: एक हरिजन की गये साल मौत त्रिपोलिया बाजार के अन्दर हुई, उसके लिये आज तक कुछ नहीं किया गया है ?

श्री अध्यक्ष: इससे सम्बन्धित नहीं है, आपका ऐसा ख्याल है तो और तरह उठा सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर: मुझे पूरी हमदर्दी है।

लोड के लिये स्वीकृत स्टेशन वैगन

६३६. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सच है कि स्टेशन वैगन गाडी नं. आर. जे. एल. ३१४९ लोड के लिये पास की गई है? यदि हां, तो कब और कहां कहां पर ?

(२) क्या यह भी सच है कि इस गाडी से रोज जयपुर से निवाई टोंक व रास्तों की बीसों सवारियां आते जाते नियमित रूप से ले जाई जाती हैं?

(३) क्या यह भी सच है कि जिस मार्ग से यह गाडी जाती है उसका राष्ट्रीयकरण हो चुका है? क्या इस प्रकार चोरी से सवारियां ले जाने से सरकार को नुकसान होता है? यदि हां, तो सरकार इस गैर कानूनी कार्य के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है?

उप-मंत्री, यातायात (श्रीमती कमला बेनीवाल) (१) जी हां। इस गाडी को पहिला टेम्प्रेरी परमिट नं. १८१९ ता० १६-८-६२ से १५-११-६२ तक व दूसरा परमिट नं० ३३२२ ता० १६-११-६२ से १५-३-६३ तक जयपुर रीजन के लिए जारी किया गया है।

(२) एक रोज १-३-६३ को इसे पकडा गया है, बनस्थली से निवाई की तरफ आ रहा था। जिसकी कार्यवाही चल रही है।

(३) इस गाडी को किसी विशेष रूट का परमिट नहीं दिया गया है, बल्कि पब्लिक कैरियर के बतौर टेम्प्रेरी परमिट दिया गया था। राष्ट्रीयकृत मार्ग पर पब्लिक कैरियर के चलने में नियमानसार कोई आपत्ति नहीं है।

(१२.०० मध्यान्ह)

श्री जयनारायण सालोदिया: यह तो आपत्ति नहीं है, मगर रेगुलर सर्विस की तरह सवारियाँ ले जाती है इसलिये एतराज है और इससे नुकसान होता है।

श्री अध्यक्ष: Next. श्री रामकिशन।

फिरोजपुर-झिर पहा

६३७. **श्री रामकिशन** (वैर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सत्य है कि पंजाब सरकार ने फिरोजपुर झिरका से पहाडी (भरतपुर) तक १३ मील लम्बी सडक का निर्माण कर लिया है ?

(२) क्या राजस्थान सरकार पहाडी (भरतपुर) से पंजाब की सीमा तक ५.६

(श्री रामकिशन)
फर्लांग सडक बना कर उक्त सडक का उपयोग करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी नहीं। कार्य आरंभ हो चुका है।

(२) यह विचाराधीन है।

श्री रामकिशन : यह आपने बताया (१) के उत्तर में, 'जी नहीं'। यह सही नहीं है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पंजाब सरकार ने यह कार्य आरंभ कर दिया है।

श्री रामकिशन : यह एक साधारण सा प्रश्न है। पहाडी (भरतपुर) से पंजाब की सीमा तक ५-६ फर्लांग का टुकडा है उसको राजस्थान सरकार द्वारा बना कर जोड दिया जावे तो पंजाब और राजस्थान की सीमा मिल जाती है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पंजाब सरकार ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है। वे बनावेगें तो राजस्थान के सडक के हिस्से को पूरा करने पर विचार करेंगे।

श्री रामकिशन : १३ फर्लांग सडक पंजाब सरकार ने बना दी है और अब आपको एक मील सडक का टुकडा बनाना है। आप बना दें तो पंजाब और राजस्थान की सीमा सडक से मिल जाती है।

श्री अध्यक्ष :- Next. श्री मुरलीधर व्यास।

तस्कर व्यापार

६३८. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या ग्रह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में गत २ बर्षों में तस्कर व्यापार सम्बन्धी कुल कितने मामले पकडे गये ?

(२) ये मामले कहां कहां के व किन किन के हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) इन तस्कर व्यापारियों के खिलाफ क्या क्या कार्यवाही की गई ?

ग्रह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) सन् १९६१ एवं १९६२ में सीमावर्ती जिलों में तस्कर व्यापार सम्बन्धी कुल ५१ मामले पकडे गये।

(२) सूची संलग्न है।

(३) समस्त मामले लैंड कस्टम विभाग को कानूनी कार्यवाही हेतु सुपुर्द किये गये।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : जो लिस्ट दी गई है, उसमें नं. १ में आपने बताया है कि २२ जानवर (१२ बैल, ५ ऊंट व ५ बछडे पकडे गये) उसमें असलम नाम का जो व्यक्ति आपने बताया है जो पाकिस्तान सीमा में पकडा गया वह वही है क्या जो हिन्दुस्तान में बडे बडे लोगों के साथ अपना संबंध जुडाये हुए है ?

श्री मथुरादास माथुर : उसका संबंध जुडा हुआ है या नहीं, यह तो आप जानते हैं। मगर वही है।

श्री मुरलीधर व्यास : आगे नं. ४ में आपने इन्डो-पाकिस्तान बोर्डर पर तस्करी को पकडा है जिसके पास तीन बन्दूकें १२ बोर की, एक राइफल ३०३, कारतूस आदि बरामद किये गये और जिसके लिये आपने एक बडी लम्बी लिस्ट दी है। क्या यह रहमत मी वही है जिसके बारे में उल्लेख आया है कि वह सरदारगढ का रहने वाला है और नम्बर १ का तस्करी है ?

श्री मथुरादास माथुर : इतनी बडी लिस्ट है उसमें कैसे कह सकते हैं कि वह कौन है ?

एक माननीय सदस्य : क्या इस मामले में रामरतन कोचर के मामले हैं ?

श्री अध्यक्ष : This does not arise out of this question.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर): इन लोगों में से किन किन लोगों ने रामरतन कोचर को मदद दी जो पकड़े गये हैं ?

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष: जैसा मैंने माननीय सदस्यों से कहा कि एक एक उठ कर प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर दे दिया जावेगा और इस तरह सब एक साथ बोलेंगे तो किसका उत्तर दे पावेंगे। सारी सूचना आपके पास जो भी कार्यवाही की गई है उसकी है।

श्री मुरलीधर व्यास : एक खादी का कमीज भी पकडा गया है ?

श्री अध्यक्ष : खादी का कमीज आप भी पहनते हैं और दूसरे लोग भी पहनते हैं। ऐसी बात न कहें जिससे कोई संबन्ध नहीं हो।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या कोई ऐसी सीक्रेट पुलिस का इन्वेस्टीगेशन होता है और उसकी सीक्रेट रिपोर्ट होती है ?

श्री अध्यक्ष : सीक्रेट रिपोर्ट कैसे बता पावेंगे ?

श्री मुरलीधर व्यास : क्या वह हाउस में नहीं बताई जा सकती है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट ३ देखिये).

(१२.०३ म. प.)

जन लेखा एवं प्राक्कलन समितियों के नामजद उम्मीदवार

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि जनलेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति (१९६३-६४) के चुनावों के हेतु निम्नलिखित उम्मीदवार नामजद किये गये हैं।

जनलेखा समिति (पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी) १९६३-६४

(१) श्री अमरसिंह (४)।
(२) कुमारी उमा माथुर (१९६)
(३) श्री मोहनराज (११३)
(४) श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (८४)।
(५) श्री मानसिंह (१०६)
(६) श्री हरिदेव जोशी (६०)
(७) श्री छत्रसिंह (२७)
(८) श्री बालूराम चौधरी (१०)
(९) श्रीमती गौरी पूनिया (४७).

Page No 30

(श्री अध्यक्ष)

(१०) श्री मुरलीधर व्यास (११९)
(११) श्री रामकिशन (१४४)
(१२) श्री नत्थीसिंह (१२३)
(१३) श्री भैरोंसिंह (१३)
(१४) श्री जोधसिंह चौहान (८१)
(१५) श्री मनफूलसिंह (१०५)
(१६) श्री अल्दाराम मीणा (३)
(१७) श्री रामानन्द अग्रवाल (१४१)
(१८) श्री मोहरसिंह राठौर (११४)
(१९) श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (१७६)
(२०) श्री घासीराम यादव (४८)
(२१) श्री हरिराम धारू (६५)
(२२) श्री फलचन्द जैन (१३२)

एक माननीय सदस्य : कुल कितने सदस्य होंगे।

श्री अध्यक्ष : कुल २२ ।

प्राक्कलन समिति एस्टीमेट (कमेटी) ६३–६४

(१) श्री छोटूराम (२८)
(२) श्री रविशंकर याज्ञनिक (२४९)
(३) श्री मोतीलाल चौधरी (११६)
(४) श्री मालमसिंह (१०२)
(५) श्री नाथूराम (१२७)
(६) श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (५१).
(७) श्री केसरीसिंह (८९)
(८) श्री रामचन्द्र (१४२)
(९) श्री मूलचन्द चौधरी (११५)
(१०) श्री चौसरसिंह बावल (३०)
(११) श्री तेजाराम गहलोत (१६७)
(१२) श्री जयनारायण सालोदिया (७६)
(१३) श्री उम्मेदसिंह (१७०)
(१४) श्री मुरलीधर व्यास (११८)
(१५) श्री भीमसेन (१८)
(१६) श्री रामकिशन (१४४)
(१७) श्री नत्थीसिंह (१२३)
(१८) श्री नत्थीसिंह (१२५)
(१९) श्री विजयसिंह झाला (१७३)
(२०) श्री मोहनलाल सारस्वत (११२)
(२१) श्री हरिप्रसाद (६३)
(२२) श्री उमरावसिंह ढाबरिया (१७१)
(२३) श्री अलदाराम मीणा (३)
(२४) श्री रामानन्द अग्रवाल (१४१)
(२५) श्री गंगासिंह परिहार (४४)
(२६) श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (१७६)
(२७) कुमारी उमा माथुर (१६८)
(२८) श्रीमती गोरी पूनिया (४७)
(२९) श्री रावतराम (१५०)

जो माननीय सदस्य अपने नाम वापिस लेना चाहें वे कल ५ बजे तक सदन में ही सूचना अपने वक्तव्य द्वारा दे दें।

अनुसूचित व्यवहार सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि एक विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रश्न की सूचना श्री रामानन्द अग्रवाल ने सदन के एक माननीय सदस्य के प्रति एक माननीय उप-मंत्री का व्यवहार ठीक नहीं रहा उस संबन्ध में दी है। इस संबन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन में इसकी चर्चा की जा चुकी है और मैं उचित नहीं समझता कि इस पर इससे ज्यादा चर्चा इस विषय पर सदन में की जावे। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इसमें यह पता नहीं चला कि किसकी गलती है ।

श्री अध्यक्ष: उसका उल्लेख हो चुका है उसको मैं काफी समझता हूं। उसको बताना उचित प्रतीत नहीं होता।

एक माननीय सदस्य : कौनसे उप-मंत्री थे उनका नाम का तो पता लगना चाहिये।

पुलिस अधिकारी द्वारा प्रेस कान्फ्रेन्स में कही गई बातें सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य उत्सुक हैं तो उनको पता लग सकता है।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि श्री मानिकचन्द सुराणा ने एक विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी है। जिसका संबन्ध पुलिस के एक अधिकारी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेन्स में ऐसी बातें कही जाने के संबन्ध में है जो पहले सदन को बताई जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है और बाद में व्यवस्था दी जावेगी।

सार्वजनिक सम्पर्क विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव।

एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री मुरलीधर व्यास द्वारा दी गई है जो सार्वजनिक सम्पर्क विभाग द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है उसके संबन्ध में है। यह स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है लेकिन फिर भी उसकी प्रतिलिपि सरकार के पास उचित कार्यवाही करने के लिये भेज दी गई है।

श्री **मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : गृह मंत्री क्या कार्यवाही कर रहे हैं। यही तो मैं जानना चाहता हूं राष्ट्रीय सम्मान के दृष्टिकोण से।

श्री अध्यक्ष: सरकार की तरफ से उनका सम्मान होना चाहिये। आपने ध्यान दिलाया है उस पर ध्यान देंगे।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, जो प्रदर्शनी लगी है उसमें मैजर शैतानसिंह की तस्वीर लगाई है। उनकी यह तस्वीर हमको उनके घर वालों से मिली थी उसको ही हमने एनलार्ज करके लगवाया है। जो उनकी तस्वीर हमको मिली थी वह कैप्टिन के युनीफार्म में मिली थी। इसलिये हमने उसको उसी फार्म में लगा दिया।

वे मेजर हो चुके थे, इसलिये मेजर के यूनीफार्म की उनकी फोटो न तो भारत सरकार से आज तक मिल पाई है और न उनके घर वालों से मिल पाई है। इसलिये उनके कैप्टिन के फोटो का ही एन्लार्जमेन्ट लगा हुआ है। माननीय सदस्य ने कहा कि मेजर हो चुके थे, इसलिये कैप्टिन का फोटो लगाये रखना उनका अपमान है इसको मैं कतई इन्कार करता हूं, इसमें अपमान की भावना नहीं है, मान की भावना है। फिर में निवेदन कर दूं कि मेजर की वर्दी में और कैप्टिन की वर्दी में फर्क इतना ही रहता है कि मेजर के अशोक-चक्र रहता है, मेजर के स्टार नहीं होते हैं कैप्टिन के स्टार होते हैं। इसलिये ३ स्टार के फोटोग्राफ को हटा कर तीन स्टार की जगह अशोक-चक्र रख कर उसको रफ कर के अशोकचक्र तीन स्टार की जगह करके वहां लगा दिया है।

श्री मुरलीधर व्यास: मेजर की वर्दी पर अशोक स्थम्भ होता है।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य (उप मन्त्री, शिक्षा) : **हमारे लिये क्या व्यवस्था है?**

श्री अध्यक्ष: आप भी बदलवा लें।

(विशेषाधिकार प्रस्ताव सम्बन्धी पूर्व क्रम से)

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था दी जा चुकी है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के पेश होने के बाद में, भारतीय लोक सभा में भी इसी तरह का प्रस्ताव, दूसरे फौर्म में आया है और वहां पर भी कुछ इस प्रकार के मुद्दों से सम्बन्धित था और वहां पर लोक सभा के स्पीकर की व्यवस्था हुई है। श्री पटनायक ने अमेरिका में जो बयान दिये उसमें ऐसे तथ्य थे जो हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट में नहीं बताये। इस पर कॉल अटेंन्शन नोटिस दिया गया और लोक सभा के माननीय अध्यक्ष ने रूलिंग दी कि सदन के बाहर ऐसे तथ्यों की जानकारी नहीं देनी चाहिये जिनसे सदन को महरूम रखा गया है। इसको इम्प्रोपर बताया है।

यह जो तथ्य हमारे सामने आया है इसको भी आप मुलाहिजा करें और आपकी व्यवस्था में भी इस सम्बन्ध में पूर्ण व्यवस्था जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: श्री भीखाभाई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: (जौहरी बाजार, जयपुर): इतना जल्दी नम्बर आ गया आपका।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): आज आपकी बारी है क्या?

मांग संख्या २५, २६ व ४३– प्रयोजन नदी योजनायें, सिंचन नौचालन, तट बंधन आदि

श्री भीखाभाई (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २५ मुख्य शीर्षक ४२—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,४०६२,००० रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

(विराम)

माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २६,

मुख्य शीर्षक ४३ सिंचन नौचालन तट, बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक)

४४–सिंचन, नौचालन, तट-बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक)

४३–सिंचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय

के संबंध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्य-पाल महोदय को १,३०,-६९,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ४३,

मुख्य शीर्षक ९८- बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की ?

९९-सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक)

के संबंध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के

(श्री भीखाभाई)
निमित्त राज्यपाल महोदय को १६,५७,१३,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। कटौती प्रस्तावों पर माननीय सदस्य बोलेंगे।

इन मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) :

मांग संख्या २५

१. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं में १) रु० की कटौती की जाय (भरतपुर जिले में बाढ-ग्रस्त क्षेत्रों से आबियाना वसूल करने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २६

२. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (भरतपुर जिले में बाढ़-नियंत्रण में असफलता पर बहस करने हेतु)।

३. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (भरतपुर में सिंचाई विभाग के एक्जीक्यूटिव इन्जिनियर का कार्यालय स्थापित करने पर बहस करने के लिये)।

मांग संख्या ४३

४. मांग संख्या ४३, मुख्य शीर्षक ९९–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) में १००) रु० की कटौती की जाए (गुड़गांव कैनाल कार्य में कोई प्रगति न होने पर बहस करने हेतु)।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर (बांदीकुई) :

मांग संख्या २६

१. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में एक रुपये की कटौती की जाय (सिंचन विभाग द्वारा बांदीकुई (बसवा) तहसील में सावां नदी को बांध कर बंध न बनाने के कारण उत्पन्न असन्तोष व आर्थिक हानि पर बहस करने के लिये)।

१. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) :

मांग संख्या २६

1. Demand No. XXVI, Major Head 43-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial) be reduced by rupee one[to discuss apathy of the Government towards Jalore Distt. for allecations of Budget in previous years for Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage Works (Commercial)].

२. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों में एक रुपये की कटौती की जाय (नदी सिंचाई परियोजनाएं जिला जालौर में सरकार का ध्यान आकर्षित करने पर बहस करने के लिये)।

मांग संख्या ४३

3. Demand No. XLIII, Major Head 99-Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial) be resuced by rupee one (to discusn capital outlay on multipurpose river schemes in Jalore District)

Page No 34

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) :

मांग संख्या २५

१. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं में १००) रु० की कटौती की जाय (चम्बल क्षेत्र में सरकारी आश्वासन के बावजूद पिलाई (Irrigation) की गलत वसूली पर बहस करने हेतु) ।

२. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं में १) रु० की कटौती की जाय (चम्बल क्षेत्र में सिचाई से उत्पन्न कठिनाइयों पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या ४३

३. मांग संख्या ४३, मुख्य शीर्षक ९९–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) में १००) रु० की कटौती की जाय (चम्बल क्षेत्रों में नहरों पर नालों का निर्माण नहीं करने से उत्पन्न कठिनाइयों पर बहस करने हेतु) ।

४. मांग संख्या ४३, मुख्य शीर्षक ९९–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) में १००) रु० की कटौती की जाय (माखीद, गेंता इटावा मार्ग पर चम्बल नदी में पुल की आवश्यकताओं पर बहस करने हेतु)

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत):

मांग संख्या २५

१. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं में १)रु० की कटौती की जाय (बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर लगी हुई पूंजी के समुचित return न होने पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या २६

२. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तट-बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य में १००) रु० की कटौती की जाय (सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य की असमर्थता पर विचार करने हेतु)

मांग संख्या ४३

३. मांग संख्या ४३, मुख्य शीर्षक ९८–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत में १) रु० की कटौती की जाय (बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत की गलत प्रणाली पर बहस करने हेतु)

श्री जुझारसिंह (चेचट) :

मांग संख्या २६

1. Demand No. XXVI, Major Head 44-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial) be reduced by rupee one (to discuss water logging and fourty Drainage system in Chambal & Kali Sindh Parwan River system).

2. Demand No. XXVI, Major Head 44-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial) be reduced by rupee one (to discuss the water and inefficiency in the Administration of this Department).

Page No 35

(श्री जुझारसिंह)

मांग संख्या ४३

3. Demand No. XLIII, Major Head 98-Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes be reduced by rupee one (to discuss the furtility of including new areas in the command Zone of Chambal without any chances of providing irrigation facilities for next five years).

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ) :

मांग संख्या २५

१. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं में १००)रु० की कटौती की जाय (भाखरा क्षेत्र के नहरों की टेलों पर पानी न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर बहस करने हेतु)।

२. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं में १००) रु० की कटौती की जाय (भाखरा क्षेत्र में सिंचाई के लिए कम मात्रा में पानी उपलब्ध करने से उत्पन्न स्थिति पर बहस करन हेतु)।

३. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं में १००)रु० की कटौती की जाय (भाखरा क्षेत्र की नहरों में पानी की अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

१. श्री हरिशंकर (धौलपुर) :

मांग संख्या २५

मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-बहु नदी योजनाओ में १) रु० की कटौती की जाय प्रयोजन (राज्य के नदी घाटी योजनाओं पर बहस करने हेतु)।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा):

मांग संख्या २६

१. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य में १) रु०, की कटौती की जाय (व्यक्तिगत तालाबों को सिंचाई विभाग के अधिनस्थ लेने पर बहस करने के लिये)

२. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य में एक रुपये की कटौती की जाय (सरेरी व मेजा बांध की नहरों से बराबर पानी न मिलने पर बहस करने के लिये)।

३. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (सरेरी बांध व मेजा बांध की नहरों पर ग्राम रास्तों पर पुलिया बनाने पर बहस करनेहेतु)।

४. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य में १००) रु० की कटौती की जाय (सरेरी बांध से सिंचित भूमि के कास्तकारों को दिए गैर कानूनी डिमान्ड नोटिसों पर बहस करने के लिये)।

५. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ३–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य में १००) रु० की कटौती की जाय (सरेरी बांध के कर्मचारियों द्वारा किए गये अनियमित कार्यों पर बहस करने के लिए)।

६. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य में एक रुपये की

(श्री उमरावसिंह ढावरिया)
कटौती की जाय (सरेरी बांध के कर्मचारियों द्वारा किये गये नाजायज कार्यों पर बहस करने हेतु)।

७. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समिति बनेडा के क्षेत्र में सिचाई विभाग के तालाबों की मरम्मत न कराने पर बहस करने हेतु)।

८. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य में १००) रु० की कटौती की जाय (चमनपुरा के तालाब की पिलाई वसूल करने पर बहस करने के लिये)।

९. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य में एक रुपये की कटौती की जाय (नहरों का पानी खेतों में नहीं पहुंचने पर भी पिलाई वसूल करने पर बहस करने के लिये)।

मांग संख्या ४३

१०. मांग संख्या ४३, मुख्य शीर्षक ९९–सिचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) में १) रु० की कटौती की जाय (रायपुर जिला भीलवाड़ा के पास बांध बनाने पर बहस करने हेतु)।

११. मांग संख्या ४३, मुख्य शीर्षक ९९–सिचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) में १) रु० की कटौती की जाय (पंचामत समिति बनेड़ा क्षेत्र की छोटी लाम्बीयां गाव के पास जवासीयां नामक बांध बनाने पर बहस करने हेतु)।

१२. मांग संख्या ४३, मुख्य शीर्षक ९९–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) में १) रु० की कटौती की जाय (कोटडी जिला भीलवाडा के पास झाडोल का बांध बनाने पर बहस करने हेतु)।

श्री केसरीसिंह (पाली):
मांग संख्या २६

१. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (पाली जिले में सिंचाई विभाग के काम में कुछ खामियां दरसाने एवं कुछ लाभदायक सुझाव देने परबहस करने के लिये)।

श्री भगराजचौधरी (रानीवाडा):
मांग संख्या२६

१. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य में एक रुपये की कटौती की जाय जालौर एवं बाडमेर जिलों में सिंचाई के साधनों में आवश्यक सुधार लाने पर बहस करने के लिये)।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत
मांग संख्या ४३

१. (भीम): मांग संख्या ४३, मुख्य शीर्षक ९९–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों को छोटे तालाबों के बनाने के लिए ग्रान्ट न देकर लोन दिया जाने लगा है इस पर बहस करने हेतु)।

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत)

२. मांग संख्या ४३, मुख्य शीर्षक ९९–सिचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) में १) रु० की कटौती की जाय (देवगढ क्षेत्र में टूटे तालाबों के पुनर्निर्माण पर ज्यादा ध्यान दिया जाय इस पर बहस करने हेतु)।

३. मांग संख्या ४३, मुख्य शीर्षक ९९–सिचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) में १) रु० की कटौती की जाय (लघु सिंचाई में ज्यादा खर्च करने की रकम पर बहस करने हेतु)।

श्री कंवर महेन्द्रसिंह (दीगोद) :

मांग संख्या २६

१. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य में १००) रु० की कटौती की जाय (लघु सिंचाई योजना को कार्यान्वित करने में शासन की असफलता पर विचार करने हेतु)।

२. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य में १००) रु० की कटौती की जाय (नहर में आई हुई जमीन का मुआवजा न दिये जाने पर विचार करन हेतु)।

३. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य में १००) रु० की कटौती की जाय (चम्बल क्षेत्र में नहर व धोरों के कारण आम रास्ते बन्द होने तथा इसकी कोई व्यवस्था न करने पर विचार करने हेतु)।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) :

मांग संख्या २६

१. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण कार्य में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु)।

२. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य में १००) रु० की कटौती की जाय (गंगनहर केनाल की टेलों पर पानी न पहुंचने के कारण पैदा हुई गम्भीर स्थिति पर बहस करने हेतु)।

३. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य में १००) रु० की कटौती की जाय (गंगनहर विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु)।

4. Demand No. XXVI, Major Head 43-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial) be reduced by rupees 100/- (to discuss the corruption and bad Administration prevalent in Irrigation department of Gang Canal).

मांग संख्या २५

५. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं में १) रु० की कटौती की जाय (भाखरा की नहरों की दुर्लक्ष पूर्ण स्थिति पर बहस करने हेतु)।

Page No 38

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

6. Demand No. XXV, Major Head 42-Multipurpose River Schemes be reduced by rupee one (to discuss the losses incurred by cultivators due to bad working conditions of Bhakra Canals).

7. Demand No. XXV, Major Head 42-Multipurpose River Schemes be reduced by rupees ten (to discuss the financial aspects of Chambal Project).

८. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं में १) रु० की कटौती की जाय (चम्बल प्रोजेक्ट के कार्यों की अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

९. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं में १) रु० की कटौती की जाय (चम्बल नहर योजना से सिंचाई के कारण उत्पन्न कठिनाई पर बहस करने हेतु)।

10. Demand No. XXV, Major Head 42-Multipurpose River Schemes be reduced by rupee one (to discuss the bad working conditions of Bhakra Nagal Project's Canals and the losses incurred by cultivators due to time).

श्री जीवराजसिंह (गुढा) :

मांग संख्या ४३

मांग संख्या ४३, मुख्य शीर्षक ९९–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) में १) रु० की कटौती की जाय (जिला झुंझुनू में सिचाई के साधन न होने पर बहस करने हेतु)।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद)

मांग संख्या २५

१. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं में १) रु० की कटौती की जाय (कार्यों को देरी से पूरा करने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २६

२. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य में एक रुपये की कटौती की जाय (जागीर क्षेत्र के फूटे तलाबों को दुरुस्त कराने व खारी बांध से आसीन्द के पास के क्षेत्र में सिंचाई पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ४३

३. मांग संख्या ४३, मुख्य शीर्षक ९९–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) में १) रु० की कटौती की जाय (इसके कार्यों में पूंजी की लागत वाणिज्यिक पर बहस करने हेतु)।

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर) :

मांग संख्या २६

१. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य में एक रुपये की कटौती की जाय (विलपन तालाब के पानी की अव्यवस्था पर बहस करने के लिये)।

२. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निका

(श्री विजयपाल कटारा)
निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समिति सीमलवाडा में सिंचन तालाब बांधने में पक्षपात करने पर बहस करने के लिये)।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष, इस सदन में कहा गया कि राजस्थान के विकास के लिये सिंचाई की योजना के लिये बहुत कुछ किया जा रहा है और मैं मानता हूं कि इसमें कुछ तथ्य भी है। परन्तु कुछ बातें ऐसी हैं, जिनसे हम महसूस करते हैं कि सिंचाई के मामले म जितने आगे बढ़ना चाहिए था, उतना हम आगे नहीं बढ पाये हैं। कई प्रान्तों के बीच में नदियां होती हैं और उनसे पानी लाने का सवाल होता है। इसमें राजस्थान प्रायः पीछे पिछड़ता है। पिछले दिनों पंजाब और राजस्थान के सैनिकों के लिये राजस्थान में जमीन देने का प्रश्न आया तो हमारे मुख्य मंत्री ने गर्व के साथ कहा था कि यह देश-भक्ति का सवाल है। देश के सभी सैनिकों को जो मोर्चों पर जाते हैं, उनको जमीनें दें। यह गर्व की बात है। मैं मानता हूं। पर इसके साथ-साथ राजस्थान सरकार जब भरतपुर के लिये गुड़गांवा कैनाल की बात आती है, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान से आज तक यह मामला चला आ रहा है, पर एक इंच भी हमें नहीं दिया। किस लिये नहीं दिया? हमें रिपोर्ट दी गई है कि यह पंजाब और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच का सवाल है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसके लि सवा दो करोड़ रुपया रखा। एक पैसा खर्च नहीं हो पाया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में ६५ लाख रु० का प्रावधान रखा। ७ लाख रुपया इस साल खर्च करने की बात की गई। परन्तु एक पैसा खर्च नहीं किया गया। अगर इसी प्रकार की प्रगति रही तो इस पंचवर्षीय योजना के बाद भी इस बारे में, हम तरक्की नहीं कर पायेंगे। कुम्हेर, भरतपुर, डीग, कामा, और नगर तहसीलों का बहुत बड़ा इलाका है जो सूखा और खारी इलाका है। उसमें केवल इसी योजना के द्वारा सिंचाई हो सकती है। तो मैं निवेदन करूंगा कि जब हम इतने उदार बनते हैं तो हमें अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिये, अपनी जायज मांग मनवाने के लिये भी समर्थ होना चाहिये।

दूसरे कटौती प्रस्ताव के द्वारा भरतपुर में बार बार बाढ़ से जो हानि होती है उसकी ओर, सरकार की उदासीनता की ओर ध्यान आकर्षित किया है। भरतपुर में राज्य के जमाने में बंधों से सिंचाई का प्रबन्ध था पर राजस्थान बनने के बाद उन बन्धों की मेन्टेनेन्स तक नहीं की गई और इस कारण बडी मात्रा में हमारे किसानों को बर्बाद होना पडता है। और आगे भी यही स्थिति है। राजस्थान सरकार इन बन्धों की मरम्मत के लिये १५ लाख की एक साथ ग्रान्ट देकर इन बन्धों की मरम्मत नहीं करा सकती तो वहां यह समस्या हल नहीं हो सकती। दूसरी ओर इस साल जब बरसात कम हुई, पानी हमारे पास था, तो भी भरतपुर इलाके को पानी न दिया जाकर यू. पी. को निकाल दिया गया। वहां के चुने हुए सरपंचों, पंचों ने इसका विरोध किया, अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाये कि हमें पानी न देकर बाहर निकाल दिया गया, पर इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जहां

(श्री नत्थीसिंह)
भटावली बंध से कुम्हेर के पेंछोर, वैलाटा के इलाके की तीन हजार बीघा जमीन पानी के नीचे रह जाती है और उसमें हम कोई पैदावार नहीं कर पाते।

सम्वत् २०१५ में बाढ़ का पानी आया, जबरदस्त बाढ़ के कारण किसानों को नुकसान हुआ था और इस संबंध में मैंने एक प्रश्न के द्वारा पिछले दिनों पूछा तो मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में मोती झील के आस पास के चार पांच गांवों के नाम बता दिये कि यहां नुकसान हुआ जब कि कामा तहसील के करीब-करीब सारे गांवों को नुकसान हुआ था तथा कई और तहसीलों में भारी नुकसान हुआ। सम्वत् २०१५ में राजस्थान सरकार ने निश्चय किया कि वहां आवियाना की वसूली करना स्थगित कर दिया जाय। इसके बावजूद भी उस साल वहां आबियाना जबरदस्ती वसूल किया गया। कोई कमेटी बैठाई किन्तु कमेटी का नाम नहीं बताया। इस तरह के गलत काम सरकार करती है। एक ओर नुकसान होता है उस बाढ़ के पानी से और ऊपर से फिर उनसे आबियाना और वसूल किया जाता है। यह एक दम गलत नीति है।

यही नहीं पिछले दिनों बताया कि भरतपुर फीडर आती है उस पर पुलिया बन गई है। लेकिन उसी के पानी से सुनारी, आमोरी, तालपुरा के गांवों में फसल बरबाद हो गई। उनको बुलाया, और बताया कि इतना नुकसान हो गया। क्या किया जाना चाहिये? आज हम कहते हैं कि इसके पानी से दूसरे गांवों की सिंचाई की जा सकती है। लेकिन लाखन तक आज तक पानी नहीं दिया जब कि उसका नाम लखन केनाल है। इसे मुहमाया, अजान छोरमुई तक बढ़ाया जा सकता है। आज तक उन तक नहीं बढाया।

दूसरी तरफ बात यह कही जाती है कि गोवर्धन ड्रेन निकाल रहे हैं। यू. पी. को अधिकार दे दिया है। राजस्थान सरकार इतनी कमजोर साबित हुई है कि गोवर्धन ड्रेन के लिये उससे पूछा तक नहीं गया। हमने इसके लिए आवाज उठाई कि दूसरी सरकार से इसके बारे में बात करो, भरतपुर के गांवों गुनसारा ताखा, रारह, सातमक के बडे बडे कुए आते हैं। एक ड्रेन निकाली जा रही है। बडी गहरी गई है और उसमें हजारों एकड चाही की जमीन चली जावेगी। मेरे पास कल ही कई रजिस्ट्रियां आई कि इस ड्रेन को ऐसी जगह निकाला जा सकता है कि जिससे चाही की जमीन और कुए भी बरबाद नहीं होंगे। लेकिन सुना यही, यू. पी. वालों ने कुछ लाइन दे दी वहीं से निकलेगी। आप एक तरफ कहते हैं कि लोगों को तरक्की देना चाहते हैं। सिंचाई के साधनों को बढावा देना चाहते हैं। दूसरी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। किसानों के रिप्रेजेन्टेशन के बावजूद भी आबियाना वसूल किया गया। उसका जवाब तक नहीं दिया गया कि विचार कर रहे हैं या नहीं। इस तरह से हम यह कहने के अधिकारी नहीं हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं।

यह सवाल उठता है कि हम यह मांग करते हैं कि भरतपुर फीडर को बढाया जाये और पानी मिले। जब भरतपुर की राजस्थान में मिलने की बात आई तो राजा लोगों ने इसका विरोध किया था। हम समझते थे

(श्री नत्थीसिंह)

कि हमारे सिंचाई के जो स्रोत हैं, जमुना नदी से हैं और हम जानते थे कि हमारी सरकार की, राजस्थान सरकार की यह हिम्मत नहीं होगी कि वह उचित रूप से पानी ले सके। हमको उचित रूप में पानी मिल सके इसके लिए राजस्थान सरकार की हिम्मत नहीं है, वह कमजोर है। हम राजस्थान में मिले, पूरे राजस्थानी हो भी गये। लेकिन राजस्थान सरकार यह नहीं कर सकी कि हमारी वाजिब मांग को मंजूर करायें। हम ब्रज के लोग हैं। ब्रज हमारी भूमि है। हम उसके पानी को लेने के अधिकारी हैं। आज भरतपुर में भरतपुर फीडर लायें। रोज हमारे यहां बाढें आती हैं। नये नये अधिकारी भेज देते हैं, जो वहां की कन्डीशन को समझ नहीं पाते हैं। राजा के समय में जो अनूठा सिस्टम था उसको समझ नहीं पाते हैं। हमने यह मांग की थी कि एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर का दफ्तर अलग भरतपुर के लिए होना चाहिये। आज तक उसका जवाब नहीं आया। मंत्री महोदय ने कह दिया कि अलग से प्रश्न है। कभी भी आप इस पर विचार करेंगे या नहीं? आप इसको सुलझाना चाहते हैं या नहीं? मैं निवेदन करूं कि आप चाहते हैं कि सिंचाई के जरिये से साधन बढें, उत्पादन बढे, आप चाहते हैं किसानों के रहन—सहन का स्तर बढे तो आपको इन समस्याओं पर ध्यान देना पडेगा। आप केवल एक ध्यान देते हैं कि किसानों पर कितना टैक्स लगाया जा सकता है। इतने टैक्स लगाने के बाद भी आप किसानों को क्या सुविधा देते हैं? क्या कभी आपने इस पर भी सोचा है? मंत्री महोदय, जिनके पास यह विभाग है वे इनइफेक्टिव हैं। मंत्री मंडल में जोर नहीं डाल पाते हैं। इस तरह से हम किसानों की हालत नहीं सुधार सकते।

एक जो बात आती है वह अक्सर उठाई जाती है। भरतपुर अलवर के प्रश्न के रूप में बता दिया जाता है। रूपारेल की बात है। पहले अलवर में एक मंत्री महोदय थे। वे चाहते थे कि उस नदी को अलवर में रोक लिया जाये। इसके रोक लिये जाने से भरतपुर के तरफ का जो मेवात का इलाका है वह इसके पानी से वंचित रह जायेगा। इसके लिए समुचित रूप से इन्तजाम किया जाय जिससे न तो बाढें आयें और सिंचाई के पूरे साधन भी मिलें। इस ओर अगर ध्यान नहीं देते हैं, तो निश्चित रूप से, वैसे ही भरतपुर के इलाके में यह भावना घर करती जा रही है, कि राजस्थान में उनकी सही बात को सुनने वाला कोई नहीं है, यह भावना और भडकेगी। इसके जो रिपरकशन्स होंगे वे बडे तीव्र होंगे। इसलिये आप सिंचाई के लिए ध्यान दें।

पिछले दिनों एक उप-मंत्री महोदय कुम्हेर पधारे। उनके सामने पंच-सरपंच सम्मेलन रखा गया। अभिनन्दन को मानपत्र कहा था। उन्होंने आश्वासन दिये थे कि गौर करेंगे। लेकिन बजट में देखते हैं तो नजर नहीं आता है कि कोई गौर किया है। आज के बाद कम से कम यह ध्यान तो आवेगा कि गंगानगर इलाके के बाद दूसरा इलाका भी है, वह है भरतपुर जो अधिक से अधिक अन्न उत्पादन करके दे सकता है। इसलिए उस ओर सिंचाई के साधनों के लिये ध्यान दें। उनको बढावें और बाढ के पानी से बचायें और वहां पर एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर का कार्यालय स्थापित करके यह करें।

Page No 42

श्री अध्यक्ष: श्री मथुरेशबिहारी ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग की इस मांग पर में कटौती प्रस्ताव द्वारा, सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रान्त है, जिसमें सिंचाई की बढोतरी और उसके विस्तार की बहुत आवश्यकता है । यह कृषि के लिये बहुत ही आवश्यक है । आज जो हमको एक्स्ट्रैक्ट मिला है, उसका अवलोकन करने पर, ऐसा प्रतीत होता है, जितनी आशा थी राजस्थान में सिंचाई विभाग के द्वारा, कृषि और सिंचाई के विस्तार की आशा थी, उसमें निराशा हुई है । आपके समक्ष में कहना चाहूंगा कि हमें जो एक्स्ट्रैक्ट मिला है, उसमें सारी सिंचाई योजना के उपरांत तीसरी योजना खत्म होने पर २.२० लाख एकड कुल सिंचाई के लिए आशा की जा रही है, जब कि हम मुकाबला करें फर्स्ट ईयर, सैकिन्ड ईयर, थर्ड ईयर प्लान में जो रुपया खर्च हुआ है उसके अनुपात से यह जो आशा की जा रही है कुल २.२० लाख एकड भूमि के लिए आशा की जाती है । इस पर एक अजीब खर्चा है । ऐसा लगता है कि भारी खर्चा किया गया है जब कि उसका कोई रिटर्न नहीं है ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री): २.२० फिगर कहां से बोल रहे हैं ?

श्री मथुरेशबिहारी माथुर: पेज नम्बर २ पर आवें ।

यह इस किताब के पेज २ पर है जो आपके विभाग द्वारा सप्लाई की गई है । यह आपका इस तरह से माइनर इरिगेशन पर जो टोटल प्लान है, १,७०,६६ ऐस्टीमेटेड, इरिगेटेड एरिया है एकड १.१२८६ । तो इस आधार पर जो फिगर्स आपने सप्लाई किये हैं उसको देख कर यह अन्दाजा लगाते हैं जिसमें आपके खर्चे का अपने रिटर्न्स का अनुपात का कोई ध्यान नहीं ।

जिस प्रकार भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने इलाके के बारे में निवेदन किया, उस इलाके की कठिनाइयों की तरफ विभाग का ध्यान आकर्षित किया, उनके साथ-साथ में यकीन दिलाऊंगा कि इस विभाग के अन्दर जो प्रोजेक्ट्स लिये जाते हैं, और जो वर्क शुरू किया गया, जिनमें भाखरा, चम्बल ये मेजर वर्क्स हैं इन पर सारा ध्यान केन्द्रित किया है । लेकिन माइनर और मिडियम वर्क्स को देखा जाय तो वह ज्यादा उसी इलाके में किये गये हैं जहां से इस विभाग के मंत्री आये हैं । अधिकांश रुपया उदयपुर, जोधपुर में ही लगा कर खत्म कर दिया गया है । जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर एक भी वर्क इरिगेशन डिपार्टमेन्ट द्वारा शुरू नहीं किया गया है . . .

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : जोधपुर में ज्यादा नहीं लगाया ?

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : दूसरा नम्बर दिया है । आपके सामने मैं इन तथ्यों की पुष्टि में माईनर इरिगेशन वर्क्स का जिक्र करूंगा । प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस पर ११.१३ खर्च किया गया । उसमें जयपुर डिस्ट्रिक्ट के लिये कोई योजना नहीं थी । दूसरी योजना में भी जयपुर डिस्ट्रिक्ट का एक भी वर्क नहीं है । सारे वर्क चित्तौड़, भीलवाड़ा, टौंक, अजमेर, सिरोही में हैं, उदयपुर डिवीजन के अलावा और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं हुआ । इसी तरह से आप देखेंगे, तीसरी योजना में जितने वर्क्स शुरू किए

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

गये, वे भीलवाड़ा, चित्तौड़ और डूंगरपुर में ही किये गये हैं। मैं यह नहीं कहता, आप इन जगहों पर मत कीजिये। जहां सिंचाई की आवश्यकता हो, वहां अवश्य खर्च किया जाये। लेकिन आपका अनुपात, आपकी दृष्टि उन इलाकों की तरफ भी होनी चाहिए जहां पर इसकी आवश्यकता हो। उस तरफ आप जब ध्यान नहीं देते तो जब आप २० वर्क्स हाथ में लेते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, उस पर एक वर्क भी जयपुर डिस्ट्रिक्ट का सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, यह देखकर हमें निराशा होती है। आपको कोई पर्सेन्टेज का ध्यान नहीं। इससे मैं तो यही नतीजा निकालता हूं जो करने वाला है वह अपने तक ही सीमित है। अपने इलाके की मांग पर ही सीमित रहता है। उनकी निगाहें दूसरी तरफ जाती ही नहीं। जहां एक तरफ रेगिस्तानी इलाका है, जहां सिंचाई के कार्य होना आवश्यक है उधर ध्यान ही नहीं जाता। जयपुर डिस्ट्रिक्ट के जितने पहले इरिगेशन के वर्क्स थे, जिनसे काश्तकार फायदा उठाते थे, वह भी समाप्त होते जा रहे हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : रेगिस्तान में लघु सिंचाई हो नहीं सकती।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : लघु सिंचाई की योजना नहीं, मीडियम भी नहीं और मेजर भी नहीं, कोई योजना जयपुर डिस्ट्रिक्ट के लिये आपने मंजूर नहीं की। आपको यह देखना चाहिये कि किस प्रकार की सिंचाई की योजना यहां हो सकती है? लेकिन यहां मीडियम, माईनर और मेजर किसी प्रकार की योजना नहीं है। ये योजना के तीन अंग हैं, उनमें से एक भी नहीं। आप देखेंगे कि जमुआरामगढ़ बन्धे से एक नहर चलती है, जयपुर स्टेट के समय में चलती थी जिससे करीब चार तहसीलों की सिंचाई होती थी। आज जयपुर शहर के पानी के लिये उस नहर को पानी देना बन्द कर दिया। इस तरह से इन चार तहसीलों की सिंचाई खत्म हो गई। वह जमीन पांच-सात और दस साल से नहरी जमीन है। काश्तकारों से नहरी जमीन का लगान लिया जाता है। कई वर्षों से वहां के काश्तकारों की मांग है कि जब आपने पिलाई बन्द करदी तो जो नहरी लगान लेते हैं वह न लें। बारानी लगान नहीं लिया जाता। क्योंकि उसके लिये रेवेन्यू रिकार्ड में क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड है, उसमें इसको नहरी जमीन में लिया गया है। इसलिये इस पर नहरी लगान लगेगा। पानी उन काश्तकारों को नहीं मिलता। चार तहसील वाले जिस पानी से फायदा उठाते थे, वह अब नहीं मिल रहा है, तो भी उसी प्रकार का लगान लेते हैं इसकी कोई दूसरी व्यवस्था नहीं करते।

आपके सामने ऐसी कोई स्कीम है? मीडियम इरिगेशन वर्क्स का दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं? जहां पहले रामगढ़ बन्धे से सिंचाई होती थी उसकी जगह दूसरा आल्टरनेटिव देकर उस नहर का इस्तेमाल किया जाय इसके लिये कोई योजना बनानी चाहिये।

मैं इसके साथ साथ एक योजना अपने इलाके के लिये रख दूं। राउवास का बन्ध जहां पर आपने चार-पांच लाख रुपये लगाये हैं, लेकिन उससे एक इंच भी भूमि इर्रीगेट नहीं हुई। कागजों के अन्दर, पेपर्स

Page No 44

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

में बताया जाता है कि वर्क इन प्रोग्रेस । आपके चीफ इंजीनियर के पास जवाब नहीं । उनसे कभी यह नहीं कहा जाता कि आपने इस जगह को बन्ध बनाने के लिये किस आधार पर चुना ? चीफ इंजीनियर ने पचासों दफा उस स्थान पर जाकर टी. ए. डी. ए. बनाया होगा और उस पर चार-पांच लाख लगा दिये । अब कहा जाता है कि उसकी ऊंचाई कम रह गई । नहर ऊपर जाती है इसलिये सिंचाई नहीं होती । यह हाल है तो आपने किया क्या ? आपने वहां पांच लाख रुपया लगा दिया । आपने उन चीफ इंजीनियर सा० का एक्स्प्लनेशन कौल किया ? झिलमिल बांध पर लाखों रुपया आपने खर्च कर दिया । कागजों में बता दिया गया इससे २२ हजार एकड़ की सिंचाई होगी । लेकिन आपने कभी जाकर यह भी देखा है कि हजारों बीघा जमीन की सिंचाई होती भी है या नहीं । इन पांच वर्षों के अन्दर एक इंच भी जमीन की सिंचाई नहीं हुई । इंजीनियर्स ने इस स्कीम को शुरू करने से पहले क्यों नहीं देखा ?

इसके साथ-साथ मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि कालेखां बन्ध की ऐसी दयनीय स्थिति है कि वह हर साल टूट जाता है । ऊपर से पानी निकलता रहता है । जिससे सड़कों का आवागमन तक बन्द हो जाता है । काश्तकारों के दिमाग में यह बात आ गई है कि इस बांध से पानी लेंगे तो उनकी जमीन खराब हो जायगी । उसका उपयोग भी जितना पर्सेण्टेज में होना चाहिए वह भी नहीं हो रहा है ।

आपके सामने मैं एक योजना बतलाऊं । जयपुर स्टेट के टाइम के अन्दर इंजीनियर्स ने दो बड़े बांधों की स्कीम बनायी थी । उसका सर्वे भी हो गया था । इससे पूरी बांदीकुई तहसील को सिंचाई दे सकती थी । यहां तीन नदियां चलती हैं । सारी तहसील को डिवाइड करते हुए बाणगंगा, सावा और फलासणा । इससे ३।४ हिस्सा खराब हो रहा है । वहां एक मांग यह है कि सावा नदी पर चान्देरी के पास बांध का निर्माण किया जाय । सर्वे वहां का हो गया, स्टेट के समय में ही इसके कागजात बन चुके थे । इस संबंध में मैंने सदन में प्रश्न भी किया था । उस पर जवाब मिला कि भरतपुर में कमी हो जायेगी इसलिये इस बांध को न बनाया जाय । अभी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह मांग रखी है कि वहां पर हर साल फ्लड्स आते हैं । पानी की बहुतायत से नुकसान होता है । सारी नदियां वहां जाकर, भरतपुर के इलाके के अन्दर नुकसान पहुंचाती हैं । अगर भरतपुर के फ्लड् को कण्ट्रोल करना है तो उसके लिये गोवर्धन के पास टैंक बनाने की स्कीम बनती है उसमें लाखों करोड़ों रुपया खर्च करेंगे । अगर उन नदियों को रोक कर यहीं पर बांध बना दिया जाता है तो पूरी तहसील को भी फायदा होगा । इस योजना को पसन्द इसलिये नहीं करते कि पहले किसी इंजीनियर का इस प्रकार का नोट उस पर लगा हुआ है । पर आपने यह नहीं देखा कि यह नोट किसके कारण लगा ? उस वक्त रियासतें अलग-अलग थीं । दूसरी रियासत वाले चालू करने देने के बजाय रोड़े अटकाते थे । पर आज सारा राजस्थान एक है । आज वैसी कोई कठिनाई आपको नहीं है तो निपनम्र से देखें और इसे पूरा करें ।

(श्री मथुरेश बिहारी माथुर)

दूसरा इसका कारण है, एक केन्द्रीय मंत्री महोदय ने इसे पसन्द नहीं किया भरतपुर के लिये । पर आज उसी फ्लड को रोकने के लिये कितना रुपया भरतपुर में लगाना पड़ता है ? आपको रिलीफ भी देनी पड़ती है वहां के काश्तकारों को । तो अगर वहां के पानी के फ्लड को रोकने के लिये भी जरूरी समझ कर दूसरों के रिसोंसेस बना देते तो हूं इसमें क्या गलती होगी ? इससे हमारे रिसोंसेस बन जावेंगे और भरतपुर वालों के फ्लड की समस्या हल हो जावेगी । सरकार को भी जो रिलीफ देना पड़ता था, क्राप्स के नुकसान से लगान का नुकसान होता था, वह नहीं होगा । पर आज खेद की बात तो यह है, कि आज जो करने वाले हैं, उनकी निगाहें अपने घर तक ही महदूद हैं । वरना तो इस तरह की स्कीमों से सबका फायदा ही फायदा था ।

अब दूसरी जगह आपने काम शुरू करा दिये हैं । अब उनको कम्पलीट कराना एक समस्या बन गई है । आप उनको कम्पलीट नहीं कराते । अगर बांध बन गये हैं कहीं, तो नहरें नहीं बना पाये ।

आप मोरेल का बांध देखिये । नहरें पूरी नहीं बनतीं । आपने कागजों में बता दिया कि १७६ हजार एकड़ जमीन सिंचित होगी इनसे । पर क्या पूरा निर्माण हो जाने के बाद भी इतनी जमीन सिंचित कर सकेंगे ? मुझे इसमें शंका है । अब जैसे बताया कि ११,२८६ इर्रिगेटेड एरिया हमारा है पर मुझे यह ठीक नहीं लगता । क्योंकि मैं प्रैक्टिकली देखता हूं, कागजों में नहीं । वे जो एकड़ेज बताते हैं, उतना हर साल हुआ या नहीं यह वे कह नहीं सकते । कागजों में उनके जरूर है । तो इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि आप योजनाओं के बारे में कागजी रिपोर्टों पर ही विश्वास मत करिये । यह प्रैक्टिस में कहां तक आया है, यह भी देखिये । और उसी के आधार पर इनको आंकिये ।

मैं आपका चान्दोरा के बांध के लिये ध्यान दिलाऊंगा जिसके लिये मैंने कटौती का प्रस्ताव भी रखा है ।

आप यह भी देखें कि जो हर साल आपका खर्चा होता है वह ठीक तरह से होता है या नहीं । पिछले साल आपका बांध बनता है, अगले साल टूट जाता है । फिर रिपेयर के लिये रुपया रखा जाता है । एक चार्ट हमारे सामने है । ११ वर्क्स बने हैं उसके मुताबिक । पर उन सबकी अगले साल से ही रिपेयर की जरूरत पड़ गई । कमाण्डेड एरिया इनका जो आप बताते हैं, वह भी केवल कागजों में होता है, उतना वास्तव में होता नहीं ।

इसके अलावा कोई बांध कहीं से लीकेज हो जाता है, कोई कहीं से टूट जाता है । हर साल रिपेयर आप करते हैं और काफी रुपया उसमें खर्च करते हैं । तो पहले बनाते वक्त आप कम से कम इतना तो बनाइये मजबूती से कि जिसके हिसाब से एक लिमिटेड पीरियड तक तो यह भरोसा करके चला जाय कि इतने साल तो कम से कम रिपेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी । तो यह दयनीय स्थिति इस विभाग की है । आप जितना रुपया खर्च करते हैं, उस के साथ यह भी देखिये कि उसका सही और उचित उपयोग हुआ है या नहीं । और जो उत्पादन और विस्तार होना चाहिये वह हुआ या नहीं ।

(श्री मथुरेश बिहारी माथुर) क
आप इसी तरह की स्कीमों को आगे बढावें जिनसे इस विभाग द्वारा जनता का सही रूप में फायदा हो सकता हो। केवल कागजों में ही मला मत करिये।

इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : पिछले दस, बारह सालों में सिंचाई विभाग द्वारा कुछ स्कीमों के जरिये सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने की काफी कोशिश की गई है। परन्तु मैं आपके जरिये सरकार का ध्यान जिला जालोर के सिंचाई के साधनों के बारे में और उनके तरीकों के बारे में दिलाना चाहूंगा जिनके बारे में सरकार ने एक तरह से उदासीनता की नीति बरती है। पिछले १२ सालों में उधर के इन साधनों को और इन साधनों के रिसोंसेज को एक्स-प्लोइट करने में सरकार ने क्रियाशीलता और तत्परता के कदम नहीं उठाये हैं। इस के लिये बजट की बहस के वक्त भी मैंने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था।

(१२.४५ म. प.)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

जिला जालोर में लूणी नदी बहती है और इसके साथ दूसरी दो नदियां सूंकडी और जवाई का पानी शामिल होकर सांचोर तहसील में से होकर रन ऑफ कच्छ में गिरता है। जब इन तीनों नदियों का पानी शामिल होकर सांचोर में से वहता है और वहां के इलाके में भर जाता है तो एक फ्लड की सी हालत हो जाती है। पर जहां दूसरी जगह यह फ्लड एक कर्स के रूप में आता है, तो यहां हमारे इससे उल्टी बात होती है। हमारे यहां हम इस फ्लड् को एक बन के रूप में लेते हैं। इस फ्लड से काफी खाद और अन्य खेत के उपयोग की चीजें बह कर आती हैं और उस इलाके की धरती को सरसब्ज और उपजाऊ बना देती है। जब यह फ्लड् हमारे यहां आता है, तो हम बडी खुशियां मनाते हैं। और अगर नहीं आता है, तो में बडी निराशा होती है। हमारी खुशियां हवा हो जाती हैं। परन्तु इस नदी के कई वर्षों से बहती होने के कारण संवत् २००९ में जब वर्षा अधिक हुई थी तो जोधपुर स्टेट के समय में जागीर के गांवों में उसके आस पास कच्चे बन्धे बन्धे हुए थे तो वे बवातू, नलदरा आदि टूट गये और बाद के सालों में जब बर्षा कम हुई तो उनमें धीरे–धीरे पानी कम आता चला गया और जवाई का बान्ध बनने के बाद या दूसरे जिलों में जहां छोटे छोटे बान्ध बनने से पानी की रुकावट हुई थी उससे लूणी नदी में पानी की मात्रा कम हो गई। और इसका नतीजा यह हुआ कि पानी जरूर हर साल आता है, और दो, दो महीने तक चलता है, परन्तु नदी ने काट कर गहराई इतनी कर दी है, कि पानी की मात्रा उसमें चली जाती है और उस गहराई में से निकल कर पानी फ्लड की शकल में नहीं आता। इसका नतीजा यह हुआ कि सांचौर तहसील में जहां संवत् २००९ के पहले तक तहसील का १।३ हिस्सा फ्लड से प्रभावित होता था वहां अब उससे बहुत कम होता है। अब तो तीन चार साल में जब कभी एक बार पानी अधिक आता है तो वहां फ्लड आता है और इससे लाभ होता है। वरना पहले की तरह फ्लड का फायदा अब नहीं होता।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

इसलिये मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार ने चार-पांच वर्ष पूर्व लूणी इनन्डेशन नामक एक स्कीम बनाई थी । १।। करोड रु० की वह स्कीम थी। साल, डढ साल सर्वे करके सिंचाई मन्त्रीजी के कथनानुसार हमारे टैनिक्शियनों ने ऐसी रिपोर्ट दी बताते हैं कि यह स्कीम कामयाब नहीं हो सकती । उस बारे में काफी स्पष्टीकरण करने पर वापिस उन्होंने रि-एग्जामिन कराने का आश्वासन दिया था ।

पर, माननीय सभापति महोदय, बडे अफसोस की बात है कि आश्वासन देने के बाद भी कोई कदम इस ओर नहीं उठाया गया है । यह बहुत प्रांडक्टिव स्कीम है । और पिछले बीस सालों के आंकडे अगर देखे जावें वहां की उपज के, तो मालूम पडेगा कि राजस्थान में पर-एकड सबसे ज्यादा ईल्ड उस एरिया में होती है । वहां उनकी फिगर्स तहसील से कलैक्ट करने से मालूम हो सकता है । यहां तक कि जब कि पूरा फ्लडेड एरिया हो जाता है तो पूरा डिवीजन क्या राजस्थान को भी काफी फूडग्रेन सप्लाई कर सकता है। तो ऐसी प्रांडक्टिव स्कीम होते हुए भी, सरकार का ध्यान इस ओर अभी तक सक्रिय रूप से नहीं गया है। वहां के एक्सपर्ट सुप्रिन्टेन्डिग इन्जीनियर तक भी वहां गये थ एक बार । परन्तु वहां का पानी खारा है और आवागमन के साधन नहीं होने की वजह से उनको दिक्कतें महसूस होती हैं और जो दूसरे एरिया में सुविधायें हैं वे वहां नहीं होने से रिपोर्ट कुछ उल्टी ही लिखते हैं। जहां तक हम महसूस करते हैं, वहां के लोगों से, वहां के सरपंचों से और पुराने चौधरियों से बात नहीं करके कि वहां पर कैसी स्कीम किस तरह से कामयाब हो सकती है उसके बारे में जानकारी नहीं करके उल्टी रिपोर्ट देते हैं ताकि वे समझें कि हमें उस एरिया में दुबारा नहीं जाना पडे । वे कहते हैं कि हमें बहुत दिक्कतें महसूस होती हैं । वहां सडकें भी नहीं हैं, वहां रास्ते भी भूल जाते हैं, खारा पानी पीने को मिलता है । अब यह तो दुर्भाग्य का का विषय है । सरकार इस बात पर विचार करे और वहां पर आवागमन के साधन बढाये । लेकिन इस घाटे के बजट में इतना प्रांवीजन नहीं किया जा सकता । फिर भी सरकारी आदमियों का फर्ज हो जाना चाहिए कि कैसी भी मुश्किलात हों ऐसे इलाके भी राजस्थान में हो सकते हैं जिनमें दिक्कतें मौजूद हों लेकिन जानबुझ कर उल्टी रिपोर्ट नहीं भेजी जानी चाहिए । जब कि दुबारा उनका ध्यान आकर्षित किया गया तो इस प्रकार का एरिया होने की वजह से वे वहां जाने से घबराते हैं । यहां तक कि सुमेरपुर से जालोर जब ईरिगेशन विभाग आया तो आफिसर्स ने बहुत प्रांटेस्ट किया कि हम जालोर नहीं जाना चाहते हैं । सुमेरपुर बहुत अच्छा है । वहां बहुत सुविधायें हैं। लेकिन, सभापति महोदय, सुविधायें किन्हीं जगह हो सकती हैं और किन्हीं जगह नहीं भी हो सकती हैं । लेकिन हमारे प्रजातंत्र राज्य में जब कि सारे इलाके मौजूद हैं उनमें तकलीफें भोग कर भी उनको काम करना चाहिए । इसलिए इस स्कीम की ओर मैं, सभापति महोदय, आपके जरिये माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसी जबरदस्त प्रांडक्टिव स्कीम जिसके जरिये पूरे जालोर जिले का या राजस्थान का बहुत अच्छा फूडग्रेन उस एरिया से सप्लाई हो सकता है और हमारी जो फूडग्रेन की समस्या है वह काफी मात्रा में हल करने में यह लाभदायक

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सिद्ध हो सकती है तो इस बारे में सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, दो स्कीमें एक सागी इनन्डेशन स्कीम के नाम से पहले गलती से सर्वे हो गयी। दुबारा सरकार को जब गलती महसूस हुई तो दूसरी स्कीम एग्जामिन करने के लिए विचार किया है, तो यह गलती से शुरू से स्कीम क्यों बनी, यह तो अधिकारी जानते हैं लेकिन यह पेरेनियल रिवर है और साल भर चलती है तो इसका पानी काम में लेने के लिए यह स्कीम भी शीघ्रातिशीघ्र परिपूर्ण होनी चाहिए और काम चालू होना चाहिए। तीसरी स्कीम जैतपुर की नदी और बडगांव। नदी रानीवाडा पंचायत समिति से निकलती है जिसको हमारे सिंचाई मंत्री ने भी देखा है। तीन चार छोटी-छोटी नदियां बारह माह बहती हैं लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि कई वर्षों में भी उनका पानी सही रूप में कैनेलाइज नहीं किया गया और उनका उपयोग खेती के उपयोग के काम में नहीं लाया जा सका। हालांकि वहां के लोग बडी मेहनत करके, कच्ची नालियां बनाकर काम में लेते हैं और उनको बडा परिश्रम करना पडता है और बिना एक्सपर्ट्स की मदद के भी उस पानी को काम में लेते हैं। लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर शीघ्र जाना चाहिए। इसके अलावा जो बडगांव वगैरह की नदियां हैं वह बॉम्बे प्रान्त में जाती हैं। गुजरात प्रांत में अनापुर गांव के पास एक स्कीम बनी है और वहां पर वह उस नदी के पानी को सिंचाई के काम में लेना चाहते हैं। इसलिए ,सभापति महोदय, मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अगर वहां गुजरात वालों ने बांध बना लिया तो बडा डिस्प्यूट खडा हो सकता है और अगर अपने यहां स्कीम नहीं बनी तो अपना गया हुआ पानी गुजरात वाले काम में लायेंगे। लेकिन हमारी सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सभापति महोदय, ये जो तीन चार स्कीम हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं और शीघ्रातिशीघ्र इन नदियों पर बांध बांध कर हमें पानी उपयोग में लाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट और।

सभापति महोदय, तीसरी बात छोटी सिंचाई के बारे में है। जिला जालौर में कूओं के जरिये सिंचाई के साधन बहुत बढाये जा सकते हैं। हमारी सरकार को फूड मिनिस्ट्री की तरफ से गवर्नमेन्ट, ऑफ इन्डिया की ओर से काफी सहायता मिलती है तो उस सहायता को काफी मात्रा में पहले इस जिले की ओर देना चाहिए क्योंकि यह छोटी सिंचाई के साधन बेरों के जरिये बहुत तरक्की की जा सकती है। यह जिला सबसे ज्यादा उपयुक्त जिला होगा और कम खर्च में सबसे ज्यादा उपज इसमें बढाई जा सकती है। इसका, माननीय सभापति महोदय, एक उदाहरण देना चाहता हूं। यह जो छोटी सिंचाई बेरों के जरिये कृषि विभाग जो तकाबी देता है इसके बारे में सरकार की जो मशीनरी है वह बहुत ही ढिलाई से काम करती है। हमारे सांचोर तहसील में पिछले चार सालों में तकाबी के रूप में जो ऋण दिया गया है, वह अब जब कि ऋण तो इन्सटौलमन्ट में वसूल करने के आदेश थे लेकिन वहां जो क्लर्क थे उन्होंने हिसाबात गायब कर दिये और नतीजा यह हुआ कि अंधाधुंध पिछले चार सालों की होल रिकवरी विद इन्ट्रेस्ट अब की गई है। इससे कई लोगों के बेरे जो सिंचाई के लिए बांधे

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

गये थे वह गिरवी रखे गये। यह बहुत शर्म की बात है। इस ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा। इसकी इन्क्वायरी की जानी चाहिए कि जब कि बेरे वहां बंधे हुए मौजूद हैं पिछले तीन साल से सिंचाई की जा रही है फिर भी उसकी होल रिकवरी विद इन्ट्रेस्ट करना और किसानों की जो जीविका के साधन हैं, उनको मोर्टगेज करने के लिए बाध्य किया जाये--यह बहुत सीरियस मामला है और इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

श्री सभापति : श्री हरिप्रसाद।

श्री हरि प्रसाद शर्मा (पाटन) : सभापति महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार ने बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत हमारे देश में गरीबी, बेकारी, भुखमरी इन योजनाओं के द्वारा मिटाने का संकल्प करके करोडों रुपयों का खर्च करने का प्रावधान किया है। इसके बारे में खास तौर पर चम्बल प्रोजेक्ट एरिया में हमारी योजनायें कितनी सक्रिय हुई और इस योजना के अन्तर्गत जो कठिनाइयां पैदा हो रही हैं और हमारी सरकार उसका समाधान करने के लिए असमर्थ है इस तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, इस योजना को बनाने के लिए जमीन की अवाप्ति सरकार ने की। भूमि का एक्वायर करने के जो तरीके होते हैं वे ऐसे पेचीदगीपूर्ण हैं कि किसानों को चार-चार और पांच-पांच साल तक पैसा नहीं दिया गया। कायदा यह है कि जब तक नोटीफिकेशन नहीं हो जाये, किसानों को इस बात की हिदायत नहीं कर दी जाये कि वह फसल न करें और सरकार को किसी प्रयोजन के लिए जमीन चाहिए तब तक वहां निर्माण का कार्य नहीं किया जाये। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी-ऐसी फसल किसानों को खोनी पडी है जो कि महीने भर में ही किसान के घर में आने वाली थी। परिणाम यह हुआ कि कोटा डिवीजन में ५००० किसानों को अभी मुआवजा नहीं मिला है। उस पैसे को लेने के लिए उनको हजारों रुपया खर्च करना पड रहा है और जितनी ऐसी व्यवस्था है कि फसलें खोदी जा रही हैं और भूमि का मुआवजा सौ रुपया एकड का दिया जा रहा है जब कि चम्बल के अंदर वहां के लोगों से काफी पैसा वसूल किया जा रहा है। सभापति महोदय, इसके बारे में आपने नहरें प्रारम्भ कर दीं, उनका उद्घाटन किया। जहां तक मेरी जानकारी है टेक्नीकल डिपार्टमेन्ट की राय थी कि हमारी नहरें कम्पलीट नहीं हैं और ये चालू नहीं की जायें। परन्तु चुनावों का समय था, नहरों का उद्घाटन करवा दिया गया।

(१.०० म.प.)

इसका परिणाम यह नहीं सोचा कि उन किसानों के पास जिस सेक्टर में नहर जायगी उनके सामने क्या बाधाएं उपस्थित होंगी। उनके समाने बाधाएं तीन प्रकार से उपस्थित हुई। जब पानी दिया तो जिनके ड्रेन्स नहीं बने थे, उनके खेतों में चला गया और उनकी फसल नष्ट हो गई। आवागमन के रास्ते नहीं बनाये गये। परमानेन्ट रास्ते बनाना तो अलग रहा, टेम्प्रेरी भी नहीं बनाये गये। इसलिये उनके सामने आवागमन में कठिनाई हो गई और जो नाले बनाये जा रहे हैं वे टेक्नीकल राय से बनाये जाते हैं और टेक्नीकल राय नक्शा देख कर बनाई जाती है। एक मील के एरिया में घूम कर जाते हैं। यदि कोई गांव बीच में पडता है, रास्ते से एक मील है, आम रास्ता निकल रहा है तो किसी प्रकार नाले

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)
का निर्माण नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग जान-बूझ कर कठिनाई पैदा करते हैं। जहां पुराना रास्ता है, एक तरफ गांव है, दूसरी तरफ खेत है, और किसान का सारा परिवार खेत में रहता है और सारे परिवार को रात रात भर जागना पडता है। आज किसान के सामने कठिनाई है। अभी जो नहर निकली उससे सारे खेत में पानी भर गया है। फसल गल रही है लेकिन आपका डिपार्टमेन्ट इस ओर ध्यान नहीं देता। और पैसा वसूल करता है। वह यह दिखाना चाहता है कि हमारे डिपार्टमेंन्ट से नुकसान नहीं हुआ। इस बारे में मेरा सुझाव यह है कि जिस लापरवाही से किसान की फसल खराब होती है उसका रेकार्ड रखने का अधिकार इस डिपार्टमेन्ट को नहीं देकर रेवेन्यू विभाग को देना चाहिये। क्योंकि पटवारी इन्द्राज करते हैं, कानूनगो और तहसीलदार उनको चैक करते हैं, और उनको तत्काल मुआवजा देना चाहिये। उनको जल्दी से जल्दी मुआवजा मिलना चाहिये। जब चंबल के हैड का उद्घाटन हुआ तब पाटन तहसील में मेरी कॉस्टिट्यूएंसी के लोगों को आपके विभाग के अधिकारियों ने कहा कि पहले पहल पानी दिया जा रहा है, आप पानी लीजिये, आपकी फसल बढेगी, खेत लहलहा उठेंगे। सभापति महोदय, किसानों ने उनके कहने में आकर पानी ले लिया। उनको आश्वासन दिया गया था कि उनसे पैसा नहीं लिया जायगा। लेकिन कुछ समय बाद उनके पास पर्चे चले गये। लोगों में असंतोष पैदा हुआ। मुख्य मंत्रीजी के आश्वासन के बाद कि किसी एरिया में नुकसान हुआ है तो पैसा नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी उनके पास पर्चे भेज गये। मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के तिरंगे झंडे के नीचे आन्दोलन खडा हुआ। सरकार ने उनको ध्यान में रखा और आन्दोलन करनेवालों की बात मानी और पिलाई लेना स्थगित कर दिया। दुर्भाग्य से उस इलाके में कांग्रेस की चुनाव में हार हो गई तो उनको बदला लेने का मौका मिल गया उन किसानों को, जिनको आश्वासन दिया था कि पैदावार नहीं हुई तो पीवल नहीं लेंगे, उनसे जबर्दस्ती से पैसा वसूल किया गया। जो किसान पीढियों से वहां पर रह रहे थे, उनके घर नीलाम हो गये। (शर्म शर्म)। उस स्थान पर सभापति महोदय, उप-मंत्रीजी भी गये थे लेकिन अधिकारियों ने उनको घेरे रखा उनके पास और किसी को नहीं आने दिया···

श्री दौलतराम सारण (उप-मंत्री, सिंचाई): आप वहां पर मुझसे नहीं मिले। मैंने कार्यक्रम आपके पास भेजा था।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: आपने मुझे कार्यक्रम नहीं दिया, वरना कोई बात नहीं थी कि हम वहां नहीं पहुंचते। हम तो पैरों के बल क्या सर के बल वहां चले आते क्योंकि हम अपने अभाव-अभियोग आपको बताना चाहते थे। जहां आप लाखों और करोडों रुपये लगा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं वहां आपको ध्यान से देखना पडेगा कि जो पैसा लगा रहे हैं उस का फायदा गरीबों को मिले, उत्पादन अधिक से अधिक बढे। वहां पर जो सर्वेक्षण समिति बनी है, उसने रिपोर्ट दी है कि यदि सिंचाई विभाग ने लापरवाही की तो उत्पादन बढने के बजाय वहां की भूमि बंजर हो जायेगी। अगर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहते हैं तो मंत्रीजी पाटन तहसील को देखें। वहां के गांवों पर कितना असर हुआ है, भूमि सफेद हो गयी है, तलाइयों में पानी नजर आ रहा है। इस प्रकार से जो किसान धूप और बरसात सह कर आशा लगाये बैठे रहते थे कि घर में फसल आयेगी, उनकी आशाओं पर पानी फिर गया है और आपके

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)
डिपार्टमेन्ट की लापरवाही की वजह से वे बरबाद होते जा रहे हैं।

अभी वहां पर नहर की सफाई हुई थी। नहर में से कचरा निकाल कर नहर के ऊपर ही डाल दिया। डिपार्टमेन्ट ने इसको चैक नहीं किया। उनकी मोटरें पता नहीं. कहां आराम में लीन रहीं। नहर में कचरा इकट्ठा हो गया। ६८५ नम्बर की चैनल टूट गई हजारों रुपये जो नहर पर लगे थे, वे नष्ट हुए। कचरा निकाला तब तक चार दिनों तक खेतों में पानी ही पानी रहा। हमने मुख्य मंत्रीजी को तार दिया, कलैक्टर के दरवाजे खटखटाये। पता नहीं कहां बैठे रहे ? इमर्जेन्सी का टाइम था। इसलिये कहीं इधर उधर तो नहीं गये होंगे। लेकिन पता नहीं कहां आराम करते रहे। आपसे आशा तो यह थी कि देश की गरीबी को मिटाना चाहते हैं, लेकिन आप गरीबी मिटाने के बजाय देश को बर्बाद तो मत कीजिये। चम्बल प्रोजेक्ट के नोन-कमाण्ड एरिया को कमाण्ड एरिया घोषित कर दिया है। केवल नक्शा देख कर। कायदा-कानून की वजह से भूमि हीन किसान बोल नहीं सकते। जिन्होंने बंजर भूमि को, ऐसी भूमि को जहां नहर नहीं जायगी उस पर १०-१२ वर्ष तक श्रम करके उस भूमि को पेट पालने काबिल बनाया। लेकिन आज आप उनको ट्रैसपासर बनाकर बेदखल कर रहे हैं। कोलोनाइजेशन वाले उनकी जमीन को नीलाम कर रहे हैं। एक नहीं हजारों किसान हैं; जिनको वे रोटी रोजी का साधन नहीं दे सकते, उनको पैसा देने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने बंजर भूमि को ठीक किया है। यह नोन-प्रोजैक्ट एरिया है। आपको यह सलाह दी जाती है, कि यहां कभी न कभी नहर जायेगी यह टैक्निकल एडवाइज बिल्कुल रोंग है। आपको प्रत्यक्ष देखना पड़ेगा, हमारे साथ चल कर देखना पड़ेगा जब आप देखेंगे तो आपके भी आंसू आयेंगे क्योंकि आप भी हमारे में से ही आते हैं। आपको अधिकारियों ने गुमराह बना रखा है।

आज मेरे जो कटौती प्रस्ताव बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना के बारे में हैं, उनमें तीन बातें हैं। एक तो नाली का निर्माण नहीं हुआ। हो सकता है, कि आपके पास पैसा नहीं हो। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद भी निर्माण नहीं कर सके। अभी राजस्थान सरकार दिवाले में जा रही है। पैसा वापिस देना है। योजना में पैसा आने वाला नहीं है। तीसरी योजना के दो वर्ष गुजर चुके हैं। तीसरे वर्ष में आप नहीं कर सकेंगे, और चौथे वर्ष में भी नहीं कर सकेंगे। हमें आशा नहीं है कि आप इसे कर भी सकेंगे। आपको कहा गया था कि आप टाइम पर व्यवस्था कीजिये। मिट्टी डालिये, किसानों की बैलगाडी पास हो सके, ऐसा रास्ता बनाइये। आपने करोड़ों रुपये खर्च करके पुराने आवागमन के रास्ते नष्ट कर दिये हैं। किसान अपनी गाडी लेकर आसानी से मंडी में नहीं पहुंच सकते। जनता त्राहि त्राहि कर रही है। जिस क्षेत्र में गरीबों को मारकर विकास करने जा रहे हैं, वहां वास्तव में आपका विकास हो रहा है या नहीं इसकी जांच करने के लिये चाहे कोई भी अधिकारी जावे वह हमसे सम्पर्क करे, हम उनको बता सकते हैं कि क्या हो रहा है ? चाहे मंत्रीजी समय निकालें। इस प्रोजैक्ट एरिया के लिये निकालें जिसके बारे में आपके बहुत बड़े अरमान हैं। यह राजस्थान की ही नहीं बल्कि देश की योजना है। देश की गरीबी को

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

निकाल कर खुशहाल बनाना चाहते हैं। वहां वास्तव में क्या हो रहा है? आप दरडा बरडा में ही देखिये कोलोनाइजेशन वाले आपको मना करेंगे। कोलोनाइजेशन के नाम पर काफी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मैं बताना चाहता हूं, कि रेवेन्यू विभाग ने नक्शे पास कर दिये। लेकिन यह नहीं जानते, कि यह जमीन किसकी है, उनके पास क्या साधन खाने पीने के हैं। उन्होंने किस प्रकार बंजड भूमि को कृषि के योग्य बनाया है। चाहे आपकी पंचायत समिति, या जिला परिषद कहती है कि इस जमीन को मत बेचिये, यहां विकास का काम करना है, मैदान फैलाना है, मेले का आयोजन करना है। लेकिन क्योंकि काबिल काश्त है इसलिये आप इसको बेचेंगे। आप चाहें तो पंचायत समिति से पूछ लें, जिला परिषद से पूछलें, या मिनिस्टर महोदय ग्राम विकास की रिपोर्ट देख लें, जिस पंचायत राज्य की डींग हांकते हैं, लाखों रुपये बहने पर भी योजना सफल नहीं हुई है।

सभापति महोदय, मेरा टाइम अभी बाकी है। मेरी पार्टी के ३० मिनट के समय में से १५ मिनट का समय मुझे दिया है। मुझे महत्वपूर्ण बातें कहनी हैं। खास तौर से मैंने तीन बातों की ओर ध्यान दिलाया है। जिन किसानों से वसूली हुई है, जिन लोगों की फसल गल रही है, आपकी लापरवाही के कारण, डिपार्टमेन्ट की लापरवाही के के कारण, उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिये। उस जमीन की, आपके डिपार्टमेन्ट की तरफ से, नाप-जोख नहीं करवानी चाहिये। क्योंकि मुआवजा देने के लिये डिपार्टमेन्ट को जो रिपोर्ट जाती है, उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती है और वे रिपोर्ट गायब हो जाती हैं। यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। मैं निवेदन करूंगा कि पटवारी आकर रिपोर्ट ले गये हैं। तहसीलदार रिपोर्ट ले गये हैं। लेकिन आज तक उस सम्बन्ध में कुछ नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है कि आपने जो पंचायत बनाई हैं, उनके सरपंचों को आप यह अधिकार दीजिये। आपकी ये पंचायतें कह दें, कि इतनी फसल गल गयी हैं उसको आप मानिये। आप किसानों को नहीं कहें, कि उनकी गलती से फसल गल गयी है, बल्कि अधिकारियों को कहें कि तुम्हारी लापरवाही से फसल गई है। इसलिए आप उदारचित्त होकर, जिन लोगों की फसल गल गई है उनको मुआवजा दीजिये। आप कहेंगे कि इस संबंध में कार्यवाही चल रही है। मैं आपको बताऊं, कि ऐसे केसेज एक नहीं, हजारों हैं, क्योंकि रोज नहरें टूट रही हैं और उससे लोगों की फसल गल रही है। इस संबंध में आपको कोई निर्णय करना है।

मेरा एक और सुझाव है कि हमारे यहां पर सिंचाई योजनाओं के नाम पर, 'अधिक अन्न उपजाओ' के नाम पर, कुछ डिविजन कायम किये गये और इंजीनियरों और ओवरसियरों ने बैठ कर इसके लिये योजनायें बनाई थीं। उसको लेकर कुछ जिलों में तो काम शुरू हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये काम अधूरे पड़े हुए हैं। आप चाहें तो सर्वे की रिपोर्टको उठा कर देखें, योजनाओं तो देखें, रिपोर्ट्स को देखें या एस्टीमेट्स को देखें। मैं आपको कहता हूं कि कहीं आपको नई सर्वे करने नहीं जाना पड़े। आपने जो योजनायें बनाई हैं, इनमें से बहुत सी जो चल रही हैं, उनमें आप इस चीज को मान कर चल सकते हैं, सभापति महोदय, कि उनकी कुई

Page No 53

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

जिलों में पूर्ति नहीं हुई है––बूंदी में नहीं हुई है, उदयपुर में नहीं हुई है। गिरवा क्षेत्र में वहां छोटी छोटी पहाडियां हैं, वहां फसल नहीं होती है। अगर वहां के लोगों को, किसानों को पानी मिलेगा तो आपकी योजनायें साकार हो सकती हैं। पीलीबंगा में अभी सर्वे हो रही हैं। इसी तरह चंदेली में है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जितनी सर्वे कम्पलीट हो चुकी है, वहां 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना को चालू कीजिये। वहां पर आप पानी दीजिये। माननीय सभापति महोदय, इस तरह से मैं तीन-चार बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं––एक तो प्रोजैक्ट्स में जो अव्यवस्था है, उसको दूर करें। दूसरे जो पिलाई के बारे में अव्यवस्था हो रही है, उसको दूर करें। तीसरे आप नालों का निर्माण करें। गरीब किसान––जिन्होंने बंजर जमीन को ऊसर किया है, उनको खातेदारी का राइट दें और कोलोनाइजेशन की परेशानी को दूर करके आपकी जो योजनायें हैं उनका जनता को फायदा पहुंचायें। यह कह कर मैं अपने अपने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री सभापति: श्री मानिकचन्द सुराणा!

श्री मनिकचंद सुराणा (कोलायत): सभापति महोदय, इरिगेशन विभाग की जो मांग हमारे सामने प्रस्तुत है उस संबंध में सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सिंचाई विभाग का जो प्रशासनिक खर्चा है, वह टॉप हैवी है। यह एक ऐसा विभाग है जिसमें कोई सिद्धांत अब तक मुकर्रर नहीं किया गया है कि कितने वर्क लोड पर, कितने खर्च पर एक सुपरिन्टैण्डिग इंजीनियर को नियुक्त किया जायगा? किन आधारों पर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को नियुक्त किया जायगा? और किन आधारों पर असिस्टैन्ट इंजीनियर नियुक्त किया जायगा? इरिगेशन विभाग के द्वारा जो एक रिपोर्ट कल रात को मेम्बर्स को भेजी गई, उसको मैंने गौर से देखा और गौर से देखने पर सबसे बडी चीज जो मालूम हुई वह यह थी कि राजस्थान कैनाल को अलग रख दिया जाय तो भी इस विभाग में ११ सुपरिन्टैण्डिग इंजीनियर हैं, ५० एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, और १८७ असिस्टैन्ट इंजीनियर हैं। यदि पिछले दो वर्ष के खर्च का हिसाब लगाया जाय, सभापति महोदय, कि कितना खर्चा इस विभाग पर, राजस्थान कैनाल के अलावा खर्च किया गया, तो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का एवरेज आता है, करीब चार लाख रुपया जहां खर्च हुआ है वहां एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की नियुक्ति हो गई, करीब दो लाख का जहां खर्चा आता है वहां असिस्टैन्ट इंजीनियर की नियुक्ति हो गई, और जहां २० लाख का खर्च हुआ वहां सुपरिन्टैण्डिग इंजीनियर की नियुक्ति होगई।

इसके अलावा पंचवर्षीय योजना में होता यह है कि इसके पहले वर्ष में ५ करोड १९ लाख का खर्चा करेंगे, उसके बाद दूसरे वर्ष में ५ करोड ६ लाख का खर्च करेंगे लेकिन उसके बजाय २ करोड ६९ लाख तो पहले वर्ष में खर्च कर पाये और करीब इतना ही रुपया ६२-६३ में खर्च कर पाये। इस तरह पहले जो हमने लक्ष्य रखा था उसके मुकाबिले में पचास प्रतिशत ही खर्चा हुआ है। फिर क्या वजह है कि इतने असिस्टैन्ट इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को मेन्टेन किया जाय और जो इंजीनियर इस प्लान के रुपये को खर्च करने के लिये रखे गये हैं, उसमें

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कटौतियां क्यों नहीं की जांय और क्यों टॉप हैवी एक्सपैन्डीचर इस इरिगेशन विभाग में बनाये रखें। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि सिंचाई विभाग की प्रगति हो-- यह सदन चाहता है। सिंचाई विभाग में हम मानते हैं कि आपने जो खर्चा किया है वह बहुत कम किया है, और उसके प्रतिशत को आप बढायें। लेकिन जिस प्रकार एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और उसके ऊपर सुपरिन्टैन्डिंग इंजीनियर और उनके नीचे असिस्टैन्ट इंजीनियर का टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इस विभाग को कन्ट्रोल किया जा रहा है, और करोड रुपयों की जो मांग रख रहे हैं, उसका पचास प्रतिशत से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन मेन्टेन करने में खर्च हो रहा है, यह एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है।

१९५६-५७ में जो एस्टीमेट्स कमेटी इस सदन की मुकर्रर हुई थी, उसकी रिपोर्ट की ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसने जो सिफारिशें की हैं, उसमें सुपरिन्टैन्डिंग इंजीनियर को एक अनावश्यक कडी बताया है एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को और असिस्टैन्ट इंजीनियर के बीच में और कहा है कि सुपरिन्टैन्डिंग इंजीनियर को फौरन समाप्त कर दिया जाय। लेकिन हमारी सरकार ने उस सुझाव पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैं कहना चाहूंगा कि आज अब इमरजैन्सी के समय में ज्यादा मितव्ययता का नारा लगाते हैं, पाई पाई बचाने का हौसला भरते हैं तो यह आवश्यक है कि सुपरिन्टैन्डिंग इंजीनियर्स को छुट्टी कर दी जाय क्योंकि इसके स्थान पर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बखूबी काम कर सकते हैं। फिर कोई आवश्यकता नहीं है कि इस अनावश्यक कडी को, सुपरिन्टैन्डिंग इंजीनियर्स को बनाये रखें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहला कर्तव्य हमारे मंत्री का यह होना चाहिये कि वे इस टौप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन के आफिसर्स के अनावश्यक खर्च को कम करें, इसमें कटौती करें। आपने चीफ इंजीनियर मुकर्रर कर रखा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सभापति महोदय, कि उन चीफ इंजीनियर को इरिगेशन का कोई अनुभव नहीं है। उन्होंने उम्र भर पब्लिक वर्कस और रोड्स का काम किया है और उनको सिंचाई का कोई अनुभव नहीं है। उनको तीन चार साल का एक्सटेन्शन दिया सरकार ने बाद में सरकार उन्हें इरिगेशन में ले आई। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि उनको सरकार एक्सटेंशन देना चाहती है तो आप उसे बिल्डिंग्ज और रोड्स में रखें, उनको इरिगेशन विभाग में बिल्डिंग्स एण्ड रोड्स का अनुभव मत लाने दीजिये और उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इरिगेशन विभाग में कोई इरिगेशन का एक्सपर्ट चाहिए न कि वह जिसको राउन्ड पेग इन स्क्वायर होल रखने की आदत हो गई है, जिस आदमी को फोडर मेन्टेन करने की उसको योग्यता है या नहीं कि उसको किस प्रकार रखना चाहिए। मैं कड़े शब्दों में आलोचना करना चाहता हूं और, माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि इरिगेशन विभाग में मेजर इरिगेशन शामिल हुए थोडा अर्सा हुआ है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन लैवल पर जो मंत्रालय है, उसको बदलना पड़ेगा तब ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रगति कर पायेंगे।

आप राजस्थान केनाल के आंकडे उठा कर देखें, तीसरी पंचवर्षीय योजना में ३८ करोड रुपये का प्लान में प्रोवीजन रखा गया है। इस ३८ करोड के मुकाबले में मैं देखता हूं कि किस प्रकार फिल्ड प्रोग्राम पर प्रति वर्ष

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

खर्च करते आ रहे हैं ? पहले वर्ष साढे तीन करोड रुपये का ऐवरेज है। जो खर्च कर रहे हैं १९६१-६२ में, वह ३ करोड १८ लाख रुपये का खर्च कर रहे हैं । १९६२-६३ में आपको आशा है कि साढे तीन करोड के करीब खर्च हो जाये । इन दोनों आंकडों को मिला कर देखें तो करीब ६ करोड ४३ लाख आप इन दो वर्षों में राजस्थान केनाल खर्च किया है, जब कि राजस्थान केनाल पर आप बाकी की तीन सालों में पूरी ३८ करोड की रकम को खर्च करना चाहते हैं। आप किस प्रकार अपने प्रोग्राम तक, फेज प्रोग्राम तक पहुंचेंगे यह मैं समझ नहीं पाता। आप कहेंगे कि रिर्सोसेज कम हो गये हैं इसलिए आवश्यक रूप से कमियां करनी पडी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो टारगेट आपने १९६१-६२ में अचीव करने के लिए रखा, उस टारगेट में से बहुत सा टार्गेट राजस्थान केनाल का अचीव नहीं किया है और जो टार्गेट भाखरा का रखा हुआ था उसमें भी आप पिछड गये हैं। उनके टार्गेट का जो ब्योरा इस प्रोग्रेस रिपोर्ट १९६१-६२ में टेबल २४ में दिया गया है, उसकी ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, और उनको मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि टार्गेट आपने १९६१-६२ में राजस्थान केनाल में जो जीरो पाइन्ट से १४ मील तक नहर निर्माण का रखा था उसमें आप १० मील का टार्गेट आप अचीव कर पाये हैं । आपने तीसरी पंचवर्षीय योजना में ६० मील नहर बनाने का टार्गेट रखा लेकिन अब आपने ३० परसेन्ट काम किया है और ८० परसेन्ट काम करने में दो वर्ष और लग जावेगा। तो मैं यह कहूंगा कि जिस गति से आप इस समय चल रहे हैं इससे हमको कोई भरोसा नहीं है कि आप नहर को बना पायेंगे। अभी तक राजस्थान फीडर में कहीं आपने ४० परसेन्ट और कहीं ८० परसेन्ट टार्गेट एचीव किया है । राजस्थान सरकार इस बात का दावा करती है कि सिंचाई का ग्रौस कमान्डेड एरिया जो आवेगा वह ८० लाख आवेगा और तीसरी पंचवर्षीय योजना में ८।। लाख एकड भूमि में सिंचाई होगी । लेकिन जिस प्रगति से आप चल रहे हैं, उससे जिन टार्गेट को आप एचीव करना चाहते हैं, एचीव नहीं कर पावेंगे जितना आप कहते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान, प्रोजैक्ट में राजस्थान सरकार जितनी ढिलाई बरत रही है, वह इस सदन के लिये शर्म की बात है। जब हमें लोन मिल रहे हैं, और हम केपिटल इन्वेस्टमैंट करते है, तो आप लोन लेने से डरते क्यों हैं ? आप इस बात से डरते क्यों हैं कि पब्लिक डेट हमारी सरकार का यह हो गया है ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पब्लिक डेट को बढाना आवश्यक है और इसके बगैर जो अन्डरडेवलप्ड एरियाज हैं उनका कोई विकास नहीं हो सकता। राजस्थान का या हिन्दुस्तान में ही यह पब्लिक डेट हो ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह पब्लिक डेट अमेरिका में ३०० परसैन्ट ज्यादा है । जितनी नेशनल इन्कम है उससे ३०० परसैन्ट पब्लिक डेट बढा हुआ है। आप जनसंघ के लोगों के कहने से या दूसरी पार्टी के कहने से पब्लिक डेट नहीं लेते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो आप राजस्थान की प्रोग्रेस को काट रहे हैं। पब्लिक डेट लिया जावे और राजस्थान केनाल में खर्च किया जावे। यदि आप राजस्थान केनाल को, साकार बनाना चाहते हैं, तो इस पर आपको खर्चा करना होगा । इस प्रकार की नीति आपकी रही है, वह पिछडी हुई रही है और मैं यह कहूंगा कि इस नीति में आपको चेन्ज करना बहुत आवश्यक है ।

Page No 56

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

इसके अलावा मैं आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट की कारगुजारियों का नमूना बताना चाहता हूं। वास्तव में एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देना होगा। भादरा जोन में १९५९ में एक्सपर्ट ने कहा कि ३६ हजार एकड अन-कमान्डेड हो गई, वह कमान्डेड एरिया होगी। वह अब अन-कमान्डेड हो गई है। लेकिन अभी तक रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट की तरफ से वह लिस्ट नहीं भेजी और वहां के काश्तकारों से वही रेट जो सिंचित क्षेत्रों में ली जाती है लेते हैं। अब यह कहा जा सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की गलती से हुआ हो। लेकिन मैं यह कहूंगा कि गंगानगर के कलैक्टर ने यह लिखा कि पहले आपने ३६ हजार भूमि को कमान्डेड एरिया बताया था और बाद में अन-कमान्डेड हो गई। उसकी लिस्ट एस. डी. एम. नौहर को भेज दी लेकिन उनके लिखने के बावजूद भी आपके डिपार्टमेन्ट ने सूची नहीं भेजी और तीन हजार किसानों से ४ रुपये की रेट से लगान वसूल किया जा रहा है और उस पर १५ गुना तावान भी वसूल किया जा रहा है, यानि एक बीघा पर ६०) रु० का तावान और मालखाना वसूल किया जा रहा है। अगर बिना परमिशन किसी ने जमीन बोई है है, तो आपके यहां ७॥) रु० एक एकड पर ज्यादा लिया जा सकता है। मगर आज ७॥) रु० के मुकाबले में आप उनसे ६०) रु० और मालखाना अलग वसूल करते हैं। कलैक्टर ने लिखा कि लिस्ट भेज दो तो आपके डिपार्टमेन्ट वाले लिस्ट नहीं भेजते और तो और आपके इरिगेशन डिपार्टमेन्ट की तरफ से कई खालियें बनाई जाती हैं उसके जरिये पानी दिया जाता है उसका इन्चार्ज एग्जिक्यूटिव इंजीनियर होता है। वहां पर इतना भ्रष्टाचार है कि मैं यह कह सकता हूं, कि अगर इतना भ्रष्टाचार हो सकता है तो वह पी. डब्ल्यू. डी. में ही हो हो सकता है।

आपको मैं आंकडे देना चाहता हूं कि किस प्रकार से कुछ माइनर्स में पानी देने के लिये और लोगों को नाजायज फायदा देने के लिये, पूरी ब्रांच को तोडने का खतरा तक वे ले सकते हैं।

पिछले साल में अमरसिंह ब्रांच से खाजुवाला प्रोविजन में ज्यादा पानी देने के लिये सारे माइनरों को बन्द कर दिया और उसका नतीजा यह हुआ कि वह टूट गई और जब ईंटें निकलने लगी तो रोकथाम की गई। उन लोगों के खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया।

इसके अलावा आपके नीचे आपके पटवारी ३ बीघा सिंचित भूमि को ३० बीघा कर देते हैं और ३० बीघा का लगान उनसे लिया जाता है। अगर आपको कोई आकर कहे तो आप कहते हैं कि अपील कर दो। मैं यह कहूंगा कि जिस गरीब किसान ने ३ बीघा जमीन को बोया है कार्यवाही करे, और जब तक वह हाई कोर्ट से फैसला नहीं ला कर आपको दे तब तक किसी प्रकार का संतोष आपको नहीं हो सकता। तो क्या किसान अपने खेत में काम करेगा या इस प्रकार ३ बीघा भूमि के लिये लडता फिरेगा ?

श्री दौलतराम सारण (उप-मन्त्री कृषि): आपके पास कोई एग्जेम्पल होगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरे पास उदाहरण है। तहसील भादरा के नेनान गांव में सादिराम बेनी वाल है। उसकी तीन बीघा जमीन के बजाय ३० बीघा दिखा दी गई है। उस गरीब को १२) के बजाय १२५) रुपये

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

का लगान देना पडा। जबकि रेट चार रुपया पर बीघा है। ३० बीघा के १२५) रु० उनसे लिये जाते हैं। इस प्रकार की धान्धली बाजी आपके इरिगेशन में की जाती है। पानी देने में आपका इरिगेशन विभाग धांधली-बाजी करता है और अमरसिंह ब्रांच को जोगीवाडा माईनर को पानी देने के पहले रोक देते हैं। यह सारी घटना एक महीने पहले की है। मैंने पहले गलत कह दिया था कि एक वर्ष पहले की बात है। इस प्रकार से ऊपर से नीचे तक धान्धली बाजी चलती है।

श्री दौलतराम सारण: कहां कहां हुआ ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : बसेरी तहसील में अमूमन होता रहता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : बसेडी तहसील में आम तौर पर पूरी-पूरी तहसील में होता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारे दिमाग मजबूत होते हैं तो हमारे हाथ-पावों में ताकत आती है और दिमाग कमजोर होता है हाथ-पांव भी कमजोर होते हैं। तो इसी तरह से हमारे मिनिस्टर जो इस विभाग को चलाने वाले हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर ने कहा कि भ्रष्टाचार की थ्यौरी को प्रोपाउन्ड कर रहे हैं। मैं यह कहूंगा कि यदि कोई मिनिस्टर औनेंस्ट है तो उसके विभाग को औनेंस्ट होकर रहना होगा।

(विराम)

यदि मिनिस्टर कडाई से जांच करे, तो कोई ताकत नहीं कि छोटे मोटे मामलों में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भ्रष्टाचार करें और उसको वे रोक नहीं सकें। यह कोई मूल समस्या नहीं है जो हल नहीं हो सकती है। पटवारी का हर एक काश्तकार से संबन्ध रहता है और काश्तकार उससे झगडा मोल लेना नहीं चाहता। इसलिये हमारे माननीय मंत्री का पहला कर्तव्य होना चाहिये कि इस भ्रष्टाचार को दूर किया जावे। इसके साथ ही मैं एक निवेदन करना चाहूंगा मंत्रीजी से कि क्या कारण है कि चीफ इंजीनियर राजस्थान कैनाल जयपुर में बैठते हैं ? हनुमानगढ में क्यों नहीं बैठते ? जब कि सरकार की कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि राजस्थान केनाल का हैड क्वार्टर हनुमानगढ में रहना चाहिये। क्या बात है कि जयपुर ही उनको पसन्द है और हमारी राजस्थान सरकार भी चाहे कि वह यहां ही रह सकते हैं ? यह सही है कि हनुमानगढ में आंधियां चलती हैं। वहां का जलवायु इतना नम नहीं है, पर चीफ इन्जीनियर राजस्थान केनाल को हनुमानगढ में रहना पडेगा। सारे एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, सुपरिन्टेंन्डिंग इन्जीनियर वहां हैं, उनके ऊपर वे वहां रह कर सुपरवीजन कर सकते हैं। यदि चीफ इन्जीनियर राजस्थान केनाल का आफिस यहां से हट जाय तो राजस्थान केनाल के काम में तेजी आ सकती है। क्योंकि सुपरवीजन का एक बडा भारी महत्व होता है। इतना सारा काम वहां चलता है, उस पर सुपरवीजन रहे तो कितनी ही गडबडियां मिट सकती हैं और काम तेजी से चल सकता है। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस रिपोर्ट को जो कि आपके ऑफिस में कहीं नीचे दबी पडी है फाइलों के नीचे दबी हुई है, उसको बाहर निकालिये और इस मामले में निश्चित आश्वासन दीजिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(एक माननीय सदस्य खड़े हुए)

श्री सभापति : I have not received any list from Communist Party.

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा से) You please send a list of speakers.

Shri Jhujar Singh.

श्री जुझारसिंह (चेचट) : सभापति महोदय, सिंचाई विभाग से संबन्धित मेरे तीन कटौती प्रस्ताव है जिनमें से पहला इस प्रकार है :

"Demand No. XXVI, Major Head 44-Irrigation, Navigation Embankment and Drainage works (non-Commercial) be reduced by Re. 1/- (to discuss water logging and faulty drainage system in Chambal and Kali Sindh Parwan River system)"

सभापति महोदय, जहां तक सिंचाई योजनाओं का सम्बन्ध है मेरे को यह कहने में संकोच नहीं होगा, कि कोटा डिवीजन में सिंचाई योजनाओं का ग्रुप प्रोग्राम, मेजर इर्रिगेशन, माइनर इर्रिगेशन और मीडियम इर्रिगेशन वर्क अच्छा चला है, वहां की स्थिति संतोषजनक है। पर कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनके सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। और उनमें से सबसे पहली समस्या यह है कि कोर्डिनेटेड प्लान नहीं होने से चम्बल कमान्डेड एरिया में भी वाटर लौगिंग की प्रोब्लम सीरियसनैस ऐक्वायर कर चुकी है। आज चम्बल कमान्डेड एरिया के काश्तकार इस समस्या के करण एक तरह का भय महसूस कर रहे हैं। ओन दी कान्ट्ररी उसे भय बैठ गया है कि सीपेज और ड्रेनेज की वजह से उसकी जो पहले पैदावार होती थी, उसमें भी टोटा नहीं पड़ जाय। कोटा के नजदीक ऐसी समस्या पैदा हो गई है कि लोगों के खेतों में पानी भरा रहता है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, आर्चर्ड विगड गये हैं, और वहां का काश्तकार यह नहीं समझ पा रहा है कि आगे क्या होने जा रहा है। सरकार इस बारे में काफी जागरूक है, पर कल्टीवेटर्स में जो कान्फिडेन्स पैदा किया जाना चाहिये था वह पैदा नहीं किया गया है। या तो प्रोपैगन्डा की कमी की वजह से, उनमें जो भय पैदा हो गया है वह मौजूद है, और इसके लिये उनको आश्वस्त करने की आवश्यकता है।

इसी तरह माइनर इर्रिगेशन का हाल है। पुरानी तनवार तहसील और नई सांगोद तहसील में पिलाइयां मीडियम इर्रिगेशन से नहीं होतीं। जिनमें कुछ गांव ऐसे हैं जिनके नाम खजूरी, खजूरना, आवा, सावण, भादवा हैं ऐसे गांव हैं जहां वाटर लौगिंग की भावना है। वाटर लौगिंग का भय है, ऐसी शंका है कि इस तरह अनप्लान्ड इर्रिगेशन किया गया तो वहां वाटर लौगिंग की प्रौब्लम खडी हो जायगी। यह सरकारी अधिकारियों के ध्यान में लाया गया है पर इस ओर कोई ध्यान अभी तक नहीं दिया गया है, कोई कदम नहीं उठाया गया है।

चम्बल में करीब ३० लाख की लागत का परवण नदी पर एक्वेडेक्ट बना था। अन्ता एक बहुत ही इम्पोर्टेन्ट स्थान है। वहां मन्डी कायम हुई है। चम्बल के काश्तकार, जो चम्बल कमान्डेड एरिया में प्रोडक्शन करते हैं, वे इससे फायदा उठाना चाहते हैं।

(श्री जुझार सिंह)

जिनको चम्बल की वजह से ज्यादा पैदावार हुई है वे अन्ता की मंडी में जा कर अपनी पैदावार को बेचना चाहते हैं। पर इस एक्वेडेक्ट पर, जिस पर कि ३० लाख रुपया खर्च किया गया है, इस रोड पर से काश्तकारों की गाड़ियों को न गुजरने देने से काश्तकारों को इसका कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय और अधिकारी इस ओर जरूर ध्यान देंगे और इस प्रौब्लम को सौल्व करने में सहयोग देंगे।

अभी कुछ दिनों पहले सिंचाई विभाग की तरफ से एक प्रपोजल भेजा गया है कि चम्बल कमान्डेड एरिया में से ५० गांव निकाले जा रहे हैं और ९० नये गांव बढ़ाने की कोशिश है ये ९० नये गांव जोड़े जा रहे हैं इनका लेविल केनाल से ऊंचा है इसलिये वहां लिफ्ट ईरिगेशन से पानी पहुंचाने की योजना है जो मेरी जानकारी है उसके आधार पर मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि लिफ्ट ईरिगेशन प्रौवाइड करने के लिये अभी हमारे पास साधन उपलब्ध नहीं हैं, और न इन साधनों के तीसरी पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भी उपलब्ध होने की आशा है तो ऐसी दशा में जबकि आने वाले पांच, सात सालों तक लिफ्ट ईरिगेशन का आप इन्तजाम नहीं कर सकते, तो इन गांवों को कमान्डेड एरिया में लाकर बिना मतलब के परेशानी में डालने का क्या प्रयोजन है? मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन गांवों को कमान्डेड एरिया में लाकर क्यों परेशानी में डाला जाता है?

दूसरा मेरा कट मोशन है वह इस डिपार्टमेंट की इनएफिशिएन्सी से सम्बन्धित है। मैं कुछ प्वाइन्ट इस विभाग की इन-एफिशियेन्सी के सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। पहला पाइन्ट यह है कि चम्बल में और जो नहरें निकली हैं, उनमें यह सिस्टम हो गया है कि ऐवरी इंच ऑफ लैंड अवेलेबिल है, उसको आबाद कराया जाय और खेती कराई जाय। इस जल्दबाजी में और ओवर एन्थूजियाज्म में ऐसी जमीनें किसानों को अलोट की जा रही हैं जिनमें आगे जाकर इरोजन का खतरा बढ़ गया है। चम्बल कमान्डेड एरिया में सांगोद तहसील के गांव आये हैं। उनके बारे में, मैं निवेदन करूं, राजगढ़, रामगढ़, खेडली और मंडीला आदि ऐसे गांव हैं, जिनमें नदी पर इरोजन की समस्या है। चम्बल कोलोनाइजेशन विभाग द्वारा ३०० बीघा जमीन एलाट की गई है, जो हैविली इरोडेड है और वहां इरोजन बढ़ने की संभावना है। वैसे यह काम ऐसा है कि इससे किसानों का फायदा होगा पर इसमें भी थोड़ा सैंस ऑफ प्रपोर्शन रखने की जरूरत है। जहां फायदा होता है रीवल से वहां पीवल दी जानी चाहिये और जिनमें इरोजन बढ़ने की और साथ ही में दूसरी जमीन बिगड़ने का अन्देशा हो, वह रीवल में नहीं दी जानी चाहिये।

यही चीज जहां जहां दूसरी जमीनों के सम्बन्ध में भी है वहां पर भी सरकार इस सम्बन्ध में ध्यान रखेगी।

जहां तक कम्पेन्सेशन का सवाल है, मेरे पूर्व वक्ता चम्बल क्षेत्र से आये हैं, इस पर काफी प्रकाश डाल चुके हैं और मेरा भी कटु अनुभव है कि कम्पेन्सेशन देने में राज्य सरकार द्वारा बहुत ढिलाई बरती जाती है। चम्बल एरिया के बहुत से गांवों में कम्पेन्सेशन

(श्री जुझारसिंह)

नहीं मिला है। भीमसागर, कालीसिंध और पार्वती एरिया के अन्दर जिन लोगों की जमीनें ले ली गई, किन्तु उनको कम्पेन्सेशन नहीं दिया गया, काफी बडी शिकायतें हैं। साल पहले भीमसागर योजना शुरू की गई। ऐसे काश्तकार हैं जिनकी जमीन सरकार ने ले ली थी, लेकिन आज तक उनको सरकार ने कम्पेन्सेशन नहीं दिया। राज्य सरकार के पास शिकायतें जाती हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। आज आठ आठ वर्ष हो गये हैं उनकी सुनाई नहीं हो रही है। भीमसागर प्रौजेक्ट के सिलसिले में एक बात यह विशेष रूप से जरूरी है कि आज तक लोग इस बारे में नहीं जान पाये हैं कि कब वह खत्म होने जा रहा है। ८ वर्ष के बाद भी भविष्य अन्धकार में है। जहां १८-१८ लाख का खर्चा इस पर किया जाना था लेकिन दूसरी रिपोर्ट के आधार पर इस पर खर्चा ४४ हो गया और पर्सेन्टेज ऑफ रिटर्न·······

श्री सभापति: Order Please ! No whip of the Congress party is present. You should see th t there is no disturbance from the 'Aye,'l bby.

श्री जुझारसिंह: तो सभापति महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि भीमसागर प्रौजेक्ट का जो रिटर्न होने वाला था वह था ७.५ परसेन्ट, लेकिन वह २.५० ही रह गया और ऑडिट रिपोर्ट ने जो फिगर्स दिये हैं उसके अनुसार ४४ लाख रुपया खर्च हो चुका है। जबकि १८ लाख ही किये जाने थे। और मैं समझता हूं कि यही हालत रही तो वह खर्चा बढ कर करीब ७० लाख के हो जायेगा। कोस्ट और रिटर्न का जहां तक प्रश्न है, वह देखो जाना चाहिये। दूसरा जो इसके साथ महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है–असनावर गांव डूब में आने वाला है आज तक लोग यह नहीं समझ पाये हैं कि उनको कब कम्पेन्सेशन दिया जावेगा। इनके यहां का कन्सट्रक्शन और बिल्डिंग प्रोग्राम ठप्प पडे हैं। उनको कहा गया कि गांव डूब में आने वाला है लेकिन आज तक उनको यह नहीं बताया गया कि कब आने वाला है ? उनको टाइम नहीं बताया गया। रोजमर्रा के कार्य चलाने में डाउटफुल हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में जहां तक मेरी जानकारी है, मौके पर जाकर मंत्री महोदय या इंजीनियर ने जानकारी नहीं की। ७० लाख का खर्चा होने वाला है उस प्रोजेक्ट पर और किसी मंत्री महोदय ने जाकर उसको देखने की कोशिश नहीं की। इस प्रकार के प्रोजेक्ट के प्रति इन्डिफरेंस होना होना यह बडे अफसोस की बात है।

माइनर इरिगेशन के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा, कि झालावाड डिस्ट्रिक्ट में करीब १५ लाख के काम शुरू किये हैं। जो कुछ मेरी माइनर इरिगेशन वर्क्स के बारे में जानकारी है, उसके अनुसार १७ लाख खर्च होने पर भी टारगेट्स पूरे नहीं हो पाये।

कालीसिंध मीडियम प्रोजेक्ट है। उसकी यह हिस्ट्री रही है कि हर साल बनाते हैं और साल टूटता है। पिछले वर्ष बना और टूट गया। इसके लिये २॥ लाख का प्रावधान रखा गया है। आगे क्या हाल होगा यह अभी नहीं कहा जा सकता। मेरा निवेदन है कि यह सरकार की ड्यूटी हो जाती है, कि जो बांध तीन चार बार टूट चुका है, हर साल जिसके लिए बजट में प्रोवीजन रखा जाता है, क्यों यह टूटता है ? इसमें क्या मिस्टेक है ? और इसके लिए क्या किसी राज्य कर्मचारी

(श्री जझारसिंह)

की या इन्जीनियर का एक्स्प्लेनेशन लिया गया और सजा दी गई ? इससे बुरी परम्परा और कोई नहीं हो सकती ।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

एक मिनट और !

दूसरी चीज यह है कि फिल्ड चैनल्स के लिए ईरीगेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है । हमारे यहां की जनता वाकिफ नहीं होती है फील्ड चैनल्स के बारे में । ईरीगेशनडिपार्टमेंट काश्तकारों को गाइड करे तो पानी देने में जो डिले होती है वह आयन्दा न हो सके । बहुत सी दफा ऐसा होता है कि सरकारी प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है, काश्तकारों को कब पानी मिलेगा वह जानकारी उनको नहीं होती है और न उनको दी जाती है । सरकार को इस ओर जागरूक होने की आवश्यकता है और ध्यान देने की आवश्यकता है ।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

इस तरह से क्रौप पैटर्न के बारे में जानकारी देना चाहता हूं । क्रौप पैटर्न बदलता रहता है । सैन्चुअरीज से जिन्होंने एग्रीकल्चर नहीं किया वे लोग इसको नहीं जान सकते ;

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री सभापति: श्री श्योपतसिंह ।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले.....

(घंटी)

श्री सभापति: कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करिये ।

जन लेखा एवं प्राक्कलन समिति की सदस्यता से नाम वापिस लेना

श्रीमती सुमित्रादेवी (झुंझुनू): सभापति महोदय, मैं जन लेखा समिति, १९६३ से अपना नाम वापिस लेती हूं ।

कुमारी उमा माथुर (रामगढ): सभापति महोदय, मैं भी प्राक्कलन समिति से अपना नाम वापिस लेती हूं ।

श्री सभापति: Yes, Shri Sheopat Singh to continue.

श्री **श्योपतसिंह**: माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले हमारी सरकार को हमारे क्षेत्र की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे भाखरों की नहरों को इस साल तेज किया है और बारह मासी हो गई है । मगर इसके साथ साथ कुछ हमारे इलाके की, भाखरा क्षेत्र की, नहरों की, दिक्कतों के बारे में भी जरूर रोशनी डालना चाहूंगा । सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी भाखरा की नहरें जो पंजाब से आती हैं वे इतनी अव्यवस्थित ढंग से हैं कि एक घंटे में नहरें बन्द हो जाती हैं और चार घंटे बाद नहरें फुल स्पीड में चलती हैं । पंजाब सरकार की तरफ से जो हमारे साथ व्यवहार हो रहा है, वहां के लोगों में इससे भारी असंतोष है । कोई भी नहर सात दिन रेगुलर नहीं नहीं चलती । इस तरह के रवैये से आबपाशी में बडा नुकसान पहुंच रहा है । मैं माननीय मंत्री से अपील करूंगा कि अगर आपके अधिकारी पंजाब सरकार के अधिकारियों से इस बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं तो राजस्थान सरकार और मंत्री महोदय को चाहिये कि इस प्रकार पानी की अव्यवस्था

(श्री श्योपत सिंह)

न हो और रैगूलर पानी मिलते रहने के लिए पंजाब के मंत्रियों और अधिकारियों से बात करें व उन पर जोर डालें । जबकि हमने पंजाब सरकार के साथ इस तरह का व्यवहार किया है कि राजस्थान केनाल एरिया में १ लाख एकड जमीन पंजाब के सिपाहियों के लिए देने का वायदा किया है । इस मौके पर हमारी कठिनाइयों के बारे में पंजाब सरकार से बातें करनी चाहिये कि आपकी सरकार हमारी नहरों में रैगूलर पानी नहीं दे रही हैं और उसके कारण जो भारी नुक्सान हो रहा है उससे इस इलाके को बचाया जाय ।

इसके साथ साथ जो एरिया भाखरा नहर से कवर होता है वह ज्यादा ऊंचा-नीचा और सैन्डी एरिया है । कुछ नाली का एरिया पडता है । जहां चाहिये तो यह था कि भाखरा की नहरों में पानी ज्यादा दिया जाता । अफसोस के साथ कहना पडता है कि भाखरा की नहर में गंग केनाल के मुकाबले में कम पानी दिया गया है । भाखरा क्षत्र की नहरों को आज प्रति एकड एक हजार एकड पर २.२५ क्यूसेक पानी दिया गया है जो बहुत ही कम है । इतना ही पानी दिया गया तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि इस इलाके में खुशहाली नहीं आ सकती । करोडों रुपया एक तरफ खर्च किया गया और फिर भी पानी की कमी महसूस करे इसलिये मैं माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि गंग केनाल एरिया काफी अर्से से सिंचित है व समतल है उसके मुकाबले में भाखरा की नहरों में बहुत कम पानी दिया जा रहा है । ऐसी हालत में जो हम खुशहाली के सपन देख रहे थे, वे सपने पूरे नहीं हो सकते उस इलाके की बहुत कम जमीन की आबपाशी होगी ।

इसके साथ साथ हमारे भाखरा क्षत्र में जो रिवाइज्ड चकबन्दियां हो रही है, ऐसी जमीन को अनकमान्ड करार दिया गया है, जिस जमीन पर पानी लगा, जहां गन्ने और कपास की फसल होती थी । अधिकारियों के पास प्रार्थना-पत्र दिये गये तब अधिकारियों ने कहा था मगर अफसोस के साथ कहना पडता है कि वहां की जमीन को इस प्रकार से अन कमान्ड घोषित किया गया जहां कपास की और गन्ने की फसल कटी हुई थी व खडी थी इससे वहां के लोगों को बडी भारी परेशानी हो रही है । ऐसे मैं कई उदाहरण दे सकता हूं । उनके पास पानी की पर्चियां हैं । पटवारियों के यहां दर्ज हुई हैं । उस जमीन पर जहां कपास की की फसल हो चुकी इस प्रकार के एरिया को आप अनकमान्ड घोषित करते हैं । आज तक यह कहीं भी नहीं हुआ है कि पानी के बिना जहां कपास और गन्ने की फसल हुई हो और उसको अन कमान्ड घोषित किया गया हो । आपने शायद नहीं देखा होगा आज सबसे बडी दिक्कत इस एरिया के लोगों के सामने यही आई है ।

मेरे पूर्व वक्ता माननीय सदस्य ने भादरा तहसील में ३६ हजार बीघा अनकमान्ड किये जाने की चर्चा की । उन्होंने यह बात भी कही कि उनसे ज्यादा पैसा वसूल कर लिया गया । बात यहीं तक नहीं । हमारे कौलोनाईजेशन विभाग द्वारा उस एरिया को कमान्ड एरिया मान कर उसी आधार पर अलौटमैन्ट किया गया । और उसी आधार पर जमीनें काटी भी गई और दी

(श्री श्योपत सिंह)

भी गई। जब हमारी सरकार के इर्रीगेशन विभाग द्वारा इसको अन कमान्ड कर दिया गया तो जिन लोगों की जमीन काटी जा चुकी थी और कुछ को अलोट की जा चुकी थी, काफी जमीन नीलाम की जा चुकी थी। इसके कारण वहां के किसानों को बडा भारी नुकसान हुआ है। इर्रिगेशन विभाग के अधिकारियों की गलती की वजह से यह जमीन पहले कमान्ड मानी और बाद में अनकमान्ड किया गया तो कौलोनाइजेशन विभाग को और कलेक्टर को इसकी इत्तिला देनी चाहिये थी। मगर ऐसा नहीं हुआ।

इसके साथ साथ माननीय सभापति महोदय, हमारे कृषि-मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि इस साल भाखरा क्षेत्र की नहरों में अच्छा पानी मिला है। किन्तु इसके साथ साथ भाखरा क्षेत्र की जो बहुत सी ऐसी टेल्स हैं उनमें पानी अभी तक नहीं गया है। जिस एरिया में पानी नहीं गया वह कमान्ड एरिया है। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरी शिकायत नहीं होती तो मैं नहीं कहता।

हमारा कौलोनाइजेशन विभाग है, उस विभाग द्वारा जमीन अलौट की गई है, उनको जो लैन्ड लैस टीनेन्ट्स थे या आरजी काश्तकार थे जिनको इन्स्टौलमैन्ट बेसिस पर जमीनें दी, कमान्ड एरिया मान कर दी गई, लेकिन आज तक इर्रिगेशन विभाग द्वारा पानी नहीं दिया गया। जिस जमीन पर आप पानी नहीं दे रहे हैं लेकिन किश्तें उन्हें देनी पड रही हैं। कमान्ड को जमीन मान कर। लेकिन पानी नहीं देने की वजह से वहां के किसान उजड जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी सरकार काश्तकारों को कहती है--अनाज का उत्पादन बढाओ। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान उस इलाके की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां तीन तरह के लोग हैं। एक तो छोटे भूमि के मालिक हैं, जो खुदकाश्त करते हैं एक वे लोग हैं जो भूमिहीन किसान हैं। तीसरे वे लोग हैं जो बडे बडे जमीन के मालिक हैं। इस तरह से जो लोग खुदकाश्त करते हैं वे तो चाहते हैं कि जमीन का उत्पादन बढे। दूसरे वे लोग हैं जो दूसरों से मेहनत करवा कर फायदा उठाना चाहते हैं, खुद काम नहीं करना चाहते उनके मात्र प्रोडक्शन बढे या न बढे उनको इस बात की परवाह नहीं। तीसरी तरफ वह बीच का किसान है जो मेहनत करता है, मशक्कत करता है, २४ घंटे उस जमीन में अपना खून और पसीना एक करता है। उस आदमी की जमीन को काटा जा रहा है जो काश्त नहीं कर पा रहा है। इरीगेटेड जमीन है किन्तु मौके पर पानी नहीं मिलता।

इसके साथ साथ सभापति महोदय, मैं सिंचाई विभाग के मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि आपने उस इलाके में बैटरमैन्ट टैक्स लागू किया है १६५ रुपये के हिसाब से और २०८ रुपये के हिसाब से। वहां के किसानों की मांग है, कि यह बहुत ज्यादा है। सरकार ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। डैपूटेशन मिलने आया कि हम इतना ज्यादा बैटरमैन्ट टैक्स नहीं दे सकते। मगर हमारी सरकार को कहां फुरसत है, जो उनकी मांगों पर ध्यान दे। जब जब भी हम मिले यही जवाब दिया गया। जिस तरह से पंजाब गवर्नमेंट ने बैटरमैन्ट के बारे में कमेटी बनाई, उसी तरह की कमेटी आप यहां बनायें। वह यह

(श्री श्योपत सिंह)
देखें कि कितना बैटरमैन्ट टैक्स होना चाहिये। किसानों का बैटरमैन्ट नहीं हुआ, फिर भी आप वहां से बैटरमैन्ट टैक्स वसूल करने जा रहे हैं। उस इलाके के लोगों ने इसका बराबर विरोध किया है और मांग की है कि आप काश्त की सहूलियतें न देकर यह जो टैक्स वसूल कर रहे हैं वह उचित नहीं है। माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मैं इस ओर दिलाना चाहूंगा। वहां के लोग अब ज्यादा इस ढिलाई के लिये इन्तजार नहीं करेंगे आप तय करलें। आपको कितनी बैटरमैन्ट लेवी वसूल करनी है ताकि किसान ठीक तरह से दे सके। अगर आपका रवैया इसी प्रकार रहा जिस प्रकार का आज है, तो जहां आप खुशहाली की आशा करते हैं इसका नतीजा यह होगा कि वहां के लोग आपके खिलाफ बगावत करेंगे। आप जो २०८ रुपये के हिसाब से खुशहाली कर वसूल करना चाहते हैं वह उचित नहीं है।

अब मैं घग्घर नदी के बारे में बताना चाहता हूं। पिछले साल भी घग्घर नदी ने उस इलाके की जो फर्टाइल जमीन थी उस एरिया के लोगों को तबाह किया। पिछले साल हमारे मुख्य मंत्री, व कृषि मंत्री वहां गये और उस इलाके को देख कर आये थे और वहां के लोगों को आश्वासन दिया था कि दुबारा इस प्रकार की बाढ नहीं आयगी, हम इसका इन्तजाम करेंगे। लेकिन अफसोस के साथ .....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री): हमने यह तो नहीं कहा था...

श्री श्योपतसिंह : आप वहां किस लिये गये थे ? आप वहां इन्तजाम करने के लिये ही तो गये थे...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (राय सिंहनगर) : तो क्या आप यह कहने गये थे कि और ज्यादा पानी लाकर इसमें डालेंगे ताकि आप सब डूब जांय।

श्री श्योपतसिंह : आप इसीलिये तो गये थे कि उस बाढ का इन्तजाम करेंगे। क्या आपने इसका इन्तजाम किया अब तक ?

(२.०० म. प.)

इन्तजान यह हुआ है माननीय सभापति महोदय कि उस घग्घर नाले में पंजाब सरकार एक बहुत बडी नहर खोद कर डाइवर्ट कर रही है। जो बाढ लाती है घग्घर में आज भी, वह उसके बाद क्या आफत पैदा करेगी, इसकी तरफ इस सरकार का ध्यान नहीं है। उस क्षेत्र वाले लोग समझते हैं, कि इस साल तो किसी तरह बच गये पर जब यह नहर इसमें डल जावेगी तब इससे तूफान मच जावेगा। अगर आपने इस बारे में कुछ किया है तो कृपा करके जरूर बतावें।

इसके बाद सभापति महोदय, मैं गंग कैनाल एरिया की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री सभापति: मैं आपका ध्यान समय की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री श्योपतसिंह : तीन-चार मिनट में समाप्त करता हूं, सभापति महोदय।

श्री सभापति : आप कितना भी लीजिये, आधा घंटा आपकी पार्टी का है।

श्री श्योपतसिंह : मैं पूछूंगा उनसे जो बडे बडे पुलन्दे बांध कर उधर बैठते हैं और कहते हैं कि पैदावार बढाओ। वे ग्रेवरी के

(श्री श्योपत सिंह)
उस इलाके गंग कैनाल के एरिया में कभी गये हैं और कभी देखी है उनकी क्या हालत है ? आपने उनके कष्टों को जानने का कभी कष्ट किया है ? लगातार तीन सालों से जो कष्ट उनको पानी की कमी से हो रहा है, उसका परिणाम यह हुआ है कि फसल का जो एवरेज पहले वहां था आज उसका आधा रह गया है। पर मंत्री महोदय को शायद यह जानने की फुरसत नहीं कि यह क्यों हुआ ? यह कहेंगे कि हम कैसे जा सकते हैं उधर ? पानी उनको बहुत मिलता है। हो सकता है आपके कागजों में और आंकडों में पानी बहुत ज्यादा दिखाया गया हो। परन्तु वास्तविक हालत आप वहां जाकर देखें। वहां के लोगों ने खेतों में फरटीलाइजर डाला। मेहनत की, पर पानी नहीं मिला और इस साल फसल सारी तबाह होगई।

श्री नाथूराममिर्धा: भाखरा के लिये या गंग कैनाल के लिये कह रहे हैं ? किसके लिये कह रहे हैं ?

श्री श्योपतसिंह: गंग कैनाल एरिया के लिये कह रहा हूं। आपके सभी कर्मचारी भ्रष्टाचारी हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। पर मैं एक आपके भ्रष्टाचारी अधिकारी के खिलाफ आवाज उठाना चाहता हूं। आपका ध्यान एक छपे हुए इश्तिहार की तरफ भी खींचता हूं जो २२ मार्च को पब्लिश हुआ है। गंगानगर के लोगों ने आपके वहां के अधिकारी के खिलाफ जलसा भी किया है। अब उस अधिकारी ने क्या किया, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचारी नौकरशाही को कोई बढावा नहीं देंगे। आप प्रजातंत्र की बात कहते हैं। हम भी उसको मजबूत करना चाहते हैं। पर ऐसे अधिकारी प्रजातंत्र के लिये अभिशाप हैं। मैं बताऊं, आपके उस अधिकारी ने रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य के बारे में यहां तक कहा है कि ये गुंडे हैं। उस जलसे के मौके पर यह प्रचार किया गया कि रायसिंहनगर में इस गुंडे की गुंडागर्दी नहीं चलने दी जावेगी; जबकि वह पिछले डेढ महीने से यहां है। आपके इस अधिकारी ने यहां तक हौसला किया है। वहां आप चाहते हैं कि आप इस प्रजातंत्र को सफल बना सकेंगे। जहां के अधिकारीगण हौसला करते हैं इस तरह की बात कहने का। मुझे बडे दुःख के साथ कहना पडता है इसके बारे में।

मैं इसके बाद गंग कैनाल की टेल्स के बारे में निवेदन करूंगा जो राजस्थान कैनाल एरिया के पास पास पडती हैं और जो हमारे पर भी पडती हैं। सरकार उन किसानों का इस मौके पर हौसला बढाये और इन टेलों को पानी पहुंचाये। आपके पास अभीतक कोई शिकायत नहीं आई होगी। पर जब से कालरा महोदय पधारे हैं, तब से यह आम शिकायत है कि टेल्स में पानी पहुंचाने से पहले वह चोरी होता है। मैं आपके सामने इस बारे में फोटो पेश करना चाहता हूं २१ आर. बी. के लोगों का। आपने क्या किया उनके खिलाफ ? जिन लोगों ने वहां पर पाइप्स लगाकर नहर से पानी अपने खेतों में बहा ले गये और इस तरह से वह पानी टेल्स पर नहीं पहुचने दिया। यह आम रिवाज उस इलाके में हो गया है। रबर पाइप लगा देते हैं और उससे पानी चोरी से ले जाते हैं। इस फोटो में २१ आर. बी. का मोघा है। ३ पाइप लगे हुए हैं और उनसे वे पानी अपने खेतों में ले जा रहे हैं। वहां पर जब उसको पकडाया गया और एस. डी. ओ. को इत्तिला दी तो जिन्होंने पाइप लगा रखे हैं वे चोरी करने वाले लाठियां लेकर आगये।

(श्री श्योपत सिंह)
और उसके बाद टेल वाले लोगों ने आर. ए. सी. की पोस्ट से मदद लेने गये और उनको लाये, तो वे लोग इस फोटो में दिखाये गये हैं। वहां पर पाइप दबाये हुए हैं और इस तरह से पानी की चोरी होती है। मैं पूछना चाहूंगा, इस बारे में, कि आपके अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है? इस तरह की हालत आज वहां पर हो रही है। मैं चाहता हूं कि आपका जो वह सबसे अधिक अनाज पैदा करने वाला एरिया है आपका नाम रखना वाला है, उसकी तरफ आप लापरवाही का रुख न रखें। अगर आपने इसमें लापरवाही की तो इसके परिणाम भयंकर होंगे।

श्री सभापति:--श्री हरिशंकर !

श्री हरिशंकर (धौलपुर): इस विभाग के बारे में क्या कहा जावे? समझ में नहीं आता। क्योंकि यह विभाग ऐसा है, कि जैसा इसका नाम है वैसे ही इसमें गुण भी हैं। जिस प्रकार पैसा इसमें बहाया जाता है मैं उसको एग्जाम्पिल पेश करना चाहता हूं।

राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में सूरतगढ़ १२ लाख की लागत से रेल्वे लाइन डाली गयी थी, पर वह कतई काम नहीं आई। कोई वैगन उस पर नहीं चला। और वह अब वापिस उखाड़ी जा रही है शायद।

मैं सभापति महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और फिर एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं जिसमें प्रोजेक्ट बना कर पैसा कैसे बर्बाद किया है और वह है बरीपुरा का बन्ध, धौलपुर।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): रेल्वे लाइन का इससे क्या संबंध है।

श्री हरिशंकर: मैं दूसरी चीज बताऊं, बरीपुरा के बांध की, धौलपुर में। यह ५४-५५ में बनाया गया। इसकी मरम्मत ५४-५५ में ही कराने की नौबत पड़ गई और इसमें चालीस हजार रुपया खर्च किया गया। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर उस समय महेशनारायण जी थे। वहां पधारे थे। जनता ने उसके बारे में बताया था कि यहां पत्थर की पैंचिंग नहीं लगाया गया तो यह बांध नाकामयाब रहेगा और मिट्टी बह जावेगी। ५७-५८ में १० हजार की लागत से फिर इसकी मरम्मत कराई गई। पर फिर भी वह पैंचिंग नहीं लगाई गई। और तब से आज दिन तक एक दिन भी उसमें पानी नहीं भरा गया। यों ही पड़ा रखा गया।

इतना ही नहीं वह बांध इसलिये बनाया गया था कि गर्मियों में, आस पास में, गांवों में, पीने का पानी भी नहीं रहता और चार मील दूर चम्बल नदी से जाकर पानी लाना पड़ता था। तो बान्ध इसलिये बान्धे जाने की बात सामने आई कि इससे आसपास के गांवों में कुवों में पानी आजावेगा। पर इसमें सरकार असफल रही। इसके पास ही एक दूसरा बांध २.६८ लाख की लागत से जैसा आपने बताया गनेरवाला स्कीम के अनुसार माइनर इरिंगेशन स्कीम वर्कस में दिया है पर उस स्कीम को टाला जा रहा है। सरकार की क्या नीयत है समझ में नहीं आता। आज से चार साल पहले इसका एस्टीमेट एवं होजाने के बाद एस. ई. आफिस तक गया था। श्री पावा एस. ई. थे। उन्होंने डी. ओ. लैटर लिखा था इसको जल्दी मंजूर करने के लिये। पर जवाब आया एस. ई. साहब के पास कि इसकी प्रोग्रेस के बारे में एस्टीमेट बना कर भेज दिया गया है और उसको टालने के लिये लिख दिया गया कि यह अण्डर सर्वे है। जिसका किस

(श्री हरिशंकर)

हो चुका है। वह भी उस इलाके में है। जिस जगह गांवों में लोगों को पीने के पानी की कठिनाई है। बरीपुरा नाकामयाब रहा। यह भी खत्ते में डाल दिया। इसे फेल करने की कोसिस की जा रही है।

तीसरी बात में निवेदन करना चाहूंगा उर्मिला सागर से जो नहर निकली है उसमें उर्मिला सागर कैनाल की टेल पर पानी नहीं पहुंचता। इसकी मरम्मत करने के लिये बीफडा माइनर पर दो तीन हजार प्रति वर्ष वेस्ट करते हैं। पर पानी नहीं पहुंचा।

बसेडी में भी ऐसा ही किया गया। पानी वहां भी नहीं पहुंचता पर सिचाई के नाम से पैसा वसूल किया जाता है। मैं गांवों के नाम बता सकता हूं। उन गांवों के नाम बताद्। बागथर। दूसरा नाम भी मैं अभी बता दूंगा। अभी याद नहीं है। दो गांव हैं। उर्मिला सागर के कैनाल के बारे में मैं बता देना चाहता हूं। उस तालाब में इस वर्ष में जो पानी भरा वह साल में तीन बार काश्त में पानी देने के काम में आता था लेकिन इस समय मछली के ठेकेदारों ने सिंचाई विभाग के आफिसरों से मिलकर या पता नहीं किस तरह से उस सारे पानी को एक बार में ही निकाल दिया गया और जिन लोगों ने गन्ने की फसल नहर के सहारे सहारे करली वह सूख जायगी और उनसे दो बार की पिलाई के पैसे वसूल कर लिये जायेंगे। उन्होंने कहा है कि पटवारी अभी से मांगता है कि पिलाई के दो बार के पैसे लिये जायेंगे। पिलाई जबकि वास्तव में एक बार ही हुई है। क्योंकि उसका पानी एक बार में ही सारा निकाल लिया गया। अब मैं पारवती कैनाल के बारे में कहना चाहता हूं। एक। सैपऊ गांव में एक ओवरसियर को पीटा गया जिस दिन उसको पीटा गया, उसके दूसरे दिन मैं भी वहां से निकला तो पूछा कि क्या किस्सा था? मालूम पडा कि वह हर आदमी को पानी देता है जबकि वह अपना पैसा पूरा ले लेता था। मेरी समझ में जब आया कि ओवरसियर की डाढ इतनी लपक चुकी है कि अब वह किसानों को पानी देने में फक्र समझता है कि पहले हम अपना कमीशन ले लें। वे अपनी मनमानी करते हैं। इसी तरह से बसेऊ नवाब में जब तक नहर का पानी नहीं आता है तब तक यह ओवरसियर आ जाता है और कहता है कि सही रूप से जब पैसा मिल जायेगा तो यहां तक पानी ले आऊंगा नहीं तो नहीं। यह उदाहरण उन्ही ओवरसियर का है जिनको सैपेऊ गांव वालों ने पीट दिया था। उसका केस भी चल रहा होगा, इसका तो मुझे पता नहीं। इसकी जानकारी यह विभाग करे। इसके साथ साथ उर्मिला सागर कैनाल के बारे में दूसरी बात अर्ज करना चाहता हूं कि जितना मैटीरियल जिसमें एक पावरएंजिन स्टोर में वहां पर पडा हुआ था, जोकि पानी फेंकने के काम आता था, वहां रेल्वे लाइन टूटी हुई पडी थी, वहां सारा का सारा स्टाक गायब हो गया इसकी जांच विभाग कर रहा है या नहीं। इसका तो पता नहीं, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिये। तीसरी बात जो सभापति महोदय, अर्ज करना चाहता हूं वह यह है आज जितना पैसा इन चीजों में वेस्ट करते हैं, मैं तो निवेदन करूंगा कि जो यह रखा है माइनर इरिगेशन पैअण्डर सर्वे एण्ड प्लानिंग उसमें कूरपुर राताखण धौलपुरवाली स्कीम को निकाल लें और मंत्री महोदय उसके ऊपर ध्यान दें, तो उचित रहेगा। क्योंकि वह ऐसा इलाका नहीं कि जहां लोग प्यास को बर्दाश्त कर लें। सभापति महोदय, मैं इस बात पर स्ट्रैस करने

(श्री हरिशंकर)

चाहता हूं और श्री महेशनारायणजी जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उन्होंने भी इस इलाके को पूरी तरह देखा है। वे कह सकते हैं कि वह पहाड़ी इलाका है या नहीं।

श्री सभापति : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (अनुपस्थित)

श्री हरिप्रसाद शर्मा (अनुपस्थित)

श्री गिरधालाल व्यास (आसींद) : उनकी जगह मुझे इजाजत दे दी जाये

(विराम)

बिना नाम वालों को बोल लेने दिया जाये।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने हेतु खड़े हुए)

श्री सभापति: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

(विराम)

श्री उमरावसिंह डाबरिया :

श्री उमरावसिंह डाबरिया (बनेडा): माननीय सभापति महोदय, आज सिंचाई विभाग के बारे में जो कुछ कटौती के प्रस्ताव मैंने पेश किये हैं उनके बारे में, सबसे पहले यही अर्ज करना चाहता हूं कि अब तक हम सोचते थे कि जहां तक भ्रष्टाचार चर्म सीमा पर है सिर्फ दो ही विभाग है, एक तो सार्वजनिक निर्माण विभाग और दूसरा पुलिस विभाग। पर यह तीसरा विभाग भी उसी कैटेगरी में लिये जाये, तो कोई गलती नहीं होगी। उसके बारे में, मैं स्पष्ट प्रमाण आपके सामने पेश कर रहा हूं। यह ४ फोर्म्स मैं हाउस की टेबिल पर रखना चाहता हूं। ऐसे फोर्म्स सिर्फ ४ ही नहीं, बल्कि करीब ४० हजार की तादाद में उस सरेरी बांध के बनेडा ग्राम पंचायत समिति के १३ गांव जो नहर जाती है उस नहर के पास के गांव के लोगों को डिमाण्ड नोटिस इस बात के लिये दिये गये, और कि उन्होंने नहर का पानी पिलाया है, उनके पास यह रुपया इकट्ठा किया जाये और यह तादाद ४५ हजार रूपये की थी। इन डिमाण्ड नोटिस को इश्यू करने के बाद में, माननीय सभापति महोदय, इसका सबूत यह है कि सरकारी डिमाण्ड नोटिस हैं क्या ? इसके ऊपर कोई सीरियल नम्बर नहीं है। किस प्रेस में छपे हैं ? उसका नाम नहीं है। किस अधिकारी के द्वारा यह दिये गये हैं ? किसी के दस्तखत नहीं हैं। परन्तु यह सब उन लोगों को दिये गये जिन्होंने उस नहर का पानी पिलाया है और वहां के विकास अधिकारी जिस समय गांव का दौरा करने गये तो हजारों की तादाद में जो लोग रहते हैं उन्होंने सारे डिमाण्ड नोटिसेज उनको बताये और कहा कि यह जो हमें डिमाण्ड नोटिस दिये गये हैं इनके अन्दर जितनी रकम लिखी हुई है उसमें से १० रुपया प्रति सैकडा हम लोगों से वसूल करके सारे के सारे डिमाण्ड नोटिस वापिस जला दिये गये। इस तरह से ६,००० रुपया १३ गांवों के लोगों से वसूल किया है इसका सारा का सारा प्रमाण वहां के विकास अधिकारी ने और मैंने खुद ने पंचायत समिति की जो ७ जनवरी की मीटिंग हुई उसमें जिला अधिकारी के सामने और यह एस. डी. ओ. जो इरिगेशन विभाग के है, सब लोगों के सामने, यह सारा का सारा प्रमाण मय पर्चों के हमने रखा। उस समय उन्होंने मंजूर किया कि यह अन्याय हुआ है और इसके बावजूद कलैक्टर

(श्री उमराव सिंह ढाबरिया)

साहब ने एक डी. ग्रो. लैटर लिखा। इरिगेशन विभाग के इंजीनियर को जांच के लिये भेजा। वह जांच करने के लिये गया। वहां के काश्तकारों के बयान लिये। वह भी उन्होंने बताया कलैक्टर साहब को भी बताये, लेकिन दुख: के साथ कहना पड़ता है कि सिर्फ उन लोगों को सस्पैन्ड किया है जोकि छोटे नौकर हैं। चौकीदार थे या पटवारी थे, उनको तो सस्पैन्ड कर दिया। लेकिन जो बड़े ग्रधिकारी हैं उनके ऊपर कोई एक्शन ग्राज दिन तक नहीं लिया गया। ग्रभी ग्रभी मैंने सुबह सुना है कि एस. डी. ग्रो. साहब का तबादला कोटा कर दिया गया है। जो इतना बडा जुल्म करे, इतना बड़ा भ्रष्टाचार फैलाये, उसको इतनी सी सजा कि उसका तबादला एक स्थान से दूसरे स्थान कर दिया जाये यह नाकाफी है। बल्कि उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यह स्पष्ट करना चाहिए कि जो डिमाण्ड नोटिस दिये उनकी एन्ट्री उनके रजिस्टर में है या नहीं। इसके द्वारा कितना पैसा इकट्ठा किया ग्रौर वह कहां जमा कराया। इसकी जांच होनी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा केस मैं ग्रापके सामने इसी विभाग के भ्रष्टाचार का रख रहा हूं ग्रौर वह है मेजा बांध से जो नहर माउल के पास से होकर जाती है ग्रौर वह भी बनेड़ा के इलाके में जाती है। वहां चवनपुरा नाम का तालाब है ग्रौर वह सितम्बर में भर चुका था ग्रौर ७ सितम्बर को वह तालाब फुट गया ग्रौर उसके बाद में गांव के लोगों ने क्यों कि वह तालाब हमारे लोगों का है उन्होंने उसको तैयार किया ग्रौर तैयार करने के बाद में जो नहरें उस तालाब के पास से होकर हैं जाती उस नहर के फूट जाने की बजह से वे तालाब वापिस भर गये। इसकी बजह से जो उस तालाब के पेटे में अनाज बो दिया था वह सारा का सारा ग्रनाज पानी ग्राने से डूब गया। ग्रौर वहां से जो पानी था वह भी लोगों ने ले लिया। ग्रब इसके बावजूद भीलवाडा में जो इरिगेशन डिपार्टमैन्ट के जो लोग हैं जो यह जानते हैं, कि इस तालाब से पानी पिलाया जाता उसकी कोई पिलाई नहीं लगती ग्रौर इसमें नम्बर के ग्राधार पर जिन पटवारियों के साथ जिन तहसीलदारों ने इसकी जांच की सब के नम्बर मौजूद हैं। उन लोगों ने इस बात की इत्तला दी ग्रौर इस तालाब के ग्रन्दर ग्रक्टूबर में ही पानी खत्म हो गया। उसके बाद में कोई पानी नहीं रहा फिर भी वहां के ग्रधिकारी ने ५१५ रुपये उन काश्तकारों से वसूल कर लिये। यह कह कर कि यह पिलाई नहर के द्वारा पिलाई है। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि ये ५१५) रुपये जिन लोगों से वसूल किये गये वे क्या इरिगेशन डिपार्टमैन्ट में जमा हुए हैं ग्रौर ग्रगर हुए हैं तो क्या इसकी रसीद दी गई है? पर मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि ये ५१५ रुपये जो इकट्ठे किये गये किसी जगह जमा नहीं हैं ग्रौर जो पैसे इकट्ठे किये गये वे उनकी जेबों में पहुंच गये। इस तरह से ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं उसका एकमात्र कारण यह है कि इन लोगों के ऊपर कोई चैक नहीं है।

जो भी पुरानी वसूली की जाती है वह इरिगेशन पटवारी निश्चित कर देते हैं ग्रपने खाते में लिख देते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के पास देते हैं रेवेन्यु डिपारटमेन्ट इस को वसूल करता है ग्रौर जब लोगों के पास डिमाण्ड नोटिस जाता है तो वे पूछताछ करते हैं। लेकिन कोई बताने वाला नहीं मिलता

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

एक नहीं, हजारों ऐसे सामने आते हैं। जब इरिगेशन के कामों के लिये डिपार्टमेन्ट में जाते हैं, तो कोई सुनने वाला नहीं। इरिगेशन वाले रेवेन्यू वालों को बताते हैं और रेवेन्यू वाले इरिगेशन वालों को बताते हैं। इस तरह से जहां एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, दोनों डिपार्टमेन्ट्स पर इतना भारी खर्चा होता है, और इस तरह से भ्रष्ट काम किया जाता है उस पर भी सुनवाई न हो, तो मैं निश्चित-तौर से कहता हूं कि यह राज्य गरीब लोगों का भला नहीं कर सकता। वह तो उनका भला करता है, जो हजारों रुपये अपनी जेब में रखते हैं, और उस पर भी सिर्फ उनकी ट्रांसफर होकर रह जाती है। मैं यह रसीद हाउस की टेबिल पर रखना चाहता हूं। इनकी जांच करवाई जाये कि ये किसके द्वारा इश्यू की गई हैं।

श्री सभापति : इसमें आपने बताया है कि कलेक्टर ने जांच की है?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : कलेक्टर ने जांच करके रिपोर्ट दे दी।

श्री सभापति : वहां ये रसीदें पेश नहीं कीं?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उनके खुद के पास हैं इंजीनियर के, वहां, लेकिन इनकी जांच नहीं हुई है कि इतना पैसा वसूल हुआ है वह कहां गया? डॉक्यूमेन्ट उनके पास हैं, लेकिन सबूत में, चाहें तो, पेश कर सकता हूं।

श्री सभापति : आवश्यकता होगी तो ले लेंगे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आज जो रिपोर्ट सुबह मिली उसके बारे में, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। भीलवाड़ा के अन्दर चन्द इरिगेशन के कामों के बारे में इसमें लिखा है। यह रिपोर्ट फर्स्ट फाइव ईयर प्लान सैकिण्ड फाइव ईयर प्लान और थर्ड फाइव ईयर प्लान की जो स्कीम्स थीं उनके बारे में है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहां पर, हर डिपार्टमेन्ट में इस प्रांत में राजनीति को प्रमुखता दी जाती है और यही कारण है कि इस रिपोर्ट में कहीं पर रायपुर बांध को बनाने का जिक्र न पहली पंच वर्षीय योजना में है न दूसरी योजना में है और न तीसरी में है, फिर भी आज से एक महीना पहिले भीलवाड़ा में रायपुर बांध का उद्‌घाटन किया गया और उसका काम शुरू किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि जब प्लान में नहीं था तो इस पर रुपये जो १६ लाख लगाने हैं, वे कहां से आयेंगे? इस डिपार्टमेन्ट को किस योजना से आयेंगे? और भीलवाड़ा के जिन बांधों के बारे में कहा था वे क्यों नहीं लिये गये? जब कि उनके पास पैसा था। इसका एक मात्र कारण यह है कि भीलवाड़ा के इंजीनियर रायपुर के रहने वाले हैं। इसलिये उन्होंने इस बांध को प्राथमिकता दी है और रायपुर तहसील को खत्म किया गया है। वहां पर इसके लिये एजीटेशन न हो जाय, इसलिये वहां पर इस बांध को शुरू किया गया है यह दूसरा राजनैतिक कारण हो सकता है।

सभापति महोदय, और भी इसमें जो काम हैं उनके बारे में कह सकता हूं। जैसे वासियों बनेडा तहसील में बनने वाला है, जो चार साल से पेंडिंग है लेकिन आज तक उसको नहीं लिया गया। इसका एक कारण यह है, जैसा कि बादीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि भीलवाड़ा और उदयपुर में

Page No 71

(श्री. उमरावसिंह ढाबरिया) यह है, कि वहां मिनिस्टर रहते हैं। लेकिन मैं एक कदम और आगे कहना चाहता हूं कि मिनिस्टर चाहे रहते हों या नहीं लेकिन यह काम उस जगह हुए हैं जहां से कांग्रेस के लोग जीत कर आते हैं। दूसरों के लिये नहीं होते हैं यह देश के लिये शर्म की बात है कि हम सिर्फ अपना ही भला करें।

एक प्रमाण मैं और देना चाहता हूं। जहाजपुर तहसील में एक बांध बनाया गया। गये सेशन में इरिगेशन मिनिस्टर साहब ने बताया था कि एक हजार एकड़ से ज्यादा जमीन वहां पीवल होती है फिर भी उसको कमाण्ड एरिया नहीं घोषित किया गया और नीचे की जमीन थी उसको घोषित कर दिया गया। इस नाजायज काम से सरकार को ३ लाख रुपयों का नुकसान हुआ है। वह जमीन कमाण्ड एरिया में लाकर दी जाती तो ३ लाख रुपयों की आमदनी होती और वे खेत जो जमीन के बीच में आते थे, लेकिन क्योंकि डिप्टी मिनिस्टर को वहां से जीतना था इसलिये उस एरिया को कमाण्ड एरिया घोषित नहीं करना चाहते थे। यहां पर पंचायतों के मामले में राजनैतिक हस्तक्षेप की चर्चा सुनने में आई थी। आज मैं इरिगेशन के मामले में भी राजनैतिक हस्तक्षेप की चर्चा कर रहा हूं। यदि यह गलत मालूम होता हो तो जांच कमीशन बैठा कर इसकी जांच करा ली जाय। मैं साबित करने को तैयार हूं कि किस तरह राजनैतिक आधार पर प्रांत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

जहां तक माइनर इरिगेशन का सवाल है, हम चाहते हैं कि हमारे यहां का प्रोडक्शन बढ़े लेकिन जब तक पानी नहीं आयेगा प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। बनेड़ा तहसील में एक स्कीम बनाकर पंचायत समिति ने सरकार के सामने रखी और उसके बाद एक असिस्टेंट इंजीनियर रख कर ,१२,००० रु. खर्च करके तीन साल बाद एक तालाब का सर्वे कराया और उसके आधार पर सरकार से निवेदन किया कि इसके लिये १ लाख रुपये २० साल के लिये लोन पर दिये जावें उनको चुकाने की की गारन्टी पंचायत समिति लेती है लेकिन आज तक सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वह हालांकि जागीरी इलाका है, एक-एक गांव में सात-सात तालाब हैं, और इरिगेशन की आमदनी १७-१७ हजार रुपये है वे फूटे पड़े हैं। यदि उनकी मरम्मत हो जावे जिनकी संख्या ९२ है तो हजारों बीघा भूमि का पीवल हो सकता है और प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब यह सर्कुलर निकला है कि हमारे राज्य मंत्री मंडल ने ५ लाख रुपये इसलिये स्वीकृत किये हैं कि जो तालाब टूटे हैं उनकी मरम्मत कराई जाय। यह सर्कुलर हमारे पास आया। इसके नम्बर तारीख नोट करके हमने सरकार के पास भेजा और निवेदन किया कि इसके लिये रुपये दिये जावें लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिये अर्ज करना चाहता हूं कि वास्तव में यदि आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, गरीबों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, इरिगेशन की प्रोबलम को हल करना चाहते हैं, तो हमारा दिमाग राजनीति से अलग हटाकर जिम्मेदारी के साथ बात करें। तब ही वास्तव में समस्या हल हो सकती है। जैसा कि और माननीय सदस्यों ने कहा और मैंने भी कहा कि राजनीतिक आधार पर इसके पीछे लगे रहेंगे तो वही हालत होगी जो आज दिन तक होती आई है।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

मैं एक बात और आपके सामने कहना चाहता हूं कि इस इरिगेशन के मामले में जहां तक हमारी योजना बनाने का सवाल है यह माना जाना चाहिये कि पंचायत समितियां और जिला परिषदों के पास तीसरी पंच वर्षीय योजना के आधार पर माइनर इरिगेशन स्कीम आपने भेजी है, उसको ध्यान में रखकर राज्य सरकार को पंचायत समितियां और जिला परिषदों को इरिगेशन का पैसा अलोट करना चाहिये। क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि उनके पास गांवों की स्कीम बनी हुई है, इतने कुएं खुदवाने हैं, इतने तालाब बनवाने हैं, इतने एनि-ट्रकस बनवाने हैं। ये सारी स्कीम्स पंचायत के पास हैं। इसलिये उनके आधार पर पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिये। यदि इसका ख्याल रखा जायगा तो किसानों का बहुत कुछ भला कर सकते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस डिपार्टमेंन्ट को बहुत निष्पक्षता के साथ प्रांत के भले की भावना से कार्य करना चाहिये तभी भला कर सकते हैं।

श्री सभापति : श्री केसरीसिंह!

(श्री हीराभाई के खडे होने पर)

हीराभाई क्या कह रहे हैं? मैं केसरीसिंहजी का नाम पुकार रहा हूं।

श्री केसरीसिंह (पाली) : सभापति महोदय, मैंने अपना कट मोशन पाली जिले में सिंचाई के काम हुए हैं, उनकी कमियें दर्शाने के लिये और कुछ लाभदायक सजेशन्स देने के लिये प्रस्तुत किया है। सबसे पहले मैं हेमावास के बन्ध के बारे में कहूंगा। हेमावास पाली के पास है और इसका जो कमाण्ड एरिया है उसमें बहुत ही अच्छी फसल पैदा होती है।

इसके साथ ही इस बांध से एक तो जोधपुर को पीने के लिए पानी सप्लाई किया जाता है। कई बार उस बांध में पानी भरता भी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत बार पानी तीन साल में कम से कम एक बार ऐसा हो जाता है कि काश्तकारों को सिंचाई के लिए बिल्कुल पानी नहीं मिलता है। इस विषय में, मैं अर्ज करूंगा कि पहले जब जोधपुर राज्य था, वहां पर एक वाम्बी साहब नाम के इंजीनियर थे। उस समय यह रेकार्ड रहा है कि पच्चीस साल में से तेईस साल वह बांध भरा था। उसका खास कारण यह था कि ऊावन नाम का एक गांव है, उसके पास से एक नदी निकलती है। वह नदी बांध में नहीं मिलती है लेकिन उसके पास से निकल जाती है। वहां उस समय धूड़ बांध बनाया जाता था और वहां से फीडर कैनाल बांध में डाली जाती थी। वह हर साल डिसिल्ट करके रखी जाती थी। और जब नदी आती थी, पहली बार आती थी तभी धूड़ बांध से वह बांध जाता था और उसके बाद उसे याने धूड़ बांध को तोड़ भी दिया जाता था। अब देखा गया है कि वह फीडर कैनाल सिल्ट अप हो गई है। इस धूड़ बांध का सुझाव मैंने जिला परिषद में भी दिया था। इस धूड़ बांध को बांधते भी हैं। लेकिन फीडर कैनाल क्योंकि डिसिल्ट नहीं है, इसलिए पानी बांध में पूरा नहीं जाता है। इसलिए जिस बांध का हर साल भरना सुनिश्चित था वह अब नहीं रहा है। इस समय मेरा सुझाव है कि वहां पक्का एनीकट बनाया जाय और फीडर कैनाल को डिसिल्ट करके रखा

(श्री केसरीसिंह)

जाय जिससे इस बांध का भरना हर साल निश्चित हो जाय ।

दूसरी बात में यह अर्ज करता हूं कि इस बांध से जोधपुर को पानी दिया जाता है । वह जरूर दिया जाना चाहिए । लेकिन जब जवाई बांध से जोधपुर को पानी पहुंचाने के लिए नहर बनाई है और उस पर ४८, ५० लाख रु० खर्च किया गया है तो हम उम्मीद करेंगे कि अब पानी जवाई बांध से जोधपुर पहुंचायेंगे । इस जवाई बांध का पानी जोधपुर पहुंचाया भी जाता है, परन्तु इसके लिए कहा जा सकता है कि स्वयं जवाई में पानी की कमी रहती है । इसके लिए मेरा सुझाव है कि जवाई बांध का जो कैचमेंट एरिया है उसको बढ़ाने के लिए तजवीज की जाय । उसके लिए इरिगेशन मेन्यूअल में मैंने देखा था, मीठड़ी नाम की नदी है, बाली, सेवाड़ी के पास से बहती है, वहां से डाइवर्ट करके उसको जवाई बांध में डाला जाय, तो तीस-चालीस स्क्वायर मील का कैचमेंट एरिया बढ़ता है और उससे जवाई बांध में पानी काफी आयेगा । मैं अर्ज करूंगा कि करीब पचास लाख रुपया लगा कर इस जवाई नहर को बनाया है तो दो लाख, पांच लाख और लग जायें ताकि पुख्ता बन्दोबस्त हो जाय और जोधपुर को पीने का पानी मिल जाये और बाकी का पानी इरिगेशन के काम में आ जाय यानी काश्तकारी के काम आ जाय । इससे जोधपुर को जो पानी पीने के लिए दिया जाता है उसमें भी कमी नहीं आयेगी । इसके लिये मुझे बताया गया है, अधिकारियों से बात करते वक्त कि जवाई बांध को कैचमेंट एरिया औगमेंट करने के लिये सिरोही की तरफ उसमें नदी डाइवर्ट करेंगे तो बहुत पानी आयेगा । उसकी कोई एक करोड़ रु० की स्कीम है । न जाने वह स्कीम कब इम्प्लीमेंट हो सकेगी । जिस स्कीम के लिए वे कहते हैं कि सेवाड़ी वाली नदी पर एक पक्का बांध बनाया जाय, उसके लिए मेरा निवेदन है कि उसको न बनायें । इसके दो कारण हैं—एक तो जैसा मैंने निवेदन किया है कि उसका तमाम पानी होगा उसको इस तरह डाइवर्ट किया जाय कि उसका दो तिहाई हिस्सा जवाई बांध में पहुंचे और एक तिहाई पानी उसी नदी में बहता रहे ताकि नीचे के कुओं में पानी बना रहे । इससे दो तरह के फायदे मैंने बताये हैं । इस प्रकार उस नदी का पानी जवाई बांध में पहुंच जायगा और जोधपुर के लिए पीने का पानी उतना ही नहीं, उससे भी ज्यादा मिल सकता है । इस तरह जोधपुर के लिए पीने का पानी सुरक्षित रहेगा और इरिगेशन के लिए जो जवाई बांध, हेमावास का पानी में कमी पड़ती है, वह कमी भी दूर हो जायगी और इरिगेशन के लिये पूरा पानी काम में आ सकेगा ।

दूसरी बात यह है कि बाणियावास बांध के संबंध में मैं दरख्वास्त करूंगा कि यह बांध बहुत पहले बनाया गया था । कहा जाता है कि एक बार यह बांध बहुत भर गया था कि किनारे तक पानी उठ गया और आसपास के गांव बहने का खतरा पैदा हो गया । उससे वह बांध जानबूझ कर तोड़ दिया गया था । अब बांध तो बना है परन्तु पाले में तीन चार तोड़ पड़े हुए हैं, उनको वापिस भर कर वह बांध काम आने लायक बनाया जा सकता है । लेकिन इसके लिए यह आरगुमेंट दिया जाता है कि आस-

(श्री केसरीसिंह)
पास की जो मिट्टी है, अगर इससे बांध को बनायगें तो जब बांध में पानी भरेगा उस समय यह मिट्टी पानी के दबाव को झेल नहीं सकेगी और बांध टूट जायगा। में अर्ज करूंगा कि पास ही में जोगड़ावास का बंधा है, उसकी सोइल भी ऐसी ही है, जैसी कि बाणियावास बांध की है। मुझे मालूम हुआ है कि उस सौईल के सैम्पल लिये हैं और जहां तक मेरी जानकारी है उनकी यह टैक्नीकल राय है। पहले तो यही राय थी कि सोइल ठीक नहीं है। अब राय है कि दो एक जगह के सैम्पल तो ठीक नहीं है परन्तु बाकी के ठीक हैं। मैं अर्ज करूं कि अगर सौइल में कुछ खामी भी है और पानी का ज्यादा दबाव झेल नहीं सकती तो जो उसकी पाल ऊंची है, जोड़ भरने में उसके आधे हिस्से तक ही पाल बना दी जाय जिससे पानी का दवाव कम पहुंचे और पेटा काश्त हो सके। इससे इस बांध के नीचे जो कूएं हैं, जो खारे पानी के कूएं हैं, उनमें मीठा पानी अच्छा हो सकेगा और काश्तकार भी एक दो पानी पिला सकेंगे खेतों को। इस संबंध में गवर्नमेंट की क्या नीति है? आखिर जो बांध बना हुआ है उसको क्यों नहीं पूरा करा देती? इस सम्बंध में, जो विचार किया गया है, मैं उम्मीद करूंगा कि मंत्री महोदय अपने जवाब में हमें बतावेंगे।

दूसरा जेवडिया नाम का गांव है, वह पाली से छः सात मील नीचे की तरफ है, पश्चिम की तरफ है। वहां के लिए मैंने सजेस्ट किया है कि वहां इनन्डेशन प्रोजक्ट इमीजियेटली किया जा सकता है। वहां पर एक ऐसी जगह आई हुई है जहां नदी जब बहुत ज्यादा आती है तो पानी अपने आप किनारे के ऊपर फैल कर कांकड़ रेलता हुआ याने इनन्डेट करता हुआ रहता है। वहां पर एनीकट बनाया जाय। मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि मान लीजिये वहां पन्द्रह फीट पानी आता है, तब वह अपने किनारों से लगी जमीन का इनन्डेट करता हुआ आस पास की जमीन को रेलता हुआ बहता है और वहां पर उनालू साख अच्छी होती है। अब यदि वहां पर एनीकट बना दिया जाय तो उतनी ज्यादा नदी न आने पर भी छः सात आठ फीट ऊंची नदी आयेगी तो भी पानी ऊंचा उठ कर किनारों के बाहर निकलता हुआ उस एरिया को इनन्डेट कर सकता है। इसके लिए मेरा सुझाव है। वह मैंने इन्जीयनर्स के सामने रखा, पंचायत समिति और जिला परिषद में भी रखा, वहां पर जो इन्जीनियर सर्वे एण्ड इन्वैस्टीगेशन पधारे थे, उन्होंने सुझाव को देखा और कहा इनन्डेशन प्रोजैक्ट सफल कम होते हैं, इसलिये रिजर्वायर बना दें तो कैसा रहे? रिजर्वायर बनाने की मेरी राय तो नहीं है क्योंकि इसमें ज्यादा खर्चा होगा और नीचे के कुए भी सूखेंगे। वैसे इनन्डेशन प्रोजेक्ट सफल हों या नहीं–यह मुझे पता नहीं लेकिन आस पास जो नाले बहते हैं, उनमें छोटे छोटे मिट्टी के बांध बना कर दयालपुरा और रूपावास में दो चार नाले बांध कर सिंचाई की है। इसमें कम तो खर्चा होता है। गांव के श्रमदान व हजार पन रासौ में इस तरह के बांध बनाते हैं और उनसे दो तीन हजार बीघा जमीन भी लेती है। तो यहां इनन्डेशन प्रोजैक्ट सफल हो सकते हैं। अगर यह कहा जाय कि इनन्डेशन स्कीम नहीं कर सकते, क्यों कि सोइल ऐसा नहीं है किउस सौइल

(श्री केसरीसिंह)

के मौइस्चर को रिटेन कर सकते हैं और उससे फसल अच्छी कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करता हूं कि पहले भी जब-जब नदी अपने किनारे पर कांकड रेलती हुई बही है उस जमीन में उनालू साख अच्छी हुई है। इससे अच्छा सबूत भी क्या होगा ? तो मौइस्चर रिटेन्शन की केपेसिटी है उस जमीन की। इस बार में आप जांच करा लीजियें। और फिर प्रिफरेन्स इसको दें, तो मेरा ख्याल है कि इसमें खर्च कम होगा और वापिस रिटर्न बहुत ही अच्छा होने की उम्मीद है।

एक बात और अर्ज करूंगा कि हेमावास के बांध का कमाण्ड एरिया कुछ बढ़ा है। हमने बांध को २॥ फुट ऊंचा किया है और इस एरिया को कमाण्ड में लिया है। उस पर बैटरमेण्ट लेवी लगाई गई है। उसके विषय में अर्ज करना है कि १८ रु० एक बीघा पर लगाये हैं। पर ऐसा इसमें होता है कि फलां काश्तकार के सौ बीघा जमीन है तो पचास बीघा पर १८ रु० प्रति बीघा के हिसाब से बैटरमेंट लेवी लेकर पूरी सौ बीघा जमीन को कमाण्ड एरिया में मान लेते हैं। इस तजवीज से वहां बैटरमेंट लेवी ली जा रही है। मैं आपसे अर्ज करूं यह आरबीट्रेरीली पचास पर्सेण्ट रखा गया है, यह वाजिब नहीं है। मेरी राय में आप ऐसा कीजिये कि जितनी भी जमीन वास्तव में पानी प्राप्त करती है, जितनी भी जमीन आई है, कमाण्ड एरिया है, उसको जितना पानी मिलता है, आप अगले दस साल तक टोटल कर लीजिये कि जितनी जमीन में पानी जायेगा, उस पर बैटरमेंट लेवी लेंगे। वाटर रेट तो ली ही जाती है, उसके साथ २ उस पर बैटरमेंट लेवी का हिस्सा लिया जाय और जो वाटर रेट तीन रुपया है उसके साथ १॥ रु० बैटरमेंट के जोड़ कर उसको साढ़े चार रुपया लगा लीजिये। जहां जहां पानी जाय दस साल तक। इस तरह बैटरमेंट लेवी वसूल करेंगे तो ज्यादा इक्विटेबल होगा। क्योंकि कई ऐसे आदमी होंगे, जिन्होंने अपनी कुल जमीन में से ७० पर्सेन्ट जमीन पर इर्रिगेशन से फायदा उठाया हो और अगर उन लोगों से ५० पर्सेन्ट लेते हैं तो यह गैर वाजिब होगा और उनको गैर वाजिब फायदा मिलेगा। कई ऐसे आदमी होंगे जिन्होंने अपनी कुल जमीन के २० पर्सेन्ट हिस्से में ही इर्रिगशन का फायदा उठाया और उस पर ५० पर्सेन्ट बैटरमेन्ट रेट लगाते हैं तो उसको नुकसान होता है। तो मैं यह चाहता हूं कि वास्तव में जितना पानी उनको मिला है, उस प्रपोरशन से वाटर-रेट बढा कर उनसे चार्ज लिया जावेगा तो काश्तकारों को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। और आपकी बैटरमेन्ट लैवी भी आसानी से वसूल हो जावेगी। इसके अलावा जिस समय आप बैटरमेन्ट लैवी लगाते हैं तो प्रायोरिटी का प्रश्न नहीं आना चाहिये कि किसी को पहले और किसी को बाद में पानी देंगे। यह बात पैदा नहीं होनी चाहिये। ऐसा मालूम हुआ है कि अधिकारियों से इस विषय में वार्तालाप हुई है। उनके द्वारा बताया गया है कि जमीन में हेर फेर नहीं होना चाहिये। यह इस किस्म की जमीन है, और इस किस्म की जमीन में प्रायोरिटी होनी चाहिये। यह नहीं होना चाहिये। याने कमान्ड एरिया में आने वाली सभी जमीनों को ईक्वल राईट होना चाहिये पानी पर।

(श्री केसरीसिंह)

अंत में, मैं संक्षेप में, एक बात कहना चाहता हूं, और वह यह कि कहीं एक्सेस इर्रिगेशन हो जाता है तो किसानों पर तावान लग जाता है। मैं यह कहूंगा कि अगर किसान जबरदस्ती से जमीन में पानी ले लेता है, तो उस पर तावान लगना चाहिये। परन्तु जहां पर वाटर डिस्ट्रीब्यूटिंग कमेटी बनी है, यदि उसकी तरफ से ऐसी बात हो कि उनको जितना पानी दिया जाता है उससे काश्तकारों को ज्यादा इजाज़त दी जाती है कि आप इतना पानी खोल दीजिये तो काश्तकारों पर तावान लगाने के पहले जवाब उस कमेटी से तलब करना चाहिये। पिछले साल ऐसा हुआ, कि ४ पानी एक हजार बीघा में देना चाहिये अगर आप इससे दुगने एरिया को इर्रिगेट करना चाहते हैं तो सिर्फ दो वाटरिंग देते हुए आप दूने एरिया को इर्रिगेट कर सकते हैं, और आपको चार वाटरिंग की रेट देनी पडती है। आप उसको लेकर दुगना एरिया काश्त कर देते हैं। यदि आप पहले तो अधिक अन्न उत्पन्न करने के लिये उनको कहते हैं और बाद में आप उन पर तावान लगाते हैं तो यह आपका अन्याय है। यदि सारे काश्तकार इस प्रकार एक्सेस एरिया में इजाजत से पानी खोल देते हैं तो उन पर तावान नहीं लगना चाहिये। और जो अपनी मर्जी से मनमानी से ऐसा करता है तो उसके खिलाफ गवर्नमेंट जैसा मुनासिब समझे जरूर कार्यवाही करे। इस प्रकार हेमावास और वाणियावास बंधों के संबंध में मैंने मेरे सुझाव आपके सामने रखे; जेवडिया इनन्डेशन स्कीम की पोसिबिलीटी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया, बैटरमेन्ट लैवी के सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव आपके सामने है कि बैटरमेन्ट लैवी को किस प्रकार से वसूल करे तो काश्तकार को तकलीफ नहीं हो। और तनावा के विषय में भी मैंने कुछ कहा, इन सब पर गौर किया जाए, यही कहने के लिये मैंने अपना कटौती का प्रस्ताव रखा है।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाडा): सभापति महोदय, यहां की जनता ८० प्रतिशत खेती पर निर्भर है, और इसलिये हमारे यहां खेती का बहुत बडा महत्व है। तो इसलिए हम यह चाहते हैं कि खेती की उन्नति होनी चाहिय, मगर इस गति से नहीं कर पा रहे हैं जिस गति से होनी चाहिये। यह बडी खेदजनक बात है। बहुत मुमकिन है कि हमारी सरकार यह कहे कि हम विकास के लिये कार्य कर रहे हैं। विकास की बडी बडी योजनाओं के अन्तर्गत रुपया खर्च किया जा रहा है, मगर उसका रिटर्न हमको बहुत बाद में मिलने वाला है। मैं यह कहूंगा कि उसका रिटर्न अभी नहीं मिलेगा और ५-७ साल के बाद में मिलने वाला है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि बडी बडी योजनाओं के महत्व को देखते हुए छोटी छोटी योजनाएं है, उनकी प्रगति को नहीं रोका जावे। उनको भी साथ साथ में हाथ में लेना चाहिये क्योंकि बडी बडी योजनाएं एक विशेष क्षेत्र का हित करने वाली हैं। इसलिये यह मान कर नहीं चल सकते कि हमारे खेतों का उत्पादन न बढे। मैं आपको मिसाल देकर बताना चाहता हूं कि जो योजना बनने वाली है, उससे जोधपुर में तो कोई अगले १० वर्षों में कोई फायदा नहीं होगा। जोधपुर में अगर मध्यम कार्य और छोटे कार्यों को हाथ में लिया जावेगा तो मैं यह कहूंगा कि उस क्षेत्र का भी विकास हो जावेगा और हमारे यहां अन-एम्प्लायमेन्ट की समस्या है वह भी हल हो जावेगी और लोगों की माली हालत

(श्री भगराज चौधरी)

भी सुधरेगी । इसके अलावा हमारा जो बढता हुआ रेगिस्तान हैं, उसको रोकने के लिये इस प्रकार खेती में सुधार किये जावें ताकि वह बढता हुआ रेगिस्तान रुक सके । इस संबन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कह कर इतना ही कहना चाहूंगा कि छोटी-छोटी योजनाओं को हाथ में लेना चाहिये । छोटी-छोटी योजनाओं में जोधपुर डिवीजन के अन्दर जालौर और बाडमेर जिले की योजना हैं । माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फ़त सरकार और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इन योजनाओं को जल्दी हाथ में लें जिससे लोगों को ज्यादा फायदा हो सके ।

जालौर जिल में आपको मालूम होगा कि यह जिला खेती के लिहाज से बहुत अच्छा एरिया है । इस लिहाज से मैं यह कहूंगा कि यहां पर साल भर बहने वाली ४ या ५ नदियां हैं और इनका पानी महाराष्ट्र और गुजरात में जाता है । इनके पानी को वहां की सरकार ने आगे चल कर रोका है । लेकिन इन नदियों के पानी को हमारी सरकार नहीं रोक पायी है । जिस समय सरकार को इसके लिये कहा जाता है तो हमारी सरकार कहती है कि इसके लिये बहुत बड़े खर्चे की जरूरत है । मैं यह कहूंगा कि जब दूसरी स्टेटें इन नदियों का पानी रोकती हैं तो हमारी सरकार इनका पानी क्यों नहीं रोकती है ?

जैतपुरा, बाल सिलावन उसमें बारह मास पानी बहता रहता और यह ५० फीट चौड़ी और दो तीन फीट गहराई पानी वहां बारह महीने रहता है । मैं यह निवदन करूंगा कि सरकार इन योजनाओं को हाथ में ले और कम पैसों से यह योजना पूरी हो सकती है । जसवन्तपुरा में योजना है उसको अभी हाथ में सरकार ने नहीं ली है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि खेती के साधनों को देखते हुए जितनी भी प्राकृतिक रुकावटें पैदा होती हैं, जैसे कहीं नदी भूमि को काटती है या और कोई बात हो तो मैं समझता हूं कि किसी भी तरह से कोई भी स्कीम होनी चाहिये ताकि प्राकृतिक रुकावट होती है उस पर भी हमारा कण्ट्रोल हो सके ।

इसके अलावा कई प्रकार की भूमि में बीमारियां हो जाती हैं । उसके लिये भी प्रबन्ध होना चाहिये । इसके आलावा हमारे यहां रेगिस्तान बढता जा रहा है । यह खेती में बहुत रुकावट पैदा करता है । इसलिय इसको रोकन के लिये ध्यान देना होगा अन्यथा यह होगा कि हमारे खेत सभी बेकार हो जावेंगे ।

दूसरे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी हमारी बडी बडी योजनाएं हैं, राजस्थान केनाल है, प्रतापसागर योजना है, चम्बल योजना है, इन योजनाओं का विकास प्लान्ड-वे में नहीं हो रहा है । मेरा अर्थ यह है कि कब्जा करके ये योजनाएं हमें ठीक तरह से रिटर्न्स दे देंगी ? इनका जितना प्लानिंग है, हैफ-हैजर्ड वे में किया गया है । इसके मायने यह हैं कि हमारी सरकार को यह पता नहीं है कि कितनी लागत से योजना पूरी हो जायगी ? कितना रिटर्न मिलेगा ? कब मिलेगा ? और कितना एरिया सिंचित हो जायगा ? हो सकता है कि ५ प्रतिशत खर्चे की बढोतरी हो सकती है - सिंचित क्षेत्र में ५ प्रतिशत कम हो सकता है । पर देखा जाता है कि हमारी सरकार ओवर एम्बिशियस, बढा चढा कर बताती है और

(श्री भगराज चौधरी)

रिटर्न ५० प्रतिशत कम मिलते हैं और ऐस्टीमेटेड एक्स्पेन्डीचर डेढ़ा दूगना बढ जाता है। सरकार सोच विचार कर प्लानिंग करे और बतावे कि कितना क्षेत्र सिंचित होगा ? कितना रिटर्न मिलेगा ? और कब मिलेगा ?

बडी–बडी योजनाओं को हाथ में लेने के बजाय छोटी योजनाओं को हाथ में लिया जायगा तो जल्दी ही रिटर्न दे देंगी।

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इन पर गौर करे।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खडे हुए)

श्री सभापति : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत !

श्रीमति लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): सभापति महोदय, मांग संख्या ४३ में देवगढ इलाका में टूटोडा तालाब हंदाया कोनी गिया वीं पै कटौती प्रस्ताव नजर कररी हूं। सम्वत् २००० में २० वर्षा पैली एक जोरदार बाढ आई। जीं में बिजेनगर बेई गियो। वीं बाढ में एक रात में देवगढ का १३० तलाब फूटिया। आज वां वातां ने २० बरस हुवे गिया पण वां १३० तालाबां मां सू एक ई तालाब पाछो नी हंदायो गयो। ठिकाणां का तहत में ५ तालाब हंदाया पण जीं दिन सूं राजस्थान वणियो वां तालाबां पै आज हूदी कांकरी नी लगाई, एक फूटी कौडी आं पै खरच नी कीधी।

सभापति महोदय, ईरो नतीजो ओ निकलियो के आज बुठारो जमींदारो बिल्कुल खराब हो गियो, बठा को इलाको बिलकुल जेरवार हुवे गियो। करसां की हालत बहुत बुरी हुवेगी। कुआ में पाणी कोनी और घरां में दाणां कोनी। देवगढ तो मगरिया ऊपर बसियोडो है; कुआं में पाणी कोनी, घणां हाथ नीचे खोदियां सूं पाणी निकले, बस मदारिया धरती है, अठीनें बरसे बठीनें सूखे, जठा तांई कुआं में पाणी नीं होवे खेती ने सींचणों नीं होवे, खेत सारा सूखा है, मण निपजतो बठे आधा मण निपजे, २० साल पैली बठे जो धान निपजतो हो आज बठे आधो निपजे है। आं तालाबां नें हंदाबा सारू राज रा सारा दरवाजा खटखटाय दिया पण सब बेकार। राज केवे पंचायत समितियां बंधावे, पंचायत समिति कने जाओ। पंचायत समिति कने जावां तो पंचायत समिति केवे म्हां के कने पइसा कोयनी कठां सूं हंदावा। आ वात भी सांची है के पंचायत समितियां कने पइसा कोयनी और मौजूदा बजट देख तां तो आवा वाला २५ बरसां तक जूंझ मरे तो ई पंचायत समिति आं तालाबां ने नीं हंदाय सके। पेली तो पंचायत समितियां ने ग्रान्ट मिलती ही जणै माडी मोटी उम्मेद ही के पंचायत समितियां धीरे धीरे आं तालावां ने हंदाय सकेला पण अबे तो आप पंचायत समितियां ने ग्रान्ट देणी बन्द करदी वाने आप अबे लोन देणों शुरू कर दियो है: It is absolutely impracticable, sir लोन ले लेवे तो पाछो चुकावे कठासूं ? पंचायत समिति कने तो कोई साधन कोनी के लोन पाछो चुकावे।

२५ हजार के ऊपर की लागत का तालाब हैं वे यां इन्जीनियरां ने बताया। पण वे केवे के ए तालाब खारी बांध और मेजा बांध का कैंचमेन्ट एरिया में आवे है। ई. वास्ते अ।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

तालाबां ने नीं हुंदाया जा सके। पर मैं आ पूछूं हूं के खारी बांध और मेजा बांध पेला बंधियोडा हैं के ए तलाव पैला बंधियोडा है। पेली वांने दीखतो नीं हो कांई के ए सौ दो सौ तालाब फूटा पडिया है वे कंई कदेई हुंदेलाई नीं, वांने हुंदावणां नीं हैं कंई ? कंई वीं इलाका ने जैरवार करणो है ? बरवाद करणों हैं ? ओ वीं इलाका को जन्म-सिद्ध अधिकार है के म्हां का टूटा फूटा तलाब हुंदे म्हां की पीढियां दर पीढियां खपी हैं वां तलाबां ने बंधाया वां पै घणी दोरी मेनत करी, वां पै मोटी मोटी रकमां खरच करी।

खारी बांध इसो ढीबो, बेतुको बंधियो है के आज तक वो भरियो नहीं और फेर आगे भरवा ले नीं, वीं के भराई को, बांधवा को केल्कुलेशन ई तरह को बणियो है के वो कदी भरवाने नीं।

श्री निरंजन नाथ आचार्य (उप-मंत्री शिक्षा) : कस्यो बांध ?

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : खारी बांध, दांतडा बांध आफिशियल रेकर्ड में केवे।

श्री सभापति : वे जाणे है सब, आप बोलो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आपने अपनी झपकी दूर की है क्या ?

श्री निरंजन नाथ आचार्य : झपकी तो आपको लगती है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : सभापति महोदय, ओ बांध बणियो तो आ देवगढ रा इलाका का लोगों की गलती नीं है आ राजस्थान सरकार की गलती है। ई को खामियाजो म्हे भोगां आ न्याय कीं बात नीं है।

एक बात आ अरज करूं के जितरा इन्जीनियर टैक्निसियन है मोटा मोटा बांध बणाया, वे आ राय कायम की है, के लाखां रुपयां री लागत रा मोटा मोटा बांध बणाया जावे, आं की बजाय छोटा छोटा तालाब बणायने लघु सिंचाई को काम करां तो थन कम लागे ने जादा लोगां नें सुविधा मिले। कोटा में कैबिनेट मीटिंग हुई वीं फैसलो दियो के सबसूं पैला लघु सिंचाई में टूटियोडा, फूटा तालाबां ने प्राथमिकता देणी चाहिजे और ५ लाख रुपिया ई ताणी निकालिया। म्हूं मंत्री महोदय ने पूछणो चाहूं हूं के देवगढ तहसील ने कतरो हिस्सो दीधो ? अकेली तहसील में सौ तलाब फूटिया लग्या है, वीं ने कांई दीधो ? ओ ई तहसील के साथै पूरो अन्याव है। अबार नैशनल एमर्जेन्सी में ध्यान देण, प्लानिंग बोर्ड आदेस काढियो के लघु सिंचाई का बांध में हाथ लगावो, यामें धन लगावां, क्विक रिपेअर्स अर क्विक रिटर्न हु सके। आं तलांबा सिवाय और कांई क्विक रिटर्न हो सके है ? ई उनाला में आं तलांबा ने हुंदाबो, ई चौमासा में ये तलाबां भरे नजर आवता ई चैत में धान का ढिगला ई ढिगला नजर आवे। ई सूं ज्यादा क्विक रिटर्न कीमें मिल सके ? म्हने कोई खास अधिकारी सूं शिकायत नी, म्हने शिकायत राज की नीति सूं है, पालिसी सूं है। पोलिसी असी बणाय राखी है के कोई गिलो नीं। सिंचाई विभाग में दर्खास्त दां, तो वो दे पंचायत समिति नें और पंचायत समिति दे टल्लो, वा गी सिंचाई विभाग में। तो ई नीति में पूरो को पूरो परिवर्तन होणो चाहिज। आं टूटियां लग्या तलांबां ने प्रायोरिटी देणी चाहिजे जीसूं के नेशनल इमर्जेन्सी में ग्रो मोर फूड रो नारो है, वीं ने पूरो कर सकां।

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत)

(३.०० म. प.)

म्हने उम्मीद है के ई के ऊपर ध्यान दे ई तरह को कायदो निकालेगा के जतरा ई फूटा तलाब है, वांकी मरम्मत व्हे सके । या कन्डीशन खाली देवगढ तहसील की ही नीं हैं या कन्डीशन तो और ई एक, दो तैसीलों की है । मांडलगढ तहसील का तालाब फूट गया और लोग त्राहि त्राहि कर रह्या है । लोगां ने मालूम है कि वां का बाप दादा का बणाया तलाब है वां के ऊपर ध्यान दीधो जावेगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : श्री महेन्द्रसिह ।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह गांवडी (दीगोद): सभापति महोदय, अपने कट-मोशन के ऊपर आपके द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि चम्बल योजना और सिचाई साधनों के लिए धन-राशि का सही उपयोग नहीं होता । इस कारण जितना लाभ राज्य सरकार को होना चाहिये था, जितना राज्य के लोगों को लाभ होना चाहिए था, वह भी नहीं मिल पा रहा है । मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि धन-राशि फिजूल खर्च की जाती है सिर्फ शिलान्यास और उद्घाटन करने में । मैं आपको राजस्थान कैनाल का उदाहरण दूं । ३० मार्च, १९५८ को शिलान्यास किया गया उसमें ३२,५२७) रु० खर्च किये गये जब कि प्रावधान एक हजार रुपये खर्च करने का था । यह धन-राशि अलग अलग मदों में खर्च की गई । जयपुर से गंगानगर तक एक स्पेशल ट्रेन ले गये उसमें १३,६०७) खर्च हुए, भोजन में ७,३३९), ठहरने की व्यवस्था में ५,७१०) खर्च हुए । मैं समझता हूं इस प्रकार ३२,५२७) खर्च हुए । वह धन राशि किसी भी काम के लिए खर्च न होकर उसका एक तरह से दुरुपयोग हुआ है । किसी प्रोजेक्ट के शिलान्यास मे ३३ हजार रुपया खर्च कर दें जब कि आज के जमाने में हमारे राज्य की फाइनेन्शियल कन्डीशन खराब हो, यह उपयुक्त नही कहा जा सकता ।

दूसरा ध्यान मैं उन बांधों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिनको सन् १९५६ में बंधाया गया था । वे बांध उसी बरसात में ही टूट गये और उनसे एक लाख रुपये से ऊपर राज्य सरकार को नुकसान हुआ । अविन बांध परसन्५६ में ६,६०,४३५) व्यय हुए और सन् ५६ में बन्धा और इसी वर्ष में यह टूट गया और इस कारण ८२,५००)रु० का मरम्मत में अधिक खर्चा राज्य सरकार को करना पडा । ५७ में वही बांध फिर टूटा और फिर राज्य सरकार को ८५ हजार रुपया खर्च करना पडा । मैं निवेदन करना चाहता हूं, कि रामपुरा बांध अलवर में टूटा सन् ५६ में, इससे ७२ हजार रुपये का सरकार को नुकसान हुआ । रामपुरा बांध के अन्दर जो अपव्यय हुआ और जिस कारण से यह बांध टूटा, यदि इस बांध को वांधने में थोडी सतर्कता बरती जाती, तो राज्य सरकार को यह ७२ हजार का नुकसान नहीं हुआ होता । प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट के अनुसार, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तीन फुट गहरी नींव उस बांध में कर दी जाती, एक चट्टान है वहां तक यदि उसकी

(कुंवर श्री महेन्द्रसिंह गांवडी)

फ़ाउन्डेशन पहुंच जाती तो बांध न टूटता । उस फ़ाउन्डेशन तक खुदाई पूरी न होने के कारण वह बांध टूटा है और उसके कारण राजस्थान सरकार को ७२ हज़ार की क्षति उठानी पड़ी है। जिस प्रकार धन का अपव्यय होता है, नुक़सान उठाना पड़ता है उसका कारण यह भी है कि समय पर टैन्डर्स कौल नहीं किये जाते हैं और न ही मन्जूर किये जाते हैं। अगर टैन्डर्स समय पर कौल कर भी लिये जाते हैं, तो शीघ्र ही आज्ञा प्रदान नहीं की जाती। आज्ञा प्रदान की जाती है तो समय पर कौन्ट्रेक्टर को इत्तला नहीं दी जाती हैं, कि काम शुरू करो। इससे क्या होता है कि फिर जब इनको कौल किया जाता है तो ठेकेदार काम करने से इन्कार हो जाते हैं। इसलिये दुबारा टैन्डर्स कौल किये जाते हैं। जिस रेट पर पहले कॉन्ट्रेक्टर लेने के लिए तैयार था उससे काफ़ी हाई रेट होती है, और इससे लाखों रुपयों का नुकसान राज्य सरकार को हुआ है और होता है।

तीसरा, सरकार की ग़ैर ज़िम्मेदारी समझिये, सुस्ती समझिये, या सूझ का प्रश्न समझिये, मैं अर्ज करना चाहुंगा कि एक कैनाल चम्बल प्रोजेक्ट एरिया में है। बूंदी शाखा नहर निकाली गई है। डिज़ाइन्स बन गई। काम करने के लिये ठेकेदार को अलाऊ कर दिया गया और वह दो लाख का काम कर चुका तो राज्य सरकार एक फ़रमान निकालती है कि यह डिज़ाइन ग़लत है। फ़लां चीज़ नहीं होनी चाहिये। उसमें रद्दो-बदली होती है। ठेकेदार उस रद्दोबदली के कारण काम करने से मना करता है। ऐसी सूरत में सरकार को दुबारा टैन्डर कौल करने पड़ते हैं और उस वक्त में सरकार ३१,०८२) के नैट नुक़सान में जाती है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, कि इस प्रकार की कमियां योजना में नहीं होनी चाहिये। कोई भी नहर निकालिये, बांध बनाना चाहें तो पहले पूर्ण रूप से उसकी योजना होनी चाहिये। उसकी ऊंचाई निचाई कितनी है, यह देखा जाना चाहिये। उसके लैवल वग़ैराह पर ध्यान देना चाहिए। ताकि दुबारा सोच कर रद्दोबदली करने की आवश्यकता नहीं पड़े और इस कारण जो अपव्यय होता है, उससे भी बच सकें।

इसके साथ साथ मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूं, कि चम्बल प्रोजेक्ट एरिया में नहर निकाली है, उसमें बहुत कमियां हैं। कोटा डिविज़न की तरफ़ निकाली हैं, उसमें काफ़ी कमियां हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कि डिपार्टमेन्ट द्वारा वाटर कोर्सेज़ जो खोदे जारहे हैं, लाइन मात्र दी है कितने मोटे होने चाहिये? वाटर कोर्सेज़ कहां निकालने चाहिये, कितनी मिट्टी डालनी चाहिये-इस ओर क़तई ध्यान नहीं दिया गया है। डिपार्टमेन्ट द्वारा लाइन खोद दी गई। किसानों को अपने खेतों में पानी ले जाने में दिक्क़त होती है। किसान जब खेत में पानी ले जाता है, और खेत के लेवल में धोरे को रोक कर पानी को ऊपर उठाता है तो पाल के ऊपर होकर पानी निकल जाता है और दूसरों की फ़सलों को नुक़सान पहुंचाता है और वह किसान पानी अपने खेत में ले जाने से महरूम रहता है। जहां-जहां धोरे निकाले हैं।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

कई रास्ते क्रोस किये हैं। विभाग ने वहां पर कोई कोशिश नहीं की कि पाइप लगा

(कुंवर श्री महेन्द्रसिंह गांवडी)

दिये जांय। धोरे इस ढंग से निकाले गये हैं कि यदि कोई बैलगाड़ी क्रोस करती है तो धोरे खराब हो जाते हैं। धोरे नंगे पड़े हुए हैं। बैलगाड़ी जब निकलती है तो उनसे वे कट जाते हैं और इस कारण तमाम रास्ते खराब हो गये हैं। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी जगहों पर जहां जहां धोरों ने रास्तों को क्रोस किया है, वहां पर पाइप की व्यवस्था करदी जाय।

सीपेज का भी सवाल है। राइट मेन केनाल को देख लीजिये। सैंकडों बीघा ज़मीन ऐसी मिलेगी जो पड़त है। गये साल पड़त थी और इस साल भी पड़त है। किसानों ने गये साल कलैक्टर को, एक्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर को, ज़िला परिषद् को, प्रार्थना-पत्र दिये। लेकिन आपके विभाग द्वारा मांग-पत्र काट दिये गये और ज़बरदस्ती उनसे पिलाई वसूल की गई।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट।

पिलाई का जो हिसाब है वह भी बड़ा आश्चर्यजनक है। गत वर्ष पिलाई ली गई। मैं निवेदन करूं कि एक ग्राम पटवारी सर्किल अमरपुरा, तहसील दीगोद में है। ३ बीघा ऊपर बिस्वा ज़मीन पड़त थी, नौतोड़ नहीं है। रेवेन्यू के काग़ज़ों को भी देखेंगे तो पड़त है। उस पड़त ज़मीन का भी लगान किसानों से वसूल किया गया। उसके बारे में ऐतराज़ात पेश किये गये। लेकिन उसका कोई सुनने वाला नहीं। मांग-पत्र सही काटे हैं या ग़लत काटे हैं, इसकी इन्क्वायरी भी विभाग द्वारा की जानी चाहिये। वे कहते हैं चम्बल विभाग करेगा। ऐसी सूरत में जिस विभाग द्वारा मांग-पत्र काटे गये और उसके अनुसार वह क़ाबिले काश्त नहीं होती है तो किसानों को सफ़र करना पड़ता है। मेरे इलाक़े में कई नहरें टूटी हैं और इससे सैंकड़ों बीघा की फ़सल नष्ट हुई है। उनको कम्पेन्सेशन देने के लिये तैयार नहीं। कई प्रार्थना-पत्र भेजने के बाद भी एक्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर, असिस्टेन्ट एक्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर ने मौक़ा नहीं देखा। क्योंकि वे अपनी ग़लती कबूल नहीं करना चाहते। आज वहां पर क्या क्या अव्यवस्था है, इस बात की जांच के लिये आप कमेटी बैठाइये। वे इस बात की जांच करें कि क्या क्या खामियां हैं, उन कमियों की जानकारी तहसील व पंचायत समिति से हो तो सरकार को सही जानकारी हाथ लग सकती है।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने खड़े हुए)

श्री सभापति : माननीय सदस्य सभी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि कुल वादविवाद चलते हुए २५७ मिनट हुए। ४४ मिनट स्वतन्त्र पार्टी, ३५ मिनट जनसंघ पार्टी, २५ मिनट युनाटेड सोशियलिस्ट, २८ मिनट कम्युनिस्ट पार्टी और २० मिनट युनाइटेड डैमोक्रेटिक फ्रंट को दिया गया। अब थोड़ा सा समय शेष बचा है। जिस दल के माननीय सदस्य बोलना चाहें, वे अपने व्हिप की मार्फ़त मुझे सूचित करदें। कांग्रेस पार्टी के जिन सदस्यों की सूची आयी है उनमें काफ़ी अनुपस्थित हैं। इसलिये उनके अलावा कोई बोलना चाहें तो वे नाम भिजवा दें। जिस प्रकार समय होगा दिया जायगा। मैं

(श्री समापति)
प्रयास इस बात का करूंगा कि समय बराबर बराबर सब को मिल जाय ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : समापति महोदय, जो ग्रान्ट सदन के सामने उपस्थित है, मेजर, मीडियम और माइनर, तीनों ईरिगेशन के सम्बन्ध में हैं और इन तीनों पर ही मेरे कट मोशन्स हैं।

मेजर ईरिगेशन के अन्तर्गत चलने वाली राजस्थान केनाल की योजना एशिया की एक बहुत बड़ी योजना है । न केवल राजस्थान का बल्कि भारतवर्ष का भविष्य इस योजना पर निर्भर है। हिमालय के बर्फीले पहाड़ों पर दुश्मन ने अपने नापाक क़दम रखे। देश में एक आवाज़ उठी कि हमें खेतों से खलिहानों से और कारखानों से लड़ना है। इसी कारण पानी जो किसानों के लिये जीवन-रस है पानी का उत्पादन के क्षेत्र में बड़ा भारी महत्व है—उसमें यह नहर भी एक बहुत बड़ी अहमियत रखती है । इस सम्बन्ध में सरकार से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार तस्करी करने वाला इस देश का उतना ही दुश्मन है जितना कि पानी की चोरी करने वाला

मैं राजस्थान केनाल की इस महान योजना के सम्बन्ध में चर्चा करूंगा। इस पर २०० करोड़ रुपया खर्च होने वाला है । ४३० मील लम्बी यह नहर होगी । ११० मील पंजाब में और २३ मील मेन नहर हमारे क्षेत्र में। २६३ मिल का मेन फ़ीडर इससे बनने जा रहा है। यह दो स्टेजेज़ में बनने जा रही है। एक स्टेज इसका ६८-६६ में पूरा हो जायेगा और दूसरा ८० में पूरा होगा।

पहली स्टेज में इस पर ४८.३० करोड़ रु० और दूसरी स्टेज में ६४.२६ रु० खर्च होगा। इस नहर की सारी डिस्ट्रीब्यूटरी लम्बाई पांच हज़ार फ़ीट, वाटर केनाल ४० हज़ार मील है, जिससे ६६ लाख टन अनाज पैदा होने जा रहा है। यह नहर जिस पर १.२० लाख फैमिलीज़ को बसाने जा रहे हैं, इसमें २० लाख की आबादी बढ़ाने जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी योजना है। १८ हजार क्यूसेक की योजना है। जिसके निर्माण के अन्दर सात हज़ार लोग काम कर रहे हैं और तीन हज़ार गधे भी काम कर रहे हैं। १०० मिट्टी खोदने की मशीनें जिस क्षेत्र में काम कर रही हैं। वैसे तो नसीराबाद के गधे भी मशहूर होते हैं उनको भी भेजा जा सकता है।

वे सात हज़ार मजदूर जो रात-दिन लग कर उस नहर का निर्माण कर रहे हैं वे आख़िर कौन मज़दूर हैं? इस नहर से हमारी इस योजना के अनुसार ८० लाख एकड़ धरती पर असर होगा। दस हज़ार मील क्षेत्र इफ़ैक्ट होगा। ८० से ८६ लाख एकड़ ज़मीन इस के कमान्ड एरिया में होगी। ३६ लाख एकड़ को पानी लगेगा । एक बार में ४६ पर्सेन्ट खरीफ़ की फ़सल में और ३३ पर्सेन्ट इसका पानी रबी में लगेगा। इस महान निर्माण योजना में लगे हुए हैं सात हज़ार मज़दूर वे मज़दूर इस धरती को बुलन्द कर रहे हैं। जो इन्जीनियर्स इसका निर्माण करने जा रहे हैं वे धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन जिस प्रकार की प्रगति इस नहर की चल रही है वह धीमी है। इसकी प्रगति में वह उत्साह प्रतीत नहीं होता जो होना चाहिये था। हमारी इस नहर पर जितना खर्च होना

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

चाहिए था उससे कम खर्च कर रहे हैं। १९५८ से लेकर ६३ तक जो खर्चा हम करना चाहते थे उससे भी आधा खर्च कर रहे हैं। ६३-६४ में इस नहर के ऊपर ५ करोड़ और ९० लाख रुपया खर्च करने जा रहे हैं। जिसमें अधिकांश राशि पंजाब में और उससे कम राशि राजस्थान में खर्च करेंगे—पंजाब में ३.८० लाख और राजस्थान में २.१० लाख रुपया। इस नहर का निर्माण करने वाले कौन लोग हैं? वे लोग हैं, जो इस क्षेत्र के अन्दर रहते हैं और १० मील से चल कर पानी पीने के लिये लाते हैं। उन लोगों की धरती ने कुछ भी पैदावार नहीं दी। ये वे लोग हैं जो वर्षा पर आधारित रहते थे वर्षा न होने के कारण जो लगान भी नहीं दे सकते थे। वे लोग जो दो दो मुरब्बा धरती पाकर अपना जीवनयापन करते थे। आज उन मज़दूरों के लिये और उन लोगों के लिये जो वहां पीढ़ियों से रहते चले आरहे हैं उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है। अब उन मजदूरों की देखभाल के लिये सूरतगढ़ में एक डाक्टर है और वैटरीनरी डाक्टर है जो सात हज़ार मज़दूरों और तीन हज़ार गधों की देखभाल करते हैं जिन गधों को राष्ट्रपति ने १९६१ में सराहा।

सभापति महोदय, उस नहर में पानी का आना ६१ में आरम्भ हो चुका है। लेकिन उस क्षेत्र के लोगों को, जो पीढ़ियों से रहते चले आ रहे हैं, तो वहां से निकाल दिया गया है। मेरा सुझाव है कि उनकी यदि कोआपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है तो उसमें पचास प्रतिशत शेयर सरकार के रहते और बाकी के उन लोगों के तो उसका लाभ उन लोगों को मिल सकता था। लेकिन उन लोगों से छीनकर उस क्षेत्र में यहां से जागीरदारों को भेजा जा रहा है, वे इन सौ सौ साल के क़ब्ज़े वालों को वहां से हटाकर बड़े बड़े पूंजीपतियों को, जागीरदारों को, अपने लोगों को रोड बग्गा वगैरह क्षेत्रों में बसाते जा रहे हैं।

सभापति महोदय, अब मैं आपका ध्यान थोड़ा गंग नहर की ओर आकर्षित करूंगा। गंग नहर एक चालू योजना है। सारे भारत वर्ष में गंग नहर को अपनी प्रकार की एक ही साइन्टिफ़िक नहर होने का फ़ख़ हासिल है ६१-६२ में गंग नहर से ६ लाख से ऊपर धरती सिंचित हुई थी।

गंग नहर आज जिस प्रकार से चलाई जा रही है और सरकार का जो रवैया उसको चलाने का है, वह कोई उचित रवैया नहीं है। आज उसकी नीति रियासतों के ज़मानों से भी ज्यादा इसके प्रति दुर्लक्षपूर्ण होचुकी है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि वहां कुछ ओवरसियर कम कर दीजिये। कुछ इन्जीनियर कम कर दीजिये। वहां का मेन्टीनेन्स का खर्चा कम कर दीजिये। मैं उससे क़तई सहमत नहीं हूं। आपके नियमों के अनुसार दो लाख के वर्क पर एक असिस्टेन्ट इन्जीनियर चाहिये। वह एक वक्त था, जब इतने से काम चल सकता था पर आज अधिक की आवश्यकता है। गंग नहर इसका सुबूत है। ४६ लाख रुपया जहां से वाटर रेट के रूप में प्राप्त होता है, उसकी मेन्टीनेन्स के लिये आपने रख रखा सिर्फ़ १० लाख। रियासत के ज़माने में इसके ऊपर दो-दो एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर रहते थे। एक चीफ़ इन्जीनियर था। आज वहां पर केवल एक एस. ई. दिखता है जो दो के काम

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

को देखता है। इसके साथ ही एस. डी. ओ. और कुछ ऐसा स्टाफ़ रखते हैं। आप इस दस लाख के मेन्टीनेन्स के ज़रिये से इसे रिमोडलिंग, सर्वे और हर प्रकार का कार्य होईड्रोलिक पूरा करवाना चाहते हैं। यह असम्भव है मैं निश्चित् रूप से चेलेन्ज करके कह सकता हूं कि सारे भारतवर्ष में इतने कम खर्चे में इतनी बड़ी साइन्टिफ़िक नहर को आप मेन्टेन करने जा रहे हैं। भारत को सब से अच्छा कार्मशियल प्रोजेक्ट में से यह एक है। ३.२७ लाख की लागत से यह प्रोजेक्ट सन् २८ में प्रारम्भ हुआ था। अब तीन करोड़ २७ लाख लगने के बाद १० लाख का मेन्टीनेन्स, जिससे आप ४६ लाख सालाना प्राप्त करते हैं। और दूसरे भी लाभ हैं जो आप इसके अलावा प्राप्त करते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स मैंने बताई नहीं है। इतनी बड़ी कार्मशियल योजना मैं निश्चित रूप से चेलेन्ज करके कह सकता हूं कि कोई नहीं है। फिर भी आप इस पर मेन्टीनेन्स का खर्चा बहुत कम करते हैं। आप इसके आउटलेट्स को रीमोडल नहीं करते। आपसे इसके फ़ीडर के हैड रिमोडल नहीं किये जा सके, आपसे इसके रेगुलेटर ठीक नहीं किये जा सके और इसका पानी दिनों-दिन कम होता जारहा है। पाकिस्तान भारत समझौते के बाद तो निश्चित रूप से इसमें पानी कम हो चुका है। आपसे कुछ बन नहीं सका।

एक दूर्भाग्य और है। इसे कन्ट्रोल करने के लिये ईमानदार और अच्छे एस. ई. हैं, इसमें शक है। एक्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर आज नहीं हैं ईमानदार और अच्छे। आज चारों तरफ़ रिश्वतखोरी का बाज़ार यहां भी गरम कर दिया है आपने। आज आपके निर्देशानुसार डी. आई. जी. ने कड़े क़दम उठा कर तस्करियों को पकडा है। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आज इस दुनिया की भारत की सबसे अच्छी कार्मशियल नहर के इलाक़े को जो शख्स खराब कर रहा है, जो इस की पैदावार को रोक रहा है, पानी के बटवारे को खराब कर रहा है, उसको इस डिफ़ेन्स आफ इन्डिया एक्ट में पकड़ लेना चाहिये।

मैं आपके सामने इसके कुछ केस रखूंगा और, कुछ निश्चित केस रखूंगा। वैसे तो मेरे पास इन केसों का एक अम्बार है, दरख्वास्तों का अम्बार है। गांवों के गांव ऐसे जहां के लोगों के हस्ताक्षरों से लिखी दरख्वातें मौजूद हैं। पर उन सबको रख कर मैं सदन का समय खराब नहीं करना चाहता।

आप इस गंग नहर का रोटेशन देखें। यह बड़ी साइन्टिफ़िक तरीक़े की चीज़ है। हर ब्रांच फ़ीडर उसकी तीन तीन घंटे की रिपोर्ट एक्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर के पास पहुंचता है, उसके अनुसार रोटेशन तय करना पड़ता है और वह रोटेशन एक साइन्टिफ़िक चीज़ है। रोटेशन इस प्रकार से तय किया गया है कि ६-६ नहरें वचत में चली हैं। गंग नहर की कैपेसिटी २७ सौ क्यूसेक है। ३ हज़ार से ऊपर भी ले सकता है, और पानी की कमी के दिनों में १२ सौ क्यूसेक से भी चली है। उसका एस्केप चला दिया। एस्केप का पानी बेकार चलता है। सभापति महोदय, मैंने अपनी आंखों से एस्केप चलता हुआ देखा था और एम. पी. की नहरें सूखी पड़ी थीं।

सभापति महोदय, अगर उसकी सिल्ट की खुदाई करानी है तो एक्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर की आज्ञा से नहीं हो सकती यह खुदाई।

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

अगर सारा गांव कहे तो बाराबन्दी नहीं हो सकती। पर अगर सारा गांव एक तरफ़ और एक आदमी एक तरफ़ हो, वह कहे तो हो सकती है। एक मामराज है। वहां जो अकेला हज़ारों बीघा ज़मीन अपने हाथ के नीचे दबाये ग़रीबों को उजाड़ रहा है। वहां का गांव सारा चाहता है कि गोलवारी नहीं होनी चाहिये। पर सारा गांव एक तरफ़, वह एक व्यक्ति दूसरी तरफ़। वह कहता है तो उस एक के कहने से गोलवारी होगई।

(३.२२ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, आउट लेटों को रिमोडल करने के सम्बन्ध में टेलों पर पानी नहीं पहुंच रहा है। मैं सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट के समय इस मामले को विस्तार से रख चुका हूं कि हमारी टेलें पाकिस्तानी क्षेत्र में पड़ती हैं। हमारे लोगों का मोरल ऊंचा रखने के लिये यह पवित्र कर्तव्य हो जाता है कि हम उस समय टैलों को चलावें और लोगों को पानी कुछ मुहैया करें। हमारे आर. ए. सी. की पोस्टों तक भी पानी नहीं पहुंचता है।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : रेंकने वाले रेंकते ही रहते हैं और सदन का काम चलता ही रहता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : और आप भी रेंकने लग जाते हैं कई दफ़ा।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : आपके पीछे पीछे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी तो आदत ही पीछे रहने की है।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : आप पहले रख चुके हैं मामला नसीराबाद की तरफ़ से।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : तो मैं अर्ज़ कर रहा था········

एक माननीय सदस्य : आप कहां घूम रहे थे ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ये धूल में लोट रहे थे अपनी आदत के अनुसार।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : आपकी क़मीज़ की धूल झाड़ने के लिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: उपाध्यक्ष महोदय, यह बीच में ही रेंकने की बात शुरू हो गई। मैं निवेदन करूं कि टैलों पर पानी क़तई नहीं पहुंचता और एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर साहब दौरे करते हैं और बड़े अधिकारी आते हैं कभी तो टैल डेज को पूरा बता दिया जाता है। यह किस तरह से ? यह मैं बताऊं। किसी की दो नहरें बन्द करके, या उनको नहीं बन्द करके, उसका भट्टा ज्यादा ऊंचा उठा कर टैल कर छः हौर्स पानी पहुंचता है उसको ८ हौर्स बतला देते हैं।

मैं साबित करूं। आठवें महीने में ६२ में श्री सारण ने दौरा किया और ७२.३.७.८ सी. एन. की टैलों के बारे में बताया कि ६-७ हौर्स पानी चलता है। तो टैलों के ऊपर ७-८ हौर्स पानी चल रहा था। और यह बता कर उनको कहा गया कि देखिये आपसे एक एम. एल. ए. ने झूठ बात कहीं।

जब मैंने ७-८ की बात सुनी तो गांव में पहुंचा और देखा कि उसके पिछले मोखों में ईंटें अड़ा दी थी। और उस चक के लोगों ने

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
चीफ़ इन्जीनियर के पास भेजा यह मामला कि वे आकर देखें कि इस तरह से मोखों में ईंटें अड़ा कर गेज को पूरा बताया गया है। श्री दौलतरामजी सारण इस बात की जांच कराना चाहें तो आज भी बयान देने को तैयार हैं छः सात गांव के लोग कि ईंटें अड़ा अड़ा कर टैल पर पानी बताया।

मैं एक जे. माइनर का केस रखता हूं। गंगानगर के पास यह जो, माइनर है। हमारे वहां इन्जीनियर रामलाल थे। लोग उनको देवता की तरह पूजते हैं, बड़े ईमानदार आदमी थे। बड़ी योग्यता और लगन से सारा काम करते थे। उन्होंने कुछ बहुत अच्छे प्रपोज़ल रखे थे कि मेन स्ट्रीम के अन्दर आता है ४ जे., जो ४५ डिग्री के एंगल पर है। चूंकि डाइरेक्टली मेन स्ट्रीम के नीचे आ जाता है इसलिये सारा पानी ३ जे. खींच जाता था और ४ जे. वालों को नहीं मिलता था। उसने प्रपोज़ल्स रखे। वे पास होगये। बजट मन्जूर होगया। उसका प्रपोज़ल था कि ८० फ़ीट मेन स्ट्रीम से आउट लैट को ऊपर ले जाकर दोनों को ४५ डिग्री पर बना दिया जावे ताकि माइनर का पानी दोनों ३ जे. और ४ जे. एक साथ ले लें। पर बाद में पैसे खनके। लेने-देने की बातें तय हुई और पुराने प्रोपोज़ल्स रद्दी की टोकरी में डाल दिये गये और उसको केवल ४ जे. के लिये ४५ डिग्री पर रख कर १० डिग्री का टिल्ट दे दिया और आउट लैट को रोक दिया।

इसी तरह राजपुरा माइमर का केस मैं आपके सामने रखूं। वहां के काश्तकारों का हस्ताक्षर शुदा कागज़ मेरे पास है। माइनर ६,१०, ११, १२ और १३ आर. बी. के लोग छः साल से पुकार रहे हैं कि उनकी टैल पर ६-७ हिस्से से ज्यादा पानी नहीं होता। उसके लिए एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर से रक़म का सौदा होता रहा। पर उसके पास जितनी उसने मांगी थी उतनी रक़म नहीं पहुंच सकी और इसलिये वह टैल ठीक नहीं किया उसने। २०००) रु० उसने मांगे थे और १५००) रु० पहुंचा था।

२५ एस. बी. और २६ एस. बी. वालों ने टैल को खोदना चाहा। इसके लिये ५००) रु० मांगे गये, सिल्ट निकलवाना चाहते हो तो ५००) रु० नक़द देना पड़ेगा। मैंने खुद ने पर्सनली सुपरिन्टेन्डेन्डिग इन्जीनियर साहब को एप्रोच किया और उन्होंने डाइरेक्टली आर्डर दिया एस. डी. ओ. को कि खुद जाकर नहर खोदो। कालरा साहब का इस बारे में उल्लेख करूंगा। मैंने यह बातें अर्ज की थीं सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट के टाइम में भी। इसके बाद में गांवों में पहुंचा तो मालूम हुआ कि गांव वाले परेशान थे। कालरा साहब का हुक्म है कि वे सात दिन में साबित कर देंगे कि नहर के महकमें की ताक़त क्या है? हाण्डा की यह ताक़त कि वह सदन में मेरे खिलाफ़ बातें करता है और प्रस्ताव रखता है और मेरे से क्वेश्चन पूछता है। मैंने कालरा साहब को सन्देश भेजा कि कालरा साहब यह एम. एल. ए. का प्रिविलेज है, वह प्रश्न पूछ सकता है। उन्होंने इस पी. एस. की नहर को बन्द रख और मेरे क्षेत्र का हर व्यक्ति जो अपने यहां पानी लाना चाहता था उसको हर तरह से परेशान किया गया। हिन्ड्रेन्सेज डाली गई। मैं पूछना चाहता हूं कि आज के इस प्रजातन्त्र के युग में प्रजातन्त्र में विश्वास रखने वाले लोगों को ये नौकरशाही के लोग दबाकर उनको सत्यता से अलग करना चाहते हैं।

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

(शेम शेम की आवाज़)

उन्होंने सारे गांव के आदमियों की दरख्वास्त ली। उपाध्यक्ष महोदय, गांव में पंचायत बैठी , मेरे गांव में कोई पानी का झगड़ा नहीं था। मैं चेलेन्ज के साथ कहता हूं कि हमारे यहां ३० वर्षों के अन्दर न्यायपूर्ण तरीक़े से पानी मिला है। कालरा साहब ने स्पेशली अपना चपरासी मेरे गांव में भेजा। तुम मर गये क्या ? तुम कहते क्यों नहीं हो ? एक स्पेशल हुक्म जिलाधीश रायसिहनगर के पास गया कि २२ पी. एस. पर बता दूंगा कि किस तरह इस महकमे के खिलाफ़ आवाज़ उठाई जाती है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान गंगानगर से भरतपुर की तरफ़ ले जाऊंगा। भरतपुर के आज़म डैम का क़िस्सा मैं आपको सामने रखना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : शीघ्र ही समाप्त कर दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : २ मिनिट और लूंगा।

लेकिन एक चीज अर्ज कर दूं कि भरतपुर के लोग भी इर्रिगेशन डिपार्टमेन्ट से दुखी हैं। अगर जयपुर डिवीजन के इर्रिगेशन स्टाफ का पैटर्न मैं आपके सामने रखूं तो आप चकित हो जायेंगे। आप देखेंगे कि उसमें कौन कौन लोग हैं ? चीफ इन्जीनयिर श्री किशोरी लालजी माथुर, श्री ओ. पी. भटनागर, पी. ए. टू चीफ इन्जीनियर, मनोहरलाल माथुर सुपरिन्टेंन्डिग इन्जीनियर, श्री ओ.जी. माथुर टेक्निकल असिस्टेण्ट टू सुपरिन्टेंडिग इन्जीनियर, श्री ओमप्रकाश माथुर एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, श्री मधुर बिहारी माथुर, असिस्टेन्ट इन्जीनियर, श्री वी. पी. सक्सेना असिस्टेन्ट इन्जीनियर, श्री नारायण सक्सेना ओवरसियर, श्री जे.पी. सक्सेना ओवरसियर। सारे डिपोर्टमेन्ट में सक्सेना और माथर भरे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): On a point of information ? आपकी शिकात यह है कि इसमें कोई हांडा नहीं है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उसमें कोई ज्वालाप्रसाद नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरा मतलब यह है कि इन्जीनियरिंग उन लोगों ने पास कर ली तो क्या कोई गुनाह कर दिया ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): सब आपस में रिश्तेदार हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये जितने भी व्यक्ति हैं सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। चीफ इन्जीनियर पी. डब्ल्यू. डी. के हैं, लेकिन इर्रिगेशन में उनको रख दिया गया है जिनको इसका कोई तजुर्बा नहीं। श्री हरिसिंह जो इसके बहुत माहिर हें जिनको सारा इलाका चाहता है वे तो असिस्टेन्ट के रूप में रखे गये हैं और सारा काम वैसे हरिसिंह ही करते हैं और मैं अन्त में कह दूं कि यह सारे हमारे गृह मंत्री के रिश्तेदार हैं, क्योंकि इनको शुरूआत मांमा से होती है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Sir, I object to this sort of aspersion ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: Order please !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इतना कहकर मैं समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीवराजसिंह।

ठाकुर श्री जीवराजसिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान जिला झुंझुनू में सिंचाई के साधन न होने की तरफ दिलाना चाहता हूं। यहां पर एक काटली स्कीम चली थी वह न जाने किस वजह से रिजेक्ट हो गयी। यहां के काश्तकार लोग बड़े मेहनती और तजुर्बेकार हैं। लेकिन इस जिले में इरिगेशन डिपार्टमेन्ट ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। न मालूम इस जिले से इरिगेशन वाले क्यों नाराज हैं? मैंने पिछले सेशन में अप्रेल में एक क्वेश्चन किया था, उस में मंत्री महोदय ने फरमाया था कि वहां पर पोंख, मंडावरा, बागोली, गुड़ा, बागोरा, छापोली, खोह इत्यादि बांधों की सर्वे हो गयी है और तखमीना बन गया है। वह करोड़ों रुपया जो उस स्कीम में लगता वह न जाने कैसे कट हो गया। इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जो यह छोटी छोटी स्कीमें हैं वह जो उस स्कीमों में पैसा खर्च होता यदि आधा पैसा भी वहां खर्च कर दिया जाये तो उस स्कीम से जितना फायदा होता उससे भी ज्यादा फायदा हो सकता है। जो उदयपुर वाटी और तहसील खेतडी का इलाका है इसमें और भी बांध बंध सकते हैं, लेकिन हमारा सिंचाई विभाग इसकी तरफ कतई ध्यान नहीं देता। सिंचाई के मंत्रीजी से, म दो तीन दफा मिला। वे आयुर्वेद के भी मंत्री ह। उनसे बातचीत हुई। लेकिन वह कह रहे थे कि आपके यहां कोटा से ज्यादा औषधालय हैं। मैंने निवेदन किया कि इरिगेशन ने कितना काम किया है? मेरा ख्याल है कि एक पर्सेन्ट भी नहीं हुआ है। आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए? तखमीना जो उन्होंने कहा कि बना है या नहीं वह भी मंत्री महोदय उत्तर देंगे। इस इलाके ने डिफेन्स के मामले में भी बहुत पैसे दिये हैं और फौजी आदमी भी दिये हैं। यहां के लोगों में काफी जान है और चिड़ावा और झुंझुनू के एरिया के पास में हालांकि बांध नहीं बांधे जा सकते हैं लेकिन वहां पर पाताल तोड़ कुएं बनाये जायं और बिजली के द्वारा सिंचाई हो सकती है। उस ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

एक बांध जो पूख में तैयार हुआ है वहां के बारे में भी काश्तकारों की शिकायत है कि पेटे के अन्दर जो आबादी आती है उनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। मंत्री महोदय इसकी तरफ ध्यान देंगे। इन बांधों के बनाने से एक फायदा यह भी होगा कि बरसात कम होने से जो पानी की समस्या रहती है, वह बांध बन जाने से नहरों के पास के एक एक से गांवों में जो सौ-सौ और दो-दो सौ कुएं मौजूद हैं उनमें पानी का लेविल भी ऊपर आयेगा। बस मुझे इतना ही कहना है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मांग संख्या २५ मुख्य शीर्षक ४२ और दूसरी जो मांगें हैं, उनमें भी कटौती के प्रस्ताव हैं। उनके संबंध में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे तो राजस्थान में सिंचाई विभाग ने जो काम किये हैं वे भुलाये नहीं जा सकते। राजस्थान में उसकी वजह से आज किस प्रकार से प्रोडक्शन बढ़ा है यह सब की जानकारी में है। मगर जहां जहां पर जिस प्रकार के कार्य होने चाहिए और जिनके अभाव में जो क्षेत्र अभी

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

तक विकसित नहीं हो सके हैं, उनके संबंध में मैं, निवेदन करना चाहता हूं कि कोरे बड़े-बड़े बांध और बड़ी-बड़ी योजनाओं के बनाने से उस प्रकार का लाभ नहीं हो सकता जिस प्रकार का कि माईनर और मीडियम इरिगेशन के संबंध में अगर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाये तो उनसे जल्दी फायदा मिल सकता है। मेरा अर्ज करने का मकसद यह है कि जिस तहसील से मैं आया हूं वहां खारी का बांध बना है उसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह स्केयरसिटी एरिया है इसमें हर तीसरे साल पानी की कमी रहती है। ऐसे क्षेत्र में यह बांध जो बनाया गया है, जिसके लिए अभी एक माननीय सदस्या ने निवेदन किया था कि उसमें जो पानी है हर साल कम आता है जिसकी वजह से सिंचाई का जितना क्षेत्रफल बताया जाता है वह उससे सिंचित नहीं हो पाता है। और इसमें जो नीति अपनाई गई है उसके संबंध में, मैं निवेदन करना चाहता हूं। हर साल इसमें पानी कम आता है। उसके बावजूद पता नहीं केवल टैक्निकल ऐडवाइस के ऊपर ३० मील लंबी नहर बना दी जहां उससे आधी दूर १५ मील तक भी पानी नहीं पहुंच पाता है वहां पर ३० मील लंबी नहर बनाई है और उन गांवों को कमान्ड एरिया में घोषित करने का नोटिफिकेशन हुआ तो मैंने कई बार निवेदन किया मिनिस्टर महोदय से और संबंधित ओफिसरों से निवेदन किया, कि इसमें पानी नहीं आता और आपने इतना क्षेत्र कमान्ड एरिया में घोषित किया है उसको रखा जायगा तो उनको बड़ी तकलीफ होगी। पानी नहीं मिल पाया है। ८-१० साल में केवल एक बार पानी मिल पाया है उनको क्यों घोषित किया है? जब पानी नहीं पहुंचता है तो ३० मील लंबी नहर बनाने में लाखों रुपये लगाने से क्या फायदा? इस प्रकार की नीति से सरकार को भारी नुकसान है।

जिस जगह बांध बना है और जहां से गांव उठ कर दूसरी जगह गया है नहर उसके पास बनी है। दूदिया गांव को वहां से हटाकर दूसरी जगह बसाया है। जिस जगह बसाया है वहां से १-२ फर्लांग पर नहर है। कई बार निवेदन किया कि जिनको दूसरी जगह बसाया है उनको पानी देना हमारा कर्त्तव्य है। जब वे अपने कुएं, जायदाद वगैरा छोड़ कर दूसरी जगह बसे हैं, ऐसे लोगों को पानी दिया जायगा तो वे जल्दी ही विकसित हो सकेंगे और सरकार का उनके प्रति न्याय होगा। लेकिन इस पर कोई ऐक्शन नहीं लिया और कहा जाता है कि ३० मील लंबी नहर है उसका क्या करें? एक फर्लांग की दूरी पर जो गांव बसा है उसको पानी नहीं दे सकते। समझ में नहीं आता कि किस प्रकार की नीति सरकार अपना रही है? न्याय तो यह होता कि एक फर्लांग की दूरी वाले को पानी पहले देते लेकिन उसको नहीं दिया जाकर ३० मील की दूरी पर दिया जाय। मेरी समझ में यह न्यायपूर्वक नीति नहीं है।

आसींद, दूदिया बांध से १ मील नीचे के गांव हैं। वहां के क्षेत्र में ४-५ हजार बीघा जमीन पड़ी है वहां पानी नहीं दिया गया। कई बार इसके लिये कहा गया फिर भी नहीं दिया गया। जब कि दूसरे क्षेत्र में पानी दिया जाता है। यह न्यायपूर्ण नीति नहीं है। हमारे इरिगेशन मंत्री और मुख्य मंत्री थोड़े दिन पहले आसींद गये थे। उनसे हजारों आदमियों ने निवेदन किया कि इस प्रकार की नीति में परिवर्तन होना चाहिए। पास के खेतों को

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
पानी पहले मिलना चाहिये ताकि पैदावार बढ़ सके और वहां के लोगों को सहूलियत मिल सके। इस संबंध में स्ल्यूस नीचे करने की बात है। स्ल्यूस ऊंचे होने से पानी भर जाता है और इरिगेशन नहीं होता। स्ल्यूस को ठीक तरह से नहीं बनाते तब तक राहत नहीं मिलती।

खारी बांध के बारे में माननीय सदस्य श्री उमरावसिंहजी ने निवेदन किया था। एस. डी. ओ. सरेड़ी के संबंध में निवेदन करना है हालांकि उनका तबादला हो गया लेकिन खारी की सिंचाई में इस प्रकार की अव्यवस्था फैलने लगी जिससे लोगों को बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी। जिन काश्तकारों ने पानी लिया है उनको चार्जेज देने पडेंगे लेकिन उन्होंने दो गुनी, तीन गुनी जमीन लिख दी और एस. डी. ओ. इन्सपेक्टर और पटवारी ने नाजाज अलग वसूल किये। दो-तीन हजार रुपये वसूल करके बंटवारा कर दिया गया है। इस संबंध में इरिगेशन इंजीनियर भीलवाड़ा को निवेदन किया। लेकिन अफसोस है कि उन्होंने एस. डी. ओ. के पास एन्क्वायरी भेज दी। सैंकड़ों आदमियों ने शिकायत की कि उन्होंने पैसा लिया है। हर व्यक्ति से, लिया है और जिस व्यक्ति ने नहीं दिया उसको पानी नहीं मिला। वहां पानी पैसों के जरिये बिका है इस प्रकार की कार्यवाही करने वाले को सिर्फ ट्रान्सफर करके ही छोड़ दिया जाय, यह गलत कार्यवाही है। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए और उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए।

दूसरी बात मैं पाटन बांध के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। भीलवाड़ा से ब्यावर तक जो सड़क जाती है उस पर क्या होता है कि कातरिया के पास सड़क पर ६-६ फीट पानी ६ महीनों तक भरा रहता है जिससे आवागमन के साधन रुक जाते हैं। बार बार कहा गया कि इस पर पुलिया बनायी जाय ताकि आवागमन के साधन नहीं रुकें लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। यदि प्राइवेट आदमी काम करता तो उससे मुआवजा लिया जाता और कानूनी कार्यवाही उसके खिलाफ की जा सकती थी। लेकिन सरकार को बार बार निवेदन करने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती और बराबर लटकाया जाता है चार पांच साल में भी कोई कार्यवाही नहीं की है।

इसी प्रकार एक पुलिया, सरेड़ी बांध से इरास गांव जो पेटे से उठा कर दूसरी जगह बसा है जो १ मील दूर है वहां बीच में एक नाला पड़ता है। सरेड़ी बांध में पानी जाता है वह नाला भर जाता है और चार छः माह तक इस प्रकार भरा रहता है कि बैल गाड़ी और आदमी उस में से गुजर नहीं सकते और लोगों को परेशानी होती है। इस प्रकार के कार्य हैं वे बहुत ही आवश्यक हैं उनको यदि सरकार पूरा नहीं करती तो वह अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती।

इरास, जोथेडास ये दोनों गांव सरेडी बांध की वजह से उठ कर दूसरी जगह गये हैं उनको मुआवजा नहीं मिला है ८-१० वर्ष हो गये।

मेरा तीसरा निवेदन यह है कि जागीर के तालाब जैसे माननीय सदस्या ने निवेदन किया था बांध की वजह से कई तालाब जैसे देवगढ़, मांडल आसीन्द आदि तहसीलों में टूट गये हैं लेकिन उनको आज तक वापिस नहीं बनाया है। मैं निवेदन करना

Page No 92

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

चाहता हूं कि विलोडी, लाछूडा गांवों के तालाब ऐसे हैं जिनसे काफी जमीन पीवल हो सकती है। लेकिन सात आठ साल से कभी सर्वे पर आते हैं कभी एस्टीमेट पर आते हैं फिर जाते हैं इस प्रकार की व्यवस्था चल रही है। ७-८ वर्षों से लोगों में असंतोष फैला हुआ है इन तालाबों की वजह से मगर कोई राहत नहीं मिलती है। यदि इस प्रकार चलता रहा तो हम किसी प्रकार लोगों को राहत नहीं पहुंचा सकेंगे।

इसी प्रकार बदनोर नायब तहसील में हर तीसरे साल अकाल पडता है। इसलिए नेखाडी बांध बनाया जाय इसके लिये ८-१० साल से मांग है। उसके बाद में दूसरे बना दिये लेकिन इसको शुरू नहीं किया गया। इसके नीचे एक बांध बना वह फट भी गया। लेकिन इसकी न सर्वे हुई है न ऐस्टीमेट बना। जब कहते हैं तभी उसमें परिवर्तन कर देते हैं। इसको बनाते हैं तो सारे क्षेत्र में राहत मिलेगी और लोगों के स्वप्न पूरे होंगे, इस प्रकार का निवेदन है।

दूसरी बात में बैटरमेन्ट लेवी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यह लेवी कार्मशियल प्रोजेक्ट्स पर ही लगनी चाहिये। नान कार्मशियल प्रोजेक्ट्स पर नहीं लगनी चाहिये। बल्कि इस प्रकार होना चाहिये जैसे कि सुझाव दिये थे। यदि बैटरमेन्ट लेवी लगाई जाय तो इरिगेशन रेट के साथ लगाई जाय ताकि लोगों को तकलीफ न हो। इस प्रकार करेंगे तो लोगों की सहायता करेंगे। मैंने ये पोइन्ट्स निवेदन किये। उम्मीद है इन पर पूरा ध्यान दिया जायगा।

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर-सु): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो कटौती का प्रस्ताव है, वह बिलपन तालाब के पानी की अव्यवस्था के बारे में है। बिलपन तालाब के अन्दर पानी की अव्यवस्था चल रही है उसकी ओर हमारी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। आज इस तालाब के पानी के बहाव की, बरसात के टाइम में, फूटने की सम्भावना है। अगर इस तालाब को कुछ और पैसा लगा कर फीट, दो फीट और बढाया जायगा तो तालाब का पानी बढ सकेगा। दूसरी बात यह है कि जिस नहर के अन्दर से इसका पानी सप्लाई होता है, उस नहर में इतना पानी लीकेज होता है कि आस पास की भूमि बिल्कुल खराब हो चुकी है। इसका जो पानी है यह उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है, जो कि अच्छी तरह से नेतागिरी करने वाले हैं, बोलने वाले हैं, लड-भिड सकने वाले हैं-इन लोगों को जल्दी पानी दे दिया जाता है लेकिन जो आदमी बोल नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, उनको पानी नहीं दिया जाता और उनकी फसल सूख जाती है। इसकी ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है।

इसके साथ साथ में निवेदन करूंगा कि पिपलब और कलावडा के अन्दर जो पडत है, वह पडत खाली पड़ी रहती है। क्योंकि कलावडा की नहर है वह बिल्कुल नीची हो जाती है। इसलिए कलावडा के तालाब के अन्दर कुछ पैसा लगा कर दो फीट, एक फीट जब तक उसे ऊंचा नहीं उठायेंगे तब तक कुंडीगाटा और गागला की भूमि की सिंचाई नहीं हो सकेगी।

(श्री विजयपाल कटारा)

दूसरी बात यह है कि जहां कलावडा से सिमलवा तक नहर निकाली गई है इससे किसानों को बहुत परेशानी होती है क्योंकि जो नहर निकाली गई है, जो नहरों का सर्वे किया गया है वह इस प्रकार किया गया है कि चार फर्लांग सडक के अन्दर कैनाल खोदी जा रही है। वही किसानों का आवागमन का रास्ता है। यह पुराना रास्ता था, वहां से कलावडा से सिमलवा का रास्ता सीधा पड़ता है। उस रास्ते को दूर दूर खोदा जा रहा है लेकिन वहां पर पुलिया नहीं बना सके हैं। इस कारण उन जगहों पर पशु गिर कर मरते हैं। रात के समय मनुष्य उधर से निकलते हैं तो वे उसके अन्दर गिरते हैं। मैंने हजारों दफा ईरिगेशन डिपार्टमेन्ट में शिकायत की है, और ओवरसियर साहब से भी बार बार मिला हूं और कहा है कि इस रास्ते को ठीक कीजिये। जहां से साइड लेना ठीक है, अगर ठीक साइड ली जाय तो उसके दोनों तरफ पुलिया दे सकते हैं। जहां से नहर निकालें, इसके आस पास डोली रखनी पड़ेगी। इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं और मैं समझता हूं कि इस ओर सरकार का ध्यान देना पुनीत कर्त्तव्य हो जाता है।

दूसरी बात यह है कि नहर के लेवल को देखने के लिए पानी छोडा गया था। उसके आदिवासी किसानों से पीवल के पैसे लिये गये। जिन लोगों ने पीवल का पानी नहीं लिया उनको चिठ्ठी दे देकर पैसा वसूल किया गया है। इसका न तो कोई रेकार्ड बताया गया है, न तफसील बताई गई है और चिट्ठी दे दी गई है। उनको कहा जाता है कि इतना पैसा होता है। इतना पैसा जमा कराओ, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दिया जायगा।

दूसरी बात यह है कि पीपलिया का बांध बना रहे हैं। इसके अन्दर जिन किसानों की जमीन आ गई है, उनको कम से कम आज पांच साल हो गये आज तक कम्पेन्सेशन नहीं मिला है। न उन लोगों को बसने के लिए भूमि मिल रही है। उन लोगों के पास जो पीवल भूमि थी, जो उपजाऊ भूमि थी, उसको ठेकेदार ने खोद दी। इन किसानों ने कलैक्टर से बातचीत की। ऊपर के नेताओं से बात की। फिर भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उनको परेशान किया जा रहा है। इस तालाब के कारण जो लोग बेघर हो गये हैं उनको दूसरी भूमि दिलवाने के लिये जंगलात विभाग से बातचीत की, और मंत्री महोदय से बातचीत की। वे कहते हैं-जिन किसानों की जमीन तालाब में डबी है वे हमारे हो जायं तो उनको जमीन और जगह दे सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की पक्षपात की नीति को लेकर सरकार चलती है, यह नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें गरीब रह जायेंगे और बोलने वाले आगे बढ जायेंगे। इसलिये जो काम कराया जाय, इन लोगों का दृष्टिकोण सामने रख कर सरकार-द्वारा काम कराया जाय जिससे हमारा देश धीरे धीरे आगे बढ सके। अगर राजनैतिक दृष्टिकोण रख कर इन लोगों को बसाया जायगा तो अमीरों के अलावा और कोई जिन्दा नहीं रहेगा। तालाब के अन्दर काम करने के लिए जो मजदूर हैं, उनके ठेकेदार से मिल कर हमारे विरोध में जो कांग्रेसी खडे हुए थे, वे आज प्रधान हैं। उन्होंने इन मजदूरों को बिल्कुल नहीं

(श्री विजयपाल कटारा)

पूछा और ठेकेदार को पूछ कर छः सात हजार रुपया रक्षा कोष के नाम पर दे दिया। मजदूरों ने दरख्वास्त की, अपील की, हम जानते नहीं-हमें पैसा देने में हर्ज नहीं है, हमें खून देने में एतराज नहीं है लेकिन अगर बाला बाला ठेकेदार से मिल कर पसा काटा जाता है तो अन्याय है। हम आशा करते थे कि हमको न्याय मिलेगा। हम गांधीजी की बात कह कर आगे चल रहे थे उसको धीरे धीरे छोडते जा रहे हैं। बापू जी का नाम लेकर गद्दार आदमी से मिल जाना कहां तक उचित है ?

दूसरी बात यह है कि इन तालाबों की मछलियों का ठेका सरकार ने दिया है। ये मछलियां ऐसी थीं जो कि आदिवासियों का ठोस भोजन था-इसको भी सरकार ने उनसे छीन लिया है। उनका जंगलात का अधिकार था वह भी छीन लिया। तो ये लोग किस पर निर्भर रहेंगे। यह सोचने जैसी चीज है। जंगलों में रहने वाले जो ये लोग हैं, ये इन मछलियों को खाते-पीते मस्त रहते। अगर वे खायेंगे, पीयेंगे नहीं, तो जैसे लडाई का मौका आया, उनसे यह आशा करें कि वे आगे खडे होकर हमारे देश की रक्षा कर पायेंगे तो यह आशा पूरी नहीं होगी-वे कभी रक्षा नहीं कर सकेंगे। इसलिये में सरकार से निवेदन करूंगा कि कम से कम मछलियों के बारे में उन्हें छुट्टी दी जाय। न मालूम मछलियों का ठेका देकर क्या ब्राह्मणों को खिलाना चाहते हैं। जैसी कि एक कहावत है कि ऊंच नीच होंगे और नीच ऊंच होंगे। आज भी लोग महसूस करते हैं कि ब्राह्मण और दूसरे लोगों ने मछलियां खाना शुरू कर दिया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस तरफ ध्यान दिया जाय तो ठीक रहेगा।

दूसरी बात है कि डूंगरपुर में ऐसी जमीन है जो पहाडी एरिया है। उदाहरण के तौर पर बताऊं कि जिस प्रकार पापड सेकते हैं, पापड सेकने से फुंसी फुंसी जैसी उठ जाती है, यह उदयपुर का दक्षिणी एरिया इसी प्रकार का है। यदि इस भूमि पर एनीकट के रूप में छोटे छोटे तालाब बांधे जायं, तो जो आदिवासी जंगलों में रहते हैं, पहाडी इलाके में रहते हैं उनको फायदा हो सकता है। इसके साथ ही साथ मेरा निवेदन है कि पीपलिया में जो गांव डूब रहे हैं, इन गांव वालों को आज तक भूमि बसने के लिए नहीं दे सके हैं। गांव वाले कभी सिमलवाडा की पंचायत समिति को, कभी कलक्टर साहब, प्रधान साहब को प्रार्थना करते हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह सरकार का कर्त्तव्य है। यह उसका पुनीत कर्त्तव्य हो जाता है कि उनको कहीं न कहीं बसने देना चाहिए ताकि देश की उन्नति कर सकें।

मेरा जो दूसरा कटौती का प्रस्ताव था, वह पंचायत समिति सीमलवाडा में सिंचन तालाब बांधने में पक्षपात के बारे में है। सीमलवाडा के अन्दर जो पाइलेट प्रोजैक्ट योजना रखी है, वह हमारे आदिवासियों से ज्यादा संबंध रखे, ऐसी बने। बिच्छीवाडा, डूंगरपुर आदिवासियों का एरिया है। सीमलवाडा एरिया में मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में २२ पंचायतें हैं। इन पंचायतों में एक भी तालाब का सर्वे नहीं हुआ है। जितनी भी सर्वे करते है, कुएं, तालाब, रहट वगैरह के लिये वह सिर्फ इरिगेशन मिनिस्टर साहब

(श्री विजयपाल कटारा)

की कान्स्टीट्यूएन्सी में किया जा रहा है। यह पक्षपात है। यह कहा तक सरकार की ठीक नीति है ? इस नीति को सरकर अपने से दूर रखे तो बहुत अच्छा होगा।

दूसरा मेरा प्रस्ताव है-कि बहुत ज्यादा बांध बांधे गये हैं वे लोडिसवी के हैं। वह देखने गया था, उनमें पानी लीकेज होता है और पानी लीकेज होकर अनावश्यक रूप से बह रहा है। जो बांध बांधे हैं और नहरें निकाली हैं उनसे हजारों बीघा जमीन खोल डाली है ताकि पानी का ठीक उपयोग कर सकें और पानी के कलव र्ट करकेकिसानों को दे सकें। लेकिन पानी लीकेज होता है, जिससे आस पास की जमीन खराब होती है। उस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

(४ म. प.)

दूसरी बात यह है कि मैं दो-तीन तालाबों के नाम बताऊंगा कि वे सबसे अच्छे तालाब हैं। आंकरोळ का नाका की तरफ से हमने पब्लिक की तरफ से एप्लीकेशन दिलाई है और मैंने माननीय मन्त्री से निवेदन किया है कि ये तालाब

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सबसे अच्छे तालाब हैं जिनके दोनों तरफ भूमि में आवपाशी हो सकती है। दूसर बलडी का नाका है। उसको किसी बड़े साहब को खुश करने के लिये दे दिया जाता है। उसमें कुएं डूब में जा रहे हैं। आम डूब में जारहे हैं। महुए डूब में जा रहे हैं। आपको उनके लिये कम्पेन्सेशन देना होगा। लेकिन आपकी नीति कुछ और है। इस प्रकार मैं यह निवेदन करूंगा कि कम से कम खर्चे की योजना को लेनी चाहिये और जो पक्षपात की नीति है उसको समाप्त करनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरा एक मोरन का नाका है। यह अच्छी नदी है। यह बाहर मास बहती है। सासरपुर और छोतरी साइटको लेकर इसका सर्वे कराया और इलेक्शन के समय में इसका सर्वे किया गया। अगर इस इस नदी को बंधाई जावे तो छोटे मोट गांव पडते हैं उसकी भूमि उपजाऊ हो सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

किसानों को आज आगे बढने के लिये इस बात की ज्यादा जरूरत है। इलेक्शन के समय आपने ६ तालाबों की सर्वे कराई थी। कम से कम आप अब ६ नहीं तो एक को तो बनवायें जिससे काश्तकार हैं वे आपसे खुश हो जावें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लेकिन केवल सर्वे करवाना ही काफी नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस पर सरकार जल्दी से जल्दी ध्यान देकर इसको उपयोग करे ताकि भूमि उपजाऊ हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक मिनट चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री भीखाभाई (सिंचाई मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे डूंगरपुर से आने वाले माननीय मित्र अपना भाषण दे रहे थे और मुझे यह बता रहे थे कि डूंगरपुर के जिले में कुछ पक्षपात से काम किया गया है। इसका जवाब तो मैं बाद में उस वक्त दूंगा जब इन्डीविज्युअल सदस्यों के कट

(श्री भीखाभाई)

मोशन्स, हैं उनका जवाब होगा। लेकिन इसके पूर्व मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जैसा कि अन्य प्रान्तों की तरह से यह कृषि प्रधान देश है और पहले जब यहां रजवाड़े थे, जिस प्रकार की योजना थी, मैं यह कहना चाहता हूं कि वह नाम-मात्र की योजना थी। उस समय वहां पर एक सार्वजनिक विभाग होता था उसमें सिंचाई का विभाग होता था और उसके जरिये यह काम देखा जाता था।

राजस्थान में सिंचाई के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि लोग सिंचाई के साधन चाहते हैं, और सिंचाई का साधन होना जरूरी है। सिंचाई के जरिये से आज लोगों को पेट भर के खाना खाने को प्राप्त होने लगा है। सिंचाई लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यह दुर्भिक्ष के समय में एक बीमा है यह जल अभाव क्षेत्रों के लिये बीमा है। यदि किसी आदमी को सिंचाई के साधन उपलब्ध किये जाते हैं तो वह उसके लिये एक प्रकार का लीन ईयर्स में, फैमिन ईयर्स में इन्शयोरेन्स है और उसका हमेशा के लिये उसको लाभ हो जाता है। मैं यह कहूंगा कि जल का नाम जीवन है। जल को जीवन कहते हैं और आदमी जल से जीवन प्राप्त करता है। ठीक इसी तरह से जिस समय मरता है उस समय भी जल की जरूरत रहती है। इस प्रकार यह कहूंगा कि हमारी सस्कृति में जल को बहुत महत्व दिया है। जीवन से लेकर मृत्यु पर्यन्त तक पानी का प्रयोग होता है। इसलिये जल का उपयोग हमारे धर्मशास्त्रों में प्रधान है। इसीलिये भागीरथ प्रयत्न कर भागीरथ ने गंगा को उतारा।

हमारे यहां कई कटौती के प्रस्ताव आये हैं और उसके जरिये सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि सिंचाई के क्या फायदे हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को सिंचाई से काफी लाभ हुआ है। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके अन्तर्गत बहुत सी चीजें आती हैं....

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा): Point of information, Sir.....

श्री उपाध्यक्ष : Order please! Points of information will be allowed after the Minister's speech.

श्री भीखाभाई: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सिंचाई के क्या फायदे हैं और इसकी क्या उपयोगिता है? हमारे यहां कुछ माननीय सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव रखे हैं और उन्होंने यह कहा है कि इसमें रिटर्न उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिये और जो पानी एकत्रित होता है उसका पूरी तरह से यूटिलाइजेशन नहीं होता। मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके लिये यूटिलाइजेशन कमेटी बनी थी और गंग नहर के बारे में कुछ किया था। उदाहरणार्थ मैं माननीय सदस्यों को जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि चाहे वह छोटी योजना हो, चाहे बडी योजना हो, उसके लिये वह किस प्रकार से उपयोगी हो सकती है उसके लिये आपको एक्सट्रेक्ट पढ़ कर सुनाता हूं जो इस प्रकार है :—

"It is established that irrigation is the prime mover and facilitates development in all directions. It is a foundation on which the economy of an agricultural land like

(श्री भीखाभाई)

India is based. The people and the Government both receive increased earnings on account of development activities due to irrigation in a tract. It is, however, difficult to estimate the actual impact on people on account of practical limitations; but broadly it can be said that if irrigation is developed in an area, the Government earns more revenue on posts and telegraphs, transport, central excise, sales tax, State excise and on almost all other sources of revenue of the State and the Central Governments."

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे यहां पर एक प्रकार की पद्धति बन गई है कि जो all sided development हैं उनको नहीं देखते हैं, और केवल उसको रिटर्न के आधार पर ही आंकते हैं। इसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान में बहुत सी बहु-उद्देशीय योजनाएं हैं। भाखरा और चम्बल के बारे में कहना चाहता हूं कि हमने इन पर लाखों करोडों रुपयों का डैट लिया है और उसके दो करोड रुपये केवल सूद के देते हैं और वहां पर जो रेवेन्यू आमदनी होती है, वह इस सूद को देखते हुए नगण्य है और वह इन्ट्रेस्ट जो हम देते हैं उससे भी कम है। मगर मैं यह कहूंगा कि यह कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट है और कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट तो बाद में विकसित होते हैं। तो मैं यह कहना चाहता था कि उनकी रिटर्न है वह धीरे धीरे आती है।

मैं इसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। यह गंग केनाल के फिगर्स हैं इनके अनुसार आपको मालूम होगा कि इससे प्रारम्भ में ७५ हजार एकड भूमि की सिचाई होती थी, २७ में इरिगेशन प्रारम्भ हुआ था, २७ साल बाद जाकर ६ लाख एकड भूमि की सिचाई होती है। इससे साबित होता है कि इरिगेशन ग्रेज्युअली डवलप होता है। इसके बाद में यह इम्पेक्ट्स बताये कि गंगानगर एरिया में जो चीजें हमारे सामने नजर आती हैं, वह दूसरी जगह नजर नहीं आतीं। इसी प्रकार हमारी मध्यम और लघु सिंचाई योजनायें हैं, जिनमें अलवर से आने वाले माननीय सदस्य, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य के कट मोशन्स हैं। मैं निवेदन करूं इनमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ नहीं देखा जाता। देखा जाता है इरिगेशन पर किस प्रकार के रिटर्न्स आते हैं इरिगेशन डिपार्टमेन्ट में रिटर्न्स आते हैं वे तो नगण्यमात्र हैं वह तो सर्विसेज की उजरत मात्र है, दूसरों में रिटर्न्स आते हैं, वह देखने की बात है कि इरिगेशन की योजना किस प्रकार देश के विकास के लिये लाभदायक है। सिंचाई की दरों की वसूली के अतिरिक्त निवेदन करूं कि स्केयर्सिटी एरिया की योजनाएं हैं उनसे बारानी जमीन नहरी में बदलती है इरिगेशन रेट भी बदलती है। वहां हमें बैटरमैन्ट लेवी भी मिलती है लैन्ड रेवेन्यू में भी बढोतरी होती है। तो यह जल का जादू कहलाता है। तो यह बहु प्रयोजनीय प्रोजैक्ट हैं—जैसे भाखरा है इसका जो कैपिटल इन्वेस्टमैन्ट है उसका १९८ लाख रुपा इन्ट्रेस्ट देना पडता है। इसकी इन्कम नगण्यमात्र है। कैपिटल और इन्ट्रस्ट न मालूम कब तक पूरा कर सकेंगे। पर इससे जो लाभ होने वाले हैं, बिजली की चमक चारों तरफ दिखती है। चम्बल की बिजली यहां तक आती है तो जो कोलोनीज इनके द्वारा बनती हैं

(श्री भीखाभाई)

बेटरमेन्ट लेवी मिलती है, लैण्ड रेवेन्यू बढती है, इन्ट्रेस्ट बनता है, पीने के पानी की पूर्ति होती है। यद्यपि यह नॉन-कार्मशियल योजनायें हैं फिर भी इस पर विवाद होता है। उसका उत्तर देना आवशयक है। वैसे तो माननीय सदस्य इस बार बहुत उदार हुए हैं उनको धन्यवाद पेश करता हूं पर जो गये साल बातें हुई थीं उन्हीं के अनुसार मुझे जवाब तैयार करना था। यह भी मैं मानता हूं कि यूटिलाइजेशन में देर हो सकती है पर राजस्थान सरकार की तरफ से जो स्टैप्स लिये जाते हैं, काफी हैं और आपकी सहानुभूति होगी तो आगे बढ सकेंगे।

तो मैंने गंग केनाल के बारे में निवेदन किया-सन् १९२७-२८ में इसका सिंचाई का रकबा ७५,८९२ एकड था वह ५०-५१ में ६,०३,६०९ हुआ। तो इरिगेशन का विकास ग्रेज्युअली होता है। माइनर इरिगेशन, मीडियम इरिगेशन और मेजर इरिगेशन इन तीनों के विकास में समय लगता है। जहां इरिगेशन की स्थिति आती है तो वहां कई इस प्रकार की स्टेजेज आती हैं, कहीं शीपेज होती है तो लाइनिंग कराने की आवश्यकता पडती है, कहीं बाढ आ जाती है, कहीं एलांटमेन्ट नहीं हुआ है–तो इस तरह की कई स्टेजेज आती हैं जिनमें टाइम लगता है। फिर आज लोगों को इरिगेशन माइन्डेड बनाने की आवश्यकता है। चम्बल बांध बनाया है पर इस कानून के जरिये से ही काम नहीं कर सकते। स्टेट लेवल पर वाटर यूटिलाइजेशन कमेटी बनाई है, उसने इस पर विचार करना शुरू किया है।

तो जो मुख्य मुख्य स्टैप्स वाटर युटिलाइजेशन के बारे में हमारी तरफ से लिये जा रहे हैं वह मैंने निवेदन किये।

कुछ माननीय सदस्यों ने सांचौर, से आने वाले माननीय सदस्यों ने, बूंदी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने सर्वेक्षण के बारे में कहा। सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव के जरिये से सरकार का-ध्यान इस ओर आकर्षित किया है उन्होंने बताया कि लूनी, जवाई, खारी, बांडी और सांर्गा ये पांच नदियां जालोर में हैं इनमें से किसी पर सर्वेक्षण नहीं करवाया गया। मैं निवेदन करूं कि इनमें से ४ पर सर्वेक्षण करवाया गया। हरजी के नजदीक स्टोरेज का सर्वेक्षण करवाया गया, बांडी पर २५ लाख का सर्वेक्षण करवाया गया, लूणी पर एक करोड का सर्वेक्षण करवाया गया। पर फीजिबल नहीं हुई इसलिये अबन्डन करनी पडी।

इसके अलावा बांडी पर कैसे छोटी छोटी योजना बन सकती है, इसका सर्वेक्षण जारी है। तो जो उन्होंने कहा कि वहां कोई विभाग नहीं, कोई देख-रेख करने वाला नहीं, कोई इन्वेस्टीगेशन करने वाला नहीं, तो मैं निवेदन करूं कि जालोर में एक डिवीजन स्थापित किया गया है।

इसी तरह से बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उनके यहां सर्वेक्षण नहीं हुआ। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने प्रारम्भ करवाया था पर जो कठिनाइयां हैं, उन्हें भी मैं निवेदन कर देना चाहता हूं। हमारे यहां सर्वेक्षण में कमी इसलिये रही है कि राजस्थान निर्माण हुआ उससे पहले यहां कोई सर्वेक्षण का काम नहीं हुआ था, कोई हाइड्रोलोजिकल सर्वे नहीं

(श्री भीखाभाई)

हुआ था, जी. टी. शीट्स नहीं थे, रेवेन्यू का रेकर्ड कम्प्लीट नहीं था-इनके कारण देर हुई है। मैं यह नहीं कहता कि कहीं हमारी गलती हुई ही नहीं है पर साफ कहना चाहता हूं कि गलती इसलिये नहीं हुई कि इसमें हमारी कोई बदनियती हो, टेक्निकल डेटा अवेलेबल नहीं थे इस कारण नहीं हुआ।

डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पक्षपात किया जाता है और बूंदी, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उदयपुर में इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि अधिक से अधिक धनराशि खर्च हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की यह मन्शा नहीं है । हम चाहते हैं कि जमीनों को पानी मिले। पौंग डैम का पानी जहां पहुंच सकता है वहां पहुंचाया जाय, चम्बल का पानी मध्यप्रदेश से आवे, इन राज्यों से लेना चाहते हैं पर यह कब हो सकता है कि उदयपुर का पानी बांदीकुई में ला सकें? यह टेक्निकली संभव हो तो ला सकते हैं, पर यह संभव नहीं है। साथ ही उपयुक्त साइट मिलने पर भी कई सवाल सामने आते हैं अलग अलग कामों के लिये वेअर के लिये, कस्ट्रक्शन के लिये, सोइल का सवाल है। ब्लैक सोइल में बान्ध बनाना चाहें, रेती में बांध बनाना चाहें, तो यह नामुमकिन होता है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता था कि यह संभावना नहीं है, यह संभव नहीं है कि दक्षिण को उत्तर में और उत्तर को दक्षिण में लावें। जहां संभव होता है वहां बनाते हैं, पक्षपात की कोई बात नहीं। हिली एरियाज हैं, वहां बन्ध बन सकते हैं । जैसलमेर में बन जाय, बाडमेर में बन जाय, जालोर में बन जाय-यह संभव नहीं।

उसी तरह से पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने हेमावास के बारे में कहा। इस पर विचार किया जा रहा है। जहां तक पक्का वेयर बनाने का सवाल है।

इसी प्रकार की मिट्टी-डाइवर्शन के लिये बात रखी। जोधपुर राज्य के वक्त में विरोध हुआ और आज भी संभावना नजर आती है। जो फायदा इससे होना चाहिये वह नहीं हो सकता। बनियावास के लिए कहा। अगर वह फायदेमन्द हुई तो इसको चतुर्थ योजना में लिया जायगा।

श्री केसरीसिह (पाली) : बनियावास की साइड देखने का सवाल नहीं है।

श्री भीखाभाई: It is an old breached tank and has got saline soil.

उपाध्यक्ष महोदय, पाटन क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने बार बार यह प्रश्न उठाया कि असनावर को बचाया जाय और भीमसागर को बनाया जाय। इसमें इधर के कई मित्र दिलचस्पी रखते हैं। उसके बारे में निवेदन करूं कि उसकी खुदाई प्रारम्भ हुई, कोटा राज्य की स्कीम थी, इसको ५४ में प्रारम्भ करने की बात थी। आज स्थिति यह है कि इसका रिवाइज्ड एस्टीमेट ७२ लाख के ऊपर हो गया है। कम्पेन्सेशन देने का सवाल है। वह एक मीडियम स्कीम बन जाती है। यह सेन्ट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन के पास जाती है। जो मीडियम स्कीम्स हैं वे लोन के जरिये से फाइनेन्स होती है। दिक्कत यह आ रही है कि फोर्मेलिटीज पूरी न हों तब तक स्वीकृति देकर काम प्रारम्भ करना कठिन होगा। इसमें कई माननीय सदस्य दिलचस्पी रखते हैं कि जल्दी

(श्री भीखाभाई)

से जल्दी कार्यवाही करके किया जा सके। मैंने अपने चेम्बर के अन्दर कई मीटिंग बुलाई। जिला परिषद् के प्रमुख, कलैक्टर और विकास अधिकारी आदि से बातें कीं और इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि कुछ कर सकेंगे।

वदनोर से आने वाले माननीय सदस्य ने शिकायत की गुलाबपुरा के एस. डी. ओ. के खिलाफ। इस सम्बन्ध में इन्क्वायरी करायी जावेगी और जो सजा हो सकती है वह दी जावेगी, इन्क्वायरी के तहत। हमने उनका तबादला कर दिया है। यह जानकर प्रसन्नता होगी।

उन्होंने एक दो बातें और कही हैं। सबसे बडा उनका इन्ट्रेस्ट था कि खारी बांध शुरू हो और काम हो। उसके बारे में कार्यवाही की जा रही है।

पाटन की पुलिया बनाने के लिए कहा। यह भी सम्भवतः काम पूरा हो सकेगा, मुझे आशा है।

माननीय सदस्या देवगढ से आ रही हैं उन्होंने कुछ भावनायें कटौती प्रस्ताव द्वारा पेश कीं। मैं यह समझता हूं कि वे उत्सुक हैं भीम और देवगढ तहसील में सिंचाई के जो ब्रीच्ड टैंक्स हैं, उनको पूरा किया जा सके। उनमें कई प्रकार की कठिनाइयां हैं। जागीर टैंक हैं। कुछ बाद में जागीरों से प्राप्त हुए। पंचायत समितियों के पास हो सकते हैं कुछ। रेवेन्यू के हैं। काश कि इतना रुपया होता कि उनको दुरुस्त कराया जा सकता। रणजीतसागर और दूसरे तालाबों के लिये कहा। टैक्निकली कितना वह साउन्ड होगा यह मैं नहीं कह सकता। एक तालाब की पहले स्वीकृति दी है। रणजीत-सागर की जांच कराई जावेगी और कोशिश की जावेगी। संकटकालीन स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुये कोशिश की जावेगी।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम): संकटकालीन स्थिति में लघु सिंचाई पर जोर नहीं दिया गया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, शिक्षा): संकट-काल लगा हुआ है।

श्री भीखा भाई : उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि लघु सिंचाई योजना पर ध्यान नहीं दिया जाता। सरकार का पूरा ध्यान है, बल्कि बढता जा रहा है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहली पंचवर्षीय योजना में १७५ लाख रुपया रखा गया था उसके अगेन्स्ट में २५० लाख खर्च किया।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : इतनी कम रकम रखी गई तो सारे तालाब बन जावेंगे ?

श्री भीखाभाई : दूसरी पंच वर्षीय योजना में २७७ लाख उसके अगेन्स्ट २१३ लाख खर्च किये। १६६ लाख इरिगेशन में, ४६ पंचायत समिति में खर्च किये। तीसरी पंचवर्षीय योजना में करीब १९५ लाख रुपया है जिसमें से १०० लाख रुपया भारत सरकार से फूड एण्ड एग्रीकल्चर से अलग लिया, १॥। करोड के करीब हुआ। मैं आपके जरिये से यह कह दूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार ने लघु सिंचाई योजना के बारे में बहुत कार्यवाही की है और

(श्री मीखाभाई)
कोशिश की है कि मीडियम योजनाओं पर जैसा खर्चा होता है उसी प्रकार यहां हो। मीडियम योजना में ११७.८ लैक्स। माइनर इर्रिगेशन में ३१.३७ लैक्स।

	१९५६-५७	५७-५८	५८-५९
मीडियम में	१ करोड	३१.३७	७.२३

उसके अगेन्स्ट में माइनर इर्रिगेशन वर्क्स

५६-५७	३७.८३
५७-५८	७.२३
५८-५९	२८.०४

उसके बाद जाकर ५९-६०	७४.९४	मिडियम में और माइनर में ३७.८३
६०-६१	१०१	माइनर में २८ लैक्स

इसी प्रकार हमारा रुपया बढता हुआ चला जा रहा है। मैं आपको माइनर इर्रिगेशन के आंकडे भी बता सकता हूं।

५६-५७	३१ लाख
५७-५८	२९ ,,
५८-५९	२८ ,,
५९-६०	३७ ,,
६०-६१	४० ,,
६१-६२	४७ ,,
६२-६३	५३ ,,

इस प्रकार लघु सिंचाई योजना पर ध्यान दे रहे हैं। राज्य सरकार की और भारत सरकार की नीति है कि लघु सिंचाई योजना बढाया जाय। प्लानिंग कमीशन ने भी इसको एग्री किया है कि प्लान को डेढा कर दिया जाय। ४० लाख रुपयों के अगेन्स्ट ५५ लाख खर्च करेंगे। १० लाख इस वर्ष में लिया है और आने वाले वर्ष के लिये ७० लाख माइनर इर्रिगेशन योजना में होगा। हमने इतना ही नहीं किया है राज्य सरकार के अधिकार थे वे मुख्य अभियन्ता को दे दिये हैं। राज्य सरकार की स्वीकृति और फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट जहां बीच में आता था, तो अब वह न होकर मुख्य अभियन्ता को अधिकार दे दिये हैं कि १ हजार एकड तक की सिंचाई की योजना हो तो १ पर्सेन्ट तक वे ही स्वीकृति दे दें। १,५०० से ऊपर १॥ पर्सेन्ट रिटर्न हो उसकी भी वे दे दें, १० हजार तक हो और उसका १.७ रिटर्न हो तो उसको भी वे कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने प्रयत्न किया है कि योजना कार्य सुचारु रूप से चालू किया जाय। यह आदिवासी क्षेत्र है उसमें समाज कल्याण विभाग द्वारा बराबर कार्य हो रहा है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : Point of information, Sir.

मेरा यह निवेदन है कि भारत सेवक समाज द्वारा श्रम-दान लिया गया है और उससे कई स्थानों पर रपट,पुलिया आदि बनवाई गई हैं किन्तु वह अधूरी पडी हैं। क्या उन अधूरे कार्यों को पूरा करने की योजना है? उसके बारे में सरकार की क्या नीति रहेगी? उस पर लाखों रुपया खर्च किया है। माननीय मन्त्री महोदय इस पर प्रकाश डालेंगे?

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो बात उठायी गई है, रपट आदि की जो बातें कही गई हैं, उसके लिये मेरा निवेदन है कि जो अधूरे काम पडे हैं उनको पूरा कराया जायगा।

बनेडा से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने कटौती प्रस्ताव के जरिये राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया। मैं उनसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि विलेज डवलपमेन्ट के लिये कुछ अधिकार पंचायतों को पंचायत समितियों को दिये हैं। बनेडा की कमेटी के बारे में शिकायत आयी है। पटवारी गिरदावर, मोहर्रिर ने जो पर्चे तावान बांटे हैं उनको सस्पेन्ड कर दिया गया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : पटवारी और चौकीदार को आपने सस्पेन्ड किया है, लेकिन जिसकी ज्यादा गलती है, उनको तो आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ ट्रान्सफर किया गया है। उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिये।

श्री भीखाभाई : यदि इन्क्वायरी के दौरान में किसी की नेग्लीजेन्स पाई गई, चाहे वह अधिकारी है, इन्जीनियर हो, उनके खिलाफ भी एक्शन लेने में सरकार की तरफ से कोई लापरवाही नहीं बरती जायगी।

बैटरमेन्ट लेवी के सम्बन्ध में कुछ चर्चायें उठायी गई। बैटरमेन्ट लेवी के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कुछ दिनों पहले साफ आदेश जारी किये गये हैं। उचित यह होगा कि उसको मैं पढ कर सुनाऊं।

(१) सुधार कर की वसूली का नोटिस ऐसी भूमि के लिये दिया जायगा जिसमें सिंचाई योजना के चालू होने के बाद वास्तव में सिंचाई प्राप्त हुई हो। जिस भूमि में सिंचाई नहीं हुई हो वह भूमि चाहे सिंचित क्षेत्र में दिखाई गई हो, उससे सुधार-कर वसूल नहीं किया जावेगा।

(२) ऐसी भूमि को जिसमें सिंचाई कोई नहीं की गई हो, जब तक वास्तव में सिंचाई नहीं की जाय, सुधार-कर नहीं लिया जायगा।

(३) ऐसी भूमि के लिये जो कि रेवेन्यू रेकार्ड में चाही दर्ज की गई है कोई सुधार-कर वसूल नहीं किया जायगा।

(४) ऐसी भूमि से जो कि पानी की जमीन (वाटर लोगिंग) के कारण खराब हो गई है, जिसका सुधार उपर्युक्त उपायों से नहीं किया जा सका है, तो सुधार-कर नहीं लगाया जायगा।

इसके अवाला एक और जो इम्पोर्टेन्ट है, वह भी सुना देना चाहता हू।

सुधार-कर की वसूली के लिये निश्चित दर के अनुसार मांग पत्र केवल उसी भूमि के लिये जारी किया जायगा जहां कि सिंचाई योजना द्वारा पांच वर्ष तक सिंचाई प्राप्त हो चुकी हो। इस सम्बन्ध में पीछे के तीन सालों की औसत रकबे पर मांग-पत्र तैयार किये जायेंगे। जब किसी भूमि की सिंचाई का विकास पहले के पांच सालों में नहीं हो पाया हो और वह विकास छठे, सातवें या आठवे, वर्ष हुआ हो वहां बाद की तीन सालों की औसत रकबे पर रुपया सुधार कर लगाया जायगा।

(श्री भीखाभाई)

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सुधार-कर सम्बन्धी सूचना मैंने सदन के सामने दी है। उससे माननीय सदस्य बहुत खुश हुए होंगे, अब वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर इस बात का प्रचार कर सकेंगे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जिनके लिये डिमान्ड नोटिस जारी हो चुके, उनके लिये क्या होगा?

श्री भीखाभाई : वे स्थगित समझे जायेंगे।

यहां पर मुख्य अभियन्ता के बारे में भी कुछ बातें कहीं गईं। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि वे माननीय सदस्य इस वक्त में सदन में मौजूद नहीं हैं। हमारे मुख्य अभियन्ता जो इस वक्त सिंचाई का काम करते हैं, उनके अनुभव के बारे में, कार्य-कुशलता के बारे में किसी को किसी प्रकार का शक नहीं होना चाहिये। वे ट्रस्टेड आदमी हैं, उनकी रेपूटेशन है और प्रतिष्ठा है। जिस वक्त वे जोधपुर राज्य में मुख्य अभियन्ता थे उन्होंने वहां भी अच्छे ढंग से काम सम्पादन किया था। जवाई बान्ध आप ही के समय में बना था।

सिंचाई और पी. डब्ल्यू. डी. दोनों विभागों के चीफ इन्जीनियर वे रह चुके हैं। उनके बारे में इस प्रकार की बातें कहना उचित नहीं था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): मैं यह जानना चाहता हूं कि इरिगेशन के सम्बन्ध में उनका एक्सपीरियेन्स कितना है?

श्री भीखाभाई : जवाई बान्ध जिस समय बन रहा था उस समय वे मुख्य अभियन्ता थे। इसके अलावा राजसमन्द, सरदार समन्द आदि बन्ध भी इन्हीं के जमाने में थे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं निवेदन कर दूं, मेजर इरीगेशन के संबन्ध में इनको एक्सपीरियेन्स नहीं है।

एक माननीय सदस्य: आपसे किसी ने सर्टीफिकेट मांगा नहीं है।

श्री भीखाभाई: उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे बहुत शान्ति से सुना। मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो खास खास मुद्दे उठाये गये उनका जवाब देने का मैंने प्रयत्न किया। इन शब्दों के साथ माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो भी कट-मोशन्स उन्होंने रखे हैं, उन्हें, विथड्रा करने की कृपा करेंगे और मूल डिमान्ड पास करने की कृपा करेंगे।

श्री हरि प्रसाद शर्मा: (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सिंचाई के बारे में राजस्थान सरकार ने डिवीजन कायम किये हैं, उनके अन्तर्गत भारत सेवक समाज द्वारा और श्रम-दान द्वारा कुछ कार्य किये गये हैं, कई जगहों पर रपटें बनी हैं, पुलियां बनी हैं, लेकिन वे सब अधूरे हैं। क्या उन योजनाओं को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है या उनको पूरा करने का विचार है? इस पर सरकार प्रकाश डालेगी।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : सभी योजनायें जो अधूरी हैं, वे पूरी हो जायेंगी।

Page No 104

(श्री नाथूराम मिर्धा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्रीजी ने सिंचाई के सिलसिले में जितने कट मोशन्स आये थे उनका उत्तर दिया। उनमें मीडियम और माइनर इरिगेशन के संबंध में जितनी बातें आयीं उनका उत्तर उन्होंने दिया। मैं उपाध्यक्ष महोदय, उन कटौती प्रस्तावों का, जो खास तौर से राजस्थान के बडे बडे प्रोजेक्टस से संबंधित हैं, उनके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान में दो बहुत बडे प्रोजेक्ट्स हैं; भाखरा और चम्बल, जो कि हमारे इस राजस्थान में पहली पंचवर्षीय योजना में चालू किये गये हैं। अब जो तीसरी योजना चल रही है, उसमें भी ये दोनों प्रोजेक्ट्स राजस्थान के दो अलग अलग हिस्सों में बनने जा रहे हैं।

भाखरा प्रोजेक्ट राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र गंगानगर जिले में बन रहा है। चम्बल प्रोजेक्ट राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में कोटा जिले में बन रहा है। ये दोनों प्रोजेक्ट्स सिंचाई के लिये बनाये जा रहे हैं। ये दोनों इलाके राजस्थान के भौगोलिक दृष्टिकोण से अपना अपना महत्व रखते हैं। गंगानगर जिला जिसमें औसत बरसात का एवरेज तीन से लेकर सात-आठ इंच तक वैरी करता है और कभी कभी दस इंच भी हो जाता है। सूखा इलाका है, रेतीला इलाका है, टीबों का इलाका है। वहां के इन्सान पानी की अहमियत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं।

कई इलाकों में बहुत कम पानी के उपलब्ध होने की बात कही गई। ऐसे इलाकों में गंगानगर की भी गिनती थी। वहां सन् २८ में एक सिंचाई का प्रोजेक्ट बना। अब दूसरा प्रोजेक्ट भाखरा का बनना चालू हुआ। हमारी पहली योजना में और अब वह करीब करीब कम्प्लीशन की स्टेज पर पहुंच चुका है। कुछ तीसरी योजना के दूसरे साल में खत्म हो रहा है इसका हिस्सा और बाकी तीसरे साल में पूरा हो रहा है।

इसी तरह से हमारी चम्बल परियोजना है, जो राजस्थान के उस इलाके में है, ठीक जहां पर बरसात की औसत आम तौर पर से तीस से ६० इन्च तक रेन्ज करती है। यानी उस इलाके में कुदरत की महरबानी है। वहां के लोगों को उतनी मुश्किल का सामना नहीं करना पडता, जितना गंगनहर और भाखरा नहर के इलाके वालों को, जैसा कि मैं अभी कह चुका हूं। जीविका के साधन दोनों क्षेत्रों में एक से हैं–खेती और पशु-पालन। पर जहां ३० से ६० इन्च बरसात होती हो वहां किसान को कुदरत की तरफ से गारन्टी रहती है, जब कि उस इलाके में जहां पर बरसात का औसत ५ से १० इन्च का रहता हो तो वहां के किसान को कुदरत की तरफ से इस तरह की गारन्टी नहीं रहती।

मैं यह बात इसलिये रखना चाहता हूं कि इन दोनों अलग अलग परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में, जो बडे बडे प्रोजेक्ट्स बने हैं, या बन रहे हैं, उनमें किस प्रकार की दिक्कतें लोगों के सामने, सरकार के सामने व सिंचाई विभाग के सामने आई हैं और आ रही हैं और भविष्य में आवेंगी। उनको आप इन दोनों क्षेत्रों की अलग अलग परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में देख सकें और समझ सकें।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं पहले उन बातों के लिये जो कि कटौती प्रस्तावों द्वारा चम्बर प्रोजेक्ट के लिये उठाई गई

(श्री नाथूराम मिर्धा)

थीं। चम्बल प्रोजेक्ट की जो लेफ्ट और केनाल के नाम से सिचाई योजनायें है उन पर कुल व्यय १६ करोड़ के लगभग है। सिंचाई की पहली स्टेज में जो गांधी सागर प्रोजेक्ट का हिस्सा है वह कुछ मध्य प्रदेश सरकार की मार्फत देना है। वह अलग है। इस १६ करोड के प्रोजेक्ट में आज तक जो कुछ हमने किया है, उसमें राइट और केनाल को अभी भी हम चला रहे हैं, वे अभी पूरी नहीं हुई हैं। खास तौर से कोटा बैराज का काम जिसकी लागत करीब ३।। करोड़ रुपये के लगभग है, ३८२ लाख के लगभग है उस काम को करीब करीब उस लागत में हमने पूरा कर लिया है।

और इसके बाद लैफ्ट केनाल का ज्यादा तर काम जो कि माईनर और नहरें बनाने का है, उसको भी करीब ८५–९० फी सदी तक पूरा कर लिया है।

राइट केनाल का काम अभी चल रहा है और उसमें बहुत सा काम अभी पूरा करना बाकी है। इन दोनों केनाल्स में जो १२।।– तेरह करोड का खर्चा होना था, उसमें से करीब दस करोड हम खर्च कर चुके हैं। तीन करोड का काम अभी केनाल वर्क्स के रूप में इन दोनों केनालके ऊपर बाकी है। और इसमें वे सारी बातें पूरी करनी बाकी हैं जिनके लिये इस सदन में माननीय सदस्य समय समय पर चर्चा करते रहे हैं। लोगों ने यहां बताया कि पानी का लीकेज होता है, सीपेज हो रहा है, इससे किसानों के खेतों में पानी आ गया है, नहरों की वजह से गांवों के रास्ते वगैरह बन्द हो गये हैं। पानी काफी फैल चुका है, लोगों को निकलने में बडी दिक्कत होती है। कहीं पर पानी इतना ज्यादा है, कि वाटर लोगिंग की समस्या खडी हो रही है, इससे लोगों में त्राहि त्राहि मची हुई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन के उन माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इतना बडा काम करने के बाद ये थोडी समस्याएं हल करनी रह गई हैं, तो उनकी भी हल करने की स्टेज अब आ गई है। अब हम उनको हल करने की तरफ ध्यान देंगे। हमने एक बहुत बडे परिवर्तन की तरफ प्राथमिकता से काम किया है, किसानों को पुराने तरीकों से निकाल कर, नये तौर तरीके में लाने की दिशा में हमने प्रयास किया है। इस बीच माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि अब चूंकि एमर्जेन्सी आ गई है और सरकार भी दिवालिया हो गई है खर्चा कर करके, इसलिये अब जो बच गया है काम, वह पूरा नहीं होगा। तो मैं निवेदन कर दूं कि ऐसी बात नहीं है। वे इस प्रकार का डर अपने दिमाग से निकाल दें। इमर्जेन्सी से इस पर असर पडने वाला नहीं है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि चम्बल का वह सब काम पूरा किया जावेगा जो अधूरा है। इसमें न दिवालियापन का सवाल है न और कोई सवाल है। यह तो उनका अपना सोचने का दृष्टिकोण है। हो सकता है वे छोटी बातों को बडा चढाकर बताते हैं। वे अपना कर्तव्य सा मान बैठे हैं छोटी बातों को मैग्नीफाई करके बडी बताना। इसमें भी मुझे ऐतराज नहीं है पर निवेदन मैं करदूं कि अभी हमें नहरों के बहुत से मेजर और माइनर काम भी इस इलाके में बनाने हैं। सिचाई के पूरे काम करने के लिये कम से कम अभी हमें ९-८ साल का समय और लगेगा। तो इस पृष्ठभूमि में आप सोचें।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

मैं पूरे फिगर्स आपको बतादूं कि करीब १५० काम सडकों पर पुल बनाने के करने हैं जिनमें अब तक ६८ काम पूरे किये हैं। इससे अन्दाज लगा सकते हैं कि आधे से कुछ थोड कम काम अभी करने बाकी हैं। इसी प्रकार से गांवों में एक गांव से दूसरे गांव के रास्ते जोडने के काम हैं, नहरों के ऊपर से होकर जाने के काम हैं, वे करीब १,५०० करने हैं, जिनमें से अभी २२६ पूरे किये हैं। लगभग १,३०० बाकी और हैं। तो आप जो चाहते है, वे हमारे भी ध्यान में हैं। पर जब इतनी बडी धनराशि हम खर्च करने जा रहे हैं तो हमें यह सोचना पडेगा, हमारे एक्सपर्टो की जो राय है उसको मानकर चलना होगा कि किन कामों में प्राथमिकता दी जाय, किन को बाद में किया जाय, किनको पहले लिया जाय। फिर यह निश्चित रूप से चम्बल एरिया में रहने वाला किसान जानता है कि किस तरह से वह सदियों से जो वहां ड्रेन्स बने हुए हैं उनसे निकलता रहा है पर चूंकि अब नहर का एक नाला और बन गया तो उसमें से निकलने में उसको दिक्कत आई और सदन में खडे होकर आवाज उठाई जाने लग गई कि नहरों के इन्तजाम में ढिलाई है, उनकी व्यवस्था नहीं है, काम नहीं करते, निकम्मे हैं। मैं ठीक मानता हूं कि इन बातों को हमें दूर करना चाहिये और करना है हमें, पर सवाल सिर्फ प्राथमिकता का है। ३॥ करोड की लागत की बैराज पहले बनाने की जरूरत है। इसे टॉप प्रायोरिटी दी जावेगी। इसे जानते हैं आप भी। तो किस काम को किस क्रम से लिया जाय यह सोच कर चलना पडेगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : जो आपने १॥ हजार काम के करीब बाकी बताये हैं, उनमें वे काम भी सम्मिलित हैं क्या जहां अभी नहर नहीं खुदी है?

श्री नाथूराम मिर्धा : वे भी हैं।

श्री कंवर महेन्द्रसिंह गावडी (बागोद) : तब तो हानि ही है।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो आप जो कहते हैं उन दिक्कतों को हम भी महसूस करते हैं। हमारे भी ध्यान में वे हैं। उनके लिये हमारे पास प्रावधान है हम उनको भी पूरा करेंगे, पर बारी बारी से करेंगे। उनकी बारी आवेगी, तो वे भी पूरे होंगे। हमें सारे कामों को पूरा करना है।

इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार कि उन्होंने लैण्ड एक्वीजीशन की डिफिकल्टी के बारे में कहा, मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि लैण्ड एक्वीजीशन का और इतनी बडी कैनाल के बनाने का और हमारे टारगेट्स को पूरा करने का, काफी बडा काम था····

श्री हरिप्रसाद शर्मा : Point of information

श्री नाथूराम मिर्धा : आप सुन लीजिये। मैंने भी आपकी बात को सुना अब हर बात की सफाई एक मिनट में यहां बैठकर नहीं हो सकती। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आज जो एक्वीजीशन की समस्या को उठाया कि ४-५ हजार आदमियों को मुआवजा नहीं मिला, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि जहां करी

(श्री नाथू राम मिर्धा)

२०-२५ हजार किसानों की लैण्ड को ऐक्वायर किया गया वहां २०-२२ हजार लोगों को मुआवजा दिया गया और उनको मुआवजे को चुका दिया गया । सिर्फ ३-४ हजार लोगों को मुआवजा देना बाकी है और उसकी सारी जिम्मेदारी इरिगेशन विभाग पर नहीं है क्योंकि मुआवजा असेस करने का काम रेवेन्यू के कुछ अधिकारीगण करते हैं और वह भी एक कानून के तहत में करते हैं और उसकी भी कई धाराओं के नीचे कई प्रकार के नोटिसेज देने पड़ते हैं जिनमें अलग अलग मयाद होती है और उसमें उजरियात करने का भी अधिकार शामिल है । इस लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट में कुछ सुधार भी किये गये हैं और ये सुधार इसी दृष्टिकोण से किये गये हैं ताकि लोगों को जल्दी से मुआवजा मिले । इस लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट की धारा ४ और धारा ५ के अन्तर्गत नोटिसेज देने होते हैं· · · ·

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह नोटीफिकेशन अब होते जा रहे हैं । आप गजट उठाकर देख लीजिये । तीन-तीन साल हो गये हैं · · · ·

श्री नाथू राम मिर्धा : उसकी भी बात कर रहा हूं । जो लिये हैं उनकी बातकर रहा हूं और जो पेंडिग हैं, उनकी भी बात कर रहा हूं । उपाध्यक्ष महोदय, आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि ३-४ से ज्यादा लोगों को मुआवजा मिल चुका है और ९१४, बल्कि इससे भी कम लोग ऐसे हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला है । मैं मानता हूं कि इसमें जल्दी की जानी चाहिए, लोगों को जल्दी मुआवजा मिलना चाहिए । सरकार ने जिनकी जमीन नहर के लिए या और किसी काम के लिए ली है, उसका मुआवजा उनको मिलना चाहिए । लेकिन प्राबलम को जितना बढाकर कहा जाता है मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है उसको माननीय सदस्य सोच लें और किस प्रकार की दिक्कतें हैं उसको भी देख लें । मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करूं कि हम भी तेज गति से काम को पूरा करने की फिराक में हैं और उनको पूरा करेंगे । इस तरह से चम्बल के रास्तों के बारे में, लैण्ड एक्वीजीशन के लिए और खास तौर से उन्होंने यह भी शिकायत की कि जिन लोगों की जमीन वहां पर पानी के नीचे आ गयी है उनसे लगान की दरें मांगी जाती हैं· · · ·

श्री हरिप्रसाद शर्मा : लगान नहीं, पिलाई मांगी जाती है ।

श्री नाथू राम मिर्धा : माननीय उपाध्याक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा मैं पहले हालात के बारे में निवेदन कर रहा था कि कोटा के लोगों की इस प्रकार की नहरों

करने की आदत पहले से नहीं है । इतने बड़े प्रोजेक्ट में, जहां रात दिन नहरें चलती हैं, जिन लोगों की आदत रात को सिंचाई करने की नहीं है वह क्या करते हैं कि अपने खेत का जो मोखा होता है उसको रात को बन्द करके बैठ जाते हैं· · · ·

श्री हरिप्रसाद शर्मा : और दहीखेडा जहां से नहर टूटी है ?

श्री नाथू राम मिर्धा : उस नहर के बारे में जिसका आपने जिक्र किया है वह टूटी, उसका जो पानी निकला, उसके सारे मामले में, सिर्फ ६० बीघा को छोडकर जो

(श्री नाथुराम मिर्धा)
जमीन नीचे रह गयी उसके मुग्रावजे का केस हमने तय कर दिया है ग्रौर लोगों को मुग्रावजा मिलने की बात है वह नियमों के ग्रनुसार दिया जायेगा····

श्री हरिप्रसाद शर्मा : कुर्की करके पिलाई की रकम वसूल की गयी है ग्रापके पास लिखित में भेजा है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास लिखित में तो ग्राया नहीं है, लेकिन जो मैं निवेदन कर रहा था कि वहां के हालात इस प्रकार के हैं, कि कोटा का किसान ग्रभी इतना केनाल माइन्डेड नहीं है कि वह इस प्रकार के तरीके से रात में सिचाई कर सके·····

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (रायसिहनगर) : Point of information, S r, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो बात ग्रापने कही कि लोग कनाल माइन्डेड नहीं होने से ग्राउटलेट्स वन्द कर देते हैं, यह तो सही है । लेकिन इसके साथ ही साथ ऐसी कन्डीशन नहीं है कि जहां वाटर लोगिंग······

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं इसी की बात कर रहा हूं । तो मैं यों निवेदन कर रहा था माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह इस प्रकार कि जब केनाल का रात को मोखा बन्द कर देते हैं तो वाटर का ग्रोवरफ्लो होता है । इस प्रकार के कई इन्स्टोन्सेज़ हैं । सीपेज के बारे में कहा, वाटर लौगिंग की बात ग्रापने कही । इस प्रकार हम शुरू से जागरूक हैं कि चम्बल एरिया के ग्रन्दर जहां सोइल की डैप्थ, जिसका पूरा सर्वे कर चुके हैं, कहीं १ फुट है कहीं १। फुट है । वहां लॉगिंग की बात खड़ी हो सकती हैं । लेकिन साथ ही कुदरत का एडवान्टेज मौजूद है वह यह है कि उस एरिया में इतने नेचुरल ड्रेन्स बनाये हुए हैं कि उसमें थोड़ी सी ड्रेन्स बना कर पानी को ग्रासानी से उसमें डाला जा सकता है । राजस्थान गवर्नमेन्ट ग्रौर ईरिगेशन डिपार्टमेन्ट ने इसके लिए ४८ लाख रुपये की स्कीम जहां यह वाटर प्रौबलम को छोड़कर ड्रेनेज के जरिये फालतू पानीको वापिस नालियों में डाला जाता है उसको हाथ में ले लिया है ग्रौर वह स्कीम कन्ट्रोल बोर्ड के पास पहुंच गयी है ग्रौर जहां ज्यादा जरूरी है उस काम को भी हमने हाथ में ले लिया है । उसके साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के कई इलाके जहां कि पानी के इकट्ठा करने से जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि लोगों के घर थे वह सूखने लगे उस पानी को वापिस लें ग्रौर इस प्रकार के लोसेज़ इनीशियल स्टेज में, जैसा मैंने कहा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिससे ५।। लाख एकड़ जमीन को रेगुलर ईरिगेट करना है पिछले दो-तीन साल में जो डेवलपमेन्ट किया है पहले साल में ३७ हजार, दूसरे साल में ६० हजार एकड़ ग्रौर तीसरे साल में १ लाख एकड़ ईरिगेशन इस चम्बल प्रोजेक्ट के ग्रन्दर डैवलप करने जा रहे हैं. तो इतने बड़े प्रौजेक्ट में जो नया ऐक्सपीरिमेन्स है, जो हमारे इन्जीनियर्स ग्रौर सब लोगों के लिए नया ऐक्सपीरियेन्स है इतने बड़े बड़े प्रौजेक्ट्स जिसके लिए ग्राप बात। कर रहे हैं, हिन्दुस्तान के कई इन्जीनियर्स ने पहली बार बनाया है, पहलीबार ही देख रहे है । तो जो टैक्नीकल चीजें खड़ी होती हैं उनको किस प्रकार से पूरा किया जाये, उस को ठीक करने के दृष्टिकोण से जैसा मैंने कहा कि बहुत सी जगह जहां मिट्टी कच्ची है ऐसी कैनाल को हमें लाइन करना पड़ेगा ग्रौर उसके लिए हमने प्रोग्राम बनाया है ग्रौर उसको ड्रेनेज के लिए ४८ लाख रुपये की स्कीम है ।

(श्री नाथूराम मिर्घा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लाइन कैनाल में बहुत बड़ी काश्त होती है और हम पहले से ही मानकर चलें कि सबको लाइन कैनाल ही करली जाय तो यह सम्भव नहीं है। तो मैंने इस चम्बल के बारे में जो जिस प्रकार की समस्या हमारे सामने है और जिसके ऊपर सदन के माननीय सदस्यों को चिन्ता है और जहां सरकार का ध्यान खींचा है उनके बारे में मुख्तसिर हमारा विभाग जागरुक है और जो इतना बड़ा प्रौजेक्ट है जिसका ईरिगेशन हमको मुश्किल हालात में डेवलप करना है, जहां का किसान ईरिगेशन के बारे में कॉन्श्यस नहीं है उसके बारे में सरकार का एग्रीकल्चर और ईरिगेशन विभाग दोनों के दोनों विभाग पूरी तरह से सतर्क हैं कि किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा किसानों को पानी मिले उनकी बढ़ोतरी हो, राजस्थान के फाइनेन्सेज की बढ़ोतरी हो, और इसका अच्छे से अच्छा परिणाम सरकार के सामने आये। तो यह मैंने चम्बल के बारे में कुछ बात रखी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो रहा है। क्या सदन की मंशा है कि जब तक प्रस्तुत मांगे पारित न हो जायें सदन का समय बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय जब तक प्रस्तुत मांगें पारित न हो जायें बढ़ाया जाता है।

(५ म. प.)

श्री भीमसेन सिंह (लूणकरणसर) : On a point of information Sir. जो गांव कैनाल लेवल से हायर इलिवेशन पर हैं, उनके बारे में क्या फरमा रहे हैं?

श्री नाथूराम मिर्घा: चम्बल के बारे में एक बात और रह गई है वह बता देता हूं. .

एक **माननीय सदस्य** : जमीन का हिस्सा तो बांटने लगे लेकिन लोगों को पानी मिलने में शंका है, उनको भय है· ·

श्री नाथूराम मिर्घा : किसानों के भय का संतोष तो आप दिलाइये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हम तो दिलायगे ही।

श्री नाथूराम मिर्घा: कुछ एक कटौती प्रस्ताव ऐसे आये और बहस ऐसी भी उठी कि कुछ चम्बल में ऐसे एरियाज हैं जिनको लिफ्ट ईरिगेशन से पानी देने की बात है। वह स्कीम है और करीब १ लाख एकड़ जमीन को लेफ्ट और राइट दोनों कैनाल से मिल सकता है और कैनाल से करना चाहते हैं लिफ्ट ईरिगेशन के जरिये जिसमें ५० पंपिंग सैट्स राइट की तरफ और इसी तरह से २·३ लेफ्ट की तरफ लगा सकते हैं और हरेक गांव को कमान्ड करना चाहते हैं। जिसके बारे में कि अभी जिक्र किया गया कि जमीन ली जा रही है, कमिटमेंन्ट्स पूरे नहीं किये जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर पौवर की प्राबलम ह। पावर देने के लिये इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिफ्ट करेके पहुंचाने के लिये सक्षम होगा उस समय किया जा सकेगा। ईरिगेशन विभाग आज भी इसके लिये तैयार है लेकिन पावर थर्ड प्लान में योजना में रखा है उतने के लिये पूरे हैड्स फुल हैं। इस काम को करने के लिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : पावर भी आपके पास है· · · ·

श्री नाथूराम मिर्घा : मेरे पास क्या है? राजस्थान गवर्नमेन्ट के पास है। लिफ्ट ईरिगेशन के लिये भी हम सतर्क हैं और चाहते हैं कि जल्दी से वहां पर भी व्यवस्था हो। फिर सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना

(श्री नाथूराम मिर्धा)
चाहता हूं कि चम्बल में इरिगेशन को डेवलप करने के लिये जब तक सदन का सम्पर्क बना हुआ है और लोगों का योगदान होगा··

श्री जुझारसिंह (चेचट): जो एरिया पविर की वजह से लिफ्ट नहीं किया जायगा क्या आपका इरादा उसे कमान्ड से निकालने का है इससे लोगों को परेशानी होती है।

श्री नाथूराम मिर्धा: कमान्ड से निकालने की जरूरत नहीं है। परेशानियां होती हैं उनसे बचाने का प्रयत्न करेंगे, पर कमान्ड से बाहर निकालना वाजिब नहीं होगा।

श्री जुझारसिंह: पॉवर का इन्तजाम हो जाय तो वापिस कमान्ड में ले लें।

श्री उपाध्यक्ष: पाइन्ट ऑफ ऑर्डर पर डिसकस न करें।

श्री नाथूराम मिर्धा: मैंने कहा कि लिफ्ट इर्रीगेशन के लोगों को परमानेन्टली कमान्ड के बाहर निकालना सही बात नहीं होगी, लेकिन अभी उनके इन्क्लूडेड रहने से किसी तरह से तकलीफ आती है तो कैसे बचाया जा सकता है? इस पर विचार किया जायगा।

एक जमीन के एलॉटमेन्ट की बात उठाई गई जो इर्रीगेशन से संबंध नही रखती है, लेकिन ड्रेनेज से जुडी हुई है, इसलिये अर्ज कर देता हूं कि यदि नदी के बैंक पर आ गई है और काफी नुक्सान हुआ है तो रेवेन्यू विभाग सतर्क है और उप-मंत्रीजी बता रहे हैं कि इस प्रकार की कार्यवाही बंद कर देंगे।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह गांवडी (दीगोद): राइट बैंक केनाल पर सीपेज से खेत खराब हो गये हैं; उनके बारे में क्या कर रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा: सीपेज से खराबहो गये हैं तो री-क्लेम करने की प्रोब्लम हाथ में ली है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): लास्ट ईयर पिलाई में ले ली थी······

श्री नाथूराम मिर्धा: इन्डिविज्यूअल झग हैं तो उनकी लिस्ट भेज दें, देख लेंगे।

माननीय उपाध्यक्षजी, चंबल के बारे में मैंने सदन को बताया कि माननीय समस्याओं को किस प्रकार हल करने के लिये विभाग और सरकार सोच रही है, उसके बारे में माननीय सदस्यों से निवेदन किया।

अब मैं भाखरा के सिलसिले में कुछ कहना चाहता हूं। भाखरा इर्रीगेशन के सिलसिले में माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं और कटौती प्रस्तावों की बहस में एक दो मुख्य मुद्दे उठाये भाखरा केनाल का इर्रीगेशन अभी तक सैटल नहीं हुआ है और टेल्स में कह कहीं अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। उन्होंने यह तो खुशी जाहिर की कि पानी आने लग गया है पैरेनियल हो गया है, इस वजह से लोगों में खुशी है। उपाध्यक्ष महोदय, भाखरा भी एक महत्वपूर्ण सिचाई योजना राजस्थान में है। भाखरा पंजाब में एक स्टोरेज डेम है। वहां से पानी राजस्थान में आता है पांच नहरों की मार्फत राजस्थान में पहुंचता है और इस भाखरा से २५००-२५५० क्यूसेक्स पानी अलग अलग इलाकों में पहुंचता है और जैसा कि निवेदन किया, जिस एरिया में गंग केनाल खत्म होती है भाखरा नहर उस एरिया में समाप्त होती है दोनों का कमान्ड एरिया

(श्री नाथूराम मिर्धा)
लगभग जुडता है । जहां गंग केनाल के कमान्ड एरिया से भाखरा की टेल्स जुडती हैं। जहां भाखरा की टेल्स खत्म होती हैं, । वहां इतना थोडा पानी पहुंचता है तो इन टेल्स में जहां बडे बडे टीबे हैं, धोरे हैं, गंग केनाल का कमान्ड एरिया और भाखरा केनाल का टेल एन्ड का इलाका सारा का सारा डेजर्ट है, इनमें इर्रीगेशन को स्टेबलाइज करने में समय की आवश्यकता है। इसमें समय लगेगा । भाखरा में पानी आ रहा है, जिस गति से चल रहा है, वहां पर जो पौधे लगे हुए हैं, वे परमानेन्ट नहीं हैं । जिस प्रकार गंग केनाल में परमानेन्ट है, उस प्रकार सिचाई को डेवलप करने के लिये जिस इलाके के में रैट हैं, जहां मोघे अपर रीचेज में ज्यादा पानी सप्लाई करते हैं । जब नोन पिरेनियल इर्रीगेशन था तब से ज्यादा पानी लेने की किसानों की आदत हो गई इसलिये लोवर लेवल में पानी पहुंचता नहीं था ..

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर): टेल वाले लोग भी पानी चाहते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : वे भी चाहते हैं और हम भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इतने सख्त ऑर्डर्स चीफ इंजीनीयर ने दिये हैं, कि जहां तक टेल पर पानी नहीं पहुंचेगा तब तक वहां के इंजीनीयर और ओवरसियर मौके पर से हट कर नहीं जायेंगे..

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर): और कोई वहां रहना तय करले टेल पर हो तो ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वहां रहना तय करने से कैसे काम चलेगा ? रोटी खाने के लिये चाहियेगी और दफ्तर भी संभालना पडेगा । इस इलाके में मुसीबत यह है कि टेल एन्ड्स पर टीबे ज्यादा होने से कई टेल्स जमीन के ऊपर बनी हैं, कई खुदी हुई हैं । उनमें रेत आ जाती है और आसानी से उनको बूर देती हैं । जहां जमीन के ऊपर बनी हैं, सारी की सारी नहर का हिस्सा उड जाता है और टेल की टेल गायब हो जाती है । इस प्रकार का वहां का वैदर कंडीशन है । वहां पर पानी थोडा पहुंचता है । टेल्स उड जाती है तथा बूर जाती हैं । मोघों को हम स्टेबलाइज करना चाहते हैं । किस चक में कितनी जमीन है, उसके हिसाब से मोघों को रेगुलेट कर रहे हैं । और जो इर्रीगेशन इस साल पिरेनियल शुरू हुआ उससे कितना एरिया, कितने चक रेगुलेट होंगे इसको देखना पडेगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: यह तो आपका मोघों के बारे में ख्याल है जिनमें पानी चढ चुका है । भाखरा में सैकडों मौघे हैं जिनमें पानी नहीं चढा है । जो पानी की नहर आई है, उस नहर की किश्त वहां लेंगे । उसके बारे में क्या राय है ?

श्री नाथूराम मिर्धा: जिन मोघों पर पानी नहीं पहुंचा है उसकी व्यवस्था करेंगे । जिन मोघों में पानी नहीं पहुंच सकेगा उसका कमान्ड एरिया नहीं हो सकेगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: माइनर में पानी नहीं पहुंच रहा है ।

श्री नाथूराम मिर्धा: माइनर की बात कही है । उसकी पोजीशन सही है । वहां अभी तक पानी नहीं पहुंच रहा है क्योंकि आज पानी का कन्जम्प्शन ज्यादा हो जाता है । ऊपर वाले लोग पानी लेते हैं और जमीन

(श्री नाथूराम मिर्धा)

में जो नालियां गई हैं, उनमें पानी ज्यादा चढ़ाते हुए भी जो वाटर की इन्टेन्सिटी है, वह २.२५ है। उसको पानी ज्यादा होने की वजह से इन्टेन्सिटी को कम कर दिया है, जिससे कई टेलों में पानी पहुंचा है। कई जगह नहीं पहुंचा है वहां पानी पहुंचाने के लिए हम खुद चिन्तित हैं। हम पानी पहुंचाना चाहते हैं जिससे सब किसानों को पानी मिले और............

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जिन जमीनों को पानी नहीं मिला है उनसे किश्त लेना बन्द कर रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बिल्कुल नही ले रहे हैं जिनको पानी नहीं मिला है।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ): जिन किसानों की काश्त उजड चुकी है उनकी किश्त सरकार ने खारिज करदी है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जिनसे किश्त ले ली है क्या उनको वापिस कर दी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा: आप मुझसे बाद में मिल लीजिये, मैं आपको सब बता दूंगा।

मैं निवेदन कर रहा था कि भाखरा के अन्दर तो हमारा इर्रीगेशन का काम-काज शुरू हुआ, लेकिन चम्बल में डिफीकल्टी आ रही है। भाखरा एरिया में इस साल जहां ५.७० हजार एकड जमीन इर्रीगेशन करनी थी, हमनें ५.७० एकड....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: मेरा प्रश्न यह है..

श्री नाथूराम मिर्धा : में से ४ लाख एकड इर्रीगेशन तक हम पहुंच चुके हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: रिवाइज्ड चकबन्दी के अन्दर बहुत सी चक हैं। जो पहले कमान्ड में थी लेकिन अब रिवाइज्ड चकबन्दी के सिलसिले से वे चक अन कमान्डेड हो गई हैं। तो आपने जो चार एम० ओ० डी० और ८ एम० ओ० डी० बताया—तो पहले जिनमें पानी लगाते थे, अब रिवाइज्ड चकबन्दी के बाद पानी लगना बन्द हो गया है। उनके बारे में क्या ख्याल है ?

श्री नाथूराम मिर्धा: मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। इस सवाल को आपने भाषण में उठाया नहीं, अब उठा रहे हैं। पहले उठाते तो मैं इसके बारे में जानकारी कर लेता। इस समय मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है और मैं जवाब देने में असमर्थ हूं।

एक कटौती का प्रस्ताव जो खास तौर से इस बारे में था.....

श्री श्योपत सिंह (हनुमानगढ): क्या यह सही है कि रात को नहर ज्यादा चलती है और दिन में उनमें पानी बन्द रहता है ? भाखरा नहर में दिन में पानी कम होता है और रात को ज्यादा रहता है, यह पांच साल से है ?

श्री नाथूराम मिर्धा: भाखरा क्षेत्र में रात और दिन में बराबर पानी चलता है। आप किसी खास नहर के बारे में पूछें तो जानकारी करके बता सकता हूं।

श्री श्योपतसिंह: आप अधिकारियों से पूछें।

श्री नाथूराम मिर्धा: अधिकारियों से पूछने के बाद ही कहता हूं कि जितनी इन्टन्सिटी

(श्री नाथूराम मिर्धा)

से रात को नहर में पानी चलता है उतना ही दिन में चलता है । आप किसी पर्टीक्यूलर नहर के बारे में बतायें तो मैं…

श्री श्योपतसिंह : सारी नहरों की ऐसी हालत है ।

श्री नाथूराम मिर्धा: रात में ज्यादा पानी कैसे चल सकता है ? पानी…

श्री श्योपत सिंह आप पूछ लीजिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा: मैंने पूछ लिया है ।

श्री श्योपत सिंह : आप जो इन्फार्मेशन दे रहे हैं वह गलत दे रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सम्भव है ।

श्री श्योपत सिंह : यह गलत इन्फार्मेशन है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : गलत है तो अच्छी बात है । आपकी बहस से वह ठीक तो नहीं हो जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष: अगर गलत है तो माननीय सदस्य को हक है, वे और विधि से पूछ सकते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं निवेदन कर रहा था, भाखरा क्षेत्र में इर्रीगेशन काफी तेजी के साथ डेवलप हो रहा है । जहां ५.७० हजार एकड हमें करना है, पैरीनियल इर्रीगेशन से वहां हम चार लाख तक पहुंच चुके हैं । वहां के किसानों के अन्दर पानी के बारे में जोश है । और जिस प्रकार माननीय सदस्यों ने कहा है, पानी के बारे में वहां की जो हालत है, उसके बारे में मैंने आपको निवेदन किया । मैं यह भी निवेदन कर दूं कि इर्रीगेशन के एस्टैब्लिश होने में, जोकि पैरीनियल सिस्टम इस साल से बना है, कम से कम दो-तीन साल में वहां की नहरों, मोघों की हालत और अच्छी तरह से जम जायगी । जो कुछ डिफीकल्टी आज लोगों के सामने आ रही है, उसके बारे में माननीय सदस्यों को निवेदन किया है कि इर्रीगेशन विभाग पूरी तरह से जागरूक है और उनकी दिक्कतों को हल करने के लिए समय समय पर जो कोशिश करने की आवश्यकता है वह करते रहते हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तीसरी पानी योजना के बारे में यहां जिक्र किया गया है और कटौती प्रस्ताव रखे हैं, गंग केनाल पानी योजना के बारे में, उसके संबंध में आपकी मार्फत मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि जिस गंग केनाल के बारे में कहा गया है वह राजस्थान का बहुत पुराना इर्रीगेशन का सिस्टम है, जो १९२७ में बन कर पूरा हुआ और उससे १९२८ में इर्रीगेशन चालू हुआ । इस गंग केनाल का एक इतिहास है । जिस समय पंजाब सरकार के साथ बीकानेर स्टेट ने यह योजना बनाई थी और उनके अन्दर जो संधि हुई थी, शर्तनामा हुआ था, उसमें यह था कि किस प्रकार कितना पानी इस गंग केनाल की मार्फत वहां के लोगों को सिंचाई के लिए मिलेगा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो एग्रीमेंट पंजाब सरकार–उस वक्त को पंजाब सरकार और उस वक्त को बीकानेर की गवर्नमेंट के साथ हुआ, उसके मुताबिक १९४७ तक, जब तक कि बीकानेर स्टेट और पंजाब स्टेट उस तरीके से उसी प्रकार अलग अलग स्टेट्स थीं, उस समय तक गंग

(श्री नाथुराम मिर्धा)
केनाल से वाटर सप्लाई ७०७ क्यूसेक्स थी। ७०७ क्यूसेक्स पानी गंग केनाल से मिला करता था उस एग्रीमेंट के मुताबिक...

श्री योगन्द्र नाथ हांडा : किस एग्रीमेंट का जिक्र किया ? एन्डर्सन अवार्ड का ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं जिक्र कर रहा हूं, पंजाब स्टेट से बीकानेर स्टेट को इर्रीगेशन का पानी गंग केनाल के मार्फत कितना मिलेगा उस एग्रीमेंट के अनुसार जो पंजाब स्टेट के साथ बीकानेर स्टेट का हुआ......

श्री योगन्द्र नाथ हांडा : आप गलत कह रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : गंग केनाल...

श्री योगन्द्र नाथ हांडा : एन्डर्सन अवार्ड पंजाब और बीकानेर के सम्बन्ध में नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान के सम्बन्ध में था और जो वाटर सप्लाई थी उसके तहत वह १,७०० क्यसेक्स थी।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको गलत सूचना है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : राय बहादुर बिहारीलाल की रिपोर्ट देख लीजिये। मैं चैलेंज करता हूं ....

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह काम नहीं चलेगा......

श्री योगेन्द्रनाथा हांडा: आप गलत इन्फार्मेशन कैसे दे रहे हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : ७०० और १,७०० क्यूसेक्स में फर्क है, आप भूल गये हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : उस एंडर्सन के अवार्ड में ७०७ क्यूसेक्स है, १७०० नहीं है। यह माननीय सदस्य को गलत जानकारी है। वे अच्छी तरह से कन्विन्स हो जांय। कोई बहस करने से या हल्ला करने से मैं फीगर्स चैंज नहीं कर सकता। यह मेरे हाथ की बात नहीं है। आपको पूरी जानकारी नहीं है ....

श्री श्योनत सिंह : ७०० क्यूसेक्स ।

श्री नाथूराम मिर्धा : ७०७ । अच्छी तरह सुन लीजिए, कान खोल कर।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): On a point of order, Sir.

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह 'हल्ला' लफ्ज गलत है। रैंक सकते हैं, हल्ला नहीं कर सकते।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रैंकना शब्द क्या है ? यह स्पष्ट हो जाना चाहिए।

श्री मुरलीधर व्यास : नसीराबाद से आये माननीय सदस्य....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा :(नसीराबाद): मैं आपको कह रहा हूं, जब इन्होंने कहा तब आपकी समझ में नहीं आया और अब पूछ रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : १९४७ में देश की हालत में परिवर्तन आया, राजस्थान एक अलग स्टेट बना और हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। उस समय

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हालत में परिवर्तन आया। पाकिस्तान को पानी मिलना था, उन्होंने दूसरी नदियों से अपना पानी पूरा किया। पंजाब के बहुत से इलाके और जिनको गंग केनाल के सिस्टम से पानी मिलता था, उसकी स्थिति में भी परिवर्तन आया। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान के उन इलाकों,जो पंजाब से उधर चले गये, पानी देने की व्यवस्था कहीं से करली और जब तक वर्ल्ड बैंक के एग्रीमेंट से पंजाब और पाकिस्तान का एग्रीमेंट फाइनेलाइज नहीं हो गया तब तक पंजाब के अन्दर, गंग केनाल के अन्दर पानी इफरात से पिछले दिनों मिलता रहा। जहां ७०७ क्यूसेक्स था, वहां ढाई हजार क्यूसेक्स, २,१०० क्यूसेक्स तक पहुंच गया और १,५००, १,२००, १,७००, क्यूसेक्स पानी गंग केनाल में चला पिछले कई वर्षों तक १९४७ के बाद, जब तक कि १९६० में संधि नहीं हो गई। क्योंकि एग्रीमेंट के नेशनल परिणाम निकल सकते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, वह यह है। जहां पानी ७०७ क्यूसेक्स से बढ कर १,२००, १,५००, १,७००, २,१०० चला, लोगों ने खूब खेती करना चालू किया, और जिसका नतीजा यह हुआ कि गंग केनाल की इन्टेंसिटी जो पैरीनियल, नोन पैरीनियल—जिस तरह इर्रीगेशन करते हैं—उसकी इन्टेन्सिटी बढी और जहां गंग केनाल की पैरीनियल की इन्टेन्सिटी ६० परसेन्ट थी वह बढ कर ९५ परसेन्ट, ९६ परसेन्ट हो गई और पहले जो रकबा सिंचित होता था करीब चार लाख, साढे चार लाख, उसके आंकड़े लगभग साढे सात लाख, आठ लाख तक पहुंच गये। वह रकबा इन्टेंसिटी पैरीनियल की बढ जाती है, नोन पैरीनियल की बढ जाती है। तो वह फायदा जो हमने लिया है तो उसका फायदा किसानों को भी मिलता है और किसानों को लाभ हुआ और उनकी आमदनी तेजी के साथ बढी। अब राजस्थान नहर का पानी घट कर १००० क्यूसेक्स हो गया.........

श्री केदारनाथ (गंगानगर): उस समय वाटर सेंस भी तो बढ गया था।

श्री नाथूराम मिर्धा: यह तो पानी टेल पर नहीं पहुंच रहा है उसका झगडा है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा: Point of information. Sir.

श्री भेरोंसिह: Point of information. Sir. माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि पाकिस्तान से जो हमारा सौदा हुआ है उससे राजस्थान को कितना आर्थिक घाटा होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई घाटा नहीं हुआ। यही तो मैं कह रहा हूं।

श्री भेरोंसिह: नुकसान तो हुआ है।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस संबंध में एग्रीमेंट हो चुका है।

श्री भेरोंसिह : कितना नुकसान हुआ ? क्या आपने कैल्कूलेट किया है ?

श्री योगन्द्र नाथ हांडा : Point of information. Sir आप जो कह रहे हैं, यह गलत चीज कह रहे हैं।

श्री नाथू राम मिर्धा : अगर मैं गलत कहता हूं तो वे चुप बैठे सुनते रहें। उन्होंने पचासों दफा गलत बातें कही हैं और मैं कोई बात कहता हूं तो आप उसको गलत बताते हैं और खडे हो जाते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप गलत बात कह रहे हैं इसलिए कहते हैं.........

श्री नाथू राम मिर्धा: आप कोई रेकार्डर लेकर बैठे थे। अगर रेकार्डर लेकर बैठे तो कुछ कह सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Ord r i O der ple se !!

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : Point of information, Sir मैं यह अर्ज कर रहा था कि माननीय मंत्री...

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन की इजाजत दे दी है क्या ?

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : मैं यह कहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय हाउस को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं जो गलत है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपके एक सेन्टेंस में ही गलत हो जावेगा।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : Point of order, Sir. It is my Privilege to have information.

श्री नाथूराम मिर्धा: आप मुझे बाद में इन्फोर्मेशन दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि उन्होंने अपनी जानकारी के अनुसार आपके सामने सूचना रखदी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वे सारे सदन को डार्क में रख रहे हैं। एक हजार क्यूसेक्स का पानी......

(चीयर्स)

श्री उपाध्यक्ष : Order Please ii

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा मैं माननीय मंत्री से इन्फोर्मेशन जरूर चाहूंगा। क्या वे यह सोचते हैं कि पानी कम हो गया तो उसकी वजह से टेल डाउन हो जावेगा। माननीय मंत्री को यह मालूम नहीं कि ५०, ५०,३० और ३५ क्यूसेक्स है दूसरी बैन्चों के वहां दूसरी बैन्चों का काम रोक कर उनमें पानी पूरा चलाया जाता है। जिसकी कैपिसिटी ५० की है उसमें १५० क्यूसेक्स पानी फेंका जावेगा। मैं यह अर्ज करूंगा कि गंगानगर में ऐसा कई जगह होता है इस कारण पानी नहीं पहुंच पाता यह नहीं कि १ हजार क्यूसेक्स पानी है इसलिये टेल नहीं पहुंचता।

श्री नाथू राम मिर्धा : I am in possession of the House. उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य उस इलाके से आते हैं इसलिये उसकी जानकारी सही ही है यह मान कर चला जावे कि जो कुछ वे कहते हैं वह सही है, यह मैं नहीं मानता। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि अभी मैं इसमें जाना नहीं चाहता।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : हाउस को अंधेरे में नहीं रखें।

श्री मुरलीधर व्यास : जिस चीज की आपको मालूम नहीं है तो आप उसमें जाते क्यों हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : गंग कैनाल के बारे में, टीलों के बारे में डिफिकल्टी बहुत हो जाती है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कुछ वर्षों तक हमने ज्यादा पानी का उपयोग किया। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन आया और उसकी वजह से हमारी इन्टेंसिटी कम हो गयी और खास तौर से कटौती के प्रस्ताव इस प्रकार के थे कि नाले ऊपर से लगाते हैं, फोटो पेश की है। तीन प्रकार के बारी लगती है। बारी, बारी......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पावर है। बारी तय करने का पावर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को है।

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय इस तरह से मुझे डिस्टर्ब न करें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री कटौती के प्रस्तावों का जवाब दे रहे हैं। यदि कोई बात कन्ट्रेडिक्ट करनी हो या किसी बात पर वाद-विवाद की जरूरत हो तो अपने रूल्स में उनके लिये प्रावधान मौजूद है। आप हाफ एन ओवर डिस्कशन कर सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: आप हाफ एन आवर डिस्कशन को एलाउ कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष: आप नोटिस दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : But it is within the discretion of the Speaker whether he gives time or not.

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आप हाफ एन आवर का नोटिस देंगे तब तय होगा।

श्री नाथूराम मिर्धा: हमने कुछ समयके लिये उसका लाभ उठाया। अब उसका लाभ राजस्थान को नहीं मिलता और इस लिये इतनी तेजी से पानी टीलों पर नहीं पहुंचा और चोरियां होती हैं और चोरियों को रोकने के लिये शिकायतें आती हैं तो इंजीनियर को उस पर कार्यवाही करने का अधिकार है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : This is again. Sir.

आपके इंजीनियर दूसरी ब्रांचेज को नहीं दें, तो टीले पर नहीं पहुंचने की शिकायत नहीं होती है। मेन्टीनेन्स तो होता नहीं है। आपके पास बजट कम है। इस वजह से पानी वहां तक कैसे पहुंचेगा।

श्री उपाध्यक्ष: Order please!

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं बड़े अदब से अर्ज कर रहा हूं . . . .

श्री उपाध्यक्ष : मैं मानता हूं कि कोई इन्फोरमेशन आपके मत के अनुसार गलत हो सकती है। मगर इस प्रकार इन्ट्रप्शन से कोई लाभ नहीं होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: मैं यह चाहूंगा कि वे सदन को मिसलीड न करें।

श्री नाथूराम मिर्धा: सदन तो मिसलीड नहीं हो रहा है वह तो शान्ति से सुन रहा है। आप ही बार बार कूद रहे हैं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): मैं, माननीय उपाध्यक्ष, इस बात पर जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार वाद-विवाद का तरीका दुरुस्त है, जब कि माननीय मंत्री सब कटौती के प्रस्तावों का जवाब दे रहे हैं, क्या यह डिस्टरबेन्स चालू रहना चाहिये या माननीय सदस्य है उनको इस तरह से बीहेव करना चाहिये ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please! जो मुद्दा उठाया गया है उस संबंध में मैं पहले स्पष्टीकरण कर चुका हूं कि जब कटौती प्रस्तावों का उत्तर होता है तो बीच में डिस्टर्ब नहीं किया जावे और अगर कोई क्लेरीफिकेशन के लिये पोइन्ट हो तो उसको उठाया जा सकता है। उसके बारे में बाद में जवाब दिया जा सकता है और भाषण तो बिल्कुल प्रतिबन्धित नहीं किया जा सकता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): माननीय उपाध्यक्ष, मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : Is it a point of order !

श्री मानसिंह महार (आमेर): ये रूलिंग को चेलेन्ज कर रहे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं यहां की व्यवस्था ठीक तरह से चलाने के लिये प्रोसीजर की सहायता लेना चाहता हूं। पोइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन आता है तो पूछ लिया जाय, पर बीच में बहस होती है तो यह परम्पराओं के खिलाफ है। हमारे भी कान हैं, हमारा भी वक्त है, आप दोनों की बातें तय नहीं होती हैं तो बात कर ली जाय, चेअर के आर्डर को तो माना जाय। बार–बार चेअर के आर्डर की अवहेलना की जाती है। उससे हमारी परम्पराओं पर चोट होती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन कर रहा था कि टेल्स पर पानी पहुंचने में किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, फिर भी आपकी मार्फत माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा विभाग इस बारे में जागरूक है कि जो पानी मिले उसका इक्विटेबिल डिस्ट्रीब्यूशन हो। क्योंकि गंग केनाल के मोघे बहुत पुराने समय से दबे पड़े हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय उपा-उपाध्यक्ष, मंत्री महोदय फिर गलत इनफार्मेशन दे रहे हैं। मैं सदन की मेज पर उन्हीं के द्वारा दिया हुआ चार्ट रखता हूं · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please!!

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह उन्हीं का चार्ट है, यह मैं · · · ·

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order please !! माननीय सदस्य ! Order please !

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : कोई फर्क नहीं पडता।

श्री उपाध्यक्ष : यह तरीका परम्परा के विरुद्ध है · · · ·

श्री मुरलीधर व्यास : यह तरीका ठीक है क्या ?

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! I will reguler the hon'ble member not make a pandemonium like that.

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर चुका हूं कि पोइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन दें। फिर भी गलत तथ्य जंचते हों तो इसके लिये रूल्स में इसके लिये अलग तरह से व्यवस्था है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा: एक चार्ट है इनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, यह मंत्री महोदय को देता हूं वर्किंग डेज का है · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! You can't raise a discussion like that.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: यह इनका डिपार्टमेन्टल चार्ट है, इसे मैं मंत्री महोदय को देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष :Order ! Order please !!

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : On a point of order, Sir. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और दूसरी परंपराओं के संबंध में व्यवस्था दें। इन्डीविजुअल के संबंध में व्यवस्था दें, पर व्यवस्था का सबसे बडा नाजुक प्रश्न उस समय पैदा होता है जब कि माननीय सदस्य खडे रहते हैं, उस समय जब कि आसन लैग्ज पर है। हमारी परम्पराएं, हमेशा इस बात पर जोर देती रही हैं कि आसन जब खड़ा हो तो माननीय सदस्य को आसन ग्रहण करना चाहिये। इस परम्परा में कभी बाधा नहीं पहुंची है। इसलिये व्यवस्था चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि आप जब खडे हों तो माननीय सदस्य, पैरों पर खडे न रहें, यह व्यवस्था चाहता हूं .....

श्री रामानन्द अग्रवाल : (अलवर) : आसन जब पैरों पर था, आप स्वयं खडे थे।

श्री उपाध्यक्ष :Order ! Order please !! इस व्यवस्था से सभी माननीय सदस्य परिचित हैं और आशा रखता हूं कि इसका सभी माननीय सदस्य पालन करेंगे।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा :On a point of order, Sir. माननीय उपाध्यक्ष, हाउस की यह परम्परा रही है कि जब भी कोई पाइन्ट आफ आर्डर, पाइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन रेज किया जाय जो सदस्य हाउस में पजेशन में हों, उन्हें बैठ जाना चाहिय। पर जितनी दफा पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन रखा गया मंत्री महोदय खड़े ही रहे, उनको आसन ग्रहण करना चाहिये था और मुझे अपना पोइन्ट आफ इन्फार्मेशन रखने देना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! आप प्रारंभ रखें।

श्री नाथूराम मिर्धा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रायसिहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो गंग नहर से सिचाई के संबंध में बातें कहीं और जिस प्रकार इस सदन की परम्पराओं के विरुद्ध एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के बारे में, और इस विभाग के चीफ इंजीनियर के बारे में जो इरिगेशन-सिचाई विभाग के हैं, उनके बारे में कहा वह सदन में कहा वह सदन की परम्पराओं के विरोध में था। व्यक्तिगत तौर से कहा है कि इस विभाग में अमुक अमुक आदमी ऐसा है मैं समझता हूं उनकी ऐसी टैक्टिक्स है कि वह उन्हें XXXX करके उनसे अपनी मर्जी की चीजें करवाना चाहते हैं।

(एक साथ अनेक माननीय सदस्य खड़े हुए)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह गलत है,

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह गलत है This is an aspersion.

श्री मुरलीधर व्यास : यह आक्षेप है ··

(शोरगुल)

श्री नाथूराम मिर्धा : या और कोई तरीका है जिसको वे पर्पीच्युएट कराना चाहते हैं, मैं इसे गलत समझता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय उपाध्यक्ष, मन्त्री महोदय ने कहा है वह मेरे ऊपर एस्प्रेशन है ···

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : on a point of order, Sir, माननीय

XXXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उपाध्यक्ष, मन्त्री महोदय ने एक बहुत सीरियस एलीगेशन लगाया है कि इस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य जो किसी भी विभाग और विशेष तौर से इस विभाग के अधिकारियों पर जो उनके काम में कमी-खामी बताई है, यह इस मंशा से किया गया है कि वे अपना कोई काम इस तरीके का रौब डाल कर निकालना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हाउस से चेअर की मार्फत कि हमें अपना राइट ऑफ फ्रीडम इस असेंबली में विचार व्यक्त करने का है, मन्त्री महोदय एक तरह से यह बात कह कर उसे चलेंज कर रहे हैं और हम चेअर का प्रोटेक्शन सीक करना चाहते हैं कि इस तरह के सीरियस एलीगेशन लगा कर जो हमारा राइट है उसको खत्म करने की कोशिश की है। मन्त्री महोदय को अपने इस चार्ज को वापिस लेना चाहिये और आशा करता हूं कि माननीय चेअर से कि इस प्रकार की व्यवस्था करेगी।

श्री भगराज चौधरी : Sir, it is not unparliamentary.

श्री उपाध्यक्ष : Your objection has been recorded.

श्री मुरलीधर व्यास : आपकी रूलिंग चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें रूलिंग का प्रश्न नहीं है। इसमें तो केवल यह है कि सभी पक्षों के माननीय सदस्यों को पारस्परिक आक्षेप नहीं लगाने चाहिये और खास करके सदन में अनुपस्थित आफिसर अथवा व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध यहां की परम्परा के अनुसार आक्षेप लगाना वाजिब नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय उपाध्यक्ष, आपने व्यवस्था दी है वह इस प्रकार की व्यवस्था दी है कि परस्पर आक्षेप लगाना उचित नहीं, वह अलग है। सवाल आपके सामने इस बात का रखा गया है कि मन्त्री महोदय ने यह कहा कि इस पक्ष के सदस्य कोई बात कह कर सम्बन्धित अधिकारी से अपना कोई काम कराने के लिये इस प्रकार कहते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा x x x x करना चाहते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर वे इस तरह की बात नहीं कहते हैं तो मान लें, वर्ना जिस तरीके से हम समझे हैं, उसका हम सख्त विरोध करते हैं और आपसे व्यवस्था चाहते हैं कि वे ऐसा कह सकते हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय स्वयं स्पष्ट कर दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने तो यही कहा था कि इस प्रकार परम्पराओं के विरुद्ध आक्षेप कर रहे थे, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उनको x x x x करके उन पर दबाव डालना चाहते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : किस पर··

श्री केदारनाथ : On a point of order, Sir......

श्री मुरलीधर व्यास : यह सारे सदन पर आक्षेप है।···

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order Please !!

(शोरगुल)

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, मन्त्री महोदय ने जिस भाषा

X X X X अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री भैरोंसिंह)
में रायसिंह नगर से आने वाले माननीय सदस्य के लिये कहा है वह स्पष्ट शब्दों में एक मेम्बर के ऊपर मोटिव इम्प्यूट करना है। कोई मेम्बर किसी अधिकारी के खिलाफ सदन में बोलें, कोई बात रखे तो इसका अर्थ लगा लिया जाय कि उस पर दबाव डालने के लिये कहा जा रहा है तो हम जो बात सदन में कहते हैं उसका इस तरह के आक्षेप के रूप में जवाब मिलता है तो यह निश्चित रूप से हमारे प्रिविलेजेज के ऊपर एन्क्रोचमेंट है। इस प्रकार कोई माननीय सदस्य करते हैं गलत बात, पर जब तक आपके पास प्रमाण नहीं है कि x xxx किया जा रहा है, या किया गया है तब तक इस तरह का आक्षप नहीं लगा सकते। आपने आक्षेप लगाया है वह बिलकुल अनुचित है। यदि आप स्पोर्ट्समेन स्पिरिट रखते हैं और आप कहते हैं कि आपकी भावना ऐसी नहीं थी तो आप अपने उन शब्दों को विथड्रा कर लें, इसमें आपकी और हमारी सब की प्रतिष्ठा है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय···

श्री उपाध्यक्ष: यदि कोई आक्षेप किसी पर डाइरेक्ट है तो मैं समझता हूं कि इसका ध्यान रखा जावेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: उपाध्यक्ष महोदय

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष: Order please !!

श्री मुरलीधर व्यास: उपाध्यक्ष महोदय··

x x x x अध्यक्ष पीठ के आदेशानसार निकाले गये।

श्री उपाध्यक्ष: Order please !

श्री मुरलीधर व्यास: जो आक्षेप अभी लगाये हैं उसका सवाल है, आगे का सवाल नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा: उपाध्यक्ष महोदय·

(शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय··

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष: Order please ! प्रोसीडिंग्ज़ के अन्दर स्वयम् व्यक्त की गई है, तथा मेरे ख्याल से जो बात कही गई थी वह जनरल बात कही गई थी किसी माननीय सदस्य की तरफ पोइन्टेड नहीं थी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: जनरल तो और भी खतरनाक है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: On a point of explanation, Sir, माननीय मंत्रीजी से इर्रिगेशन···

(व्यवधान)

श्री नाथूराम मिर्धा: आप बैठिये। आपका जावब मैंने अभी दिया नहीं है, दे रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी···

श्री उपाध्यक्ष: आप उनका एक्स्प्लेनेशन सुन लीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल: Is the Hon'ble Minister explaining the position or proceeding with the debate, we want to know आप प्रोसीड करना चाहते हैं या विथड्रा करना चाहते हैं।

Page No 122

श्री नाथूराम मिर्धा : आप जो मर्जी आवे कहते जायं, कुछ कहें नहीं। में आपसे निवेदन करूं कि फ्लड कन्ट्रोल के बारे में माननीय सदस्य ने कटौती प्रस्ताव में···

श्री भैरोंसिंह : उसका निर्णय पहले दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : These words must be withdrawn.

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, में आपसे यह···

(व्यवधान एवं शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष: Did he directly refer to any body ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : Yes Sir, to the Hon. Member.

श्री उपाध्यक्ष : He said that he thought that it was a sort of pressure, saying and doing such things, but it was not meant to, directly refer to any hon. Member. That is what I have heard and, therefore, I am not in a position to holl the hon. Minister responsible that he had said anything derogatory for a particular Member.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Point of order, Sir. माननीय उपाध्यक्ष महोदय···

(शोरगुल)

श्री मुरलीधर व्यास : आपसे हमारी यह अर्ज है कि प्रोसीडिंग्स तो सामने है। आप इसको दिखा लीजिये।

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, Point of order, Sir.

श्री मुरलीधर व्यास : प्रोसीडिंग्स वर्ज हो चुकी है। स्पष्ट रूप से इस प्रकार कहा है।

श्री हरिश्चन्द्र : On a point of order, Sir.

श्री मुरलीधर व्यास : आप प्रोसीडिंग्स देख लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : I will consult the proceedings. में देख कर फिर बात करूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : प्रोसीडिंग्ज तो बिलकुल सामने हैं। इसका निर्णय होना चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय··

श्री उपाध्यक्ष : I will consult the proceedings when they are printed and do the necessary thing.

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसका निर्णययहां पर होना चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्र : On a point of order please.

श्री उपाध्यक्ष : जहां तक प्रोसीडिंग्ज कन्सल्ट न कर ली जाय कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। जहां तक सुना गया है वही निर्णय दे सकते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य को इतना गरम होने की जरूरत नहीं थी। अंग्रेजी में

Page No 123

(श्री हरिश्चन्द्र)

xxxx वर्ड है उसको 'प्यार' के लफ्ज में भी कहा जा सकता है। अगर किसी को xxxx कहें तो वह एक 'प्यार' से संबंधित होता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : xxxx में कितना प्यार है और मंत्री महोदय में कितना प्यार है, यह समझा है आपने ?

श्री हरिश्चन्द्र : अगर कोई छोटा बच्चा, है तो उसके पेरेन्ट्स कई दफा 'as a xxxx' एड्रेस करते हैं। इसका मतलब यह थाटेड है कि नाराजी का प्रश्न हो, it is a term which is viewed ordinarily in English for love and affection.

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

रामानन्द अग्रवाल : These words must be withdrawn before he proceeds.

श्री उपाध्यक्ष : Idonot know what is the word to be withdrawn ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चीफ इंजीनियर, जिसके संबंध में मैंने जिक्र किया वह मुझको दबा रहे हैं और मंत्री महोदय उल्टा कहते हैं कि मैं उनको दबा कर कार्य करवाता हूं। यह मंत्री महोदय का क्लीयर कट-एस्पर्शन है मेरे ऊपर। हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। मंत्री महोदय कहते हैं · ·

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ प्रोसिडिंग्स में है वह स्पष्टतया अध्यक्ष महोदय के सामने आ जावेगा।

अगर वे कोई चीज ओब्जेक्सनेबिल समझते हैं तो वे प्रोसीडिंग्स को देख कर अपना निर्णय दे देंगे। जहां तक सवाल यहां सामने आया उसमें कोई स्पष्ट बात नहीं होती है कि किसी के खिलाफ कोई पोइन्टेड रेफरेन्स किया गया हो इसलिये उस विषय में मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर इस प्रश्न का निर्णय नहीं होता है तो हमारे लिये किसी भी सवाल के लिये बोलना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी डिपार्टमेन्ट को हम क्रिटीसाइज करें उसके लिये यह मोटिव हमारे लिये इम्प्यूट किया जायगा कि 'xxx' करके किसी डिपार्टमेन्ट से काम कराया जा सकता है। वह हर एक क्रिटीसिज्म, हर एक बात के लिये कहा जा सकता है। इस प्रकार हम बोल नहीं सकते। हमारा यहां बैठना मुमकिन नहीं है · · · ·

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री खड़े हुए)

श्री रामानन्द अग्रवाल : I understand English.

(शोरगुल)

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : On a point of order, Sir, I rise on a point of order. Sir, हमारे जो अलवर से आने वाले माननीय सदस्य हैं वे किस बात पर भाषण दे रहे थे जब कि आपकी व्यवस्था इस बारे में हो चुकी है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जो रूलिंग हुई

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

Page No 124

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

है उसको प्रैस करना चाहता हूं। आपने निर्णय दे दिया है और आगे अब किसी चर्चा की और व्यवस्था की आवश्यकता नहीं रहती है और यह टोपिक बन्द किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने यह व्यवस्था दे दी है कि कोई प्रोसीडिंग्स को देखने के बाद शब्दावली होगी माननीय अध्यक्ष उसको एक्सपन्ज करेंगे अथवा जो आदेश होंगे उनको मान्य किया जावेगा। इस संबंध में, इस समय में और कोई रूलिंग नहीं दे सकता। मैं माननीय सदस्यों से सहयोग की अपील करूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक तरफ इस प्रकार के चार्जेज लगाये जायं और मोटिव इम्प्यूट किया जाय और दूसरी तरफ डायरेक्टली रिपीट किया तो उसमें भी वही रिपीट किया। इस तरीके से सदन में इस तरीके की बातें की जाती हैं। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, उनको अपने ये शब्द विथड्रा करने चाहिये। जो यहां स्टेन्ड लेते हैं, आफिसर्स को क्रिटीसाइज करते हैं, उस क्रिटीसिज्म को, उनको सुनना चाहिये और इस प्रकार से मोटिव इम्प्यूट नहीं करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में यद्यपि यह व्यवस्था दी गई है, फिर भी जिस प्रकार का उत्तेजित वातावरण हो रहा है उसको द्रष्टिगत रखते हुए माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि वाद-विवाद में कई माननीय सदस्य इस पक्ष के या उस पक्ष के, सरकारी पक्ष के भी कहते हैं कि यहां जो बात हो रही है उसका दबाव इस प्रकार से आगया या उस प्रकार से नामजद पोइन्टेड रैफरेन्स कह दिये जाते हैं और बाद में उनको एक्सपन्ज करने के लिये आसन की ओर से व्यवस्था दी जाती है ताकि उस प्रकार का वातावरण न बने। इसलिये इस प्रकार का रेफरेन्स आ जाता है तो वाद-विवाद का ढंग खत्म हो जावेगा। मैं यह मानता हूं कि सदन की प्रतिष्ठा के अनुकूल वाक्य कहे जायं, सुन्दर वाक्य और सुसंस्कृत वाक्य कहे जायं। वाद-विवाद में प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उधर या इधर से तेजी नहीं आती है तो वातावरण एक अलग प्रकार का हो जाता है। इसलिये माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इस संबंध में उत्तेजित न हों और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि प्रोसीडिंग्स को देख लिया जावेगा और पोइन्टेड रैफरेन्स होगा या साधारण वाद-विवाद से ऊपर गये हैं तो माननीय अध्यक्ष उसमें अवश्य ही मुनासिब कार्यवाही करेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सदन की आज की बैठक समाप्त होने से पहले आप इस संबंध में प्रोसीडिंग्स को देखकर अपना निर्णय दे दें। ताकि वह परिस्थिति के ज्यादा अनुकूल होगा। इसी संबंध में, मैं माननीय मंत्री से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह का मतलब xxxx का माननीय श्री हरिश्चन्द्रजी ने लगाया है अगर वे उसको स्वीकार करके यह कह दें कि मेरा मतलब भी इसी प्रकार का था तो यह परिस्थिति एक मिनट में समाप्त हो सकती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : xxxx शब्द काम में ही नहीं आया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय याता-

---

XXXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
यात मंत्री महोदय ने इस शब्द के बारे में स्पष्टीकरण करने की चेष्टा की थी। xxxx शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह प्यार में किया गया है। इसके संबंध में जो चम्बर्स डिक्शनरी है उसमें xxxxशब्द का यह अर्थ दिया गया है " cuel oppressor of the weak; a blustering, noisy, overbearing fellow; a ruffian hired to beat or intimidiate anyone; a fellow who lives upon the gains of

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस संबंध में यह निर्णय देता हूं कि अगर xxxxशब्द था तो xxx शब्द को एक्सपन्ज कर दिया जाय। I think the matter should be closed now.

श्री हरिश्चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, जो रूलिंग दी गई है उसके बारे में मुझे कोई एतराज नहीं है। आपने डिक्शनरी देखकर जो कुछ कहा उसके लिये मुझे कोई एतराज नहीं। अंग्रेजी में, in colloquial English, xxxx is termed with reference to love and affection.

इसका यूज अफेक्शन में होता है आप किसी अंग्रेज से पूछ सकते हैं। छोटे बच्चों को xxxx कह कर अफेक्शन नहीं देते हैं तो I am prepared to withdraw my words. जिस बैकग्राउंड में प्रयोग किया गया है वह अनुचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'able Minister, the terms of lave and affection can go to any extent but now I think we should close this chapter and proceed with the debate.

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं गंग केनाल के मसले को छोड़ कर फ्लड कन्ट्रोल की जो इम्पोर्टेन्ट मद है राजस्थान के कुछ एरिया के बारे में जहां फ्लड का अन्देशा रहता है कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं। खास तौर से भरपपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने भरतपुर इलाके के अन्दर जो फ्लड से नुकसान होता है उस ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि भरतपुर में फ्लड समस्या जब ज्यादा बरसात होती है खास तौर से आस-पास के इलाकों में वहां पर जो ईरिगेशन का सिस्टम बना हुआ है उसके कारण फ्लड की समस्या खड़ी होती है। और खास तौर से वहां की कुछ तहसीलें जो भरतपुर के आस-पास हैं, वहां काफी तादाद में पानी इकट्ठा हो जाता है। वहां पर नगर और पहाड़ी तहसील ऐसी ही तहसील है। वहां पानी इकट्ठा होता है और कामा तहसील में भी बहुत पानी इकट्ठा हुआ है। इस समस्या को हल करने के लिये वहां पर तीन प्रकार की ड्रेनेज अलग अलग एरिया में बनानी है। कामा, पहाड़ी और डीग इन तीनों तहसीलों में एक डैम बनाने की योजना है, जिसका संबंध यू. पी. के साथ भी मिलाना है यह ६० लाख की स्कीम है।

इसके बाद जो भरतपुर के आस-पास पानी इकट्ठा होता है वह भी ४० लाख की

---

xxxx अध्यक्षपीठ की आज्ञानुसार निकाला गया।

(श्री नाथूराम मिर्घा)

स्कीम है । इन सारी स्कीमों का पूरी तरह से सर्वे कर लिया गया है तीसरी योजना के अन्दर इसके लिये ६० लाख का प्रावधान रखा है । इस स्कीम को अगले सालों में पूरा करने के दृष्टिकोण से करीब १३ लाख का प्रोवीजन किया गया है । इस स्कीम को टेक अप करके पूरा करने की कोशिश करेंगे ।

इसके बाद जिस समस्या की ओर आपने अपने कटौती प्रस्ताव के जरिये ध्यान आकर्षित किया वह है गुड़गांव केनाल के बारे में । वह स्कीम पंजाब यू. पी. और राजस्थान-तीनों के मिल जुल कर सहयोग से इस स्कीम को बनाना है । इस स्कीम को फाइनेलाइज करने में तीनों स्टेट्स का सहयोग होना चाहिये । उसमें पड़ने वाली बाधा काफी अंशों में दूर हो गई है । इस वजह से पिछले साल भी इसके लिये प्रावीजन रखा था १० लाख रुपये का । पर वह स्कीम फाइनेलाइज नहीं हुई इसलिये वह पेपर्स पर ही खर्चा रहा । इस साल एक लाख का प्रावीजन रखा है । वह स्कीम हम सोचते हैं इस साल में फाइनेलाइज कर लेंगे और कुछ वर्क इस साल में चालू कर देंगे ।

खास तौर से हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने उधर जो फ्लड आती है उस ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया । मैं सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करूं उस एरिया के फ्लड कन्ट्रोल की एक स्कीम है, जो बहुत बडी स्कीम है । जो ४.७२ लाख की योजना है, जिसको फाइनेलाइज किया जा चुका है । राजस्थान सरकार ने वह स्कीम सेन्ट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन को भेज दी है । वह उनके अन्डर एक्जामिनेशन है । प्लानिंग कमीशन द्वारा एक्जामिन होने के बाद हम इस स्कीम को हाथ में लेंगे । इसको जल्दी से जल्दी फाइनलाइज किया जाय इसके लिये हमने प्लानिंग कमीशन पर भी जोर डाला है और इसको हम तुरन्त ही हाथ में लेंगे । इस स्कीम को हाथ में नहीं लिया गया तो पंजाब में जो ड्रेनेज वर्क बन रहे हैं, उसके कारण पिछले साल में काफी बड़ा फ्लड आया । उसकी कैपेसिटी १८-२० हजार क्यूसेक घग्घर के नीचे से राजस्थान केनाल के साइफर के नीचे से निकाल कर बहुत तादाद में पानी आया । जितना पानी पहले कभी नहीं आया । हमेशा तीन चार हजार क्यूसेक आता है । बहुत बड़ी तादाद में पानी आया इसका कारण है कि ड्रेनेज के ऊपर वर्क्स बन रहे हैं । पंजाब गवर्नमेन्ट यह कहती है यह पानी की तादाद २५-३० और ४० हजार क्यूसेक तक जा सकती है । राजस्थान कितना पानी ले सकता है यह उस पर निर्भर है यह मामला पंजाब और भारत सरकार के बीच में गौर तलब है । राजस्थान इतनी बड़ी तादाद में पानी लेने की क्षमता नहीं रखता तो पंजाब उस पानी को किधर डाइवर्ट करे यह काफी वाद-विवाद का प्रश्न है । यह पूरी स्कीम ४.७२ लाख की स्कीम है जो २२ हजार क्यूसेक्स पानी घग्घर की रेग्युलर चैनल में बराबर सूरतगढ़ के धोरे में ले जा कर एक लेक के रूप में इकट्ठा करके डालना चाहते हैं । इस स्कीम को जल्दी से जल्दी फाइनेलाइज किया जाय, इस ओर राजस्थान सरकार का प्रयत्न जारी है ।

(६ म. प.)

श्री मथुरा दास माथुर (गृह मन्त्री) : On a point of order, Sir. Since the word xxxx has been put on the record, and the meaning, which hon. Shri Satish Chandra

Page No 127

श्री (मथुरादास माथुर)

gave has also been put on record, I would like to quote from Webste'rs Dictionary; only because it has come on the record, otherwise I am not interested in opening the issue.

माननीय उपाध्यक्षजी जो वेब्सटर डिक्शनरी है, उसमें

"xxxx" means:—

"Sweetheart, darling, good fellow, fine chap."

श्री उपाध्यक्ष : This has also been recorded. Of course, a ruling has already been given. Hon. Minister, I think the Hon. Members do not want to be called sweethearts.

श्री मथुरादास माथुर : स्वीट हार्ट को पसन्द नहीं करते । They do not deseove it.

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने सदस्यों को xxx नहीं कहा था । मैंने तो कहा कि उनका तरीका xxxx करने का है ।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं गंगानगर के फ्लड कन्ट्रोल के बारे में आपसे जिक्र कर रहा था । उस स्कीम के बारे में राजस्थान सरकार इस बात के प्रयत्न में है कि···

श्री मुरलीधर व्यास : On a point of Order, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Now please leave it.

श्री नाथूराम मिर्धा : कि पंजाब सरकार की सलाह से इसको फाइनेलाइज कर सकें··

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मुझे जहां तक इंगलिश भाषा का ज्ञान है उसके आधार पर मैं निवेदन कर दूं कि इस XXXX शब्द के ओरीजिन को देखा जावे तो इसका उद्भव XXXX से हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष : That whole thing has been closed, Hon'ble Member.

एक माननीय सदस्य : अश्रव्य ।

श्री केदारनाथ : I know it. I am Master of Literature. xxxx का Domineering and oppressive character है xxxx is all the more objectionable.

श्री उपाध्यक्ष : The ruling has already been given.

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): A xxxx

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! No more discussion on xxxx.

श्री हरिश्चन्द्र : I don't agree with him.

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! No more discussion on xxxx. xxxx has already been put outside the House.

(सर्व श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, ज्वालाप्रसाद शर्मा आदि एक साथ बोलने लगे, अश्रव्य एवं शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order !! Order please !!!

(शोरगुल आदि)

श्री उपाध्यक्ष: I hope the Hon'ble Members will now be patient माननीय ज्वालाप्रसाद ! ऑर्डर प्लीज ।

---

xxxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाले गये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : फ्लड कन्ट्रोल की बड़ी स्कीम के बारे में जिक्र किया। हम चाहते हैं कि आउट साइड दी प्लान भी पसा लाकर राजस्थान में इसको जल्दी से जल्दी चालू करें। इस दौरान इमीजिएटली इस प्रोब्लम को हल करने के लिये तलवाड़ा, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ टाउनों को बचाने के लिये टेम्प्रेरी बांध बनाया है और तलवाड़ा में बन रहा है। और भी कई गांवों में इस प्रकार के इमीजिएटली स्टेप लेना इस प्रोब्लम को हल करने के लिये आवश्यक है, इस बारे में भी सरकार जागरुक है और इस बारे में जो भी जरूरी कदम हैं वे सब उठाये जा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान केनाल के बारे में कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया कि उसके ऊपर जो काम चल रहा है वह धीमे चल रहा है। उन्होंने कुछ आंकड़े पढ़ कर सुनाये। मैं आपकी मार्फत, सदन के सदस्यों की जानकारी के लिये, निवेदन करना चाहूंगा कि जो राजस्थान के फीडर का हिस्सा पंजाब में है वह ११० मील का बनाना है। अप्रेल ६४ तक वह पूरा का पूरा बन जायगा। मैं स्वयं उस मौके पर होकर आया हूं और उसके आधार पर कह सकता हूं कि जो शिड्यूल्ड टाइम है उसक पहले पहले सारी केनाल का पूरा का पूरा निर्माण हो जायगा। सिवाय एक आध जगह जहां साइफन वगैरह को डाउन होकर निकालना है, उसको छोड़कर सारे केनाल का काम पूरा हो जायगा। जो बाकी रहेगा वह भी ऐसा हिस्सा नहीं होगा जिससे नोन पेरीनियल पानी जहां लाना हो जिस समय लाना हो, उस समय उसको नहीं ला सकें। तो ६४ के अप्रेल तक जो शिड्यूल्ड टाइम है, तब तक पूरा हो जावेगा।

अब रहा राजस्थान में, जो राजस्थान फीडर और राजस्थान केनाल है उसका। उस हिस्से में हमारा कन्स्ट्रक्शन का प्रोग्राम है। सबसे पहला जो हिस्सा मील ० से १३ तक जिसके ऊपर नौरंगदेसर और रावतसर आता है, जिसके नीचे दो लाख एकड़ का रकबा है, चालीस हजार एकड़ एक तरफ और १०६० हजार एकड़ दूसरी तरफ उसके लिये जो केनाल की जरूरत ह, उसके लिये हमें जो काम करने हैं, वे सारे काम पूरे हो चुके हैं और उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई काम सिवाय छोटे-मोटे के बाकी नहीं है। यानि वह पूरे का पूरा एरिया नोन-पेरीनियल पानी को लेने के लिये तैयार है।

नेक्स्ट सूरतगढ़ ब्रान्च का हैड आता है। इन दोनों हैड्स के बीच में केनाल का काम करीब-करीब बहुत अच्छी गति से चल रहा है। जब तक पूरा केनाल ऊपर का तैयार होकर नोन-पेरीनियल पानी को लेने को तैयार होगी तब तक इस हैड के मेन केनाल का काम, इस हैड का काम, सूरतगढ़ मेन केनाल का काम और उसकी जितनी ब्रान्चें हैं, जिनसे सिंचाई होने की आवश्यकता है, उनका काम पूरा कर सकेंगे। बराबर शिड्यूल्ड प्रोग्राम के हिसाब से वह पूरा हो जावेगा।

शिड्यूल के मुताबिक दो ढाई लाख एकड़ जमीन सूरतगढ़ के नीचे कवर करना है उसको भी अप्रेल के बाद बरसात होगी तब तक उस काम को भी पूरा कर सकेंगे।

इसके बाद नेक्स्ट सिस्टम है मील ४७ के बाद। लो लवल ब्रान्च से सिंचाई का काम पूरा होता है। इसको पूरा करना है जिस डट तक,

(श्री नाथूराम मिर्धा)

उस डेट तक इसको भी हम पूरा करने की क्षमता रखते हैं ।

उन्होंने कुछ फाइनेन्शियल दृष्टि से फीगर्स दिये । और बताया कि जो प्रोवीजन राजस्थान केनाल के लिये रखा है वह पूरा नहीं कर पाये, खर्च नहीं कर पाये वह रकम । मैं निवेदन करूं कि इसमें जो खर्च का प्रोवीजन है, वह पंजाब के एक हिस्से के लिये है, राजस्थान के दूसरे हिस्से के लिये है, तीसरा राजस्थान केनाल के एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्से के लिये है । इस तरह से तीन चार हिस्सों में यह प्रोवीजन रखा गया है । मैं जानकारी दूं कि जो फीगर्स हमने ६०-६१ के पंजाब और राजस्थान में रखे थे, उसमें पंजाब का हिस्सा था ३४२ लाख का और राजस्थान का ३१८ लाख । इसमें से ३४३ लाख पंजाब ने खर्च किया और राजस्थान ने ३१८ के बजाय ३४१ खर्च किया । इसी प्रकार से १९६२-६३ में पंजाब के हिस्से में जो बजट का प्रोवीजन था, वह २२२ लाख का था और राजस्थान में भी २२२ लाख का था । इसमें से पंजाब ने अपने हिस्से में ३०७ लाख का खर्चा किया और राजस्थान ने अपने हिस्से में ३३० लाख का खर्चा किया ।

तो जो प्रावधान हमने बजट में इस केनाल के बारे में रक्खे हैं, उनसे ज्यादा खर्चा हमने हमेशा किया है और आगे भी हमारी क्षमता ज्यादा खर्च कर सकने की है ।

इसलिए हमारा खर्च के दृष्टिकोण से केनाल की प्रोग्रेस के दृष्टिकोण से राजस्थान केनाल का काम एकार्डिंग टू टाइम शिड्यूल चल रहा है । चाहे वह अर्थ-वर्क हो, चाहे केनाल का लाइनिंग का वर्क हो, चाहे छोटी केनाल को खोदने का काम हो, इसलिये राजस्थान केनाल के बारे में माननीय सदस्यों को किसी प्रकार की चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है । हम उसको बराबर अकार्डिंग टू टाइम शिड्यूल चला रहे हैं और उसी तरीके से हम उसको पूरा करेंगे । इसके बाद एक-दो छोटे-छोटे मुद्दे और उठाये और एक माननीय सदस्य ने कहा, राजस्थान केनाल के चीफ इंजीनियर का दफ्तर जयपुर में रखने की क्या जरूरत है । माननीय उपाध्यक्ष, उनका मतलब था कि राजस्थान केनाल के चीफ इंजीनियर का हेड-क्वार्टर हनुमानगढ में क्यों नहीं रखा गया ? शायद जयपुर की हवा का असर उन पर हो जायगा और हनुमानगढ की हवा उन पर असर नहीं करेगी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि चीफ इंजीनियर एक ऐसा सख्त आदमी है कि जिसको हवा का असर नहीं होता है । उन पर न तो राजस्थान की हवा का, न हनुमानगढ की हवा का असर होता है । अपने कर्तव्य में पूरी तरह तल्लीन हैं । उनको अलग अलग जगह मीटिंग में जाना पडता है । उनको दिल्ली में मीटिंग्ज को अटेन्ड करने के लिये जाना पडता है, उनको पंजाब जाना पडता है, राजस्थान में भी सभी जगह काम को देखना पडता है और यहां के एडमिनिस्ट्रेशन से भी सम्पर्क रखना होता है और २०-२५ दिन महीने में दौरे का काम रहता है और वह एग्जीक्यूटिव आफिसर मौके के नहीं हैं । उनका काम कार्डीनेशन का है । और मेटीरियल सप्लाई करने का है । इसके अलावा जो चीफ इंजीनियर्स के फंक्शन्स होते हैं, वह माननीय सदस्यों को अच्छी तरह से मालूम है । मुझे उनको समझाने की आवश्यकता नहीं है । इसलिये उनके हेड-क्वार्टर वहां रहना बहुत उपयोगी है । उनके

(श्री नाथूराम मिर्धा)
हैड-क्वार्टर वहां रहने से कोई फायदा हो और यहां रहने से कोई घाटा हो, मैं ऐसी मान्यता नहीं रखता। इसलिये कॉर्डीनेशन की दृष्टि से और दूसरी सहूलियतों के कारण यहां ही रहना उचित है।....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या सरकार की किसी कमेटी ने इस प्रकार को रिपोर्ट दी थी कि चीफ इंजीनियर, राजस्थान केनाल का हैड-क्वार्टर राजस्थान केनाल के समीप ही हनुमानगढ में रहना चाहिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरी जानकारी में ऐसी कोई कमेटी नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप उसकी जानकारी कर लीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं उस रिपोर्ट से भी इत्तफाक नहीं करता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप उसको देख लें। बिना देखे ही कह रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने स्वीकार कर लिया कि मैंने रिपोर्ट नहीं देखी और यदि उन्होंने लिखा है कि हैड-क्वार्टर वहां होने चाहिये तो मैं उसको ठीक नहीं मानता, में यहां ठीक मानता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप देखे बिना कैसे कहते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो परिस्थिति ये है वे अच्छी है। उनका हैड-क्वार्टर यहां रहना जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूं।

एक पाइन्ट और था जिसके बारे में खास तौर दूसरे से सिंचाई विभाग के मंत्री ने ध्यान आकर्षित किया था, हमारे चीफ इंजीनियर इरिगेशन के बारे में कहा गया कि उनको बिल्डिंग्स एण्ड रोड्स का एक्सपीरियेन्स है और इरिगेशन का उनको कोई अनुभव नहीं है। उसके बारे में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि वे हमारे बहुत काबिल चीफ इंजीनियर राजस्थान के रह चुके हैं कई सालों तक। मैं आपको बताऊं कि बिल्डिंग्स एण्ड रोड्स तो बहुत पुराना महकमा है और जिस समय स्टेट्स थी तब ये बिल्डिंग्स एण्ड रोड्स विभाग और इरिगेशन विभाग साथ-साथ जुड़े हुए थे और दोनों का काम चीफ इंजीनियर ही किया करता था। अब उन्होंने इस काम को इस तरह से किया। अब राजस्थान के ओनेस्ट और इन्टीग्रिटी के चीफ इंजीनियर जो चाहे बिल्डिंग्स एण्ड रोड्स के हों, चाहे इरिगेशन के हों जिनके डिजाइन्स और जिनके सोचने की बुनियादी तरीके में कोई अन्तर नहीं है, उन सारी बातों को समझ कर और हां, जिनके ऊपर आनेस्टी की छाप है, अगर ऐसे व्यक्ति से चीफ इंजीनियर का राजस्थान में उपयोग लिया जाता है तो सदन के माननीय सदस्यों को इससे तकलीफ नहीं होनी चाहिये, बल्कि गर्व होना चाहिये कि राजस्थान के ब्रिलियेन्ट आदमी से राजस्थान के अन्दर ही जनता की भलाई के लिये काम लिया जा रहा है। जिनका कैरियर बहुत ब्रिलियेन्ट है और जब विदेशों में जाना उस जमाने में दुर्लभ था वह विदेशों में जाकर ऊंची शिक्षा लेकर आये हैं तो ऐसे अच्छे आदमी के बारे में हम इस तरह से कोई बात कहें तो यह वाजिब बात नहीं है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। फिर उसके बाद में लम्बी पूंछ जोडना कि फलां सक्सेना है, माथुर है, तो कोई आदमी इंजीनियरिंग की पढाई करता है, चाहे वह किसी काम के लिये भी हो, और उसके बाद में उसका उपयोग किसी दफ्तर में ठीक समझें और उसको वहां लगा दिया जाये तो यह अधिकार

(श्री नाथूराम मिर्धा)

तो चीफ इंजीनियर का होना चाहिये। हां, वह अगर इस तरह से रखकर उसका दुरुपयोग करता है तो जरूर उस बात को कहा जाना चाहिये। लेकिन इससे ही नाराजगी लेना कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिये, ऐसी बात नहीं है।

मैंने सदन के माननीय सदस्यों का काफी समय लिया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बडी शान्ति से मेरी बातों को सुना। और उसके बाद में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि अब काफी बहस करने के बाद में जो कटौती के प्रस्ताव रखे वे शान्ति से वापिस ले लें और मांग को स्वीकार करें तो हम जल्दी से छुट्टी पा सकें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय, एक स्पष्टीकरण की बात है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: Point of explanation Sir

श्री उपाध्यक्ष : Order please I am sorry, now I would not allow any point of explanation.

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्योंकि स्पष्ट रूप से यह रूलिंग दी है कि मंत्री महोदय का भाषण समाप्त होने के बाद में पाइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन अथवा पोइन्ट आफ इन्फार्मेशन पर एक-दो बातें पूछी जा सकती हैं, तो मेरा निवेदन है कि इससे पहले की यह डिमाण्ड वोट की जाये पांइन्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन परबोलने का और कुछ बातें पूछने का अधिकार दिया जाये और इस प्रकार की रूलिंग पहले दे चुके हैं · · ·

श्री उपाध्यक्ष: मैं निवेदन करूंगा कि उस रूलिंग के अनुकूल चला जाता तो इतना समय नहीं होता।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : वह तो इनका दोष है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आसन की प्रतिष्ठा रखना माननीय सदस्यों का कर्तव्य है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि इस समय इसमें विलम्ब न किया जावे और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जिनके कटौती के प्रस्ताव हैं वे उनको वापिस लेना पसन्द करेंगे।

(व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): We press our cut-motions Sir.

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना): मैं चेयर से प्रोटेक्शन चाहूंगा और मैं आज्ञा का पूरी तरह पालन करते हुए · · · ·

श्री उपाध्यक्ष: I have already said, Hon. Member. I hope the Hon. Members will now protect the Chair and I will request you please to hear what I say.

जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं वे कृपया खडे हो जायें।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात · · · ·

श्री उपाध्यक्ष: सदन की परम्परा रही है कि जब चेयर के समक्ष कोई प्रश्न रख दिया जाता है उस समय व्यवस्था का दूसरा प्रश्न नहीं उठता।

जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं वह कृपया खडे हों · · · ·

(राज्य पक्ष के कुछ माननीय सदस्य खडे हुए)

कृपया अपना आसन गृहण करें।

बाकी के जो कटौती प्रस्ताव हैं वे वापिस नहीं लिये गये।

(श्री उपध्यक्ष)

मांग संख्या २५....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : वापिस कौन से लिये गये और कौनसे नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : जो माननीय सदस्य खड़े हुए उनके कटौती प्रस्ताव वापिस लिये गए, और जो खड़े नहीं हुए उनके कटौती प्रस्ताव पर वोट ले लें। यही व्यवस्था रही है और उसी के अनुसार मैं चल रहा हूं।

श्री योगेन्द्रसिंह हांडा (रायसिंहनगर): यह कैसे पता चले कि किन किन के रह गये ?

श्री उपाध्यक्ष : मांग संख्या २५....

श्री मुरलीधर व्यास : हम 'हां' और 'ना' किस पर बोलें ? किसी पर तो हम 'हां' बोलना चाहते हैं और किसी पर 'ना'।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २५' मुख्य शीर्षक ४२, बहु-प्रयोजन नदी योजनाओं के सबंध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,४०,६२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

'हां' पक्ष जीता

कुछ माननीय सदस्य : No Sirs, 'ना' पक्ष जीता। 'Noes' have it.

(विभाजन घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : मैं फिर से पूछता हूं।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२, बहु–प्रयोजन नदी योजनाओं के संबंध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,४०,६२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या २५ स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक

४३ सिंचन, नौचालन, तट-बन्धन तथा जल-निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक)

४४ सिंचन, नौचालन, तट-बन्धन, तथा जल-निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक)

४४ सिंचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयंत्र पर व्यय के संबंध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को १,३०,६९,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २६ स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४३, मुख्य शीर्षक

९८ बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत

९९, सिंचन, नौचालन, तट-बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) के संबंध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने

Page No 133

(श्री उपाध्यक्ष)
वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १६,५७,१३,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(मत-दान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता।

अनेक माननीय सदस्य : ना पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसको फिर से रखता हूं। प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४३ स्वीकार की जाय।

[स्वीकृत]
मांग स्वीकार की गई

सदन की बैठक कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ६ बज कर २५ मिनट पर २८ मार्च, १९६३ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

बुधवार २७, मार्च, १९६१

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक स्तम्भ

नवलगढ़ नगरपालिका के अध्यक्ष का निलंबन। ४७८१

नल योजना का सर्वेक्षण—ग्राम कनवास।

जयपुर में सार्वजनिक हित के लिए एक्वायर की गई जागीरदारों की भूमि।

निम्बाहेड़ा—बेंगू वाया कनेरा मार्ग पर बसों के परमिट।

ट्रेक्टर के लिये ऋण—नगरपालिका रतनगढ़।

नगरपालिकाओं द्वारा स्वयं सेवक दलों का गठन तथा आर्थिक अनुदान।

राजस्थान में होम गार्ड संगठन।

चेयरमैन द्वारा त्याग-पत्र—जयपुर नगरपालिका।

यातायात दुर्घटनाएं।

जोधपुर का गन्दा तालाब।

अजमेर-उदयपुर रूट पर यात्रियों को सुविधा।

कृषि-भूमि-अर्जन—नगरपालिका, पाली।

फतेहपुर-रतनगढ़ बस सर्विस बाधा डालना।

एन्टी-करप्शन बोर्ड से निर्णीत मामले।

उद्योगों हेतु बिजली की दरों में रियायत।

पुलिस वायरलैस कर्मचारियों का वेतन ग्रेड।

सिफारिश से ज्यादा आक्ट्राय—म्युनिसिपल बोर्ड, मालपुरा।

स्टेट रोडवेज की गाड़ियों के लिए डीजल की खरीद—कोटा।

छुआछूत निरोधक कानून के तहत केसेज—जिला भरतपुर।

लोड के लिए स्वीकृत स्टेशन वैगन।

फिरोजपुर झिरका—पहाड़ी (भरतपुर) सड़क।

तस्कर व्यापार।

उदयपुर में निर्माण कार्य।

चम्बल नहर योजना से सिंचाई के अतिरिक्त साधन।

हिण्डोन-गंगापुर सड़क निर्माण कार्य

रूट नेशनलाइजेशन के लिए विज्ञप्तियां।

ग्राम मऊ इब्राहिमपुर में डिस्पेन्सरी।

कुचामन नगरपालिका के चुनाव।

छोटी सादडी-बडी सादडी सड़क में आई भूमि का मुआवजा।

रायसिंहनगर-स्वरूपसर सड़क का निर्माण।

Page No 135

तहसील तथा सब-डिवीजन कार्यालय का नया भवन–माण्डलगढ।

सरप्लस स्टाफ–पुलिस विभाग।

सेमली व गुडली-ओडवाडिया सडक का श्रमदान द्वारा निर्माण।

बुधवार, दिनांक २७ मार्च, १९६३

विधान सभा के अध्यक्ष श्री रामनिवास मिर्धा की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रातः ११ बजे से प्रारंभ हुई।

१. **प्रश्न**;

आज की प्रश्न सूची में ३६ तारांकित प्रश्न थे जिनमें से २२ पूछे गए एवं उनके उत्तर दिए गए। इनमें से १९ प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न भी पूछे गए। अवशेषी १४ प्रश्नों में से ३ प्रश्न संबंधित सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण एवं ११ प्रश्न समय समाप्त हो जाने से नहीं पूछे जा सके।

२. **जनलेखा समिति, १९६३-६४ तथा प्राक्कलन समिति, १९६३-६४ के नामजद उम्मीदवारों की नामावली** ४८३६

जनलेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति १९६३-६४ के लिए उम्मीदवार सदस्यों के नाम अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषित किये गए जो इस प्रकार हैं:--

जनलेखा समिति (पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी) १९६३-६४

१. श्री अमरसिंह (४)
२. कुमारी उमा माथुर (१६९)
३. श्री मोहनराज (११३)
४. श्री ज्वालाप्रसाद (८४)
५. श्री मानसिंह (१०६)
६. श्री हरिदेव जोशी (६०)
७. श्री छत्रसिंह (२७)
८. श्री बालूराम चौधरी (१०)
९. श्रीमती गौरी पूनिया (४७)
१०. श्री मुरलीधर व्यास (११९)
११. श्री रामकिशन (१४४)
१२. श्री नत्थीसिंह (१२३)
१३. श्री भैरोंसिंह शेखावत (१३)
१४. श्री जोधसिंह चौहान (८१)
१५. श्री मनफूलसिंह (१०५)
१६. श्री अल्दाराम मेणा (३)
१७. श्री रामानन्द अग्रवाल (१४१)
१८. श्री मोहरसिंह राठौड (११४)
१९. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (१७६)
२०. श्री घासीराम यादव (४८)
२१. श्री हरीराम घारू (६५)
२२. श्री फूलचन्द जैन (१३२)

प्राक्कलन समिति (एस्टीमेट्स कमेटी) १९६३-६४ ४८३७

१. श्री छोटूराम (२८)
२. श्री रविशंकर याज्ञनिक (१४९)
३. श्री मोतीलाल चौधरी (११६)

४. श्री मालमसिंह (१०२)

५. श्री नाथूराम (१२७)

६. श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (५१)

७. श्री केसरीसिंह (८९)

८. श्री रामचन्द्र (१४२)

९. श्री मूलचन्द चौधरी (११५)

१०. श्री चौसरसिंह बाबेल (३०)

११. श्री तेजाराम गहलोत (१६७)

१२. श्री जयनारायण सालोदिया (७६)

१३. श्री उम्मेदसिंह (१७०)

१४. श्री मुरलीधर व्यास (११९)

१५. श्री भीमसेन (१९)

१६. श्री रामकिशन (१४४)

१७. श्री नत्थीसिंह (१२३)

१८. श्री नत्थीसिंह (१२५)

१९. श्री विजयसिंह झाला (१७३)

२०. श्री मोहनलाल सारस्वत (११२)

२१. श्री हरिप्रसाद (६३)

२२. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (१७१)

२३. श्री अल्दाराम मेणा (३)

२४. श्री रामानन्द अग्रवाल (१४१)

२५. श्री गंगासिंह परिहार (४४)

२६. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (१७६)

२७. कुमारी उमा माथुर (१६९)

२८. श्रीमती गौरी पूनिया (४७)

२९. श्री रावतराम (१५०)

श्रीमती गौरी पूनिया व कुमारी उमा माथुर ने क्रमशः जनलेखा समिति व प्रावकलन समिति के चुनाव से अपने नाम वापिस ले लिए।

३. **विशेषाधिकार प्रश्न**

एक उप-मंत्री के व्यवहार से संबंधित श्री रामानन्द अग्रवाल के विशेषाधिकार प्रश्न को सदन में उठाये जाने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

४. **स्थगन प्रस्ताव** ४८३९

सार्वजनिक संपर्क विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी से संबंधित श्री मुरलीधर व्यास के स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं प्रदान की गई।

५. **आय-व्ययक, १९६३-६४** ४८४२

द्वितीय अवस्था, अनुदानों की मांगों पर मतदान :

(१) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२ बहु-प्रयोजन नदी योजनायें।

(२) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक:—

४३—सिंचन, नौचालन, तट-बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यक)

४४–सिचन, नौचालन, तट-बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक)

४४–सिचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय

(३) मांग संख्या ४३, मुख्य शीर्षक:

९८–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत

९९–सिचन, नौचालन, तट-बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक)

उपरोक्त मांगें श्री भीखा भाई, सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई। इन पर कुल ५८ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

सरकार की ओर से श्री भीखा भाई, सिंचाई मंत्री व श्री नाथूराम मिर्धा कृषि मंत्री ने बहस का उत्तर दिया।

तत्पश्चात् समस्त कटौती प्रस्ताव वापिस लिये जाकर मांगे सदन द्वारा स्वीकार की गई।

सदन की बैठक ६ बज कर २५ मिनिट पर गुरुवार दिनांक २८ मार्च, १९६३ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

गुरुवार, दिनांक २८ मार्च, १९६३ की कार्य-सूची

१. जनलेखा एवं प्राक्कलन समितियों के चुनाव से नामों की वापसी।

२. सदन की मेज पर रखी जाने वाली वित्त विभाग की अधिसूचनाएं।

३. मांग संख्या १५ व ९–शिक्षा एवं सामान्य प्रशासन।

४. शेष मांगों पर मुखबंध।

५. राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६३ (पुरःस्थापन)।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६१४ देखिये)

Charge Sheet to be served on Shri Keshav Deo Minter, Ex-Chairman Municipal Board, Nawalgarh.

The Government have reasons to feel that you are guilty of mis-conduct to discharge of your duties as Chairman:

(1) Sarva Shri Mohan Lal Laxmi Narayan had donated a sum of Rs. 1100/- in connection with crimation ground. Out of this amount Rs. 100/- were to spent for clearing the crimation ground and Rs. 100/- were to spent for the arrangement of wood. A condition was also laid down that the cost of the funeral would be charged not less than Rs. 11/- per dead body. Shri K.D. Minter did not maintain proper account of the donated amount of Rs. 1100/- and also did not maintain sufficient stock of fule to much to that there was no fuel available for the disposal of the doners' mother.

(2) A receipt No. 1 Book No. 1 dated 4-5-60 for Rs. 5/- was issued by Shri K.D. Minter to Shri Ramjan Vyapari of Nawalgarh. This amount has not been debited in Board's account.

(3) A plot of land was on rent with Shri Pyarelal at Rs. 4/- p. m. Shri K.D. Minter disposed of this land to Shri Pyarelal for Rs. 60/- on 31-3-61 in contravention to Local Self-Government Department Notification No. F.7(187)LSG/58 dt. 8-3-61 according to which plot of land are to be sold at fixed price to low income group people.

(4) The Municipal Board, vide its resolution No. 2 dt. 30-4-60 authorised Shri Minter to purchase tractor against the loan of Rs. 10,000/- granted by the Government. A ferds on Mazor Tractor was purchased by Shri Minter in contravention of financial rules.

(*a*) Publicity for calling for tenders was not made.

(*b*) A brand new tractor was not purchased as per condition of the rules.

(*c*) Sanction under section 80(5) of the Rajasthan Municipalities Act, 1959 was not obtained.

(*d*) The Agriculture Engineer, Rajasthan has pointed out numerous defects in the tractor.

(5) You have flarantly abused your power by administrating oath to Shrimati Durga Devi, member of M.B., Nawalgarh in contravention of Section 61 of the Rajasthan Municipal Act, 1959 (No. 38 of 1959).

Supplementary Charge Sheet to be given to Shri Keshav Deo Minter, Chairman, Municipal Board, Nawalgarh (under suspension).

The Government have further reasons to feel that you are guilty of misconduct in discharge of your duties as Chairman:—

1. There is a complaint that Harijans and the staff of the Municipal Board, Nawalgarh were not paid their salaries for the month of June, and July 1961. You have also committed gross negligence as you have not obtained the permission of the Government for appointing 6 more Harijans against the Scheduled strength.

2. Trunk calls made by you for your personal work were charged to Municipal Board funds, the Board was also to put to a great loss as you did not enforce the provisions of the food adulteration Act.

3. Office record of the Municipal Board is reported to be not properly maintained, eshing in ledfees of income and expenditure have not been shown from 14-3-61 onwards. Stock register are miserably incomplete.

4. (*a*) You have committed gross irregularity by not paying Rs. 90/- taken as advance which still stands against your name.

(*b*) You ordered for the sale of news papers on 25-9-61 @1-1/2 seer for Rupee to Shri Nasirooddin on credit. There is no such entry in the Boards Registers. The payment of the sale transaction has not yet been made. This is a clear instance of the irregularity committed by you.

(*c*) Security amounts deposited by the candidates in connection with the recent general election of the Municipal Board, Nawalgarh have not been refunded so far.

(*d*) The compromise made by you with Shri Phool Chand with regard to electric connection without referring the matter to the Board is irregular.

———

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६३८ का उत्तर देखिए)

स्टेटमेंट तस्कर व्यापार संबंधी जो भारत-पाकिस्तान बोर्डर पर सन् १९६१ में हुए हैं ।

(पाकिस्तान से भारत में जो तस्कर व्यापार हुआ)

क्रमांक	दिनांक	स्थान जब्ती	नाम माल जो जब्त हुआ	कीमत जब्त शुदा माल	नाम स्मगलर्स व्यापार में गिरफ्तार हुए हैं	
					पाक नेशनल्स	भारतीय नेशनल्स
१	२	३	४	५	६	७
			डिस्ट्रिक्ट गंगानगर			
१.	२२-५-६१	इण्डो-पाक बोर्डर घरसाना	१. २२ जानवर (१२ बैल, ५ ऊंट व ५ बछड़े)	--	१. सलीम पुत्र बुडान खां पता पुरानी चिस्तन, थाना भावलनगर २. पठाना पुत्र अल्लायर बिलोच सोवार पता चैक नं० ४३९ फोरटाबास भावलनगर।	

१.	२८-७-६१	नियर ४० रायसिंहनगर	१. इलायची १०॥ सेर २. चप्पल ७ जोडी ३. ६ गज कपडा ४. १ चादर	—	१. अब्दुल खांन पुत्र अदमखां पता चैक नं० ७८ हरनोदाबाद डि० मावलनगर ।	

डिस्ट्रिक्ट बाडमेर

१.	२३-१-६१	नियर गांव वंक्का की बस्ती	१. सांड २ २. तिल २३ मन	—	—	१. अलाम पुत्र खुर्दार भौमा मुसलमान २. करीम पुत्र समन्द मुसल॰ मान ३. अहमद पुत्र मजान मुसलमान (सब बंक्का की बस्ती के रहने वाले)
२.	१५-८-६१	फकीरों की ढानी इण्डो-पाक बोर्डर	१. ४ पीपे घी वजन १ मन ३७ सेर व १ घोडा	ह० ५८५)	१. तारिया पुत्र जासरूप २. मुल्ला पुत्र मोती महाजन पतागडरा सिटी	

डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर

१.	२१-२-६२	सरहद बाडमेर रामगढ	सेन्दा नमक (६ बोरे)	—	—	१. मूपत मोहम्मद पता रामगढ ।

१	२	३	४	५	६	७
२.	२५-४-६१	इण्डो-पाक बोर्डर	१. सेन्धा नमक ९ मन २. लोंग २६ सेर ४ छटांक ३. ट्रक नं० आर. जे. एल. क्यू ३६७१.	—	—	१. सालीगराम ड्राइवर पुत्र पिताम्बर साधु जैसलमेर ।
			डिस्ट्रिक्ट गंगानगर			
१.	२०-१-६२	इण्डो-पाक बोर्डर	भारतीय सिक्के	रु० ५००) पाक -।५।- आना	१. बरकतअली पुत्र खरीयावअली पता खरिया डि० गुजरात (पाक) २. करीमअली पुत्र इदा पता अकालगढ तह० भावलपुर (पाक) ।	
२.	११-२-६२	इण्डो-पाक बोर्डर नियर पिलर ५०-५१	सेन्धा नमक ९ मन २५ सेर	—	—	जगतारसिंह के खेत में नमक पडा मिला ।
३.	१-३-६२	इण्डो-पाक बोर्डर	१. चैन ५२८० २. बेल्ट्स ५ ३. एक जोडा पुरानी चप्पल	रु० १०,३८८.३८	—	—
४.	३०-३-६२	इण्डो-पाक बोर्डर	१. ३ बन्दूक १२ बोर (गन) २. १ राईफल ३०३	—	१. रहमत उर्फ मोहम्मददीन पुत्र ईसा मुसलमान	—

			३. २ देशी पिस्तोल १२ बोर-२ ४. हाथ गोले २ ५. २९ कारतूस ६. सोने के आमूषण १०७ तोला ७. चांदी के गहने १४७ तोला ८. एक ट्रान्जिस्टर रेडियो ९. ५४।। तोला अफीम १०. एक घोडी ११. पाक १ रु० का नोट ।		जोपिया सा० गुलावाली (टिकरामपुर) थाना हरूनाबाद डि० भावलनगर (पाक) २. नूर मोहम्मद पुत्र सुलतानखांन (पाक)	
५.	७-१०-६२	रायसिहनगर	१. इलायची १ मन ३४ सेर ४ छटांक	—	वाली खान डाकू	—
६.	४-५-६२	इण्डो-पाक बोर्डर	१. बादाम २ सेर २. लोंग १७ सेर ६ छटांक ३. नगीना ३ माशा	—	(मुल्जिम भाग गया)	—
७.	२४-७-६२	इण्डो-पाक बोर्डर नियर पिलर २८५	१. हैण्डबेग प्लास्टिक २. पैण्ट एक ३. पेण्ट समर एक ४. बुशर्ट एक ५. पजामा एक ६. जूता पेयर एक ७. मौजे एक जोडी ८. सिगरेट पैकेट दो	—	१. हबीबअली पुत्र जागलद्दीन आर. ओ. पता ओन्कारा डि० मिण्टगोमरी (पाक)	—

Page No 144

१	२	३	४	५	६	७
			९. बल्ट प्लास्टिक एक जोडी १०. माचिश बक्स एक ११. तोलिया एक १२. घडी बेस्ट आटोमेटिक १ १३. दो पीसेज (पाकिस्तानी)			
८.	२४-७-६२	इण्डो-पाक बोर्डर गंगानगर	लोंग १ क्वीण्टल १५ किलो और ६६९ ग्राम	रु० ४,४६४	मुलजिम माग गया ।	—
९.	१९-८-६२	इण्डो-पाक बोर्डर नियर पिलर ३५१।५, ३५२।१०	इलायची २ मन १ सेर कुछ कपडा एक ऊंट	—	,,	—
१०.	१९-८-६२	मादरा	अफीम १-५० ग्राम सुल्फा १-३० ग्राम	रु० १,८००	१. सरदार अली पुत्र सहिबु, हीन तेली (पाक) २. सदीक पुत्र गुलाब काजी पाक गुलाबवाडी (पाक) ३. बाली पुत्र सर मोहम्मद काजी पता हरूनाबाद (पाक)	—
११.	३-९-६२	विजयनगर	७ पेपर पैकेजेज कण्टेनिंग ५१५ पेक्ट्स आफ फायर पोलिस्ड बहोन्स	—	—	हंसराज मिघा पता विजय नगर ।

स्टेटमेंट तस्कर व्यापार सम्बन्धित जो भारत-पाकिस्तान बोर्डर पर सन् ६२ में हुए हैं। (पाकिस्तान से भारत में जो तस्कर व्यापार हुआ है)

१	२	३	४	५	६	७
			डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर			
१.	२२-७-६२	इण्डो-पाक बोर्डर केलानूर	१. गंवार १ मन २८ सेर २. चना १२ सेर ३. गधा एक	—	श्रीमती लखमा।	—
२.	१७-७-६२	रोड़ आफ केलान	१. कारतूस ७०-१२ बोर के २. बुनने की सलाईयां ५६७१ जोड ३. लोंग ४ मन ४. लोहे की रेतियां ३४० दर्जन ५. केसर के डिब्बे ८ पौंड ६. नगीने ३२९ पेकिट ७. अरन के जोडे १०० ग्रोस ८. बिटलिया २३०२ ९. बल्ब २८६ १०. चाबी के गुच्छे २९५ दर्जन ११. ऊंट ७	४६,०००)	—	१. सुल्तान पुत्र जहांगीर पता केलान २. सुलेमान पुत्र बालू पता केलान
३.	३१-१०-६२	रसाल का पार व तालाब का पार	१. लोंग २ सेर २. पाकिस्तानी नोट ५०) रु०	—	—	१. हसेन पुत्र मलिका मुसलमान पता सज्जन का पार

१	२	३	४	५	६	७
			३. एक घडी मय चैन ४. एक जिन्ना केप ५. एक पत्र सिन्धी			२. सालिया पुत्र हाजी कम कमाल मुसलमान पता सजन का पार
४.	११–११–६२	इण्डो-पाक बोर्डर	१. तिल ३८ किलोग्राम २. बोर १ किलोग्राम	४५)	—	गंगा पुत्र सन्ता कोहली पता लालपुरा माखोसर ।
			डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर			
१.	९–२–६२	बडाबाग घाट	१. लोंग १२ मन १७ सेर ८ छं. २. तीन ऊंट	[१८,०००)	—	गोवर्धन, पेमा, कन्हैयालाल मेता, नखटो ।
२.	१०–२–६२	सादियों का ढानी	१. लोंग ५ मन १४ सेर ८ छं.	८,५००)	मुलजिमान भाग मये ।	—
३.	७–९–६२	इण्डो-पाक बोर्डर	१. जीप २. लोंग १७० कि. ग्राम. ३. पिपरमेंट ७० कि. ग्राम ४. कपूर २० किलो ग्राम ।	रु. २५,०००)	—	—

डिस्ट्रिक्ट गंगानगर

१.	२३-५-६१	इण्डो-पाक बोर्डर	घोडी १ व कपड़ा	—	अनवरखान पता नायावाली (पाक)	—
२.	२७।२८-७-६१	६३ एफ.जी. आर.ए.सी. पो ट व पाक पोस्ट डयूटेके ट के बीच में	भारतीय नोट ४२४७.३१न.पै. १००) पाकिस्तानी व ३ जाली पासपोर्ट व उसके सिले मोहर व जाली दस्तावेज व पासपोर्ट बनाने के औजार जाली दस्तावेज टीका लगाने के ।	—	—	१. तोसनसिंह पुत्र हरीसिंह पता शकर तह. नाकोदार २. संतोखसिंह पुत्र गजन्द्र सिंह गुहतवार तह० फिलौर । ३. गुरदेवसिंह पुत्र गुरवचन सिंह पता घाखर डि० जालन्दर ।
३.]	२५-७-६१	नियर राची का तोबा रायसिंह नगर ।	कपडे	१५००)-		उमराव व हरिश्चन्द्र, पता बीकानेर ।
			१. चांद का सिक्का २५ न. पै. पाक २. १० भारतीय ३. सिगरेट (रेडलैम्प) ४. हजामत की पत्ती १, ५. ताबीज ६. दो सफद			काकुसिंह पुत्र अमर सिंह, पता सुमान मन्डी डि. संगरूर

१	२		४	५	६	७
			कमीज ७. १ खादी काटुकडा ८. एक रुमाल ९. चप्पल जोडी १०. रु० पाक, ११. लाइफ बाय साबुन, १२. माचिस एक, १३. हजामत रेजर १, १४. पेन्ट १, १५. चद्दर १, १६. एक कपडकाथेला, १७. हाथ के मोजे।			
५.	७-१-६१	इन्डो-पाक बोर्डर	..	..	१. बालिया पुत्र शारा पता खमगढ डि. भावलनगर (पाक.)	१. रन्जा पुत्र रमजान पता सरदारगढ तहसील सूरतगढ।
६.	२२।२३-५-६१	रायसिंह नगर	..	रु० ९७ (पाक)।	मेरोखान पुत्र बीराखान पता गजनी पाक।	
७.	१८-६-६१	रायसिंह नगर	..	..	काडा मोहम्मद दीन पता चक ८२, थाना फोटाबास।	
८.	३-७-६१	नियर खाकरवली सालिमपुरा रायसिंह नगर।	..	..	हुक्म पुत्र मोडा मेघवाल उर्फ नूरमोहम्मद और उसकी पत्नि गुलाम फातिया लडकी	

					घन्ना पता चक २६३ थाना फोटावास।	
९.	२४-७-६१	६३ एफ.	१ रु० १ न. पै.	..	अहमद पुत्र लाललिया मोहम्मद पता भावलनगर (पाक)।	
१०.	२६-७-६१	इन्डो-पाक बोडर	चमड़े का बटवा एक।			निरन्जन पुत्र लावमानी पता सकिन्नार थाना जालन्धर।
११.	१४-२-६१	सेकासर पाल	कपड़े कीमती ५००) भारत के सिक्के ८ रु० १२ न. पै.		मोना पुत्र निजामुद्दीन मोची पता जालीसर डि. मुलतान (पाक)।	
			डि० बाडमेर			
१.	१-८-६१	अकाली इन्डो-पाक बोर्डर	१. एक बोतल शराब २. कीमती कपड़े २००) के ३. पाक सिक्के १९ रु० ६२ न. पै.		अलीखान पुत्र गफूर पता बसानी थाना चोचरूपा के।	
२.	२१-८-६१	कालेरान-का ताला	१. गंवार दो बोरी २. पाक सिक्के ५ रु० ३. एक घोड़ा २५० रु०	४० रु०	अताई पुत्र बहादुर पता रूडगढ।	
३.	२७-८-६१	बाडमेर	५८० पेकट नगीने	..	..	आसुलाल पुत्र हेमराज पता रामसर।

Page No 150

१	२	३	४	५	६	७
४.	२१-११-६१	बाडमेर	१. चांदी ४१ सेर ९ तोला २. ६९९ पेकट नगीने ।	..	..	परमाता पुत्र हेमा सुनार पता बाडमेर ।
१.	७-३-६२	हिन्दुमलकोट गंगानगर	सिलकन कपडा	७४० रु०	१. अहमद दीन पुत्र हैदर २. बहिर अहमद पुत्र इस्माईल ।	
२.	२७-३-६२	इन्डो-पाक बोर्डर गंगानगर	१. इत्र २. मलमल ५ गज ३. लिलन ३ गज ४. पोपलीन ३ गज ५. देसी पिस्तोल २ ६. एक कारतूस ३०३ का।	१५,००० रु०	—	अमरसिह पुत्र हरनाम सिह जाट सिख पता नं० ५९ अफ गंगानगर ।
३.	७-४-६२	हिन्दुमलकोट	कपडा	३८८ रु०		१. गोकल पुत्र मा पता फिरोजपुर । २. महताब पुत्र हुसना पता गिरजावली फिरोजपुर ।

४.	१५-४-६२	इन्डो-पाक बोर्डर गंगानगर।	कपडा	२०० रु०		बाघअली पुत्र अली मोहम्मद पता खारलीया थाना सूरतगढ।
५.	२९-४-६२	,,	१. २० थान वाइल २. १ डिब्बा तम्बाक	..	..	मुलजिम बच निकला
६.	२४-५-६२	,,	कपडा	रु० ४३७ १० न. पै.	..	काका पुत्र नाजर पता बडेराहुक तह. मोगो डि. फिरोजपुर (दो साथी भाग गये)।
७.	४-९-६२	पीपलटना २७८।३-२६०	कपडा और तिल	रु० १७००	१.सदी पुत्र जीवन सरगोधा (पाक)	१. अहमद अली पुत्र मोहम्मद पता कोटेला डि. सन्गर (भारत)। २. रोनक पुत्र खेरू पिता खरियाल डि. सन्गरूर (भारत)।
८.	२७-१०-६२	नियर, ल्लिार गंगानगर ३१९।	कपडा	१४३५ रु०	रहमत अली पुत्र नूर मोहम्मद पता मुन्सिया उत्तार डि. मावलनगर (पाक) (५ साथी भाग गये)।	
९.	८-१२-६२	इन्डो-पाक बोर्डर गंगानगर	१. कत्था ३९ किलोग्राम २. इलायची ७ किलोग्राम	(आर. ए. सी. पार्टी ने चेतावनी दी तो सात तस्कर व्यापारी भाग गये)।		

१	२	३	४	५	६	७
			३. कपडा कीमत रु० १०२३			

डि० बाड़मेर

१	२	३	४	५	६	७
१.	९-८-६२	इन्डो-पाक बोर्डर	कुपर सामान	..	१. मजीद	..
२.	२७-८-६२	रण छोड सराय	१० सेर अफीम	६४००)	..	हिन्देले पुत्र डरिया पता केलानूर।
३.	५-१२-६२	केलानूर मुलजिम के खेत तथा घर पर।	१. एक बोरी बीड़ी के पत्ते २. दो डिब्बी सिगरेट ३. एक डिब्बी में ७ सिगरेट और दूसरी में ४ रु. के (पाक) नोट। ४. ४००० रु. नोट (इमिटेशन)	..	..	..

परिशिष्ट ३

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

उदयपुर में निर्माण कार्य

६३६. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर में निम्न निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के मार्फत राज्य सरकार ने कराया:

(क) पोली टेक्नीक स्कूल व वर्क-शाप;

(ख) गर्ल्स कालेज ।

यदि हां, तो ये काम कब पूरे हुए ?

(२) इन कार्यों के लिये ठेकेदार कौन था ?

(३) अलग अलग दोनों कार्यों पर कितना व्यय हुआ ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त दोनों भवनों की छतें फट गई हैं तथा उन पर डामर डाला गया है ?

(५) क्या इन भवनों को अन्य भी कोई नुकसान पहुंचा है ?

(६) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विभागीय मजदूरों से इन दोनों कार्यों में काम कराया जा रहा है ? यदि हां तो अब तक विभागीय मजदूरों के द्वारा इन पर अलग अलग कितने रुपयों का कार्य हुआ है ?

(७) इस प्रकार नये भवनों की मेन्टीनेन्स कराने की क्या आवश्यकता है तथा इसके लिये कौन कौन जिम्मेवार हैं ?

(८) क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) यह सही है ।

(२) पोली टेक्नीक स्कूल वर्क-शाप का कार्य दिनांक ३१-१०-६१

गर्ल्स कालेज का काम दिनांक १३-६-६०

पोली टेक्नीक स्कूल वर्क-शाप के ठेकेदार श्री रणजीत लाल अग्रवाल एण्ड क० तथा गर्ल्स कालेज के श्री इंदर सहाय ।

(३) पोली टेक्नीक स्कूल वर्क-शाप रु० ३,८०,३३५.५६

गर्ल्स कालेज रु० ६,८२,११५.५७।

(४) यह सही नहीं है ।

(५) जी नहीं ।

(६) यह सही नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

(७) प्रश्न नहीं उठता ।

(८) प्रश्न नहीं उठता ।

चम्बल नहर योजना से सिंचाई के अतिरिक्त साधन

६४०. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चम्बल नहर योजना से सिंचाई के लिए राजस्थान में कितनी मात्रा में अतिरिक्त साधन उपलब्ध हुए हैं ?

(२) इस योजना से उपलब्ध अतिरिक्त साधनों से राजस्थान में कितने का उपयोग हो पाया है ?

(३) इन सिंचाई के अतिरिक्त साधनों का मुकम्मिल उपयोग न कर सकने का क्या कारण है ?

(४) राजस्थान सरकार इन साधनों का मुकम्मिल उपयोग निश्चित रूप से करने के लिये क्या क्या उपाय सोच रही है ?

उत्तर

(१) इस समय तक चम्बल योजना से कोटा व बूंदी जिले की लगभग १.५० लाख एकड़ भूमि को सिंचित करने की क्षमता उत्पन्न हुई है ।

(२) इस वर्ष लगभग ८०,००० एकड़ भूमि में सिंचाई की गई है ।

(३ व ४) कारणों व उपायों सम्बन्धी सूचना की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

सूचना नं० १

सिंचाई के अतिरिक्त साधनों का मुकम्मिल उपयोग न कर सकने के कारण :

(१) पहला कारण सामाजिक कहा जा सकता है ।

चम्बल सिंचित क्षेत्र में आने वाले कृषकगण सिंचाई की नवीन विधियों व रीतियों से पूर्ण वाकिफ नहीं हैं । ये तो अपनी पुरानी गति विधि से चलना चाहते हैं जैसा उनके पूर्वज किया करते थे, एक "खुश्क कूप के" को मानसिक व शारीरिक रूप से सिंचित कृषक बनाना बड़ा धीमा व मुश्किल कार्य है । आज चम्बल का कृषक ज्वार पैदा करना ज्यादा पसन्द करता है क्योंकि उसमें महनत कम है। यहां का कृषक बहुत ही कम महत्वाकांक्षी है । अगर उसके वर्ष का गुजर-बसर एक ज्वार की फसल से हो सकता है तो वह दूसरी फसल करने की चेष्टा कम करता है ।

(२) दूसरा कारण कृषक की फसलों को पैटर्न (क्राप पैटर्न) के बाबत अनभिज्ञता है । सिंचाई होने वाली जमीन से कब कब कौनसी फसल करना चाहिये इसका उनको कम ज्ञान है ।

(३) कृषकों की गरीबी तीसरा कारण कहा जा सकता है । खेती के उपकरण-हल बीज, खाद ज्यादा वैज्ञानिक रूप से इस्तेमाल करने के लिये विशेष धन चाहिये जो हमारे कृषकों के पास नहीं है ।

(४) पानी का वाजिब इस्तेमाल किसान को नहीं आता है—उसकी इच्छा यह रहती है कि नहर का पानी जितना अधिक हो खेत में भर लो, नतीजा यह होता है कि खेत में वाटर लोगिंग हो जाता है, जमीन का नमक ऊपर आ जाता है उस से उपज बढ़ने के बजाए घट जाती है। किसान ऐसा देख कर पुनः या अधिक जमीन में पानी लेने से डर जाता है।

(५) किसान अपने खेत में बनाये हुए पानी के धोरों की पूरी तरह देख-भाल नहीं करता उनमें जमी हुई सिल्ट को वह समय पर नहीं निकालता और न टूटे हुए धोरों की समय पर मरम्मत करता है। एक किसान अपने खेत में से पानी का धोरा दूसरे के खेत में जाने नहीं देता। नतीजा यह होता है कि आउट लैट पर निश्चित किया हुआ क्षेत्रफल पूरा सिंचित नहीं हो पाता।

(६) कुछ क्षेत्र में वाटर लोगिंग के कारण भी सिंचाई में कम वृद्धि हुई है।

सूची नं० २

सरकार द्वारा सोचे गये उपायों की सूची

सूची नं० १ में दिये गये कारणों के अवालोकन से ज्ञात होगा कि सिंचाई के साधनों का उपयुक्त उपयोग तभी सम्भव है जब सिंचाई विभाग के साथ साथ कृषि विभाग, कापरेटिव विभाग मिल कर काम करें। इसके लिये राज्य सरकार ने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कॉर्डिनेशन कमेटी बनाई है। इस कमेटी का उद्देश्य तीनों विभागों के कार्यों का कॉर्डिनेशन करना है। यह कमेटी गवर्नमेन्ट आर्डर नं०एफ. ११(३६) आई. आर. जी. ।६०, तारीख ९ मार्च, १९६१ के तहत बनी। इस कमेटी ने मौके के हालात को देख कर सिफारिशें की हैं। इनमें प्रमुख सिफारिशें सीपेज ड्रेन्स बनाये जाने की व कैनाल की लाइनिंग करने की हैं जहां जहां इसकी जरूरत है। प्रमुख सिफारिशें अनुपूरक सूचना में दी गई हैं। इनका कितना कितना अमल होता है इसकी प्रोग्रेस देखने के लिए मीटिंग्स होती रहती हैं।

(२) कृषकों को सिंचाई का पानी लेने के लिये प्रोत्साहन देने के हेतु राज्य सरकार ने अलसी, कपास, धनियों की सिंचाई दरें तृतीयपंच पंचवर्षीय योजना तक काफी कम कर दी हैं।

	पुरानी दरें	नई दरें
अलसी	७.०० प्रति एकड	४.०० प्रति एकड
चना	७.०० ,,	५.०० ,,
कपास	८.०० ,,	३.०० ,,
धनियां	७.०० ,,	४.०० ,,

(३) कृषि विभाग ने चम्बल, चम्बल कमान्डेड एरिया में कुछ डिमान्स्ट्रेशन फार्म्स बनाये हैं जहां हमारे अनभिज्ञ कृषकों को खाद्य, बीज व पानी का उचित इस्तेमाल करना बताया जाता है।

(४) राज्य सरकार कुछ प्रोग्रेसिव किसानों को पंजाब व गुजरात से बुलाकर चम्बल क्षेत्र में बसाने की तजवीज सोच रही है। इन किसानों की खेती के तरीकों को अनुकरण करके हमारे यहां के किसान भी सिंचाई युक्त खेती के तरीके व लाभ समझ पायेंगे।

(५) कापरेटिव डिपार्टमेंट कृषकों को आर्थिक सहायता देने के हेतु लैंन्ड मार्टगेज बैंक की योजना पर विचार कर रहा है।

(६) कृषि विभाग ने चम्बल कमान्डेड एरिया में आने वाली सारी जमीन का पूरा सर्वे किया है और इसके अनुकूल क्राप-पैटर्न्स भी तैयार किये हैं। उन क्राप-पैटर्न्स के मुताबिक खेती करवाने के लिये कृषि विभाग संबंधित पंचायत समितियों, ग्राम सेवकों व एक्सटेन्शन आफिसरों द्वारा पूरी कोशिश कर रहा है।

(७) सिंचाई के परिवर्तन में खेत के धोरों का पूरा व ठीक बनाना एक बहुत महत्व-पूर्ण चीज है। ये धोरे साधरणतः किसानों को ही बनाने पड़ते हैं। परन्तु राजस्थान सरकार ने इस ओर भी एक अग्रगण्य कदम रखा है। और उसने वैधानिक तौर से इन धोरों के बनाने का काम राज्य सरकार के जिम्मे रखा है। चूंकि हमारे किसान इस ओर पूर्ण जागरुक नहीं हैं। यह धोरे सिंचाई विभाग द्वारा संबंधित काश्तकारों से सिंचाई दरों के साथ विशेष सरचार्ज लगाकर वसूल किया जायगा। लगभग ३००० मील लम्बाई के वाटर कोर्सेज अब तक खुद चुके हैं और उसके आगे बढाने का काम अभी चालू हैं। आशा है कि कृषक लोग इन धोरों के महत्व को समझने लगेंगे और उनकी पूरी देखभाल भी करने लगेंगे। चम्बल क्षेत्र में कुल वाटर कोर्सेज ३००० मील के ऊपर बनाने का अनुमान है। इसके अलावा हर चक में पानी पहुंचाने के लिये करीब ४५०० मील लम्बे और धोरे बनाने पडेंगे। धोरों की पूरी लम्बाई न बनने के कारण सिंचाई की प्रगति कम है। हालां कि सिंचाई का पोटेन्शियल १.५ लाख एकड भूमि के लिये नहरों द्वारा मौजूद है। तथापि सिंचाई इस रबी की फसल में १ लाख एकड भूमि में ही हो सकेगी। चम्बल नहरों से १.५ लाख एकड भूमि के लिये पानी की उपलब्धि है लेकिन पानी की जरूरत को देखते हुए उतना ही पानी गांधी सागर बांध से रिलीज होता है। फिर भी लोकल हालात के ऊपर यह पानी बेशी होता है तो प्राकृतिक नालों में एस्केप के जरिये छोड दिया जाता है ताकि पानी कैनाल के किनारों को पार न करें। चूंकि राइट कैनाल मध्यप्रदेश के हिस्सों के लिये भी पानी ले जाती है इसलिये वहां की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए पानी की प्राप्ति की जाती है। वाटर कोर्सेज गवर्नमेन्ट के लेजिशलेशन मुताबिक डिपार्टमेन्ट खुद बनवा रहा है और ३००० मील लम्बे धोरे बना लिये गये हैं फील्ड चैनल्स का निर्माण अपने अधीन लेगा जिनके बनाने में अनुमानतः दो वर्ष लगेंगे।

(८) वाटर लोगिंग से जमीन को बचाने के लिये सिंचाई विभाग ने लगभग ४८ लाख रुपये की एक योजना तैयार की है जो चम्बल कण्ट्रोल बोर्ड और केन्द्रीय जल शक्ति आयोग के विचाराधीन है। (पहले अन्दाजन इस योजना का ५७ लाख रुपये माने गये थे परन्तु ४८ लाख रुपये की रकम अब ठीक मानी जावे। क्योंकि डिटेल्ड तख्मीने बना लिये गये हैं जिनके अनुसार ४८ लाख रुपयों की लागत का अनुमान है) इस योजना में नहरों को कई स्थानों पर पक्का बना देने की योजना है। इसके अतिरिक्त काफी लम्बाई में नहरों के किनारे सीपेज नालियां बनाई जायेंगी जो कि नहर के साथ उनके रिस कर आने वाले पानी को लेकर प्राकृतिक नालों में जा मिलेंगी। ये नालियां ४० मील लम्बाई में बना ली गई हैं और करीब ५५ मील लम्बी बनानी बाकी हैं। इनके बनाने का काम प्रगति पर है। पक्की नहरें करीब २२ मील लम्बाई में बनायी जायेंगी। इन सब पर जैसा ऊपर कहा गया है ४८ लाख रुपये की लागत लगने का अनुमान है।

(९) ग्रीन मन्योरिंग को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार ने उनके लिये पानी मुफ्त देने का निश्चय किया है ताकि उन लोगों को ग्रीन मेन्योर इस्तेमाल करने की आदत पड सके।

हिन्डोन-गंगापुर सडक निर्माण कार्य

६४१. **वैद्य श्री गोविन्द सहाय,** (गंगापुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे :

क्या यह सही है कि हिन्डोन-गंगापुर रोड़ में करीब एक माइल का टुकड़ा कच्चा है और वह करीब १० वर्ष से काम चलने पर भी पूरा नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो इस का क्या कारण है ?

उत्तर

जी हां। यह कार्य ठेकेदारों की असफलता के कारण अधूरा है । यह कार्य अब पुनः वर्षा के बाद आरंभ करा दिया जावेगा ।

प्रश्न

रूट नेशनलाईजेशन के लिये विज्ञप्तियां

६४२. **श्री भैरोंसिंह** : (किशनपोल, जयपुर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सरकार द्वारा यातायात राष्ट्रीयकरण की स्कीम स्वीकार कर लेने के पश्चात् किस रूट के नेशनलाइजेशन के लिये अब तक विज्ञप्तियां निकाली गई ?

(२) इन विज्ञप्तियों में वर्णित किन किन रूट का कब कब से नेशनलाइजेशन कर लिया गया है और किन किन का नहीं और क्यों ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

१. सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

२. उक्त तालिका में यह विवरण दे दिया गया है जिन रूटों का राष्ट्रीयकरण अभी तक नहीं हुआ है उनकी सुनवाई लीगल रिमेम्बरेन्सर के यहां चल रही है ।

सूची

राष्ट्रीयकृत मार्गों की सूची मय राष्ट्रीयकरण तिथि के निम्न प्रकार हैं :—

राष्ट्रीयकृत मार्गों के नाम	राष्ट्रीयकरण की तिथि
१	२
१. जयपुर-अलवर	२६-१-६१
२. जयपुर-भरतपुर	२६-१-६१
३. जयपुर-कोटा ..	१५-५-६२
४. अजमेर-कोटा ..	१५-२-६२
५. आबूरोड़-आबू-देलवाड़ा-	
आबूरोड़-सिरोही	
आबूरोड़-सुमेरपुर ..	१५-२-६१
सिरोही-बांसी]	

Page No 158

१	२
६. आबूरोड़-पालड़ी-अनादरा आबूरोड़-पालड़ी-मणूडार	११-६-६२
७. जयपुर-अजमेर ..	१-३-६२
८. अजमेर-भीलवाड़ा ..	१५-८-६२
९. अलवर-देहली ..	१-८-६२
१०. जोधपुर-सुमेरपुर ..	१-९-६२
११. जोधपुर-बिलारा-ब्यावर-अजमेर	१५-१०-६२

जिन मार्गों पर विज्ञप्तियां निकाली जा चुकी हैं, लेकिन जिनका अभी तक राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है उनकी सूची मय विज्ञप्ति तिथि के निम्न प्रकार है :

१	२
१. जोधपुर-नागौर-बीकानेर	१०-१०-६०
२. जोधपुर-पाली-सोजत-ब्यावर ..	१२-१-६१
३. भीलवाडा-चित्तौड़-उदयपुर	९-८-६२
४. उदयपुर-डूंगरपुर-रतनपुर	९-८-६२
५. कोटा-झालावाड-इकलेरा	६-१२-२६
६. कोटा-चेचट और कोटा-रामगंज मंडी मार्ग	

ग्राम मऊ इब्राहिमपुर डिस्पेन्सरी

६४३. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार ने ग्राम मऊ इब्राहिमपुर, तहसील हिंडौन में डिस्पेंसरी खोलने की योजना बनाई है ?

(२) यदि हां, तो योजना कब आरम्भ होगी और यदि कोई योजना नहीं बनाई गई है, तो कब बनाई जावेगी ?

(३) डिस्पेन्सरी खोले जाने के आधार क्या हैं ?

उत्तर

(१) जी नहीं,

(२) ऐसी कोई योजना नहीं है ।

(३) नई डिस्पेन्सरी स्वीकृत योजना एवं बजट में उपलब्ध धनराशि के अनुसार ही खोली जाती है ।

इसके अतिरिक्त निम्नांकित आधारों पर भी विचार किया जाता है ।

(अ) जहां डिस्पेन्सरी खोली जाती है उस गांव की आवादी ३००० व ऊपर होनी चाहिए ।

(व) जहां डिस्पेन्सरी खोली जाती है उस जगह से ५ मील के एरिया में किसी तरह की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध न हों।

(स) जहां डिस्पेन्सरी खोली जाती है उस गांव में पहिले से ही कोई एलोपेथिक तथा आयुर्वेदिक संस्था नहीं हो।

(द) जहां तक सम्भव हो डिस्पेन्सरी खोलने के लिए मकान व कर्मचारियों के रहने के लिये आवास गृहों के लिए दान भवन या नकद के रूप में उपलब्ध हो।

कुचामन नगरपालिका के चुनाव

६४४. श्री मानिक चन्द सुराणा (कोलायत): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) कुचामन सिटी नगरपालिका में निर्वाचित सदस्यों की कुल सीटें कितनी हैं और वर्तमान में कुल कितने निर्वाचित सदस्य कार्य कर रहे हैं ?

(२) इस नगरपालिका के गत चुनाव कब हुए थे और उसमें कौन कौन सदस्य चुने गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। उक्त निर्वाचित सदस्यों में से कितने सदस्यों ने त्याग-पत्र दिये, कितने सदस्यों को न्यायालय द्वारा अपदस्थ किया गया और कितने सदस्यों को राज्य सरकार नेडिस्क्वालीफाई कर दिया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह भी सही है कि वर्तमान नगरपालिका ने कायकाल बढ़ाने के बावजूद भी नए चुनाव करवाने की कोई मुकम्मल तैयारी नहीं की है और क्या इस नगरपालिका को भंग करके शीघ्रातिशीघ्र प्रशासक नियुक्त कर पालिका के नए चुनाव करवाने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(१) कुचामन नगरपालिका के लिये १५ सीटें पुन: निर्धारित की गई हैं (१३ जनरल व २ अनुसूचित जाति)। वर्तमान में प्रशासक कार्य कर रहे हैं।

(२) दिनांक ३-१०-५८ को निर्वाचन हुआ। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

६ सदस्यों ने त्याग-पत्र दिये। ३ सदस्यों को न्यायालय द्वारा अपदस्थ घोषित कर दिया गया। राज्य सरकार द्वारा किसी सदस्य को सदस्यता से अयोग्य घोषित नहीं किया गया।

(३) नगरपालिका को भंग कर प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई है। चुनाव सम्बन्धी कार्यवाही जारी है।

सूची

LIST OF THE MEMBERS WHO WERE ELECTED IN THE LAST ELECTION OF THE MUNICIPAL BOARD KUCHAMAN AND NOMINATED BY THE GOVERNMENT.

Elected

1. Shri Ram Niwas Somani.
2. Shri Kundan Mal Kumbhawat.
3. Shri Kheta Ram Arya.

4. Shri Rang Lal Gupta.
5. Shri Girdhari Lal Sharma.
6. Shri Salap Singh.
7. Shri Chiranji Lal Kala.
8. Shri Hari Bux Mandhania.
9. Shri Govind Lal.
10. Shri Allabeli.
11. Shri Prabhu Dayal.
12. Shri Goverdhan.
13. Shri Immdad Khan.

Nominated

1. Shri Parakash Chandra Balai.
2. Shrimati Yasoda Devi.

छोटी सादडी बडी सादडी सडक में आई भूमि का मुआवजा

६४५. **श्री विजयसिह झाला,** (नाथद्वारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) छोटी सादडी से जो बड़ी सादड़ी सड़क जाती है उसमें जलोदा गांव के कितने किसानों की भमि ली गई है ?

(२) जिनकी भमि ली गई उनको अब तक मुआवजा दिया गया या नहीं ?

(३) जमीन लिए हुए कितना अर्सा हो गया है तथा जिन व्यक्तियों की जमीन ली गई उनको मुआवजा कब तक मिल जायगा ?

(४) इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(१) ११ किसानों की ।

(२) मुआवजा दे दिया गया है ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

(४) भुगतान कर दिया गया है ।

रायसिह नगर-स्वरूपसर सडक का निर्माण

६४६. **श्री मुरलीधर व्यास :** (बीकानेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

रायसिह नगर से स्वरूपसर (गंगानगर में) सड़क कहां तक बनी है तथा कितना हिस्सा बाकी है ? इस सड़क का निर्माण जल्दी क्यों नहीं किया जाता ? यह सड़क पूरी कब तक हो जावेगी ?

उत्तर

४ मील बन चुकी है। ५ मील के टेण्डर स्वीकृत हो चुके हैं । २० मील अर्थाभाव के कारण, आशा है चतुर्थ योजना के प्रारंभ में

तहसील तथा सब-डिवीजन कार्यालय का नया भवन, माण्डलगढ़

६४७. **श्री गणपतिलाल वर्मा,** (माण्डलगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि भीलवाडा जिले का सब-डिवीजन माण्डलगढ़ तथा तहसील का दफ्तर किले की पुरानी इमारत में चल रहा है जो जर जर हो चुका है और जहां वर्षा के दिनों में अधिकारियों को बैठने का स्थान नहीं मिल पाता ? क्या कभी भी इस बिल्डिंग के गिर जाने का खतरा है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में नया भवन बनाने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

जी हां, जिस भाग में कार्यालय है उसकी स्थिति ठीक है । जो भाग खाली है उसकी स्थिति ठीक नहीं है। सम्बन्धित विभाग द्वारा अगर नवीन भवन के लिए रकम स्वीकृत की गई तो भवन बना दिया जायगा ।

सरप्लस स्टाफ पुलिस विभाग

६४८. **श्री रामकिशन,** (वैर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि पुलिस विभाग में कुछ स्टाफ सरप्लस किया गया है ? यदि हां, तो सरप्लस कर्मचारियों की जिलेवार संख्या क्या है ?

(२) कितनी साल की सर्विस के कर्मचारियों को सरप्लस किया गया है ? सरप्सल कर्मचारियों की जिलेवार संख्या सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

(१) जी हां, सूची संलग्न है ।

(२) जूनियर पोस्ट को सरप्लस किया गया । सरप्लस कर्मचारियों की सूची संलग्न है ।

सूची

पुलिस विभाग में सरप्लस किये गए व्यक्तियों की सूची :

क्रम सं०	जिला	कनिष्ट लेखक	ज्येष्ठ लेखक	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
१	२	३	४	५
१.	अजमेर ..	—	—	१
२.	जयपुर ..	—	—	२
३.	सीकर ..	—	—	१
४.	झुंझुनू ..	—	—	२
५.	स. माधोपुर	—	—	१
६.	भरतपुर ..	—	—	२
७.	अलवर	—	—	२
८.	टोंक ..	—	—	२
९.	जोधपुर ..	—	—	२
१०.	पाली ..	—	—	२
११.	बाड़मेर ..	—	—	२
१२.	जालोर ..	—	—	२
१३.	नागौर ..	—	—	१
१४.	जैसलमेर	२	२	१ स्टेनो ३
१५.	सिरोही ..	—	—	—
१६.	बीकानेर ..	—	—	२
१७.	चूरू ..	—	—	२
१८.	गंगानगर	—	—	१
१९.	उदयपुर ..	—	—	२
२०.	भीलवाड़ा	—	—	१
२१.	बांसवाड़ा	—	—	२

Page No 162

१	२	३	४	५
२२. डूंगरपुर ..		–	–	१
२३. कोटा ..		–	–	२
२४. बूंदी ..		–	–	१
२५. झालावाड़		–	–	२
२६. ए. ए. सी.		–	–	१५
योग—	२	२	५६	१ स्टेनो

खेमली व गुडली-ओडवाडिया सड़क का श्रम दान द्वारा निर्माण

६४९. **श्री सम्पतिलाल बोहरा** (मावली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि खेमली से ओडवाडिया व गुडली से ओडवाडिया (मावली) के बीच की सडक वहां की जनता ने श्रमदान द्वारा बनाई है ?

(२) यदि हां, तो सरकार ने इस सडक पर अपने हिस्से का कितना योगदान दिया है ?

(३) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) जी नहीं; केवल दो-तीन फर्लांग पर मिट्टी ओडवाडिया व खेमली के बीच डाली गई है।

(२) इस विभाग द्वारा कोई योगदान नहीं दिया गया।

(३) इस तरह की कोई स्वीकृति नहीं है।

Page No 163

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक २७ मार्च, १९६३)

स्कम्भ सं. १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
४७८९	शीर्षक	–२२ मार्च,	–२७ मार्च,
४७९७	१७	चयर मैन	चेयरमैन
४७९९	७	श्री मैं रोंसिह	श्री मैं रोंसिह
४८०८	अन्तिम से ६	श्री सतीशचन्ट	श्री सतीशचन्द्र
४८१०	२० व २२	श्री केशरीसिंह	श्री केसरीसिंह
४८११	शीर्षक	,,	,,
४८१४	५	श्री मरथुदास माथुर	श्री मथुरादास माथुर
४८१९	१	ारयायत	रियायत
४८२९	१६	छूआ-छत	छुआ-छूत
४८३१	१२	श्री जयनायण	श्री जयनारायण
४८३३	अन्तिम से २	Nex	Next
४८३४	१२	ग्रह मंत्री	गृह मंत्री
४८३७	शीर्षक	प्राक्कलन समिति-२७ मार्च, १९६३-स्थगन प्रस्ताव	वित्त समितियों के-२७ मार्च, १९६३-नामजद उम्मीदवार
,,	१३	श्री फलचन्द	श्री फूलचन्द
,,	अन्तिम से ७	वाबल	बाबेल
,,	१८	अनुसूचित व्यवहार संबंधी स्थगन प्रस्ताव	अनुसूचित व्यवहार सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रस्ताव
४८३८	२४	प्रस्ताव प्रश्न की	प्रस्ताव की
४८३९	५	उनका नाम का	उनके नाम का
४८४२	प्रथम	प्रयोजन	बहु प्रयोजन
,,	२	सिंचन नौ–चालन	सिंचन, नौचालन
४८४४ से ५००२ तक	शीर्षक	२४–२७ मार्च,	४३–२७ मार्च,
४८४५	शीर्षक	२५ व २४	२६ व ४३
४८५१	शीर्षक	चंडावत)	चूंडावत)
४८५३	शीर्षक	२६, २६	२५, २६
४८६१	,,	,,	,,
४८८७	१६, १७	टारगेट	टार्गेट
४८९०	शीर्षक	योजायें	योजनायें
४८९७	२१	Pleas3 !	Please !
,,	२३	th t	that
४८९८	२४	टारगैट्स	टार्गेट्स

१	२	३	४
४८९९	शीर्षक	(श्री जझारसिंह)	(श्री जुझारसिंह)
४९००	शीर्षक	बहुप्रयोजन योजनायें ग्रादि	समितियों से नाम वापिस
,,	प्रथम	समिति	समितियां
,,	४	श्रमती सुमित्रादेवी	श्रीमती सुमित्रादेवी
,,	९ के बाद	--	मांग संख्या २५, २६ व ४३- बहु प्रयोजन नदी योजनायें, सिंचन, नौचालन, तट-बंधन ग्रादि
४९०६	ग्रन्तिम से ५	श्री समापति	श्री समापति
४९०८	शीर्षक	योजनाय	योजनायें
४९०९	,,	२६, २६	२५, २६
४९१४	शीर्षक	योजनाय	योजनायें
४९१६	२१	डिपार्टमेंट	डिपार्टमेन्ट
,,	ग्रन्तिम से ४	डिपारटमेन्ट	,,
४९१७	शीर्षक	२७ मार्ज,	२७ मार्च,
,,	१९	ढावरिया	ढाबरिया
४९१७	ग्रन्तिम से ६	लेकिन ह	लेकिन
,,	ग्रन्तिम से ७	हैं व	हैं वह
४९१८	ग्रन्तिम से ७	डिपार्टमन्ट	डिपार्टमेन्ट
४९१९	शीर्षक	बहु प्रयोजननदि	बहु प्रयोजन
४९२४	१४	फायद मने	फायदे मैंने
४९२५	शीर्षक	बहु प्रयोज	बहु प्रयोजन
४९३१	,,	२६,२६	२५,२६
४९३५	,,	बहुप्रयाजन	बहु प्रयोजन नदी
४९३७	शीर्ष	डावत	चूडावत
४९४०	३	योज	योजना
४९४३	शीर्षक	बहु प्रयोजननदि योज	बहु प्रयोजन योजनायें
४९४५	शीर्ष	हाडा)	हाडा)
४९५३	,,	श्री योगेन्द्रनाथ हाडा)	(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा
४९५४	१०	श्री योगेन्द्रना	श्री योगेन्द्रनाथ
४९५४	१५	श्री मकुटबिहारीलाल	श्री मुकुटबिहारीलाल
४९६९	२२	इन्शयोरेन्स	इन्श्योरेन्स
४९८३	६	टावरिया	ढाबरिया
४९८९ से ४९९१ तक	शीर्षक	२६,२६	२५,२६
४९९३ से ४९९७ तक	शीर्ष	(श्री नाथुराम मिर्धा)	(श्री नाथूराम मिर्धा)
५०००	ग्रन्तिम से ११	मिधा	मिर्धा
,,	ग्रन्तिम से ७	हाडा	हांडा
५००१	शीर्ष	(श्री नारथूम मिर्धा	(श्री नाथूराम मिर्धा)

१	२	३	४
५००३ से ५०१८ तक	शीर्षक	बहु प्रयोजनादि योजनायें	बहु प्रयोजन योजनायें
५००५	शीर्ष	(नाथुराम मिर्धा)	(श्री नाथूराम मिर्धा)
,,	४	श्री योगन्द्रनाथ	श्री योगेन्द्रनाथ
,,	११,१४	श्री योगन्द्रनाथ	श्री योगेन्द्रनाथ
,,	अन्तिम से ५	श्री योगेद्रनाथा	श्री योगेन्द्रनाथ
,,	अन्तिम से ८	श्री योगन्द्रनाथ	श्री योगेन्द्रनाथ
५०११	१६	श्री योगेद्रनाथ	श्री योगेन्द्रनाथ
५०१८	१६	श्री नाथरा	श्री नाथूराम
,,	२६	Order ! Order please !!	Order ! Order please !!
५०१६	अन्तिम से २	आदेशानसार	आदेशानुसार
५०४१	शीर्ष	(श्री उपध्यक्ष)	(श्री उपाध्यक्ष)
,,	१०	श्री योगेन्द्रसिंह	श्री योगेन्द्रनाथ
५०४५	१	अध्यक्ष–४७८१	अध्यक्ष ४७७६
५०४५	अन्तिम से ८	वातायात	यातायात
५०४८	१०	श्री भैरोंसिह शेखावत	श्री भैरोंसिह
५०४६	१४	श्री नत्थीसिंह	मास्टर श्री नत्थीसिंह
५०६६	२ के आगे ३ कॉलम में	तम्बाक	तम्बाकू
५०६८ से ५०७७ तक	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर -२७ मार्च, १६६३–तारांकित प्रश्नोत्तर	परिशिष्ट
५०७४	अन्तिम से ११	कार्यवा	कार्यवाही
५०७४	अन्तिम से ८	TFE	THE
५०७६	२	मण्डलगढ़	मांडलगढ